राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या 9

बुधवार,

5 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

93. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों में जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्तियों ने गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जे किये हैं? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? अतिक्रमण-कर्ताओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के नियमन करने की तरह ग्रामीण क्षेत्रों की गोचर/सरकारी भूमि पर लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमणों का/कब्जों का नियमन करने का विचार रखती है/ यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल के प्रश्न के बारे में गवर्नमेन्ट से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए 15 दिन के लिए स्थगित किया जाता है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 100 नम्बर का स्थगित कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले।

श्री रामस्वरूप : श्रम मंत्रीजी का था......(व्यवधान)

श्री गोपाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दो बार स्थगित हो चुका।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं। आपका प्रश्न नहीं आया अभी तक।

श्री रामस्वरूप : स्थगित कर दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री गोपाराम मेघवाल : दो बार स्थगित हो चुका है। कब तक जवाब आ जाएगा इसका?

श्री अध्यक्ष : 15 दिन के बाद में इस प्रश्न को......(व्यवधान)

श्री गोपाराम मेघवाल : दो बार स्थगित हो चुका, कब तक जवाब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : दो बार का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज इसके लिए लिखा है, 15 दिन का मैंने समय दिया है और मैं इसी जगह पर लगाऊंगा पहले नम्बर पर।

श्री गोपाराम मेघवाल : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप : मेरा भी 100 नम्बर का स्थगित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 100 नम्बर वाला मेरा भी स्थगित हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : इसके लिए व्यवस्था मुझे भी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था के लिए आप मुझसे चैम्बर में बात करना। क्वेश्चन ही नहीं आया है, आप खड़े हो रहे हैं। श्री अमीन खान।

यूनानी एवं आयुर्वेदिक औषधालयों में हकीमों/वैद्यों के रिक्त पद

94. श्री अमीन खान (शिव) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में कुल कितने यूनानी/आयुर्वेदिक औषधालय हैं? उक्त, में से शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कितने-कितने हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यूनानी हकीमों/वैद्यों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में राज्य में स्वीकृत व संचालित चिकित्सालयों का विवरण निम्न प्रकार है:—

आयुर्वेदिक	शहरी	213
	ग्रामीण	3392
	कुल	3605
यूनानी	शहरी	50
	ग्रामीण	49
	कुल	99

जिलेवार संख्या परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रखी दी गयी है।

(2) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित व स्वीकृत विभागीय औषधालयों में 17 पद यूनानी चिकित्सक के तथा 336 पद आयुर्वेद चिकित्सक के रिक्त हैं। जिलेवार संख्या परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। यथा शीघ्र भरने का प्रयास जारी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में जो जिलेवार सूची दी गयी है उसमें खाली पद करीब आठवां हिस्सा वैद्यों का है और यूनानी हकीमों के नो पद खाली हैं, यह लगातार खाली आते रहे हैं। कोई एक साल या छमाही या त्रिमाही के रहे हों, ऐसी बात नहीं है। यह खाली पद भी ज्यादातर पिछड़े हुए क्षेत्रों में

(श्री अमीन खान)

रहते हैं। क्या सरकार इस ओर गंभीरता से विचार करके पिछड़े हुए एरिया में लगातार खाली रहने वाले पद भरेगी? और भरेंगे तो यह कब तक भरेंगे? और विचार किया जा रहा है इसका क्या भरोसा आपका।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम यथा शीघ्र इन पदों को भरने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी माह में कुछ पद तो भर दिये जाएंगे। जो रिक्त स्थान आप बता रहे हैं, बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स बाड़मेर, जैसलमेर या जहां दूर-दूर जगह पर हैं उनको पहले भरा जाएगा, बाकी रिक्त पदों को बाद में भरा जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है यह बिलकुल सही नहीं है। यह तथ्यों और सत्य से बिलकुल परे हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पदों की जो सूची दी है इसमें क्या वह 50 पद भी सम्मिलित हैं, जो विगत 1998-99 के बजट द्वारा नये सृजित और स्वीकृत किये गये थे? दूसरा सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि कुल 49 पद ग्रामीण क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सकों के हैं और 49 में से 17 पद रिक्त चले आ रहे हैं, यह कब से रिक्त चल रहे हैं? पांच वर्ष, दस वर्ष से बी.जे.पी. के शासन काल में तो नहीं भरे गये लेकिन अब तो सवा साल, डेढ़ साल हो गया। यह कब से रिक्त चल रहे हैं? आपने कहा यथा शीघ्र भर दिये जाएंगे। यह तो स्वीकृत पद हैं न कोई बजट के अंदर दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियम 31 के अन्तर्गत आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप दो साथ पूछ रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक ही सवाल है, अध्यक्ष महोदय, कि इसमें वह 50 पद भी सम्मिलित हैं या नहीं? पहली बात तो यह है और अगर सम्मिलित हैं तो यह पद कब से रिक्त चल रहे हैं और आप इनको कब भर देंगे? यही जानना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कहा है कि यथाशीघ्र भर दिये जाएंगे। क्या आप नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं? अगर आप नई नियुक्तियां नहीं करेंगे तो फिर पद भरने का आपके पास और दूसरा कौनसा तरीका है? अभी इस समय जो वैद्य पदस्थापित हैं या हकीम हैं वह तो वहां जाएंगे नहीं इसलिए आप नये लगाओ। जब तक आप जितने पद हैं, उतनी नियुक्तियां नहीं दोगे वहां कोई नहीं जाएगा। अप्रोच लगाकर, सिफारिश करवाकर यहां लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके यहां सामने धाभाई जी की हवेली में एक वैद्य का पद खाली हुआ है उसके लिए कितने ही सारे वैद्य दौड़ रहे हैं यहां लगने के लिए और वहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी वैद्य आने के लिए आज दिन तक हमारे बाड़मेर के छह एम.एल.ए. हैं, किसी

(श्री हेमाराम चौधरी)

दिन हमारे पास सिफारिश के लिए नहीं पहुंचे। इसलिए आप सब पद भरोगे या तो वह तब पहुंचे या फिर यह हो कि पहली नियुक्ति उनको बाड़मेर और जैसलमेर में ही दी जाए, दूसरे जिलों में नहीं दी जाए और पाबन्द कर दिया जाए पांच साल या दस साल के पीरियड के लिए तो ही वह पद भरे जाएंगे। नहीं तो वह जब से खुले हैं तब से लेकर आज दिन तक खाली ही चले आ रहे हैं। फिर उनको खोलने का कोई अर्थ तो नहीं रहता।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपने आर.पी.एस.सी. की छह साल पुरानी सूची को कैसे नियुक्ति दे दी? आपने आर.पी.एस.सी. क्या दुबारा बुलायी थी और इसमें आपने एस.सी., एस.टी., और ओ.बी.सी. के कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी? मंत्री महोदया बताने का कष्ट करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि बहुत शीघ्र का मतलब मैंने कहा कि कुछ पद हम इसी माह में बहुत जल्दी ही भर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे यह कहा कि जो रिक्त स्थान बार्डर पर हैं उनमें हम लगा देंगे और उनमें से कुछ के हमने अभी एक-दो दिन में अपाइंटमेंट आर्डर भी निकाले हैं। जैसा आप बता रहे हैं और जैसे ही हमारी पूरी नियुक्तियां हो जाएंगी, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, यूनानी में क्या 50 शामिल हैं। 50 की अभी तक हमारे पास वित्तीय स्वीकृति नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक साल में भी नहीं हुई।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसलिए हम भी उनको शामिल करके नहीं बता रहे हैं। जो हमारे पास पुरानी है, उनको बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा माननीय सदस्य जी ने, उसके बारे में मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझती। यह प्रश्न क्यों किया गया और इनमें से यह लिस्ट मेरे पास थी नहीं, इसलिए इसकी जानकारी नहीं......(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के कितने हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, इतने पद आप भर रहे हो इनमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के कितने पद आप भर रहे हो?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाह रही हूं कि रोस्टर की पूरी पालना की जाएगी और पालना की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं। आपको मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं, आप जवाब मत दीजिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया है आप नियुक्तियां दे रहे हैं, क्या पांच साल के लिए आप इनको पाबन्द करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि बांदीकुई में आयुर्वेदिक औषधालय को क्रमोन्नत करके "ए" ग्रेड का किया गया था उसमें तीन पद वैद्यों के विचाराधीन हैं लेकिन आज की तारीख में तीन वैद्यों में से एक वैद्य की भी नियुक्ति नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में मंत्री महोदया बताएं कि बांदीकुई जिसको कि आयुर्वेद औषधालय को अपग्रेड करके "ए" श्रेणी में आपने किया था, उस "ए" श्रेणी के औषधालय में तीन वैद्यों में से किसी एक वैद्य की भी नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी और तीन वैद्यों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? आप समयबद्ध मेरे को बतायें जिससे दोबारा आपसे नहीं पूछूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपके जो एक आयुर्वेद अस्पताल खोला गया है उसमें शीघ्र ही नियुक्ति इसी माह के अंत तक कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : प्रश्न संख्या–95.

श्री अध्यक्ष : आपने अनुमति नहीं ली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : पहले लिख कर दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दिया हुआ है?

श्री रामप्रताप : लिख कर दिया है, मेरे को यह जवाब की कापी भी मिली है, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : आप अध्यक्ष महोदय को लिखित में देते।

श्री रामप्रताप : जब ही तो मेरे को जवाब की कापी मिली है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये आप प्रश्न।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र आउट होने सम्बन्धी जांच

95. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) [श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) के स्थान पर] : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न-पत्र आउट हो जाने से परीक्षा को निरस्त किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से प्रश्न-पत्र आउट हुए?

(2) क्या उक्त प्रकरण में किसी को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो अब तक जांच के आधार पर किन-किन लोगों के विरुद्ध मुकदमें बनाये गये? क्या उनके विरुद्ध चालान पेश कर दिये हैं?

(श्री रामप्रताप)

(3) क्या सरकार परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आउट हो जाने जैसी घटना गम्भीर रूप से प्रशासनिक अव्यवस्था मानती है? यदि हां, तो इसकी पुख्ता व्यवस्था करने में दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए क्या प्रयास किये हैं?

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान विषय के प्रश्न-पत्र आउट होने तथा सी. आई. डी. (सी.बी.) द्वारा अनुसंधान के दौरान भूगोल एवं राजनीति विज्ञान के एक-एक प्रश्न-पत्र दिल्ली में बरामद होने के कारण इन विषयों की परीक्षा दिनांक 12.3.2000 को पुनः राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी।

(2) अब तक जांच के आधार पर निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है: —

1. श्री प्रताप सिंह मीणा, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2. श्री नाथूलाल मीणा, हाल निवासी, दिल्ली।

3. श्री राजेन्द्र सिंह, हाल निवासी, दिल्ली-प्रेस मैनेजर।

4. श्री चन्द्र शेखर, निवासी, अजमेर।

5. श्री अनिल मीणा, निवासी, अजमेर।

(3) जी, नहीं। प्रशासनिक स्तर पर उक्त परीक्षा को आयोजित करने में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है फिर भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आयोग द्वारा आर.ए.एस. परीक्षा के प्रश्न-पत्र छपवाने हेतु पूर्व में अनुबंधित प्रेस को बदल दिया गया है एवं वर्तमान में अनुबंधित प्रेस से इस प्रकार की कार्यवाही न हो, इस सम्बन्ध में पुख्ता व्यवस्था कर ली गयी है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस. की परीक्षा राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसका पर्चा आउट होना अपने आप में कितना गम्भीर है, इसका अंदाजा कम से कम आप लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, बच्चों के अभिभावकों को कितनी वेदना हुई होगी और कितना बच्चों ने दोबारा परिश्रम किया और कितना खर्चा लगा है, इसका अंदाजा, अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा कोई नहीं लगा सकता। मेरा मंत्री महोदय से सीधा सा सवाल है कि दोबारा परीक्षा लेने में कितना खर्चा हुआ? दूसरा सवाल, मेरा यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि दूसरी प्रेस से अनुबंध कर लिया गया है तो पहली प्रेस में क्या खामियां थीं जिसकी वजह से दूसरी प्रेस से आपने अनुबंध किया? क्या जो खामियां अनुबंध में थीं उनको आपने प्लग कर दिया है?

तीसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल, आपकी जानकारी में है, पूरा सदन इस चीज को अच्छी तरह से जानता है कि बहुत-सी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आउट हुए थे, तो क्या, मंत्री महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में आपने पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की

(श्री रामप्रताप)

सोची थी? और अगर आपने रिव्यू किया था तो क्या यह खामी आपकी नजर में नहीं आयी थी उस समय?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग का कितना खर्चा हुआ। 32 लाख रुपये का खर्चा दोबारा पेपर लेने में हुआ। प्रेस का मैनेजर स्वयं सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा पकड़ा गया, उसके घर में दो पर्चे बरामद हुए, हालांकि वह पेपर सार्वजनिक रूप से आउट नहीं हुए लेकिन जांच के दौरान पाया गया इसलिए उस प्रेस को बदलना बहुत जरूरी था।

तीसरी बात इन्होंने यह कही कि आपने क्या पुख्ता इंतजाम किये। मैं समझता हूं, वह प्रश्न इनका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित था। जब दोबारा परीक्षाएं ली गयीं तो एक भी पेपर राजस्थान भर में आउट नहीं हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो एक आटोनामस बांडी है उसने भी मुझे आश्वस्त किया है कि जो नयी प्रेस बदली है वहां सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह बेहतर किये गये हैं और आइन्दा ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। दोबारा जब परीक्षा ली गयी तो वह भी ढंग से हो गयी, उसका एक भी प्रश्न-पत्र आउट नहीं हुआ।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि मैनेजर के यहां पर दो पर्चे मिले तो आपने दूसरी व्यवस्था की है। तो क्या मैनेजर को हटा करके किसी और के हाथ में दिया है या क्या नयी व्यवस्था की है? इस चीज की क्या गारंटी है कि दूसरी प्रेस वाला मैनेजर भी ऐसा नहीं करेगा?

आपने फरमाया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पर्चे आउट हुए थे, मैं मानता हूं, मुझे पता है अच्छी तरह से, मैं भी सदन में था लेकिन परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए तो क्या आपके दिमाग में या राज्य सरकार के दिमाग में यह बात नहीं आयी कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा हो रही है, इसमें भी कोई कमी है, अगर कमी है तो उसको दूर किया जाए?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया कि आर.पी.एस.सी. ने जब दोबारा प्रेस बदल कर परीक्षा ली तो उसका कोई पेपर आउट नहीं हुआ और विधिवत् रूप से सारी परीक्षाएं ले ली गयीं। आर.पी.एस.सी. ने प्रेस से जो अनुबंध किया है उसमें उसको पाबंद किया गया है कि भविष्य में यदि कोई भी प्रकार की गड़बड़ होगी तो प्रेस इसकी जिम्मेदार होगी। उन्होंने वहां सिक्योरिटी वगैरह के इंतजाम बढ़ाये हैं तथा दोबारा पेपर आउट नहीं हुआ।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, क्या पहले वाले मैनेजर की यह जिम्मेदारी नहीं थी? आप फरमा रहे हैं कि हमने मैनेजर को इस बात के लिए पाबंद किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अमानत में खयानत करता है

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसके खिलाफ Law will take its own course उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका चालान किया गया है।

श्री रामप्रताप : ला तो इस कोर्स में भी जा रहा है। जो अब पकड़ा गया है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी है। कानूनी कार्यवाही होती रहे।

परीक्षाओं के बारे में पूछ रहा हूं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, किन-किन को गिरफ्तार किया गया, चालान किया गया। वह एक अलग प्रक्रिया है लेकिन आपने कहा कि हमने पुख्ता इंतजाम कर दिये हैं, दूसरी प्रेस से अनुबंध कर लिया है तो आपके पास में ऐसा कौनसा मीटर है कि आपने उस दूसरे मैनेजर की मानसिकता को अच्छी तरह पढ़ लिया कि वह पर्चा आउट नहीं करेगा? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकण्ड पूरा कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल : मेरा यह निवेदन है कि पहले जो अनुबंध की शर्तें थीं.........

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : सांवर लालजी, बिराजिये, व्यवस्था बनाये रखिये, बिराजिये आप। पहले उनका जवाब दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता को मद्देनजर रखते हुए और पिछले दिनों में यहां जो प्रश्न उठे हैं उसके आधार पर मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोक अधिनियम, 92 की धाराओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और बहुत शीघ्र मैं समझता हूं कि आगे इस सन्दर्भ में कोई एक्ट वगैरह आयेगा, वह सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि धाराओं के.....

श्री अध्यक्ष : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने तीन तो पहले पूछ लिये।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तो वैसे ही नहीं बोलता।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नियम-31 को आप ध्यान में रखिये।

श्री रामप्रताप : आप फरमा रहे हैं कि हमने धाराओं को पुख्ता करने का इंतजाम...

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम-31 में आप सिर्फ एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आखिरी सवाल।

मंत्री महोदय, आप धाराओं को पुख्ता करने का प्रयास कर रहे हो अभी तो इस परीक्षा के लिए फिर आपने क्या एक्स्ट्रा किया जिससे कि यह पर्चे आउट नहीं हों?

(श्री रामप्रताप)

अभी तो आप धारा को मजबूत करने का प्रयास ही कर रहे हो, तो जब आपने दोबारा परीक्षा ली उसमें क्या प्रयास किये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, दोबारा परीक्षाएं मार्च में हो चुकी हैं, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। अब प्रयास किये हैं तभी तो वहां पर कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ और सारी परीक्षाएं विधिवत् रूप से हो गयीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि यह समाचार पत्रों में काफी प्रचारित किया गया कि जब जब आप इस प्रकार के पेपर्स को छपाने के लिए देते हैं किसी प्रेस में तो दो प्रकार की व्यवस्था वहां पर होती है, कुछ जनरल छपाई होती है, जिसकी कोस्ट वगैरह कम आती है और कुछ स्पेशल प्रेस में छपाई के लिए आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार उसकी पूरी छपाई की कोस्ट भी अलग होती है और वे सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था करते हैं। तो पहले जो लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रश्न-पत्र छपाने के लिए दिये गये थे तो क्या प्रेस के मालिक को इस प्रकार के डाइरेक्शंस दिये गये थे या नहीं दिये गये थे? दिये गये तो फिर छपाई का क्या अन्तर रहा? इससे अवगत करा दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अलग से प्रश्न है लेकिन—

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्री महोदय, यह अलग से नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पूरी एहतियात बरती थी लेकिन कोई भी व्यक्ति को प्रेस के कार्यों से सम्बन्धित है, वहां कोई व्यक्ति चोरी करता है, बदमाशी करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और परीक्षा की सेंक्टिटी को बनाये रखने के लिए अभी जैसे ही अध्यक्ष को यह सूचना प्राप्त हुई कि इस सम्बन्ध में प्रश्न-पत्र की फोटो कापी उनके पास आ गयी है तो उन्होंने तुरन्त उसको स्थगित करके और दोबारा पेपर ले लिया। उसमें पूरे राजस्थान से कहीं कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले छपाई के जो डाइरेक्शंस देने चाहिए, इस प्रकार के डाइरेक्शंस नहीं दिये गये और जनरल छपाई करायी गयी इसके कारण से यह सारी व्यवस्था बिगड़ी थी। मैं तो इस बात का उत्तर देना चाहता हूं कि क्या स्पेशल डाइरेक्शंस देकर छपाई के प्रश्न-पत्र आर. ए. एस. के दिल्ली वाली प्रेस में दिये गये थे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमेशा जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिये जाते हैं वैसे ही दिये गये थे। यह तो अमानत में खयानत का केस था जिसके कारण से उस मैनेजर के खिलाफ चालान किया गया है और उसके खिलाफ धारा—(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह, मंत्री महोदय, अलग बात है लेकिन जो डाइरेक्शंस देने चाहिए प्रेस को वह पहले नहीं दिये गये थे जिसके कारण से यह सारी दोबारा परीक्षा ली गयी। छात्रों पर जबरदस्त वजन पड़ा, बोर्ड पर भी, लोक सेवा आयोग पर भी 32 लाख रुपये का खर्चा पड़ा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य को बराबर जानकारी नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : अगर यह डाइरेक्शंस पहले दे दिये जाते तो यह अव्यवस्था नहीं होती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इंस्ट्रक्शंस में कोई कमी नहीं रही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहता हूं, नयी प्रेस से आप जो एग्रीमेंट करने जा रहे हो या एग्रीमेंट करना चाह रहे हो उसमें कोई प्रेस का मालिक या प्रेस दोषी हो तो उसको आर्थिक दण्ड मिले, इस प्रकार का प्रावधान भी सम्मिलित करना चाहते हैं क्या? अगर प्रेस इस प्रकार से लापरवाह हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो प्रेस पर आर्थिक दण्ड सरकार डालने के लिए बाध्य कर सके इस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं क्या? दूसरा मेरा सवाल और है कि आपके 34 लाख रुपये परीक्षाएं वापस कराने के ऊपर लगे, जाटों का आरक्षण हो गया था तब हमने मांग करी थी कि परीक्षाएं स्थगित करके और पहले हमारे जो छात्र हैं उनको मौका इस मण्डल आयोग के तहत दिया जाए तो उस समय सरकार ने बहुत ढोल पीटा कि बहुत बड़ा आर्थिक भार हमारे ऊपर पड़ जाएगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको मजबूरी में परीक्षाएं वापस करानी पड़ी, कितना आर्थिक भार का अन्तर रहा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषयान्तर होकर प्रश्न कर रहे हैं, जिन लोगों ने समय पर एप्लाई कर दिया था और जो जातियां ओ.बी.सी. में आ गयी थीं उनके लिए तो कोई दिक्कत थी नहीं और नये सिरे से परीक्षा कराना संभव नहीं था। जहां तक पहला प्रश्न किया है, आर. पी. एस. सी., जैसा कि मैंने बताया था, वैसे तो राजस्थान विधान सभा में आर.पी.एस.सी. और उच्च न्यायालय के बारे में अपने डिस्कशन कर भी नहीं सकते लेकिन चूंकि यह लोक महत्व का प्रश्न था, इस कारण से यह प्रश्न सदन में आया है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से उनको लिखा जा रहा है कि वे इस प्रकार का इन्तजाम करें कि भविष्य में कभी किसी भी प्रेस वालों की कोई गलती हो तो उसका हर्जाना वसूल किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आर.पी.एस.सी. में प्रश्न-पत्र बनना, छपना और वितरित होना, इसके लिए अलग से एक प्रभारी अधिकारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को नियुक्त किया हुआ है। तो क्या प्रश्न-पत्र आउट हो गये, चाहे किसी स्तर पर हो, उस अधिकारी की कोई गलती थी या नहीं? नम्बर एक बात। नम्बर दो बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने दो तरह की जांच करवायी। एक जांच सी. आई. डी. (सी.बी.) से और दूसरी जांच आर.पी.एस.सी. ने अपने स्तर पर करवायी। क्या यह सही है कि सी.आई.डी. (सी.बी.) ने लोक प्रशासन के प्रश्न-पत्र को भी आउट होना माना जिसकी परीक्षा आपने दुबारा आयोजित नहीं करवायी? नम्बर तीन, जो प्रश्न-पत्र मैनेजर के पास से बरामद हुए आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वे प्रश्न-पत्र मैनेजर ने लीक नहीं किये होंगे? आपने वे परीक्षाएं क्यों नहीं करवायीं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को अधूरी जानकारी है। दिनांक 28.11.99 को सबसे पहले नवज्योति प्रेस के दीनबन्धु चौधरी जो सम्पादक हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय को यह सूचना दी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर आउट हो गया है। उन्होंने तुरन्त वहां उपस्थित माननीय सदस्यों के साथ बैठक कर उस पेपर के बारे में बातचीत की और उसको स्थगित करने का निर्णय लिया लेकिन चूंकि दिनभर परीक्षाएं होने वाली थीं उन परीक्षाओं में वे डिस्टर्ब नहीं हों इसलिए जैसे ही शाम को सारी परीक्षाएं खतम हुई, उसी दिन 22 ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं भी थीं पूरे राज्य में 32 जिलों में, उन्होंने शाम को प्रेस को यह जारी कर दिया कि यह पेपर आउट हो गया है। उसके बाद 28.11.99 को पहले पुलिस अधीक्षक को यह एफ.आई.आर. आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन देवेन्द्र सिंहजी ने दायर की और तुरन्त सी.आई.डी. (सी.बी.) को यह जांच सौंप दी। 28.11.99 के बाद जब सी.आई.डी. (सी.बी.) की जांच हुई तो सी.आई.डी. (सी.बी.) ने जब छापा मारा तो 11.1.2000 को श्री राजेन्द्र सिंह जो प्रेस का मैनेजर था, उसके दिल्ली स्थित निवास से भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के पेपर की एक-एक प्रति प्राप्त हुई। लोक प्रशासन की कोई नहीं हुई और इन दोनों की भी परीक्षाएं दुबारा करवा ली गयीं, इसलिए लोक प्रशासन का कोई पेपर आउट नहीं हुआ।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आर. पी. एस. सी. की परीक्षाएं होती रही हैं अब तक और उसमें पूर्व में जो इंस्ट्रक्शंस दिये जाते हैं प्रश्न-पत्र छपाई के, इस बार जो प्रश्न-पत्र छपाये गये, उसमें कोई संशोधन किया गया था या पूर्व की परम्पराओं का ही निर्वहन किया गया? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूर्व की परम्पराओं के अनुसार ही पेपर एक तरीके से प्रकाशित करवाये गये थे और इसमें पूरी सावधानी बरती गयी है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। प्रकाश प्रिंटर्स के मैनेजर राजेन्द्र सिंह

(श्री मदन दिलावर)

और नाथूलाल, जो वहां यह पेपर आउट कराने में सम्मिलित रहे, के काफी घनिष्ठ सम्बन्ध थे। उस प्रेस में पांच पेपर छपे थे तो इसकी क्या गारन्टी है कि वे दो पेपर ही आउट हुए और पांचों पेपर आउट नहीं हुए? किस तरह से इन्होंने पता किया कि पांचों पेपर आउट नहीं हुए, केवल दो पेपर आउट हुए?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया आपने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सी. आई. डी. (सी.बी.) ने पूरी जांच की और जांच के बाद ही जो तथ्य आये हैं वह मैंने आपको अवगत कराये हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन। श्री हीरासिंह चौहान।

बिरांटिया कलां (सेडोतान पाली) में पेयजल आपूर्ति

96. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्राम बिरांटिया कलां तथा रामगढ़ सेडोतान की पेयजल योजना कौनसे वर्ष से स्वीकृत है?

(2) उक्त दोनों पेयजल योजनाओं पर किस-किस वर्ष में कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने योजना स्वीकृति के बाद भी उक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक उक्त दोनों गांवों को पेयजल योजना से जल आपूर्ति करने का विचार रखती है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्राम बिरांटिया कलां की आगुमेन्टेशन जल प्रदाय योजना तथा ग्राम रामगढ़ सेडोतान की आगुमेन्टेशन जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 1989-90 में जारी की गयी थी।

(2) आगुमेन्टेशन जल प्रदाय योजना बिरांटिया खुर्द, बिरांटिया कलां तथा मानपुरा रामगढ़ सेडोतान पर माह फरवरी, 2000 तक क्रमशः रुपये 14.19 लाख एवं रुपये 11.58 लाख की धनराशि व्यय की गयी। कार्यवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में संलग्न है।

(3) जी, हां। जल स्त्रोत ग्राम बर में प्रस्तावित था परन्तु ग्रामवासियों के विरोध के कारण बिरांटिया कलां में तथा रामगढ़ सेडोतान खुले कुएं में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण योजना से पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। इस क्षेत्र के आस-पास के जल स्त्रोत में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण इन दो ग्रामों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। योजनाओं के लिए पर्याप्त क्षमता के जल स्त्रोत हेतु भू-जल वैज्ञानिक से राय ली जा रही है। उपयुक्त जल स्त्रोत मिलने पर इन ग्रामों की पेयजल योजना बनाकर ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम बिरांटिया कलां में 4 व रामगढ़ सेडोतान में 10 हैण्ड पम्प स्थापित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों ही योजनाओं की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 1989-90 में जारी की गयी और 11 साल व्यतीत होने के बाद भी इन दोनों बड़े-बड़े गांवों को पानी नहीं मिल रहा है, अब आपने खर्चे का जो परिशिष्ट दिया है उसके अनुसार मैंने सवाल केवल बिरांटिया कलां का पूछा है उसमें बिरांटिया खुर्द भी मिला दिया गया है। रामगढ़ सेडोतान का पुछा उसमें जालरी मानपुरा को भी मिला दिया गया जबकि ये दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं। बिरांटिया कलां यहां से दस किलोमीटर दूर है और बिरांटिया खुर्द भी यहां से दस किलोमीटर दूर है। बिरांटिया कलां की सेपरेट योजना थी और इसमें आपने कुल खर्चा बताया 14.19 लाख रुपये। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में उस गांव में 14.19 लाख रुपये, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूं कि 50 हजार लीटर की बिरांटिया कलां में एक टंकी बनायी है, जी.एल.आर. बनाया है जिसमें 59 लाख रुपये खर्च होना बताया। इसके अलावा एक पाई भी इस योजना पर खर्च नहीं हुई है। आज भी यह पानी के लिए बड़ा त्रसित है और गत वर्ष, इसी वर्ष बजट सत्र में मैंने यह पूछा था कि रामगढ़ सेडोतान और बिरांटिया कलां गांव में पानी नहीं है और आपने पिछली सरकार पर आरोप लगाया था और सही था कि पिछली सरकारें नहीं कर पायीं लेकिन आपने यह आश्वासन दिया था कि मैं एक महीने में दोनों ही गांवों में पानी पहुंचा दूंगा। आज दिन तक इन दोनों गांवों में जो स्वीकृत राशि थी वह तो दोनों ही खर्च हो गयी, एक में 11 लाख थी और दूसरे में 14 लाख थी अब मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पानी बहुत है, पानी की हमारे रायपुर तहसील में कोई कमी नहीं है, पांच-पांच किलोमीटर नदी नालों में पानी है, आप तो इनकी लायबिलिटी फिक्स कीजिए। झिलमिल बांध के नीचे वर्ष 1990-91 में एक ट्यूबवैल खोदा गया था और उस ट्यूबवैल को चालू नहीं किया गया। बच्चों ने पत्थरों से ट्यूबवैल को भर दिया। वह कौन अफसर था उसकी लायबिलिटी फिक्स कीजिए। उस ट्यूबवैल पर पैसा खर्च हुआ है। इसी प्रकार रामगढ़ सेडोतान उसके पास में भी पानी है। बहुत नजदीक पानी का अथाह भण्डार है और बहुत कहा गया लेकिन आपकी यह अंधी मशीन आती है ग्राउण्ड वाटर की और हम गांव वाले कहते हैं कि वहां पर खोदना नहीं चाहते। इसमें भी बिरांटिया कलां में एक दूसरा ट्यूबवैल खोदा गया धौलीजेड में वह ड्राई हो गया और इसके बाद कोई प्रयास किया नहीं और न विभाग के पास पैसे हैं। तो अब तक जो हो गयी बात वह तो हो गयी, मैं कितने ही सवाल पूछूं

(श्री हीरासिंह चौहान)

उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों ग्रामों के लिए रामगढ़ सेडोतान के लिए, बिरांटिया कलां के लिए, जितने भी स्कीम के लिए पैसे मंजूर किये गये थे, एक भी पाई खर्च नहीं हुई, क्या आप इन दोनों ही ग्रामों के लिए इन्हीं योजना के तहत इनकी स्वीकृति पुनः जारी करेंगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीस साल से विधान सभा में आ रहे हैं और सात आठ साल तक आप सरकार में रहे हैं और आप बिरांटिया कलां और मानपुरा गांव से परिचित हैं। वहां पर बरसी जब पानी ले जा रहे थे तो आपको मालूम है कि गांव के लोगों ने विरोध किया। विरोध के कारण आधी लैण्ड खांची और आधी लैण्ड खांचने दी ही नहीं। तो विरोध ज्यादा हो गया तो बंद हो गया। मानपुरा सेडोतान के अन्दर जब पानी खोदा गया, कुआं खोदा गया चौड़ा तो उसके अन्दर चट्टान आ गयी। तो ऐसी स्थिति में जो योजना बनायी गयी थी बिना सोचे समझे बनायी गयी थी और उस योजना के लिए आप कहते हैं पानी आस-पास में अथाह है। मैं कहता हूं पानी अथाह नहीं है। पानी पीने के लायक गांव के अन्दर है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपके साथ, माननीय मंत्रीजी चलने के लिए तैयार हूं। पांच-पांच किलोमीटर नदियां बहती हैं। झिलमिल बांध के नीचे बारह महीने अथाह पानी है। उस बांध में कम से कम चौदह फीट पानी साल भर भरा रहता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे साथ चलने की जरूरत कहां आती है। आप तो मंत्री जी, भंवरलाल जी के साथ जाकर के ही करा सकते थे काम।

श्री हीरासिंह चौहान : उनको बताया था लेकिन अब उन बातों को मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि वर्तमान में आप क्या करना चाहते हैं? उन दोनों ही गांवों में पानी नहीं है। मैं उन सारी बातों को भूल रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं आपको बिलकुल विश्वास दिलाता हूं, एक तो निम्बाज से ब्यावर को जो लाइन जा रही थी और अब ब्यावर को बीसलपुर से जोड़ दिया गया है उसमें से पानी जो बचेगा वह उस गांव को मानपुरा को दे देंगे। एक तो यह काम है।

श्री हीरासिंह चौहान : रामगढ़ सेडोतान____

श्री रामसिंह विश्नोई : हां और दूसरा आपका जो बिरांटियां कलां है, बिरांटियां खुर्द में कोई प्राब्लम नहीं है, बिरांटिया कलां में जनरल जो आपके बांध हैं जिसके अन्दर पहले ट्यूबवैल खोदा गया और खराब कर दिया अगर अब उसमें पानी मिल गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 15-20 दिन के अन्दर ट्यूबवैल खोद करके आपकी व्यवस्था करने की चेष्टा करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, बिरांटियां कलां में भी ब्यावर वाली स्कीम की पाइप लाइन अभी डाली गयी है। निम्बाज के पास, डागलिया के पास अथाह पानी है जो ब्यावर को पिछले बीस साल से पानी पिला रहे हैं। पाइप लाइन अभी तक डाली नहीं है तो मेरा निवेदन है कि दोनों ही गांवों की स्कीम चालू है, बिरांटियां कलां तो बिलकुल रोड पर स्थित है जहां पर पाइप लाइन गुजर रही है तो उस निम्बाज वाली योजना से इसको पानी दिलवाइये और सैंदड़ा वाली योजना से रामगढ़ सोडैतान को पानी दिलवाइये। दोनों ही गांवों की किल्लत मिट जाएगी और आप स्पष्ट आश्वासन दीजिये, बीस दिन का कहा है तो बीस दिन में हो जाना चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं जो कह रहा हूं जो बरसी से पानी बिरांटियां कलां को आपने अपने क्षेत्र में नहीं दिलवाया, तो निम्बाज का एम.एल.ए. अलग नहीं है क्या, वहां के लोग एतराज नहीं कर सकते?

श्री हीरासिंह चौहान : आलरेडी स्कीम है। सब प्रकार की स्कीम बनी हुई है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कुएं मोल लेने पड़ते हैं, कुएं देते हैं लोग।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह तो हमारे कार्यकाल में बनायी थी। हमने ही उन लोगों को समझाया था। अब आप उनको समझाइये निम्बाज के लोगों को कि बिरांटियां कलां में हमारे एरिया में तकलीफ है। तो मानस बनाइये, हम आपके बिरांटियां में व्यवस्था कर देंगे। वरना झिलमिल बांध के अन्दर हम ट्यूबवैल बना देंगे। वहां पर और वहां आपकी पानी की व्यवस्था हो जाएगी और वहां पर उसको हम उस लाइन से जोड़ देंगे। तो निम्बाज के अन्दर भी पानी बहुत अपर्याप्त है और सारे गांव को जोड़ना सम्भव नहीं है। गांव का विरोध हो रहा है भारी और उधर जैतारण को भी पानी जाता है, इस तरह कोई एक गांव के अन्दर पूरा पानी निकाल करके हम उस गांव की स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बिगाड़ने का निवेदन नहीं करता, मैं तो दोनों गांवों में पानी देने की व्यवस्था के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था कर दी है ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने आपको कहा था आप मुझे याद दिलाइये, 15-20 दिन के अन्दर एक नया ट्यूबवैल बना दिया जाएगा और उन गांवों को 15-20 दिन के अन्दर जोड़ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय मंत्रीजी, मेरा भी निवेदन है। आप मेरे पड़ौसी हैं और रोहिट की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है, आपने पिछली बार काफी योजनाएं स्वीकृत की इसके लिए धन्यवाद। टंकियां आपने बनवा दीं, पाइप लाइन से उन टंकियों को आपने जुड़वा दिया, पानी अभी तक पहुंच नहीं रहा। वहां पर सरदारपुरा की ढाणी है, गुजरों की ढाणी है, विश्नोइयों की ढाणी है, आपने पाइप से

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जुड़वा दिया उनको पर कर्मचारी और अधिकारी अभी तक वहां पानी पहुंचा नहीं पाये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि तत्काल पानी पहुंचाएं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न है लेकिन चूंकि रोहिट के अन्दर पानी की प्राब्लम है, इतनी बड़ी योजना.....

श्री ज्ञानचन्द पारख : आपने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया आपने पिछली बार।

श्री रामसिंह विश्नोई : इतने अल्प समय के अन्दर इतनी बड़ी करोड़ों रुपये की योजना मंजूर करने के बाद....

श्री ज्ञानचन्द पारख : वह धन्यवाद दे रहा हूं ना मैं आपको।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। आप मानते हैं कि दो साल से अकाल है। पानी नीचे चला गया।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उसके लिए तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सिवाय ट्रांसपोर्टेशन के कोई चारा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है, आपके वहां पर ठेका हो चुका है और जहां-जहां भी आप ठीक समझें कि यहां पानी नहीं पहुंच सकता, पानी नहीं है वहां की लिस्ट दे दीजिये आप और वहां पानी की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमराराम चौधरी।

जिला बाड़मेर की पंचायत समितियों में केरोसिन व चीनी के वितरण में अनियमितता

97. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्तमान में केरोसीन एवं चीनी के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि केरोसीन और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को प्रतिमाह नहीं मिलती और कालाबाजारी होती है ?

(3) अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक बाड़मेर जिले की आठों पंचायत समितियों में कुल कितना केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवायी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में पंचायत समिति, बालोतरा की ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से हर मास उक्त वस्तुओं का वितरण होता रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) वर्तमान में केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों एवं राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्रधारियों के माध्यम से वितरित करवाया जा रहा है तथा चीनी का वितरण उचित मूल्य की

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दुकानों के माध्यम से करवाये जाने की व्यवस्था है।

(2) केरोसीन तेल एवं चीनी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह वितरण करवाये जाने की व्यवस्था है लेकिन उपभोक्ताओं की सहूलियत एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कई स्थानों पर दो माह में एक बार भी वितरण की व्यवस्था है। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक बाड़मेर जिले की सभी पंचायत समितियों में केरोसीन 11479.5 किलोलीटर एवं चीनी 6986.6 मीट्रिक टन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गयी। पंचायत समिति, बालोतरा में भी उपभोक्ताओं की सहूलियत एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कई स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं का उठाव एवं वितरण दो माह में एक बार किये जाने की व्यवस्था है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न का जवाब दिया उसके सन्दर्भ में मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपकी व्यवस्था है उसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को शक्कर, चीनी और केरोसीन बराबर नहीं मिलता है, तो आप कौनसे साल की जनगणना के आधार पर वितरण कर रहे हैं? आज बहुत से गांवों के अन्दर ऐसे उपभोक्ता बैठे हैं जिनको हर माह चीनी का वितरण नहीं होता। वह कह रहे हैं कि आपकी जो यूनिट है वह बहुत अधिक है और कोटा जो आप आवंटन करते हैं वह बहुत कम करते हैं। तो आप कोटा बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे?

दूसरा, गांवों में बहुत जगह दो-तीन लीटर केरोसीन दे रहे हैं और कई जगह पांच लीटर; तो यह भेदभाव क्यों? आप नियमित रूप से जो भी उपभोक्ता हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उसका भी नये राशन कार्ड बनाने का जिला कलक्टर को आदेश देंगे और उसी के आधार पर उन सबको नियमित रूप से पांच लीटर केरोसीन प्रतिमाह और शहरों के अन्दर जो आप आठ लीटर दे रहे हैं उनका जो कोटा है वह भी आप दस लीटर करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो चीनी और तेल का वितरण करते हैं वह 1991 की जनसंख्या के आधार पर कोटा हमको मिलता है और आज लोगों की यूनिट बढ़ गयी है। गांवों के अन्दर जनसंख्या बढ़ गयी है। हमने कोशिश की है और भारत सरकार को भी लिखा है कि 1999 की जनसंख्या के आधार पर हमको तेल भी उपलब्ध कराएं और चीनी भी उपलब्ध कराएं। भारत सरकार से इस बात की भी कोशिश की कि जो राजस्थान सरकार को तेल मिलता है, वह हमने साठ हजार किलोलीटर तेल की बात की है माननीय रामनाइकजी से। उन्होंने जब मीटिंग बुलायी, वहां पर गया था, मैंने उनसे भी इस बात के लिए निवेदन किया था कि राजस्थान की विषम परिस्थितियां हैं, दो तिहाई रेगिस्तान है और हर दूसरे वर्ष अकाल पड़ जाता है, जलाऊ

(श्री रामकिशन वर्मा)

लकड़ी भी नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिले, तेल की मात्रा बढ़ायी जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। वह जब आ जाएगा तो उसके अनुसार तेल भी वितरण करवा देंगे।

जहां तक चीनी का सवाल है, चीनी भी हमारे को 1991 की जनसंख्या के आधार पर मिलती है लेकिन 1.4.2000 से 20 प्रतिशत चीनी हम बढ़ा देंगे और हम इस बात का आदेश देंगे कि सब जगह चीनी का वितरण कर दिया जाए।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, स्पेशल क्वेश्चन किया है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तीन लीटर और कस्बे के लोगों को पांच लीटर केरोसीन तेल का वितरण हो रहा है और हो रहा है तो यह भेदभाव क्यों? अध्यक्ष महोदय, यही नहीं...(व्यवधान) यह हंसने की बात नहीं है।+ + +

चन्द्रशेखरजी। मैं यह कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दी नहीं जाती। लड़कों को पढ़ने का कोई इन्तजाम नहीं है और केरोसीन तेल, मिट्टी का तेल लाने जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तीन लीटर भी मिट्टी का तेल नहीं मिलता और उल्टे हमारे यहां आकर शिकायत करते हैं। तो क्या, मंत्रीजी, विशेष कर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनको बिजली मुहैया नहीं करा रहे हैं, लालटेन से पढ़ रहे हैं, आप मानों इस बात को, आप इसको लाइट ली क्यों ले रहे हो, मैं कह रहा हूं इस बात को यह सत्य है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं तहसीलदार को कहता हूं, तहसीलदार कहता है कि तीन लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में पूछिये। यह प्रश्न बाड़मेर से सम्बन्धित है। बाड़मेर जिले से है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो एक वितरण व्यवस्था की बात है तो इसके बारे में कोई व्यवस्था है तो बता दीजिये आप।

श्री रामकिशन वर्मा : छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाती है जब उनकी डिमांड आती है। हमने तमाम डी.एस.ओ. को यह कह दिया है कि परीक्षा के समय छात्रों को तेल वितरित किया जाए, शक्कर भी वितरित की जाए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : यह जो राशन कार्ड है सन् 1990-91 में बने और उसके बाद सारे राशन कार्ड फट गये हैं। राशन कार्ड फट जाने के कारण से न तो राशन डीलर उनको शक्कर देता है ना केरोसीन। इस पूरे राज्य में नये राशन कार्ड बनाने की क्या व्यवस्था करेंगे? जनगणना में तो चार साल लग जायेंगे। कब तक व्यवस्था करेंगे पूरे राज्य में?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामकिशन वर्मा : जल्दी ही इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और सबको दिला दिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय मंत्रीजी, मिट्टी का तेल डीजल में मिलाया जा रहा है इसके लिए आपनें कोई व्यवस्था की है क्या ताकि इसको मिक्स नहीं किया जा सके और जो गलत डीलर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की आपने?

श्री रामकिशन वर्मा : शिकायत मिलने पर सबकी जांच कराई जाती है और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शहर और गांवों के उपभोक्ता के बीच में केरोसीन और चीनी के वितरण की क्वांटिटी में कितना अन्तर है? और क्या इस अन्तर को सरकार मिटाने का इरादा रखती है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह जवाब जानना चाह रहा हूं कि गांव और शहरों में चीनी और केरोसीन तेल में वितरण की क्वांटिटी में क्या फर्क है और है तो इसको बराबर करने का क्या सरकार इरादा रखती है?

श्री रामकिशन वर्मा : हमारे यहां से ग्रामीण और शहरों के लिए समान वितरण की व्यवस्था है और यही आदेश दिये गये हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला कलक्टर और स्थानीय प्रशासन जैसा भी आपस में बैठकर तालमेल की व्यवस्था होती है वह कर देते हैं और उसी पर वितरण होता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : शहर में मिलती है आधा किलो पर हैड और आपने ही लिख कर दिया है, मंत्री महोदय, कि शहर में प्रति व्यक्ति राशन कार्ड 10 लीटर केरोसीन तेल मिलता है और गांव में मिलता है ढाई लीटर। यह अन्तर है, क्या आप इसको अन्तर नहीं मानते? गांवों में 200 ग्राम और शहरों में आधा किलो और शहर में 10 लीटर और गांव में 2 लीटर।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, केरोसीन का जो वितरण है वह डीलर लोग गांवों में वितरण नहीं करके पैट्रोल पम्प, डीजल पम्पों पर बेचा जाता है जिससे क्या होता है कि किसानों की मशीनें और ट्रेक्टर, औजार सारे नष्ट हो जाते हैं। उनका सैम्पल लेने का इंस्पेक्टर को अधिकार नहीं है इसलिए जान बूझकर जो डीलर लोग है वह निडर होकर के डीजल में केरोसीन मिलाते हैं। इसलिए इंस्पेक्टर को क्या आप अधिकार देना चाहते हैं कि वह सैम्पल ले सके।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इस पर आप सख्त कार्यवाही करें।

श्री रामकिशन वर्मा : आप हमें कोई स्पेसिफिक बात कहें, कोई जांच की बात है, किसी का नाम है, किसी की जानकारी है तो आप भिजवा दें, मैं उसकी जांच करवा दूंगा और मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करवाउंगा।

श्री रतनाराम चौधरी : आप इंस्पेक्टर को अधिकार देना चाहते हो क्या?

श्री रामकिशन वर्मा : इंस्पेक्टर को तो अधिकार है ही।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मदन दिलावर।

राज्य में गौवंश निकासी की अनुमति

98. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में दिसम्बर, 1998 से 15 फरवरी, 2000 तक कितने गौवंश की निकासी हुई। गायों, बछड़ों व बैलों की अलग-अलग संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस अधिकारी ने कब-कब कितनी-कितनी गौवंश को राज्य से बाहर किस प्रदेश में किस कार्य हेतु ले जाने की अनुमति किस-किस व्यक्ति को दी है?

(3) उक्त गौवंश किस-किस व्यक्ति मे कहां-कहां से खरीदा तथा किस-किस व्यक्ति को बेचा और खरीदने वाले ने उसका क्या उपयोग किया? गौवंश बाहर ले जाने वाले व्यक्तियों के आवेदन व अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : उसका एक भाग लगेगा, भाग-2 और 3 के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करना और संकलित करना असम्भव है इसलिए मैं एक पार्ट को स्थगित करता हूं। श्री किरोड़ी लाल।

राज्य के मदिरा ठेकों में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन

99. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) मदिरा ठेके पर आरक्षित राशि के अलावा और कौन-कौन से शुल्क/राशि किस अनुपात में ठेकेदार से जमा करवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निविदा शर्तों के अनुसार प्रदेश के शराब ठेकेदारों द्वारा निर्धारित धरोहर/जमानत राशि जमा नहीं कराई जा रही है? यदि हां, तो किस-किस समूह द्वारा कितनी-कितनी कम राशि जमा कराई गई है और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि समूहों द्वारा पर्याप्त धरोहर सौलवैंसी, जमानतें व कम राशि के बावजूद 1:1 की पालना नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या विभिन्न समूहों द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2000 तक 2000-2001 की बढ़ी हुई राशि की अन्तर की अतिरिक्त जमानतें/हैसियत प्रमाण-पत्र व धरोहर राशि प्रस्तुत/जमा करा दी गई है? यदि हां, तो समूहवार जमा/ प्रस्तुत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों और निविदानुसार कितनी शेष है?

(डा. किरोड़ी लाल)

(5) उक्त बकाया राशियों को जमा नहीं कराने के विरुद्ध सरकार ने दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) मदिरा ठेके पर ठेके की स्वीकृत राशि के अलावा ठेकेदार से लिये जाने वाले शुल्क/राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निविदा शर्तों के अनुसार शराब के ठेकेदारों से ठेके की स्वीकृत राशि के 17 प्रतिशत के बराबर नकद रूप से धरोहर राशि एवं ठेका राशि के 30 प्रतिशत के बराबर हैसियत एवं जमानत प्रमाण-पत्र (दोनों मिलकर) प्रस्तुत करने होते हैं। धरोहर, हैसियत एवं जमानतों में रही कमी की समूहवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कुछ समूहों में वर्ष 1999-2000 के लिये निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने तथा सौलवैंसी एवं जमानतें प्रस्तुत करने में कमी रही है, इनमें से कुछ समूहों द्वारा 1:1 की पालना नहीं की जा सकी है। इन समूहों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। ठेके चलाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण समय पर राशि नहीं जमा हो पाई।

(4) वर्ष 2000-2001 के लिए बढ़ी हुई एकाकी विशेषाधिकार राशि के अनुसार अतिरिक्त धरोहर, जमानतें एवं हैसियत प्रमाण-पत्र दिनांक 29.2.2000 तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2000-2001 के लिए वांछित, प्राप्त एवं कमी के विवरण की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) डिफाल्टर ठेकेदारों से बकाया राशियों की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 31.3.2000 तक जयपुर समूह से, अन्य समूह पर धरोहर राशि जमानत और सौलवैंसी की कितनी राशि बकाया है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो रूप में देना चाहता हूं जिससे थोड़ी-सी स्थिति साफ हो जाए। जितने ठेके पिछले साल के उठे थे उनके पेटे 116 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि धरोहर राशि बनती थी जिसमें से 99 करोड़ 45 लाख रुपये जमा हो चुके हैं पूरे राजस्थान में। अब जयपुर समूह से रुपया जमा होना था 1822 लाख 57 हजार, उसके पेटे जमा हुआ 5 करोड़ 37 लाख और कमी रही। 1285 लाख की उदयपुर के अन्दर 5 करोड़ 34 लाख के मुकाबले 2 करोड़ 56 लाख जमा हुआ और 2 करोड़ 56 लाख 40 हजार और 243 लाख 94 हजार की कमी बाकी रही यह उदयपुर और जयपुर के समूहों के द्वारा।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 31.3.2000 तक 21 करोड़ 45 लाख की धरोहर राशि एवं 20 करोड़ की जमानत एवं सोल्वेंसी बकाया है अकेले जयपुर समूह पर 15 परसेंट ईच ईयर लगाकर। मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, आपने इसमें जवाब दिया है कि एक अनुपात एक की

(डा. किरोड़ी लाल)

पालना नहीं हुई और उस पालना के कारण धरोहर राशि, जमानत एवं सोल्वेंसी जमा नहीं हो सकी, अगर एक अनुपात एक की पालना हो जाती तो 31.3.2000 तक की यह राशि जमा हो जाती, अब यह राशि जमा नहीं हुई और इसमें मात्र जो आपने जिले दिये हैं वह 11 जिले हैं और उन 11 जिलों के 26 समूह हैं। उन 26 समूहों पर करोड़ों रुपये बकाया हैं और 31 तारीख तक, मंत्रीजी, धरोहर राशि, जमानत एवं सोल्वेंसी जमा नहीं होने के कारण क्या यह सही है कि 1.4.2000 को अकेले जालोर के ठेके में 2 करोड़ 55 लाख रुपया बकाया रह गया और सरकार ने 1.4.2000 को उस ठेके को निरस्त कर दिया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, जालोर का जो प्रश्न पूछा, चूंकि यह आपने मूल रूप से मदिरा ठेकों पर किस-किसके ऊपर क्या सोल्वेंसी, जमानत इत्यादि और सिक्योरिटीज के बारे में प्रश्न पूछा था, मैंने इस हिसाब से सारी सूचना एकत्रित करायी थी। जालोर का ठेका कैंसिल हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किस आधार पर हुआ इसके बारे में मेरे लिये अभी उत्तर देना संभव नहीं है for that a separate notice is required, sir. मुझे जानकारी नहीं है। जालोर किस आधार पर कैंसिल हुआ, वह अलग से प्रश्न है। आपने इस प्रश्न को नहीं पुछा। बाकी के आधार पर, मैं यह नहीं कहता कि बाकी उस पर नहीं है जिनके ऊपर बाकी है वह पूरी लिस्ट मैंने आपको....

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, एक अनुपात एक में अगर यह जमा हो जाती तो यह स्थिति जालोर के ठेके में नहीं आती। 31.3.2000 तक यह पालना नहीं हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बिराजो जरा। यह बात भी सही है एक अनुपात एक की पालना नहीं हुई क्योंकि जो बैक ग्राउंड है शराब के ठेके उठने का वह 97 से शुरु हुआ है। मुझे अब पूरी बात से सदन को अवगत कराना होगा। श्री मन् 97 से 99 के जब ठेके हुए उस वक्त भी यह समस्या तत्कालीन....

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो आपकी पूछ रहा हूं, आप 97 में मत जाओ। हम 1.4.2000 की पोजीशन पूछ रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसी भी घोटाले को उजागर करें और आप 97 से 99 की बात करते हो। ढाई सौ करोड़ का घोटाला है....(व्यवधान)

सरकार की इतनी विवशता है ठेके देने को....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सोल्वेंसी में पैसा जमा नहीं हुआ। जमानत राशि जमा नहीं हुई। ढाई सौ करोड़ का, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं खजाना खाली है, यह खजाना भरने की बात कर रहे हैं और यह किस ओर जा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति मंत्री महोदय स्पष्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)

करना चाहते हैं, प्रतिपक्ष को सुनने में क्या आपत्ति हो रही है। सुन लीजिये। आपको कोई आपत्ति है क्या? आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दें फिर स्पष्ट कर दें। पाइंटेड सवाल किये हैं उनका जवाब दे दीजिये....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 97 पर नहीं जाना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, श्रीमन् यह बात सही है कि जयपुर और उदयपुर के समूहों को धरोहर राशि जमा कराने के लिए सरकार ने इनकी स्थिति को देखते हुए समय-समय पर इनकी जमा कराने की अवधि को बढ़ाया है, नम्बर एक। जो उनके ऊपर धरोहर राशि के पेटे रुपया बकाया है उसको ब्याज समेत वसूल किया जाएगा। 97 से 99 में क्या हुआ, इसलिए आप उन बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, वह हकीकत है, सदन को अवगत कराना चाहता हूं उन बातों से। अध्यक्ष महोदय, 97-99 के जब आक्शन हुए उस वक्त भी यही की यही परिस्थिति पैदा हुई। हमने तो कम से कम यहां पर जो कारटेल बना उसके आगे सरकार ने घुटने नहीं टेके। मैं आपको एक ही एक्जाम्पल देना चाहता हूं। अलवर के अन्दर, चूंकि हरियाणा में नशाबंदी थी अलवर का ठेका ज्यादा दामों के ऊपर उठा। उस वक्त जो आरक्षित दर थी उससे ज्यादा कीमत के ऊपर उठा। जयपुर का ठेका उठा नहीं। ऐसे 7-8 केसेज हैं मेरे पास। जयपुर का ठेका उठा नहीं। जो आरक्षित दर थी उससे 3 करोड़ 92 लाख में अलवर का ठेका ज्यादा उठा था एज ए रिजर्व प्राइस। जयपुर का ठेका उठा नहीं। पार्टी यहां आयी। तत्कालीन सरकार से कहा, जो उनकी नेगोशियेटिंग कमेटी थी कि जयपुर का ठेका आप हमको देना चाहते हैं तो 3 करोड़ 92 लाख रुपया आप हमको कम करिये। कहां का? अलवर का और सरकार ने घुटने टेके और 3 करोड़ 92 लाख कम किया और यहां का उठाया जयपुर का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने क्या किया? आपने हनुमानगढ़ और गंगानगर में क्या किया? (व्यवधान).

श्री प्रद्युम्न सिंह : चलिये आप.........(व्यवधान) हम आक्शन में गये। हमने डिप्रेशन नहीं माना किसी का। हमने डिप्रेशन किसी का नहीं माना, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने हनुमानगढ़ और गंगानगर में कितना कम किया, कितने करोड़ कम किया?....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : समझें आप और सरकार को अधिकार है। सरकार को अधिकार है कि यह सरकार ब्याज समेत रुपया वसूल करेगी और उनका राज हित के अन्दर, राजकोष के हित के अन्दर अगर हमको समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो समय बढ़ाया गया और मैंने कहा है कि रुपया छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है लेकिन इस आधार के ऊपर....(व्यवधान) हम कार्यवाही करें यह मुनासिब नहीं है हमारे लिये.....

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाह रहा हूं कि गंगानगर और हनुमानगढ़...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने कहा कि...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) क्या आप जांच कराने का विचार रखते हैं पिछली सरकार की इस बात के खिलाफ? 97-99 के ठेके में आप जांच कराने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 97-99 के ठेके के मामले में हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन लगा हुआ है। करौली........ (व्यवधान) लगाया हुआ है वहां पर उसके बाद अपने आप हाई कोर्ट फैसला करेगा क्या हुआ है उसके अन्दर.... (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ में आरक्षित...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी कह रहे हैं, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि अभी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के आरक्षित राशि से कम समय में कम कीमत पर ठेका उठा या नहीं? हनुमानगढ़ और गंगानगर के ठेके आरक्षित राशि से कम किये कि नहीं किये गये, यह मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक जानकारी चाहता हूं कि यह जो धरोहर राशि, जमानत राशि और सिक्योरिटी की 97-99 के ठेके में भी जो कमी इस सरकार के समय हो रही है, क्या उस समय भी रही थी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये यह तो कमी कुछ भी नहीं है, उसमें तो 18-19 करोड़ रुपये का सरकार को घाटा उठाना पड़ा था उस वक्त...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनकी सिक्योरिटी पड़ी हुई है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इसमें ढाई सौ करोड़ रुपया ले रहे हैं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने माफ नहीं किया किसी का। न माफ करने का इरादा है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्षजी, दारू की चर्चा करके सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं। यह तो + + + लोग हैं जो बोल रहे हैं। आप दारू की चर्चा करके क्यों सदन का समय खराब करा रहे हो। एक तरफ तो आप दारूबंदी की बात कर रहे थे और आज दारू की चर्चा कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा दारू पर...(व्यवधान) एक भी तो दारू बंद नहीं किया...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आर्डर, प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आप कह रहे थे....(व्यवधान) + + + बोलें इस सदन के अन्दर, क्या बंद कराओगे आप....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। जीतमल जी।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष जी, आज भूख और प्यास से हमारे पूरे राजस्थान की जनता डूब रही है और यहां शराब की बड़े धड़ल्ले से चर्चा हो रही है। मैं इस मौके पर आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर शराब बंद होनी चाहिये....(व्यवधान) हमारा पूरा - पूरा .... (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाह रहा हूं कि....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लोगों ने डूबवा दिया इस शराब के अन्दर। दारूबंदी की बात करते हो और यहां दारू की बात कर रहे हो....

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : जिला झुंझुनूं, खेतड़ी समूह में जमानत भी फर्जी है और सोल्वेंसी भी फर्जी है, क्या यह सही है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसकी जांच करायी जाएगी। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो महारानी पैलेस की सोल्वेंसी जयपुर में लगी हुई है 13 करोड़ रुपये की, उसकी कीमत क्या 13 करोड़ रुपये है और जबकि आलरेडी महारानी पैलेस दूसरी जगह मोरगेज है? (व्यवधान)।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, यह सारे + + + बी.जे.पी. में बैठे हैं। यह अपने आप फैसला कर लें एवं राशि जमा क्यों नहीं कराये....(व्यवधान) आज दारू के ऊपर बोल रहे हैं सारे लोग....(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री रामस्वरूप : आज दारू के ऊपर सारे सदस्य बहस कर रहे हैं। चार-पांच + + + खड़े हो गये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : महारानी पैलेस आलरेडी मोरगेज है जिसकी सोल्वेंसी पहले के....(व्यवधान) दी गयी है....(व्यवधान) क्या उसकी कीमत है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह सारे + + + हैं....(व्यवधान) यह लोग + + + हैं। आप लोग खूब दारू पिया करो, मना कौन करता है आपको, पीयो खूब....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप : इतनी दारू पीने से जो भट्टा बैठा है, आप खूब दारू पियो....(व्यवधान) भगवान आपको ऐसी ही बुद्धि दे, जो दारू पीये जाओ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपका भट्टा बैठा है...(व्यवधान) हमारे कांग्रेसियों में से कोई दारू नहीं पीता है...(व्यवधान) आप लोग खूब पीओ इस दारू को...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : कांग्रेस राज में अगर सस्ती हुई है तो सबसे ज्यादा दारू हुई है। गांव-गांव में जहां अवैद्य रूप से ठेके खोलकर के दारू बेची जा रही है फिर भी सरकार को घाटा हो रहा है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह लोग+ + + हैं...(व्यवधान)+ + + हैं यह लोग...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी : जिस सरकार ने गांव-गांव में दारू के अवैध रूप से ठेके खुलवा दिये हैं और उसकी दो नम्बर की कमाई ले रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आर्डर, प्लीज, माननीय सदस्य...(व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त...(व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से चल रहे ठेकों को आप बंद करवा दीजिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दारू महंगी हो गयी इसलिए इनको दुःख हो रहा है...(व्यवधान) यह दारू तो राजस्थान में बंद होगी। आप क्यों चिन्ता करते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आर्डर, प्लीज (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : 300 भेड़ें मर गयीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवायें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिये आप, जवाब नहीं, प्रश्नकाल समाप्त...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कोई समय नहीं दिया जायेगा दारू के लिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि...(व्यवधान) केसारामजी बैठिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : भेड़ें मर गयीं हैं...(व्यवधान) बड़ा गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त... (व्यवधान) रिछपालजी मिर्धा, प्रश्नकाल समाप्त...(व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है...

एक माननीय सदस्य : इनकी भेड़ें मर गयी हैं...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। आप प्रश्न नहीं पूंछ सकते...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से संबंधित बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ सकते। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री रिछपाल सिंह : वेटेरिनरी के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात बाद में हो जाएगी...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : व्यवस्था के बाद में ले लेना...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रिछपाल जी की 300 भेड़ें मर गयीं बिना दवाइयों के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो-जो सप्लीमेन्ट्री...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवालों का जवाब आ गया है, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जो धर्मपालजी ने प्रश्न किया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दारू पर चर्चा समाप्त (व्यवधान), दारू पर चर्चा समाप्त। आप नाराज क्यों होते हैं, दारू पर चर्चा नहीं होगी, इस सदन के अंदर दारू के ऊपर चर्चा नहीं होगी (व्यवधान) आप दारू के लिए समय नहीं मांग सकते (व्यवधान) यह सदन का समय बड़ा अमूल्य है।

श्री धर्मपाल चौधरी : जयपुर जिले में सवा सौ करोड़ की फ्री आफ कास्ट...(व्यवधान) चल रहा है। एक भी पैसा ठेकेदार का जमा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + ...(व्यवधान) इसके लिए समय मांगते हो इस सदन के अंदर (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दारू के लिए समय नहीं दिया जाएगा (व्यवधान) दारू के लिए कभी समय नहीं दिया जाएगा इस सदन के अंदर (व्यवधान) यह तो समय चाहते हैं दारू के लिए (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दारू के लिए कभी समय नहीं दिया जाएगा (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 250 करोड़ का घाटा...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह से बेच नहीं सकते...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जयपुर जिले में सवा सौ करोड़ का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपालजी, बैठिये आप। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हड़ताल के दौरान सरकार को प्राप्त राजस्व में कमी

142. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में इस वित्तीय वर्ष में हड़ताल के दौरान कितना राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ तथा कहां-कहां व्यय हुआ?

(2) गत वित्तीय वर्ष में उक्त समय पर कितना राजस्व कहां-कहां से प्राप्त हुआ था? इस वित्तीय वर्ष व गत वित्तीय वर्ष के राजस्व में कितना अन्तर किस कारण से रहा?

(3) सरकार ने राजस्व बढ़ांने के क्या-क्या उपाय किये तथा उसमें कितनी सफलता मिली तथा किये गये उपायों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

उत्तर

(1) निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर प्राप्त राजस्व की सूचना संकलित की जाती है। माह दिसम्बर, 1999, जनवरी, 2000 तथा फरवरी, 2000 में क्रमशः 462.92, 409.66 तथा 407.46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

माह दिसम्बर, 1999 तथा माह जनवरी, 2000 में क्रमशः 885.41 तथा 535.58 करोड़ रु. कोषालयों के माध्यम से विभिन्न मदों पर व्यय हुआ है। हड़ताल से निपटने पर कितना व्यय हुआ इसका आंकलन किया जा रहा है। फरवरी, 2000 के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) गत वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 98 जनवरी, 99 तथा फरवरी, 99 में विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है: —

(राशि करोड़ रु. में)

	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
इस वर्ष			
प्राप्त राजस्व	462.92	409.66	407.46
गत वर्ष	375.02	403.60	370.85
अंतर	+87.90	+6.06	+36.61

(3) अंतर राजस्व में वृद्धि के कारण है सरकार ने राजस्व बढ़ाने हेतु दिसम्बर, 99 से 31 मार्च, 2000 तक अतिरिक्त राजस्व सृजन अभियान तथा विशेष करापंवचन अभियान प्रारम्भ किया है। चीनी, तंबाकू, टैक्सटाईल्स आदि वस्तुओं पर "प्रवेश कर" लगाया गया तथा बिक्री कर सरचार्ज को 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाया एवं पड़ौसी राज्यों के समान बिक्री कर योजना के तहत "फ्लोर रेट" लागू की गई। वर्ष भर की राजस्व प्राप्तियों के बारे में 31 मार्च, 2000 के बाद वस्तुस्थिति का पता चलेगा।

जिला दौसा एवं सवाई माधोपुर के विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण

143. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(डा. किरोड़ी लाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा तथा सवाई माधोपुर में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का निरीक्षण दल गठित कर आकस्मिक निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो कब-कब एवं किस-किस के नेतृत्व में तथा कितने कर्मी अनुपस्थित पाये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, दौसा एवं सवाईमाधोपुर ने भी जिलों में विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया था? यदि हां, तो कब-कब तथा उसमें कब-कब कितने कर्मी अनुपस्थित पाये गये और दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

जिला दौसा में दिनांक 2.11.95 से 3.11.95, 23.10.96 से 25.10.96 एवं 6.7.99 से 8.7.99 एवं जिला सवाई-माधोपुर में दिनांक 20.9.95 से 21.9.95 एवं 23.1.96 से 24.1.96 तक अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) एवं उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क" एवं "ख")

(2) जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विविध कार्यालयों के किये गये आकस्मिक निरीक्षण संबंधी विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। इसके अलावा वर्ष 1999 में उनके द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिनका विवरण (परिशिष्ट "घ") पर संलग्न है। अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

सवाई माधोपुर जिले में जिलाधीश द्वारा आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया गया है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या 144

(स्थगित)

राज्य में वेतन विसंगति निराकरण हेतु गठित समिति

145. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पूर्व राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ से कनिष्ठ लिपिकों का वेतन 3050-4590 के स्थान पर 4000-6000 में परिवर्तित करने हेतु लिखित में समझौता किया था? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समझौते पर सरकार शीघ्र क्रियान्विति कर कनिष्ठ लिपिकों को उक्त वेतनमान रुपये 4000-6000 देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से यह वेतनमान लागू करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कनिष्ठ लिपिकों / वरिष्ठलिपिकों / सहायकों के वेतनमान परिवर्तित करने हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही कर उसे लागू कर उक्त कर्मचारियों को लाभ देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिकों के वेतनमान में हो रही विसंगति को दूर कर कनिष्ठ लिपिक को 4000-6000 एवं वरिष्ठ लिपिक को 4500-7000 का वेतनमान देने का फैसला किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे वर्ष 2000 में लागू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह भी सही है कि सरकार ने माह अगस्त एवं सितम्बर, 1999 में कर्मचारी संघ से समझौता किया था कि वरिष्ठ लिपिक के पद को समाप्त कर कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक की श्रेणी बनाई जावेगी? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि अनुभाग अधिकारी स्तर के पद से सहायक सचिव के वेतनमानों में अत्यधिक मात्रा में अंतर रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इन अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि कर इस वेतन असमानता का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। पूर्व सरकार ने कनिष्ठ लिपिक के पद का वेतनमान 3050-4590 के स्थान पर 4000-6000 परिवर्तित करने एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ लिपिक के अतिरिक्त अन्य पदों के वेतनमानों में संशोधन संबंधी प्रकरण, वेतन विसंगति निराकरण समिति को रेफर करने का निर्णय लिया था।

नयी सरकार ने यह सम्पूर्ण प्रकरण वेतन विसंगति निराकरण समिति को परीक्षण व सिफारिश हेतु प्रस्तुत कर दिया है।

(कार्मिक मंत्री)

(2) कनिष्ठ लिपिक एवं मंत्रालयिक संवर्ग के अन्य पदों के वेतनमान परिवर्तित करने संबंधी सम्पूर्ण प्रकरण वेतन विसंगति निराकरण समिति के परीक्षणाधीन है। समिति की अनुशंषाएं प्राप्त होने के पश्चात् ही इस संबंध में समुचित निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी, नहीं। वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कर्मचारी संघों के वेतनमान विसंगतियों के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों का परीक्षण कर समाधान सुझाने हेतु किया गया है।

(4) जी, नहीं।

(5) वेतन विसंगति निराकरण समिति की अनुशंषाएं प्राप्त होने पर उनका परीक्षण कर इस संबंध में समुचित निर्णय लिया जावेगा।

(6) प्रश्न के भाग संख्या-5 के उत्तर के अनुसार।

(7) जी, नहीं।

(8) अनुभागाधिकारी के पद का वेतनमान परिवर्तित करने संबंधी प्रकरण भी वेतन विसंगति निराकरण समिति के परीक्षणाधीन है।

जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालोर में डोडा पोस्त बिक्री से प्राप्त राजस्व

146. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पोस्त डोडा और दारू का ठेका राज्य के प्रत्येक जिले में किन-किन् तिथियों में वर्ष 1999 में दिया गया?

(2) क्या जिला बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर में डोडा पोस्त के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा परमिट जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक कुल कितना डोडा पोस्त का ठेकेदारों द्वारा वितरण उक्त तीन जिलों में किया गया?

(3) जिला बाड़मेर/जैसलमेर/जालोर से सरकार को अप्रेल, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 तक डोडा पोस्त से कुल कितनी आय हुई? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि 1 अप्रेल, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 में हुई आय 1 अप्रेल, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 की आय से बहुत कम है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्व जिलेवार मदिरा एवं भांग डोडा पोस्त समूहों के ठेकों की स्वीकृति दिनांक की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्व जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालोर में डोडा पोस्त के व्यसनियों को

(आबकारी मंत्री)

परमिट जारी किये हुए हैं। दिनांक 1.4.99 से 31.12.99 तक की अवधि में इन जिलों में व्यसनियों को विक्रय किये गये डोडा-पोस्त की मात्रा निम्नानुसार है: —

नाम जिला	मात्रा (किग्रा में)
बाड़मेर	13956
जैसलमेर	65378
जालोर	5335

(3) इन जिलों में 1.4.99 से 31.12.99 तक की अवधि में डोडा पोस्त से हुई आय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) उक्त तीन जिलों में से जैसलमेर एवं जालोर जिलों में डोडा पोस्त से आय दिनांक 1.4.99 से 31.12.99 की तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि (1.4.98 से 31.12.98) की आय से अधिक रही है। बाड़मेर जिले के डोडा पोस्त के ठेके देर से (दि. 17.1.2000) से उठने के कारण इस जिले में 1.4.99 से 31.12.99 की अवधि में डोडा पोस्त से आय 1.4.98 से 31.12.98 की अवधि में प्राप्त आय से कम रही।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील लाडनूं में बिना लाइसेन्स शराब की बिक्री

147. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) तहसील लाडनूं, जिला नागौर में कौन-कौन से गांव व शहर में किस-किस स्थान पर शराब बेचने के लाइसेन्स कब से कब तक के लिए किस-किस को दिये गये हैं? चिन्हित स्थान मय पड़ौस के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिना लाइसेन्स की जगह भी ठेकेदारों द्वारा शराब बेची जाती है? यदि हां, तो तहसील लाडनूं में कहां-कहां पर और क्यों?

उत्तर

(1) तहसील लाडनूं, जिला नागौर में शराब बेचने का लाइसेन्स दिनांक 4.6.99 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिये कजोड़मल रतन कंवर एवं पार्टी को दिया गया है। जिन गांवों/शहरों के लिये लाइसेन्स दिया गया है उनका तथा जहां दुकानें स्वीकृत है, उनका विवरण निम्नानुसार है: —

(कार्मिक मंत्री)

नाम दुकान	चिन्हित स्थान / ग्राम दुकान जहां स्थित है	उसके भवन मालिक का नाम
1. लाडनूं नं. 1	डीडवाना रोड लाडनू	श्री बुद्धाराम पुत्र पूसाराम निवासी गुढ़ा
2. लाडनूं नं. 2	वार्ड नं. 17	श्री गुश्ताक अली पुत्र अनुखील खां निवासी लाडनूं
3. लाडनूं. नं. 3	मगरावास	कासम खां पुत्र फैजू खां. निवासी मगरावास लाडनूं
4. लाडनूं नं. 4	स्टेशन रोड लाडंनूं	श्री किशन लाल पुत्र श्री लाल लोहिया निवासी लाडनूं
5. आसोरा	आसोरा ग्राम	श्री भंवर सिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत निवासी आसोरा
6. मीण्डी	मीण्डी	श्री कन्हैया लाल पुत्र सूरजाराम अग्रवाल निवासी मीण्डी
7. निम्बीजोधा	निम्बीजोधा	श्री फलाराम पुत्र धनाराम गवारिया निवासी निम्बीजोधा
8. सुनाटी	सुनाटी	श्री नथुराम पुत्र नानूराम जाट निवासी सुनाटी
9. जसवंतगढ	जसवंतगढ	लकडी का केबिन मालिक लालू खां पुत्र गनी खां सुलमान निवासी जसवंतगढ
10. हुडास	हुडास	श्री दुर्गासिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी हुडास
11. शिमला	शिमला	श्री गोविन्दराम पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा निवासी शिमला
12. सावराद	सावराद	श्री छगनसिंह पुत्र भूरासिंह राजपूत निवासी सावराद
13. बल्दू	बल्दू	श्री मांगीलाल पुत्र जीवणराज बीजारजीया निवासी बल्दू
14. कुंसुम्बी	कुसुम्बी	श्री मांगीलाल पुत्र गणपतराम मेघवाल निवासी कुसुम्बी
15. ध्याबा	ध्याबा	श्री भंवराराम पुत्र बोधाराम जाट निवासी ध्याबा
16. रोडू	रोडू	श्री गोरीशंकर पुत्र रामेश्वर लाल लोहिया निवासी रोडू

(कार्मिक मंत्री)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर

1. लाडनूं	डीडवाना रोड, लाडनूं	श्री बुद्धाराम पुत्र पूसाराम निवासी गुढ़ा
2. आसोरा	आसोरा	श्री भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत निवासी आसोरा

(2) जी, नहीं।

जिला बांसवाड़ा के स्वीकृत हैण्ड पम्प

148. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु हैण्ड पम्प पाइप व किस्ट सप्लाई नहीं किये जाते, जिसकी वजह से खराब हैण्ड पम्प ठीक नहीं होते ?

(2) क्या सरकार हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मटीरियल किस्ट व पाइप उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां., तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष हैण्ड पम्प स्वीकृत होने के बाद से अब तक नहीं लगाये गये ? उक्त क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब स्वीकृतशुदा हैण्ड पम्प कब तक लगा. दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मरम्मत हेतु सामान आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) बांसवाड़ा जिले में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मटीरियल, पाइप एवं पार्टस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं।

(3) जी, नहीं। बांसवाड़ा जिले में गत वर्ष 1.1.99 से मार्च, 2000 तक कुल 385 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये, जिनके विरुद्ध 213 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं एवं 172 हैण्ड पम्प खोदे जाने शेष हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) स्वीकृतशुदा हैण्ड पम्पों को बजट उपलब्धता अनुसार यथा संभव इस वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के नाकारा हैण्ड पम्प

149. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने हैण्ड पम्प चालू हालत में है और कितने खराब/नाकारा हैं ?

(2) उक्त में से कौन-कौन से हैण्ड पम्प किस एजेंसी द्वारा लगवाए गए हैं और इस सत्र में कितने हैण्ड पम्प किस एजेंसी द्वारा लगवाए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र कोटपूतली में कुल 82 हैण्ड पम्प स्थापित हैं जिनमें से 1 हैण्ड पम्प खराब/नकारा हैं तथा 14 हैण्ड पम्प वर्तमान् में मरम्मत योग्य खराब हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1207 हैण्ड पम्प स्थापित हैं जिनमें से 27 हैण्ड पम्प सूखें, 100 हैण्ड पम्प नकारा हैं शेष हैण्ड पम्पों में से 407 हैण्ड पम्प वर्तमान में खराब हैं जो मरम्मत योग्य हैं। इस प्रकार वर्तमान में शहरी क्षेत्र कोटपूतली में 67 हैण्ड पम्प तथा ग्रामीण क्षेत्र में 673 हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं।

(2) वर्ष 99-2000 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कुल 31 हैण्ड पम्प राज्य सरकार द्वारा लगाये जा चुके हैं तथा 55 हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित हैं। जिनका कार्य प्रगति पर है लगाये गये 31 हैण्ड पम्प में से 8 विभागीय मशीनों द्वारा एवं 23 निजी ठेकेदारों द्वारा लगाये गये हैं। प्रस्तावित 55 हैण्ड पम्प निजी ठेकेदारों द्वारा लगवाये जा रहे हैं।

जिला भीलवाड़ा में ग्रामों/ढाणियों में पेयजल व्यवस्था

150. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

जिला भीलवाड़ा में अब तक कितने राजस्व गांव एवं चयनित ढाणियां पेयजल से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। इनके लिए ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं क्यों नहीं बनाई गई? अब कब तक इनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दी जावेगी?

उत्तर

जिला भीलवाड़ा में अब कोई भी राजस्व गांव पेयजल से वंचित नहीं है। चयनित ढाणियों में कुल 33 ढाणियां पेयजल योजना से अलाभान्वित हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट (1) पर उपलब्ध है। इन शेष ढाणियों को भी शीघ्र लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

तहसील उदयपुरवाटी के कार्यों का अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण

151. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला झुंझुनूं की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में विभाग के माध्यम से किये जाने वाले किन-किन कार्यों का जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 की अवधि में संबंधित अधिशासी अभियन्ता (नगर खण्ड झुंझुनूं) द्वारा हैण्ड पम्पों के अलावा अन्य कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण कब-कब किया तथा उनके निरीक्षण के वक्त किस-किस कार्य की क्या स्थिति/प्रगति, थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिशासी अभियन्ता ने निरीक्षण के समय कोई खामी उक्त कार्यों

(श्री शिवनाथ सिंह)

में पाई ? यदि हां, तो क्या तथा सुधार हेतु क्या सुझाव दिये गये और उन सुझावों की कितनी पालना हुई।

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में विभाग के माध्यम से किये गये कार्यों का जनवरी, 98 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा (हैण्ड पम्पों के अतिरिक्त) जिन-जिन कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया गया तथा कार्यों की स्थिति/प्रगति का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के समय उपरोक्त कार्यों में पाई गई खामियां एवं उनमें सुधार हेतु दिये गये सुझाव व पालना परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम नीमोला (कोटा) की प्रस्तावित नल योजना

152. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि नीमोला तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में खारे पानी की समस्या है और इस हेतु विभाग द्वारा पूर्व में भी सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्या को मध्य नजर रखते हुए यहां पर नल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। गांव में उपलब्ध पानी के नमूनों का सर्वे किया गया था। पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी, हां। पर्याप्त गुणवत्ता एवं जल उत्पादन क्षमता का जल स्रोत चिन्हित कर योजना शीघ्र स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उपखंड उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अनियमितताएं

153. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जनवरी, 1997 से फरवरी, 2000 की अवधि में झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी उपखण्ड में कार्यरत उदयपुरवाटी कनिष्ठ अभियन्ता में कार्यरत उदयपुरवाटी कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से किस-किस योजना के कितने-कितने पम्पिंग सैटों की जली हुई मोटरों को बंधाया गया ?

(2) उक्त मोटरों से कितने ताम्बे के तार निकले तथा उनका क्या हिसाब है ?

(3) प्रत्येक मोटर पर कितना-कितना खर्चा आया ? वर्तमान में कितने वजन के

(श्री शिवनाथ सिंह)

ताम्बे के तार स्टोर में मौजूद है तथा कितने किस कीमत के बेचे गये?

उत्तर

(1) जनवरी, 1997 से फरवरी, 2000 की अवधि में झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी उपखण्ड में कार्यरत उदयपुरवाटी कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से बंधवाई गई मोटरों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त मोटरों से 828 कि.ग्रा. ताम्बे का जला हुआ तार प्राप्त हुआ जो वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता के स्टोर में जमा है।

(3) प्रत्येक मोटर को बंधवाने/रिपेयर करवाने में जो खर्चा आया वह परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त अवधि में जले हुए ताम्बे के तार कनिष्ठ अभियन्ता के स्टोर में 828 कि. ग्रा. मौजूद हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास (सवाईमाधोपुर) के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

154. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली के माडा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों में पानी की गुणवत्ता एवं उपलब्धता ठीक नहीं है? यदि हां, तो ऐसे गावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ठीकरया, नागतलाई, रानीला, बडीला, राधोपुरा, टोडा टुंडीला, सुंदरी, सांचोली, कोयला एवं गहनोली आदि में पेयजल हेतु "एक्सप्लोरेशन" का अधिक से अधिक कार्य उक्त गांवों में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कैसे?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति बामनवास के कुल 19 माडा ग्रामों, कोयला, सारंगपुरा, जीवद, शफीपुरा, मीला, ठीकरी, नारौली चौड, ठीकरिया, भावह, सुन्दरी, सरसाली, राधेकी, बन्धावल, तराय, भीटौली, राधोपुरा, अभयपुरा, जाहिरा, कोहली, प्रेमपुरा एवं बामनवास पट्टी खुर्द तथा पंचायत समिति बौंली के कुल 6 माडा ग्रामों मानोली, गादोता, गहनोली, पीपलवाडा, मांगरोल एवं मामडोली में पेयजल की गुणवत्ता विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है परन्तु उपलब्धता संतोषप्रद है।

(2) ग्राम राधोपुरा व टूंडला क्षेत्रीय योजना से जुडे हुए हैं, तथा जल वितरण सन्तोषप्रद है। ग्राम ठीकरिया, नागतलाई रानीला व बडीला क्षेत्रीय योजनाओं के अंतिम छोर के गांव हैं। वहां पानी पहुंचने में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त ग्रामवासियों द्वारा भूतल जलाशयों की पाईप लाईन तोड़कर उनके द्वारा तालाबों एवं निर्मित स्थानीय कच्चे खुले कुओं में जल एकत्रित कर लेने के कारण अंतिम छोर के ग्रामों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। ग्राम सुन्दरी, सांचोली, कोयला तथा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गहनोली हैण्ड पम्प द्वारा लाभान्वित है परन्तु जल की गुणवत्ता प्रचलित मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। क्षेत्रीय योजनाओं की उपरोक्त स्थानीय समस्याओं के समाधान होने व विभागीय प्रचलित मापदण्डों के अनुरूप उपयुक्त गुणवत्ता का जल स्त्रोत मिलने पर किया जाना संभव होगा।

सीलिंग एक्ट के तहत खरीद भूमि

155. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या पुराने व नये सीलिंग एक्ट में मुकदमे एक साथ विचाराधीन हो सकते हैं? यदि हां, तो कैसे?

(2) क्या पूर्व जागीरदारों द्वारा भूमि का बेचान किया जा चुका है और रजिस्ट्रियां हो चुकी हो तथा मौके पर खरीद शुदा व्यक्तियों का कब्जा है फिर भी पुराने सीलिंग एक्ट के तहत आम गरीब जनता खरीद शुदा व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं? इस बारे में सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है? क्या पुराने सीलिंग एक्ट को समाप्त किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त प्रभावित जमीन को खरीदने वालों के बारे में क्या निर्णय लिये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत धारित जोत की सीलिंग सीमा की गणना की जाती है। इसकी धारा 4 (2) (ख) में यह आवश्यक है कि सीलिंग सीमा की जांच में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कृषक के पास काश्तकारी अधिनियम में निरसित पुराने सीलिंग कानून में धारित भूमि एवं उक्त अधिनियम, 1973 (नया कानून) की तुलना में अधिक भूमि राज्य में निहित है ताकि नीति निर्देशक सिद्धान्त के तहत भूमिहीन कृषकों में अधिक भूमि वितरित हो सके।

(2) काश्तकारों द्वारा किये गये सद्‌भावी हस्तान्तरणों को मान्यता प्रदान कर दी गई है इसके उपरान्त दिनांक 18.1.90 को नियम 17 (3) (ए) के तहत दिनांक 31.12.72 तक अमान्य हस्तान्तरणों को क्रेताओं के हक में आवंटित किये जाने में वरीयता प्रदान की गई है। पुराना कानून नये कानून के प्रचलन के तारीख से समाप्त हो गई है परन्तु इससे पूर्व दायर मामलों पर पुराने कानून के अन्तर्गत निर्णय लिया जाता है।

ग्राम छारदड़ा कोटपूतली की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

156. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम छारदड़ा (कोटपूतली) में चरागाह की सीमा बंदी के पश्चात् भी अतिक्रमण किया जाकर खेती की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जायेगा?

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(2) क्या चरागाह में पूर्ववत वनारोपण करने की योजना विचारधीन है?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम छारदड़ा तहसील कोटपूतली में चरागाह भूमि की सीमाबन्दी के पश्चात् भी अतिक्रमण किया जाकर खेती की जा रही है। उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमियों को बेदखल किया जा रहा है।

(2) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या-157

(स्थगित)

तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी) में सेटलमेन्ट में अनियमितताएं

158. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ क्षेत्र में गत वर्षों में सेटलमेन्ट का कार्य किया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सेटलमेन्ट के समय गम्भीर अनियमितताएं करने से किसान आज भी परेशान हैं?

(3) क्या सरकार किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए केम्प लगाकर समस्या हल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-सर्वेक्षण कार्य किया गया था।

(2) भू-प्रबन्ध के दौरान हुई अनियमितताओं के संबंध में सर्वे करने पर 86 प्रकरण चिन्हित किये गये थे। इनमें से 9 प्रकरण इन्द्राज दुरुस्ती के होने के कारण तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां प्रस्तुत किये गये, जिनका निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा चुका है। शेष 77 मामलों में पूर्व आवंटी गैर खातेदार, आवंटित भूमि पर काबिज नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के नियम, 14 (4) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) भाग दो में दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए अब कैम्प लगाने की आवश्यकता नहीं रही है।

सरपंच ग्राम पंचायत, मेंगलपुरा (नागौर) द्वारा जारी अवैध पट्टे

159. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, मेंगलपुरा पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर ने ऐसी भूमि पर आवासीय पट्टे दिये हैं जो भूमि राजस्व रिकार्ड में आबादी नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज है? यदि हां, तो कौन कौनसी भूमि पर कब-कब कितने कितने पट्टे दिये और सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की?

(2) क्या उक्त सरपंच ने स्थानीय विद्यालय को आवंटित भूमि भी आवासीय उपयोग के लिये लोगों को बेचकर पट्टे जारी किये हैं? यदि हां, तो कितनी भूमि पर कितने पट्टे किन-किन को दिया तथा विभाग ने क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में जब यह गांव ग्राम पंचायत दूजार में था तब भी इसी प्रकार के सरकारी भूमियों के पट्टे सरपंच ने दिये थे? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। ग्राम पंचायत मेंगलपुरा सन् 1995 से अस्तित्व में आई थी तबसे आज तक सरपंच ग्राम पंचायत मेगलपुरा द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। इसलिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रही।

(2) उक्त सरपंच ने किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया इसलिए विद्यालय को आवंटित भूमि पर विद्यालय का ही कब्जा है।

(3) हां। यह सही है कि ग्राम मेंगलपुरा पूर्व में ग्राम दूजार में था उस समय ग्राम पंचायत दूजार में सरकारी भूमि के 10 पट्टे जारी किये थे। जिनका विवरण इस प्रकार है कि:—तहसीलदार लाडनूं ने ग्राम लाडनूं के ख.नं. 1688 में ग्राम पंचायत दूजार द्वारा जारी पट्टों के संबंध में वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1999 में कुल 10 मामले राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किये। जिनमें से 7 मामलों में बेदखली के आदेश पारित किये और इन सातों मामलों में जिला कलक्टर, नागौर ने दिनांक 10.5.95 एवं 24.7.95 को बेदखली आदेश को निरस्त करते हुए मामले तहसीलदार को पुनः रिमाण्ड किये। तहसीलदार ने दिनांक 30.7.98 को मौके पर कब्जा न होने से एक मामला ड्राप किया तथा 6 मामलों में दिनांक 5.6.96 को पट्टों के मुताबिक कब्जा साबित होने से कार्यवाही ड्राप की। एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण में पुनः सुनवाई का आदेश देने से तहसीलदार ने दिनांक 30.9.96 को पट्टे के आधार पर कब्जा मानकर मामला ड्राप किया। दो प्रकरणों में तहसीलदार, लाडनूं द्वारा दिनांक 26.10.94 एवं 13.3.2000 को बेदखली के आदेश पारित किये गये।

तहसील आमेर क्षेत्र की खदानों पर कार्यरत श्रमिकों का शोषण

160. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) चेजा पत्थर, खदानों पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, हित, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या राज्य सरकार का श्रम मंत्रालय कोई कार्यक्रम रखता है? यदि हां, तो, क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आमेर तहसील के ग्राम सुन्दरपुरा, देवका, हरकाड़ा, लखेर और बूठा हरवाड़ा में पत्थर की खदानों एवं क्रेशर पर काम करने वाले मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं दी जाती है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो सरकार इसके लिए कोई नियमितिकरण करना चाहती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त खदानों और क्रेशरों पर काम करने वाले मजदूरों को काम करते समय दुर्घटना होने पर कोई क्षतिपूर्ति की जाती है? यदि हां, तो अब तक कितने केस आये और क्या क्या सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सुरक्षा अधिकारी समय-समय पर वहां पर जाते हैं? यदि हां, तो कौन अधिकारी है और कब-कब जाते हैं? क्या उन्हें कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या और उसका क्या निपटारा हुआ?

उत्तर

(1) खदानों पर श्रम प्रवर्तन कार्य भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से संबंधित है।

(2) अधिकतम क्रेशर्स माइनिंग लीज एरिया में हैं। जिनमें प्रवर्तन कार्य केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। अन्य क्रेशर्स के मजदूरों के भुगतान न होने संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उक्त खदानों एवं क्रेशरों पर काम करने वाले मजदूरों को काम करते समय दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। किन्तु भाग-2 में वर्णित क्षेत्रों से दुर्घटना होने संबंधी कोई केस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला भीलवाड़ा में उचित मूल्य की दुकानों में वृद्धि

161. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला भीलवाड़ा में आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चीनी व केरोसीन आदि का आवटंन कितनी-कितनी मात्रा में हो रहा है? क्या सरकार उक्त जिले को आवंटित कोटा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त जिले में केरोसीन की काफी कमी है? क्या सरकार केरोसीन का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(डा. रतन लाल जाट)

(3) क्या सरकार उक्त जिले में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला भीलवाड़ा को आवश्यक वस्तुओं का निम्नानुसार आवंटन किया जाता है: —

नाम वस्तु	आवंटित मात्रा
गेहूं (ए.पी.एल.)	712 मै. टन
गेहूं (बी.पी.एल.)	1049 मैं. टन
लेवी चीनी	677.1 मै. टन
केरोसीन तेल	1500 के. एल.

उपरोक्त वस्तुओं का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होता है। प्राप्त आवंटन का उप आवंटन जिलेवार किया जाता है। भारत सरकार से अधिक आवंटन प्राप्त होने पर ही आवंटित मात्रा बढ़ाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) केन्द्र सरकार से राज्य का केरोसीन का कोटा बढ़ाने हेतु आग्रह किया हुआ है। केन्द्र सरकार से मांग के अनुरूप राज्य को केरोसीन तेल का आवंटन प्राप्त होने पर ही जिला भीलवाड़ा को अधिक आवंटन करने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(3) जी, हां। उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है।

तहसील सोजत में गजनाई बांध के डूब में आयी भूमि का मुआवजा

162. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील सोजत के गांव गजनाई में गजनाई बांध के बनाने से किसानों की भूमि व कुए बांध के डूब में आ गये? उक्त गांव के किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी खातेदारी की कितनी-कितनी खातेदारी भूमि व कुए बांध की डूब में आये? सूची सदन की मेज पर रखें? उक्त काश्तकारों को हर्जाने के रूप में कितनी राशि किस दर से दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या बांध के बनने से काश्तकारों को अपने विद्युतीकृत मकान छोड़कर नये सिरे से आबाद होना पड़ा था? क्या बांध से विस्थापित हुए विद्युत उपभोक्ता काश्तकारों को पुनः विद्युतीकृत संबंधी राशि दी गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध के बनने से बीजामुड़ा से गजनाई तक की मेटल सड़क बांध की डूब में आने से उसके स्थान पर अलग मार्ग से सड़क बनाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग पाली को कितनी राशि दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(4) क्या पूर्व सिंचाई मंत्री ने गजनाई बांध का वर्ष 1997-98 में लोकार्पण करते समय किसानों को मुआवजा राशि अत्यधिक कम देने पर पुनः सिंचाई विभाग के नियमों के अनुसार हर्जाना राशि अधिक देने का आदेश दिया था? यदि हां, तो गरीब किसान को समुचित राशि पुनः जांच कर कब तक दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गजनाई बांध के डूब में आईं खातेदारी भूमि की सूची परिशिष्ट "अ", डूब में आये कुओं की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। काश्तकारों को हर्जाने के रूप में दी गई राशि का विवरण मय दर से परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि जिन कृषकों के अपने विद्युतिकृत मकान थे, उन्हें छोड़कर नये सिरे से आबाद होना पड़ा था। बांध से विस्थापित हुए विद्युत उपभोक्ता काश्तकारों को पुनः विद्युतिकृत संबंधी राशि नहीं दी गई क्योंकि इस प्रकार की राशि का पुनर्भरण का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) उक्त बांध के बनने से बीजागुडा से गजनाई तक की मेटल सड़क की डूब में आने से उसके स्थान पर अलग सड़क बनाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली को इस विभाग द्वारा कोई राशि नहीं दी गई।

(4) जी, नहीं।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माही बांध (बांसवाड़ा) की कच्ची नहरों से सीपेज

163. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला बांसवाड़ा के माही बांध की कितनी नहरें माइनर एवं सब माईनर पक्की बनाई जा चुकी हैं और कितनी माइनर में कच्ची से पानी जा रहा है?

(2) क्या इससे कई किसानों के खेत सीपेज हो गए हैं? क्या सरकार उक्त नहरों को पक्का बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) माही परियोजना के अन्तर्गत नहर प्रणालियों से 395 माइनरें एवं सब-माइनरें निकाली गई हैं, उनमें से 57 माइनर/सब-माइनर आंशिक रूप से कच्ची हैं। शेष सभी नहरें पक्की है। कच्ची नहरों की कुल लम्बाई 125.10 कि.मी. में पानी चलाया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। नहरों को पक्का करने का प्रावधान परियोजना के तखमीने में लिया हुआ है, वित्तीय साधन की उपलब्धता पर शेष नहरों को पक्का करना सम्भव होगा।

राज्य में नदियों/नालों के बहाव क्षेत्र में एनिकट निर्माण

164. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बडी सादड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सिंचाई विभाग द्वारा नये बांध/एनिकट बनाने के स्थान पर नदियों/नालों के बहाव क्षेत्र में ही छोटे-छोटे एवं निरन्तर एनिकट बनाने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या नदी/नालों पर बसे गांवों बस्तियों में पानी के जल स्तर बढ़ने मात्र से अच्छी कृषि एवं सुखी जीवन यापन कर सकेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग के अधीन 20 हैक्टेयर से अधिक सिंचाई प्रदान करने वाले बांध ही कार्य क्षेत्र में आते हैं। छोटे व बड़े एनिकट का निर्माण सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या (1) में दे दिया गया है।

जिला जालौर के पहाड़ों के झरनों के पानी का उपयोग

165. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या जालौर शहर के आबादी क्षेत्र में वर्षा के दिनों में बहने वाले पहाड़ के झरनों के पानी को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप व क्रियान्विति की अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं।

चंबल सिंचित क्षेत्र कोटा की बाईं एवं दायीं नहर की वितरिकाओं की मरम्मत

166. **श्री घासीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) चंबल सिंचित क्षेत्र कोटा की बाई नहर एवं दायीं नहर एवं इसकी वितरिकाओं के रख-रखाव व मरम्मत के लिए वर्ष 1990 से 1999 तक कितनी राशि सरकार द्वारा मंजूर की गई ? यदि हां, तो वर्षवार राशि का विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रख-रखाव व मरम्मत के अभाव में बाई मुख्य नहर की कापरेन ब्रांच एवं पाटन ब्रांच तथा इसकी वितरिकाओं में मिट्टी भर गई है तथा आकड़ें एवं बबूल उग आये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1998-99 में पानी के अभाव में अंतिम

(श्री घासीलाल मेघवाल)

छोर के किसानों की गेहूं की फसलें सूख गई थीं? यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतिम छोर के किसानों की पिलाई व लगान वसूली माफ की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी देने का विचार रखती है? किसानों को अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में नहरों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु बजट उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना?

(5) क्या यह भी सही है कि फरवरी, 1999 में सरकार द्वारा केशोरायपाटन क्षेत्र की नहरों का अवलोकन हेतु सिंचाई सचिव एवं वित्त सचिव को मौके पर भेजकर अवलोकन कराया था? यदि हां, तो सरकार को क्या रिपोर्ट दी गई तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि वित्त सचिव, सिंचाई सचिव एवं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव सहित क्षेत्रीय सांसद सभी विधायकों के साथ बैठकर कोटा में नहरों के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजे गये? यदि हां, तो भेजे गये प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा की बाईं नहर एवं दायीं नहर एवं इसकी वितरिकाओं के रख-रखाव व मरम्मत के लिए वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक निम्न प्रकार से राशि सरकार द्वारा मंजूर/प्रावधान किया गया: —

(रु. लाख में)

वर्ष	दांई मुख्य नहर	उप कुलिकाएं	बाईं मुख्य नहर
1990-91	150.00*	105.00*	105.00*
1991-92	175.00*	110.00*	130.00*
1992-93	230.00*	125.00*	130.00*
1993-94	225.86*	156.45*	168.46*
1994-95	281.00*	150.00*	158.10*
1995-96	65.00	70.00	80.00
1996-97	65.00	65.00	50.00
1997-98	65.00	50.00	43.00
1998-99	65.00	50.00	40.00
1999-2000	106.83	89.60	75.00

(* वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित)

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी, हां। बजट की सीमित उपलब्धता की समस्या के समाधान हेतु विश्व बैंक द्वारा वित्त पौषित कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 324.00 लाख की व्यवस्था कर कृषकों की सहभागिता के साथ जल प्रबन्धन उपभोक्ता समितियां गठित कर नहरों में भर आई मिट्टी व आंकड़े (बबूल) को हटाने का कार्यक्रम स्वीकृत कराया गया है।

(3) जी, नहीं। चम्बल सिंचित क्षेत्र में कुल निर्धारित सिंचित क्षेत्र 2,29,000 हैक्टेयर है, रबी व खरीफ में डिजाइन सघनता 76% के अनुसार कुल 1,74,040 हैक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित थी, इसके विपरीत वर्ष 1998-99 में 2,56,371 हैक्टेयर में सिंचाई हुई है। नहरों में शत-प्रतिशत भूमि में सिंचाई नहीं की जाती है एवं कमाण्ड एरिया की असिंचित रही भूमि पर सिंचाई कर वसूल नहीं किया जाता है। अतः पिलाई व लगान माफ किया जाने का प्रकरण ही नहीं बनता है।

(4) जी, हां। अन्तिम छोर तक पानी पहुंचे इस हेतु कृषकों की जल प्रबन्धन में भागीदारी प्रोत्साहित कर विश्व बैंक द्वारा वित्त पौषित कृषि विकास परियोजना से रु. 324.00 लाख दिये जाने की व्यवस्था की गयी हैं।

(5) दिनांक 6 से 8 जनवरी, 1999 को सिंचाई एवं सीएडी सचिव ने नहरों का अवलोकन किया। रिपोर्ट/निरीक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। वर्तमान वित्त सचिव एवं परिवार कल्याण सचिव जो तत्समय क्रमशः विशिष्ट योजना सचिव एवं कृषि सचिव थे, ने दिनांक 1-2 अप्रेल, 99 को भ्रमण किया था। उनका प्रतिवेदन परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

राज्य सरकार ने तीन चरणों में निम्नानुसार कार्यवाही करने के क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा को निर्देश दिये गयेः —

प्रथम चरण

(i) टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था कर ऊपरी क्षेत्र में पानी को रेगुलेट किया जावे।

(ii) उपलब्ध मशीनों के अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगाकर खरपतवार हटाते हुए 10 दिन में टेल में पानी पहुंचाया जावे।

द्वितीय चरण

अप्रेल से जून की अवधि में शाखाओं/वितरिकाओं/माईनर्स को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बन्द करके पुरी तरह वीड की सफाई एवं टूट-फूट की तात्कालिक मरम्मत कराई जावे। इसके लिए अपेक्षित बजट एवं टेण्डर आदि की कार्यवाही 31.3.99 तक पूरी की जावे।

तृतीय चरण

नहरों को सही स्थिति में लाने के लिए 3-4 वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जावे।

(सिंचाई मंत्री)

(6) दिनांक 6 से 8 जनवरी, 1999 को सिंचाई, सीएडी सचिवों के साथ ही संयुक्त आयुक्त (सीएडी) जल संसाधन भारत सरकार एवं क्षेत्रीय सांसद श्री रामनारायण मीणा आदि के साथ दौरा कर प्रस्ताव तैयार किये गये थे। परन्तु बजट राशि उपलब्धं नहीं होने के कारण प्राथमिकता वाले कार्य ही करवाये जाने सम्भव हुए।

(रिपोर्ट / निरीक्षण प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाकरा रोड (जालौर) में पशु चिकित्सालय की स्थापना

167. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर के बाकरा रोड गांव में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग की जा रही है? क्या बाकरा गौशाला में तीन सौ गायें एवं आसपास गांवों में भी पशुओं की संख्या पर्याप्त है।

(2) क्या सरकार बाकरा रोड में पशु औषधालय शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र जालौर के बाकरा रोड गांव में पशु चिकित्सालय खोले जाने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। बाकरा गांव में पशु चिकित्सालय पूर्व से ही कार्यरत है जो बाकरा रोड से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उक्त पशु चिकित्सालय गौशाला एवं आसपास के क्षेत्र के पशुओं को चिकित्सा/संवर्द्धन सुविधा उपलब्ध कराता है।

(2) वर्तमान में पशु चिकित्सालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

राज्य के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

168. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में पशु चिकित्सालय कितने हैं? संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालय में प्रति चिकित्सालय कितनी राशि की दवाइयां दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं, जिनमें डाक्टरों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पशु चिकित्सालय/ औषधालय 1704 हैं। जिलेवार सूची "क" संलग्न है।

(2) राज्य में एक पशु चिकित्सालय के लिए दवाईयां क्रय करने हेतु बजट आवंटित नहीं होता है। राज्य के चिकित्सालयों हेतु सम्बन्धित जिलाअधिकारियों / सहायक

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

निदेशक, पॉली क्लिनिकों को औषधियां उपलब्ध कराने के लिए औसतन 7000/- रुपये प्रति चिकित्सालय राशि आवंटित की जाती है।

(3) राज्य में वर्तमान में 279 पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों के पद रिक्त हैं। सूची "ख" संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राज्य में मंत्रीगणों की सम्पत्ति की घोषणा

169. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या मंत्रिमण्डल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या राज्य के वर्तमान माननीय मंत्रीगणों ने उनकी सम्पत्ति की घोषणा की है? यदि हां, तो किस-किस मंत्री ने?

(2) जिन मंत्रियों ने सम्पत्ति की घोषणा की उस घोषणा की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि अभी तक कई मंत्रियों ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सभी वर्तमान मंत्रीगण ने अपनी सम्पत्ति के विवरण-पत्र मुख्य मंत्रीजी को प्रेषित कर दिये हैं।

(2) मंत्रीगण द्वारा दिया गया विवरण मुख्य मंत्रीजी के यथा आवश्यकता संदर्भ हेतु है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पद

170. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के किन-किन ग्रामों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में शिक्षक के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने।

(3) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका (माध्यमिक) संस्कृत विद्यालय निम्न प्रकार चल रहे हैं: —

प्राथमिक विद्यालय

1. रा. प्रा. सं. वि. बासनी, जोजावर।
2. रा. प्रा. सं. वि., सहबाग।

उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय

1. रा. उ. प्रा. सं. वि., गुढ़ा पदम सिंह।
2. रा. उ. प्रा. सं. वि., ठाकुरवास।
3. रा. उ. प्रा. सं. वि., बेरादल वामुसा लिया

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

प्रवेशिका विद्यालय

1. रा. प्रवे. सं. वि. बासनी, जोजावर।

(2) हां, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ठाकुरवास (पाली) में प्र. अ. द्वितीय श्रेणी व एक पद तृतीय श्रेणी शिक्षक का रिक्त है।

2. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बासनी जोजावर में प्रधानाध्यापक का एक पद व एक पद प्रयोगशाला सहायक का रिक्त है।

(3)

विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अध्या.	रिक्त पद
1. राप्रा.सं. वि.बासनी जोजावर	3	3	—
2. राप्रा.सं.वि. सहबाग	2	2	—
3. रा.उ. प्रा.सं वि. गुढ़ापदमसिंह	6	6	—
4. रा.उ.प्रा. सं.वि. ठाकुरवास	7	5	2
5. राउ.प्रा संवि. बेरादलवा मुसालिया (नवक्रमोन्नत 99-2000)	2	2	—
6. राप्र.वे.सं.वि. बासनी जोजावर	9	7	2

1. प्रं. अ.—1 पद, द्वितीय श्रेणी अ.—1 पद, प्रयोग सहा. का एक पद क्रमशः 30.6.94, 6.5.93 से राजकीय प्रवेशिका सं. वि. बासनी जोजावर में रिक्त है।

2. रा. उ. प्रा. सं. वि. ठाकुरवास में द्वितीय श्रेणी—एक पद, तृतीय श्रे. शि.—एक पद क्रमशः 26.11.97 एवं 14.2.2000 से रिक्त चल रहा है।

(4) हां, तृतीय श्रेणी के पदों पर नवीन नियुक्ति से पद पूर्ति की जा सकेगी।

द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद पर पदोन्नति शीघ्र की जानी है। पदोन्नति से पद भरने की कार्यवाही की जायेगी। प्र.अप्रवेशिका के पदों पर डी. पी. सी. पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक होने के कारण/रोक हटने पर/या भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती द्वारा पद की पूर्ति की जा सकेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है: —

(1) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से वर्ष 1999 में पाली जिले में ग्राम सेवकों की भर्ती हेतु ली गई परीक्षा में कथित अनियमितता के संबंध में।

(2) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परबतसर द्वारा मनमाने तरीके से कार्य करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से पाली जिले के सैंदड़ा का शुद्ध पेयजल रायपुर तहसील के गांवों को नहीं देकर एक सीमेन्ट फैक्ट्री को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बारां जिले की तुलसा परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना से किसानों को पानी उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोरावड़ (मकराना) में 12वीं कक्षा का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र आउट होने की कथित घटना के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इस समय विधान सभा में कमेटियों का गठन हो रहा है और आपने यह आश्वासन दिया था

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हीरासिंह जी एक मिनट।

(12.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय रिछपाल जी, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है कि इस समय विधान सभा में कमेटियों का गठन हो रहा है और आपने यह व्यवस्था दी थी कि ओ. बी. सी. की भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की कमेटी का गठन नहीं हो रहा है। आपने यह आश्वासन दिया था कि अगले सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की समिति का गठन हो जाएगा लेकिन अभी कमेटियों का गठन हो रहा है और इसका गठन नहीं हो रहा है। मैं आश्वासन चाहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग समिति का भी इसी वर्ष गठन होना चाहिये। गत वर्ष का आश्वासन दिया हुआ था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह ही अल्पसंख्यक सदस्य पहली बार इस विधान सभा में इतनी बड़ी संख्या में हैं, मुसलमान, सिख, सिन्धी और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं, इन सबको मिलाकर अल्पसंख्यक कल्याण समिति का भी विधान सभा गठन करे। देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की समितियां केरल में, जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं। इसलिए मैं भी रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा माननीय बहरोड़ से आने वाले सदस्य और हम सब लोगों ने...(व्यवधान) सदस्यों ने मिलकर माननीय अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का ...(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : मैं आजाद साहब की बात का पुरजोर समर्थन करता हूं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन की समिति बनाई जाए। इसलिए हम यह व्यवस्था चाहते हैं कि इस मिलेनियम वर्ष में, 2000 में जो समिति बनाई जाए उनमें पिछड़ा वर्ग भी और अल्पसंख्यकों का...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नियम समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग...(व्यवधान) इसलिए कह रहे हैं कि यह डाइल्यूट हो जाए...(व्यवधान) ओ.बी.सी. के अंदर सब आ जाते हैं, मुसलमान भी आ जाते हैं और सभी आ जाते हैं...(व्यवधान) नियम समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग समिति का गठन करने का प्रस्ताव कर लिया और मैं चाहता हूं कि इसी वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग समिति का गठन होना चाहिए...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्यमंत्री जी, चयनित पटवारियों... (व्यवधान) उन पटवारियों को नौकरी दिलवायें जिससे पटवार हलकों में किसानों की समस्या का समाधान हो और जो पटवारी चयनित हो गये हैं जो सरकार ने करवाये हैं उनको रोजी-रोटी की व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, वह कभी जुलूस में आ रहे हैं, कभी आमरण अनशन कर रहे हैं, कभी एक टांग के बल चलकर मुख्य मंत्री जी के निवास पर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्री ने बहुत लंबे-चौड़े वादे किये हैं, चयनित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। आपको क्या कहना है ?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, चयनित हैं। सरकार बैठी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बैठें तब कहूं।

श्री सांवर लाल : सरकार की सिफारिश पर...(व्यवधान) वह कहां जाएंगे, यह कल्याणकारी सरकार है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये ना। बहुत हो गया, बैठिये आप। (व्यवधान) आपको क्या कहना है ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में भेड़ और ऊन मंत्रीजी ने कहा था कि भेड़ों की दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अधिकांश जिलों के भेड़पालक यहां आये बैठे हैं, दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। भेड़ों में फिडकियां और चेचक दो बीमारियां आयी हुई हैं और लाखों भेड़ें मर रही हैं। आज किसानों का जीवन संकट में है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने इनके डायरेक्टर जी. एल. शर्मा से टेलीफोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की, चार दिन से वह छुट्टी पर हैं और आज बताया कि वह लंच के बाद आयेंगे। राजस्थान की सभी भेड़ें मर जाएंगी फिर यह भेड़ और ऊन मंत्रीजी किसका मंत्रालय देखेंगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ों की बीमारियों की दवाइयां तुरन्त उपलब्ध करवाई जाएं और काश्तकारों के इस धन को बचाया जाए। यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : काश्तकार मेरे पास आये हुए बैठे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : भेड़ों की दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य (व्यवधान)

(श्री यशवन्त सिंह (रामू) व श्री रिछपाल सिंह मिर्धा माननीय सदस्य द्वारा सदन में धरना)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : भेड़ें हजारों की तादाद में मर रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको वहां से बोलने दे रहे हैं, यहां क्यों आ गए? आप अपनी सीट पर जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यहां गलत स्टेटमेन्ट दिया गया है, गुमराह करने की कोशिश की है, पूरे राजस्थान के अंदर और हर जिले की स्थिति यह है कि भेड़ें हजारों की संख्या में बीमार हैं, उन भेड़ों के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं, वह जवाब दे रहे हैं, आप बिराजो। आप बिराजो तो जवाब दें। आप जाइए, आप बैठिए (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने हजारों भेड़ों के बीमार होने की बात कही और दवाई नहीं होने की बात की और दवाई के लिए इन्होंने डायरेक्टर से कहा और डायरेक्टर चार दिन से छुट्टी

(श्री दयाराम परमार)

पर है। विपक्ष के सारे सदस्य केवल अपनी बात विधान सभा में बोलने की मंशा से यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय मंत्री महोदय को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, अस्पतालों में भी दवाइयां नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लो इनकी। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) आप इनको सुनना ही नहीं चाहते। तसल्ली रखें, माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह रहे हैं, इनकी पहले सुन लो।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, बोलने दो इनको। यह क्या बात हुई? विपक्ष के माननीय सदस्य बात-बात में खड़े हो जाते हैं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी मंत्री महोदय ने कहा कि मुझे पता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी पूरी बात तो सुनिए न, क्या प्राब्लम हैं? इनकी सुनिए न आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : सुनेंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : आपको संतोष न हो तो बोल लेना, सुन तो लो, उनको ही जानकारी देनी पड़ेगी, आपको कहां से आ जाएगी जानकारी?

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय बताएं कि भेड़ों के दोनों जबड़ों में दांत होते हैं कि नहीं?

श्री दयाराम परमार : आप दवाई की बात कर रहे हैं या दांतों की कर रहे हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : आपको जानकारी नहीं है इसलिए कह रहा हूं।

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टेलीफोन करके डायरेक्टर से बात कह सकते हैं तो मेरे से इन्होंने अगर यह बात कही होती तथा मैं अगर दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाता तो इनका आरोप सही था। लेकिन यह सदन में कल भी आरोप लगाते रहे और आज भी लगा रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है भेड़ों का और इस प्रकार का वक्तव्य मंत्री महोदय दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ें मर रही हैं।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं, मुझे दुःख इसी बात का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सदस्य ने निदेशक से बात कर ली, इसमें क्या बुरा कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, राजेन्द्रजी। माननीय मंत्रीजी, आप सदन को यह आश्वस्त कर दीजिए कि आप दवाई कितने समय में उपलब्ध करवा देंगे।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास पर्याप्त दवाई है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हर बार सफाई में खड़े हो जाते हैं, मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, आप काहे को खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, आप सुनिए तो प्लीज।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ों की बीमारी जब कभी भी हुई तो भेड़पालक सीधे दफ्तर में आए हैं, उन्होंने भेड़ों की संख्या बताई है और हमने उन्हें जितनी दवाई की जरूरत हुई, वह बराबर दे रहे हैं। मैं आपसे यह भी निवदेन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भेड़पालक सचिवालय जाएंगे, भेड़पालक राजस्थान के सचिवालय में जाकर इनको अवगत कराएंगे? चूरू के गांव का भेड़पालक इनको अवगत कराने सचिवालय आएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको सुनना चाहते हैं?

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : राजेन्द्रजी, पहले बात कहने दो। पहले बात तो कहने दो इनको। इनको बोलने तो दो, जवाब तो देने दो। दवाई लेने का इरादा रखते हैं, पहले बोलने तो दो इनको (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब। आर्डर-आर्डर।

श्री दयाराम परमार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य सदन में बोल रहे हैं उन्होंने किसी ने भी मेरे से टेलीफोन पर कोई बात नहीं की कि हमारे एरिया में भेड़ें मर रही हैं या यह बीमारी है। 13 अप्रेल को एक माननीय सदस्य अमीन खां जी ने मेरे से टेलीफोन पर कहा और 12 घण्टे के अंदर उनको दवाई भेज दी, इनकी भेड़ों का इलाज करवा दिया। यह केवल सदन में बोलना चाहते हैं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : माननीय मंत्रीजी, जो सदन में बोल रहे हैं, उन्हें पूछें तो सही कि उनके पास कितनी-कितनी भेड़ें हैं। इनके पास भेड़ें हैं भी या नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय को टेलीफोन पर राजस्थान का भेड़पालक स्थिति से अवगत करवाएगा? मंत्रीजी से सीधे बात करेगा राजस्थान का भेड़पालक?

श्री उपाध्यक्ष : हो गई अब बात, अब बात खतम हो गई। दवाई उपलब्ध है, कह दिया मंत्रीजी ने।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे हैं, उनसे पूछिए तो सही कि इनके पास कितनी-कितनी भेड़ें हैं, है भी कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने कह दिया कि दवाई उपलब्ध करवा देंगे। बात खतम हो गई, अब चाहते क्या हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : जिला मुख्यालयों पर दवाई उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप चाहते क्या हैं कि दवाई यहां लेकर आएं। कह दिया न कि दवाई उपलब्ध करवा देंगे, और क्या होगा?

श्री देवीसिंह भाटी : दवाई उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कह रहे हैं न कि दवाई उपलब्ध है।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां कह रहे हैं, वह कह रहे हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो कह रहे हैं कि अमीन खां जी ने मेरे से टेलीफोन पर बात की। यहां पर जो माननीय सदस्य कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि दवाई उपलब्ध है, हम दवाई उपलब्ध करवा देंगे, जितनी दवाई चाहिए उतनी दवाई उपलब्ध करवा देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर दवाई उपलब्ध हो...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, दवाई उपलब्ध है और दवाई पिला दी जाएगी। दवाई हमारे पास है लेकिन इनको भेड़ों से क्या लेना देना?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : विपक्ष के ये जितने भी माननीय सदस्य हैं, इनमें से एक भी भेड़पालक नहीं है, एक भेड़ इनके पास नहीं है, वह कह रहे हैं कि भेड़पालक हैं।...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपको पता ज्यादा है।

श्री रामस्वरूप : आपको दारू से मतलब है, भेड़ों से क्या लेना देना? अभी तो दारू पिलवा रहे थे, अब दवाई पिला रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि मेरे से बात नहीं की, इनके अधिकारियों से बात की। अगर आप कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो साढ़े पांच हजार भेड़पालकों को यहां पेश करें क्या?

श्री उपाध्यक्ष : जरूरत नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप कहें तो साढ़े पांच हजार भेड़पालक बैठे हैं, आप इजाजत दिलाओ तो, उपाध्यक्ष महोदय, सारे यहां पेश कर दूं कि दवाई उनके पास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई दवाई नहीं है इनके पास।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : वहां के भेड़पालकों में कोई शिकायत नहीं है। खाली नागौर में ही बीमारी फैल गई क्या, दूसरी कोई जगह नहीं फैली? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रिछपालजी, आर्डर-आर्डर (व्यवधान) रतनारामजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, सही बात है, वह विधान सभा में कहें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप विराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : I am in possession of the floor.

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जरूरत नहीं है इसमें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन की परम्परा नहीं है कि पीड़ित को यहां पर लाकर पेश किया जाए। यह परम्परा नहीं है परन्तु यह चूंकि ऐसा विषय हो गया है कि जब एक तरफ मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमारे पास पंर्याप्त दवाई है और हम यह चार्ज लगा रहे हैं कि आगे तो अकाल से किसान के पास जो फसल थी वह नष्ट हो गई, पशुधन केवल थोड़ा बहुत बचा है, गाएं तो मर गई, कुछ भेड़ें रोग से मर जाएंगी इसलिए हम दवा की बात कर रहे हैं, वह कहते हैं कि पर्याप्त दवाई है, हम कहते हैं कि दवाई नहीं है इनके पास पर्याप्त मात्रा में, आप कहें तो पीड़ित पक्षकार को यहां बुलाएं?

श्री उपाध्यक्ष : आ सकते हैं क्या यहां?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आज तक आए हैं क्या? आज तक आए हैं क्या? ऐसी क्या बात कर रहे हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कहें तो, आप आज्ञा दें तो?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी क्या बात कर रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन आज्ञा दे तो।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मंत्रीजी जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करना पड़ेगा और रास्ता क्या है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे करना पड़ेगा?

श्री उपाध्यक्ष : और कोई चारा ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब दवा उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब उनका है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने कह दिया कि इनके पास दवाई उपलब्ध नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कैसे विश्वास कर लेंगे हम?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दवाई नहीं है इनके पास।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह कोई बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर (व्यवधान) श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री नाथूराम अहारी : आपको चाहिए तो ले जाओ मंत्रीजी से।

श्री देवीसिंह भाटी : भेड़ों की स्थिति यह है कि जहां हजारों की संख्या में भेड़ें

(श्री देवीसिंह भाटी)

मर रही है बीमारी से, दो सौ, तीन सौ रुपए में बूचड़खाने में जा रही हैं। उनके उपचार के लिए दवाई की व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मार्केट में उपलब्ध करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि उपलब्ध है।

श्री देवीसिंह भाटी : है नहीं, जब हम कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो, इसे कैसे मान लें?

श्री नाथूराम अहारी : विभाग से मिलती है, यहां से थोड़े मिलती है।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ों के टोले हमारे विभिन्न क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, मध्यप्रदेश में भी है और पंजाब में भी अभी चले गए। अब माननीय सदस्य मुझे पर्टीकूलर जगह बता दें कि उस जगह पर भेड़ें हैं, उस टोले में बीमार हैं, हम वहां हमारी टोली भेजकर इलाज करवा देंगे। आप मुझे बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री सांवर लाल : कोटपूतली के पास है, मैं बता रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री गुलाबचन्द जी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रश्न-पत्रों का आउट होने का क्रम पिछली बार बहुत जोर-शोर से चला, सरकार द्वारा इस पर काफी पुख्ता व्यवस्था करने से उसमें बहुत अधिक कमी आयी, लेकिन फिर भी पता नहीं इस विभाग के काम में कहां दोष है उसके कारण से रसायन-शास्त्र का एक पेपर बोरावड़ में और गलत खुल गया। खुलने के बाद उसको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आखिर पेपर जिस समय खोलते हैं, मैं एक शिक्षक रहा हूं और मैं परीक्षा में जाता हूं, 15 मिनट्‌ पहले पेपर खोलते हैं, उसके बाद उसको पैक करके संबंधित परिवीक्षक को वितरण के लिए भेजते हैं। बच्चे के पास पहुंच जाने के बाद उसने रोल नम्बर डाल दिया और बाद में किसी को ध्यान में आया यह पेपर तो गलत बंट गया। यह बंट गया उसके कारण से आपने जो व्यवस्था की उसके लिए मुझे ज्यादा कहना नहीं है लेकिन आखिर हमने इतने बड़े डिपार्टमेंट में जिन लोगों की जिम्मेदारी लगा रखी है वे कम से कम लिफाफों के ऊपर ठीक प्रकार से पढ़ें कि प्रश्न-पत्र पहला है या दूसरा है। अगर वे इतना सा नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके कारण से जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यकलापों पर एक आदमी की गलती के कारण से, ग्रुप के लोगों की गलती के कारण से बच्चों में एक इस

(श्री गुलाब चन्द कंटारिया)

प्रकार का वातावरण हो जाता है, यह छोटी-मोटी गलती उसको कितनी पीड़ा देती है, यह तो कुछ भाग्यशाली हैं आप और राजस्थान के बच्चे कि उस सेंटर पर ज्यादा बच्चे नहीं थे इसके कारण से आपने समस्या का समाधान उस बच्चे को वहीं रोककर कर लिया, लेकिन यही बच्चे सेंटर पर ज्यादा होते तो इसका नुकसान 50 हजार बच्चों को भुगतना पड़ता।

इसके लिए मैं आपको दो सुझाव देता हूं। इसके लिए आप भविष्य में इस बात की व्यवस्था करें कि जब प्रश्न-पत्र खोला जाता है तो उसके ऊपर एक कवर की बजाय आप दो कवर डालें। दो कवर इसलिए कि पहले प्रश्न-पत्र पर जब तीन लोग दस्तखत करते हैं तब जाकर लिफाफे को काटा जाता है। उसको काटने के बाद भी कम से कम भले आदमी इसके ऊपर और निगाह डालते कि यह प्रश्न-पत्र पहला है या दूसरा है। विषय तो पढ़ लेते हैं और विषय पढ़ने के बाद इतनी जल्दी कतरनी बता देते हैं, उसके कारण से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर 15 मिनट भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर किसी की जानकारी में रहता है तो एक संदेह की स्थिति जरूर पैदा हो गई। यह भविष्य में संदेह की स्थिति पैदा न हो और हमारी परीक्षा की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न आए, अबकी बार हमने कोशिश की थाने में पेपरों को रखाया, बहुत अच्छी बात है, इसे सुरक्षा हुई, लेकिन फिर भी इस प्रकार की छोटी-मोटी गलती के कारण से जो होता है उसके लिए एक और सुझाव है। अगर कोई गलती से प्रश्न-पत्र खोल देता है तो दो लोगों की गलती हो सकती है, या तो लिफाफा पैकिंग करते समय जैसे उसने बाहर प्रश्न-पत्र का नाम लिखा, उसने पहला या दूसरा लिखा, या तो वह व्यक्ति गलती कर सकता है तो उसको दण्ड मिलना चाहिए जिसने इसकी पैकिंग करायी और उससे पैसा वसूल होना चाहिए। यदि उसने इसको सही लिखा, लेकिन खोलने वाले ने प्रश्न-पत्र एक है या प्रश्न-पत्र नम्बर दो है यह खोलने वाले तीन लोगों की गलती के कारण से हुआ तो आप निश्चित रूप से उसका हर्जाना उन तीन लोगों से वसूल करने की प्रक्रिया डालोगे तब जाकर इन लोगों को तकलीफ होगी कि केवल ऐसे ही नहीं निकल जाता है बिना जांच होकर। पिछली बार हमने खूब सस्पेण्ड कर दिये। सही बात यह है कि सस्पेण्ड करने के बाद होता क्या है, थोड़े दिन बाद वापस नौकरी पर लग जाते हैं। इतने बड़े प्रदेश में एक प्रकार से अव्यवस्था फैल जाती है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है और उनको केवल इतनी सजा दी, उनको सस्पेण्ड कर दिया, महीने-दो महीने सस्पेण्ड रह जाएंगे और उसके बाद फिर से नौकरी में आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से जितना हर्जाना होता है वह बोर्ड को वसूल नहीं करना पड़े और बोर्ड को बच्चों से वसूल नहीं करना पड़े, उस संबंधित अध्यापक से इसकी रिकवरी की जाए ताकि भविष्य में कोई गलत पेपर खोलने की हिम्मत नहीं कर सके। एक बार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

छोड़कर 10 बार उलटकर उसको देखेगा तब तो इस समस्या का कोई समाधान होगा बाकी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। पिछली बार भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि जितने प्रश्न-पत्र आउट हुए, जिसकी गलती से हुए उसकी प्रोपर्टी सीज करनी पड़े, पर उससे पैसा वसूल किया जाए। लेकिन आपने क्या किया? बोर्ड के माध्यम से 50 रुपया बच्चों के ऊपर और परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया। मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, राजस्थान में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी का परीक्षा शुल्क 200 रुपये है, हिन्दुस्तान के किसी बोर्ड में इतना परीक्षा शुल्क नहीं है। आपको फिगर के साथ बता सकता हूं 100 रुपये, 70 रुपये है, मेक्जिमम है तो 120 रुपये है। हमने बच्चों को लूटने का काम कर दिया। हमारा घाटा होता है हम पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं और हम बरी हो जाते हैं, यह स्वभाव ठीक नहीं है। अभिभावक आपके, हमारे, सबके हैं, राजस्थान के लोग हैं उनकी जेब भी नहीं कटनी चाहिए और उनकी जेब के पहले उस आदमी की जेब काट डालो जिसकी गलती के कारण से पेपर आउट होता है, अगर पेपर में किसी प्रकार की अव्यवस्था होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दो लिफाफों में डालें, एक पहले पढ़ने के बाद, फिर दूसरा खोलें और अगर पैकिंग करने वाले की गलती है तो उससे सारा पैसा वसूल किया जाए और अगर उसमें अध्यापक की गलती है तो उस अध्यापक से जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी का आप बोझ डालें। फिर देखिए भविष्य में एक बार नहीं वह छह बार लिफाफे को चैक करेगा तब उसमें से पेपर निकालकर बांटने की कोशिश करेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जिला बारां के गांव बैगनी निवासी एक महिला के हत्यारों को गिरफ्तार करने के संबंध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(3) श्री मोहनलाल राठौर, सदस्य की ओर से जिला झालावाड़ की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेयजल की समस्या के संबंध में।

(5) श्री भरोसीलाल जाटव, सदस्य की ओर से हिण्डोन तहसील की बयाना रोड से खरेटा रोड एवं करौली रोड से मोठियापुरा सड़क की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री भवरू खां, सदस्य की ओर से फतेहपुर शहर के बरसाती एवं गंदे पानी के निकासी की योजना बनाने के संबंध में।

(7) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य की ओर से कोटा मेडिकल महाविद्यालय में

(श्री उपाध्यक्ष)

शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से पीलिया रोग फैलने के संबंध में।

(8) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील मुख्यालय मुण्डावर को अलवर शहर से सड़क द्वारा सीधा जोड़े जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती कमला बृजलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में।

(10) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की चार पंचायतों को तहसील बागोड़ा से हटाकर तहसील भीनमाल में शामिल करने के संबंध में।

(11) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा (झुंझुनूं) की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन दिलावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बारां जिले के गांव बैगनी निवासी महिला के हत्यारों की गिरफ्तारी

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती रमाकान्ती पुत्री जोधराज शर्मा निवासी बैगनी, बारां का विवाह गिरिराज पुत्र मोहन लाल शर्मा निवासी सांरोला कलां (झालावाड़) के साथ हुआ था। गिरिराज शर्मा शराबी, सट्टेबाज निकला। वह आये दिन रमाकान्ती को पीटता रहता था तथा पीहर से धन लाने हेतु तंग करता रहता था तथा ससुराल के लोग सास-ससुर सहित उसे तंग करते रहते थे। इससे तंग आकर वह पीहर ग्राम बैगनी जिला बारां आ गई थी जो चार-पांच वर्षों से पिता के पास रह रही थी। 28.11.99 को श्री जोधराज शर्मा के यहां कार्यक्रम था उसमें जाति-बिरादरी के लोगों के द्वारा समझाने तथा रमाकांती के पति गिरिराज शर्मा द्वारा अपने कुकृत्यों की माफी मांगने व शराब-सट्टा छोड़ने की लिखकर देने पर रमाकान्ती को उसके पिता ने गिरिराज के साथ 12.12.99 को भेज दिया था। वह पुनः 20.1.2000 को बैगनी आ गई थी तथा 26.2.2000 को गिरिराज की बुआ रमाकान्ती को लेने आई थी तब रमाकान्ती ने ससुराल जाने से मना किया था कि मेरे सास, ससुर, पति व परिवार वालों का व्यवहार ठीक नहीं है, मेरी जान को खतरा है। परन्तु रमाकान्ती के पिता ने समझा-बुझाकर पुनः 26.2.2000 को ससुराल भेज

(श्री मदन दिलावर)

दिया था। ससुराल में 29.2.2000 को उसके पति व परिवार वालों ने रमाकान्ती की हत्या कर दी तथा मां-बाप को सूचना भी नहीं दी। वे किसी मोहल्ले वाले की सूचना पर वहां पहुंचे, परन्तु उसके पहले जलाया जा चुका था।

श्री जोधराज मृतका के पिता सांरोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तीसरे दिन पुलिस अधीक्षक के यहां अनुनय-विनय करने पर रिपोर्ट दर्ज की, परन्तु आज तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही है। अतः मेरा निवेदन है कि रमाकान्ती के हत्यारों को शीघ्र पकड़कर, गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जिले में पेयजल की समस्या के बारे में आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

महोदय, डूंगरपुर जिले में 2-3 वर्षों से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। नदी नालों, तालाबों में कहीं भी पानी की बूंद नहीं है। लोगों को पानी के लिए कई-कई मीलों तक जाना पड़ता है फिर भी पानी उपलब्ध नहीं है। हैण्ड पम्प प्रायः समाप्त हो चुके हैं। हैण्ड पम्पों के पाइप सड़कर पुराने हो चुके हैं, जिले में पाइप के अभाव में वह बदले नहीं जा रहे हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र पाइप भेजे जाएं और नये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति की स्वीकृति दिलायी जाए और तुरन्त उक्त समस्या को हल किया जाए।

श्रीमान् ; डूंगरपुर जिले में बिखरी आबादी है। बिखरी आबादी के कारण सरकार का मापदण्ड भी गलत साबित हो रहा है। कहीं दो मकान हैं तो कहीं तीन मकान हैं। ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प खुदवाये जाएं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल राठौर।

झालावाड़ की सड़कों की मरम्मत

श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम के तहत मेरे जिले झालावाड़ की सड़कों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले की सड़कों की हालत बहुत खराब है। रीछवा से बकानी तक की सड़क, रीछवा से रटलाई तक, झालरापाटन से सुनेल सड़क वाया झूमकी माडां, श्यामपुरा झालरापाटन से भवानी मण्डी पिपलिया से झालावाड़ रोड आदि पूरे जिले की सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि कई जगह तो सड़क है या नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता है। अतः आपके माध्यम से

(श्री मोहन लाल राठौर)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला झालावाड़ की सड़कों को तुरन्त ठीक कराने की कार्यवाही करावें तथा आदेश प्रसारित करें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

जहाजपुर में पेयजल की समस्या

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या की गम्भीर स्थिति और किल्लत के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य के जलप्रदाय मंत्री महोदय का जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भयंकर स्थिति और लगातार बढ़ती किल्लत के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र के रोपां, भरणीकलां, सरासिया चारणान, जामोली, पंडेर, कुराडिया, टीटोदा माफी, आगुदार, जालमपुरा टीठोडी, गांगीथल, आमरवासी, रामनगर, कंजर कालोनी, माताजी का खेड़ा आदि ग्रामों के पेयजल स्रोतों में पानी की कमी से इन ग्रामों की स्थिति उत्तरोत्तर पेयजल की अनुपलब्धता से चिन्ताजनक है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में एक तिहाई हैण्डपम्प नाकारा होने तथा इतने की हैण्ड पम्पों का जल स्तर नीचा जाने से पाइप के अभाव में पेयजल उपलब्ध कराने में नाकारा जैसी स्थिति हो रही है। विभाग के कंटिंजेंसी प्लान की क्रियान्विति हेतु धन के अभाव तथा पाइपों के अभाव में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने से क्षेत्र की जनता में गहरा रोष व्याप्त है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने पर भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्तरोत्तर गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के बाहर तथा नयी ढाणी, मजरों में हैण्डपम्प नहीं लगने से जनजीवन एवं बालक बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में ग्रीष्म के बढ़ते प्रकोप के साथ स्थिति तेजी से गम्भीर हो रही है और विभागीय प्रयास नाकाफी होने से कहीं भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है और कानून व्यवस्था की भी स्थिति उग्र हो सकती है।

अतः मैं उक्त ग्रामों तथा अन्य सभी ग्रामों में नये हैण्डपम्प लगाने, पाइप बदलने तथा पाइप पानी गहरा जाने से जोड़ने की व्यवस्था युद्धस्तर पर तुरन्त की जाए। पेयजल जैसी जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से विभागीय उदासीनता से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए, मंत्री महोदय, तुरन्त ही इस क्षेत्र में 250 नये हैण्डपम्प लगाने, 10-12 ग्रामों में नलकूप खोदने और वर्तमान पेयजल स्रोतों को गहरा कराने के लिए तत्काल स्वीकृति करने के साथ ही वर्तमान हैण्डपम्पों में पर्याप्त पाइप बदलने और जोड़ने की व्यवस्था कर समूचे प्रभावित जनजीवन को पेयजल सुलभ कराकर इस क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसी लाल।

बयाना रोड से खरेटा रोड एवं करौली रोड से मोठीयापुरा की सड़कों की मरम्मत

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत करौली जिले की हिण्डौन तहसील की बयाना रोड से खरेटा रोड एवं करौली रोड से मोठीयापुरा की सड़कों की समस्या के बारे में ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

महोदय, हिण्डौन तहसील की बयाना रोड से खरेटा रोड होती हुई मोठीयापुरा एवं करौली रोड से फैली का पुरा से मोठीयापुरा सड़क खानों के लिए, जा रही है। उसमें जगह-जगह दो-दो फीट के खड्डे पड़े हुए हैं जिसमें आये दिन ट्रक एवं ट्रेक्टरों में काफी टूट-फूट होती है। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इस सड़क पर ट्रक, ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ी आदि चलते हैं जो खानों से पत्थर हिण्डौन लाते हैं। इन सड़कों से खनिज विभाग एवं सैल्सटैक्स से सरकार को रायल्टी के रूप में हर वर्ष करोड़ों रुपये प्राप्त होते हैं लेकिन सरकार ने इन सड़कों की मरम्मत पर अभी तक पांच छः वर्ष से कोई ध्यान नहीं दिया है जिससे जनमानस में काफी रोष व्याप्त है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि खनिज विभाग से रायल्टी और सैल्सटैक्स की आय को ही इन सड़कों की मरम्मत में लगा दिया जाए तो आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

फतेहपुर शहर में बरसाती एवं गंदे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में बरसात एवं गन्दे पानी की निकासी के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मैंने पिछले वर्ष भी आसन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि फतेहपुर शहर के मुख्य बस स्टैण्ड पर 4 से 5 फीट पानी बरसात के मौसम में भर जाता है और जनता को काफी परेशानी होती है। कई बार आन्दोलन एवं चक्काजाम भी किया जा चुका है। महोदय, पानी निकासी के लिए नाला नगरपालिका द्वारा बनाया गया था परन्तु वह कृषि उपज मण्डी द्वारा स्थगन आदेश के कारण बीच में रुका हुआ है। बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है फिर भी समाधान नहीं होना चिन्ता का विषय है। अतः मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि बरसात के मौसम से पहले इस नाला निर्माण को पूरा किया जाए। इस समस्या से आमजन परेशान है और जनता में इसके प्रति चिन्ता भी है। इसे शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल।

कोटा मेडिकल कालेज में अशुद्ध पेयजल से पीलिया रोग फैलना

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कोटा शहर, कोटा मेडिकल कालेज में फैल रहे पीलिया रोग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, कोटा मेडिकल कालेज के छात्रावासों में रह रहे छात्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां के छात्रों में भयंकर रूप से पीलिया रोग फैला हुआ है। छात्रावास के 6 छात्रों को तथा 50 छात्रों की जांच में 21 छात्रों में पीलिया के रोगाणु पाये गये हैं जबकि छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। छात्रावास की छत पर लगी टंकियों से पानी की आपूर्ति की जाती है जिनमें से दो टंकियों के ढक्कन गायब हैं। इनमें फंगस जमा हो गया है और काई जम रही है और इसी पानी को छात्रावास के छात्रों के लिए भोजन बनाने के भी काम में लिया जाता है, इसी कारण छात्रों में पीलिया की बीमारी फैल रही है।

मेडिकल कालेज में नलकूप से पानी की व्यवस्था की जाती है और उस हेतु 50 लाख रुपये जलदाय विभाग को दे रखे हैं परन्तु उसकी उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। यही नहीं, इस पाइप लाइन के पास दो सीवरेज के चैम्बर भी टूटे पड़े हैं जिसके कारण सीवरेज का पानी पीने के पानी से मिल रहा है और उसके कारण ही यह पीलिया फैल रहा है। कालेज प्रशासन इस बारे में घोर लापरवाही बरत रहा है। उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस समस्या की ओर चिकित्सा मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि यदि वहां पर शुद्ध पेयजल और उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं की गयी तो जनता का इलाज करने वाले डाक्टर विद्यार्थी भी काल के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए इस पर उचित कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पीलिया का प्रकोप धीरे-धीरे पूरे कोटा सम्भाग को अपनी जकड़ में लिये हुए है और जयपुर के अन्दर भी फैल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है, लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ सवाल है और माननीय सदस्या ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : तो आप हाउस में लाओ न किसी तरह से। हाउस में लाओ न किसी तरह से आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब हाउस के अन्दर तो क्या कहें, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंचेज तो ज्यादा खाली पड़ी रहती हैं। जीरो आवर में कोई रहता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके 5 बैठे हैं। आपके कौनसे 30 बैठे हैं।

श्री सांवर लाल : कुछ दिन पहले चर्चा की थी इस सवाल पर।

श्री रामस्वरूप : आपकी खाली नहीं पड़ी है तो देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित) श्रीमती कमला बृजलाल।

सपोटरा की सड़कों की दुर्दशा

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरा क्षेत्र सपोटरा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सड़कें तो यहां पर वैसे ही गिनी चुनी हैं और जो भी हैं वो भी बुरी तरह से टूटी-फूटी हैं। करौली से मण्डरायल रोड, जहां से कि मध्य प्रदेश के लोग काफी संख्या में आते हैं, अभी केलादेवी का मेला भी लगा हुआ है, मण्डरायल रोड जो कि घाटी को काटकर बनवायी गयी है परन्तु सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसी प्रकार करणपुर रोड है वो भी घाटी को काटकर बनाया है। पहले भी यहां की क्षतिग्रस्त सड़क के कारण दुर्घटना हो चुकी है और अभी भी कभी और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से गुडगांव से सपोटरा रोड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। बालौती रोड डिकोली से ताजपुर तक टूटी हुई है। बालौती से खिरखिडा रोड टूटी हुई है। मण्डरायल सड़क से निकल कर जाने वाली भांखरी की सड़क इतनी ज्यादा टूटी हूई है कि उसे सड़क का नाम देने में भी सोचना पड़ता है। मण्डरायल जो कि तहसील है, परन्तु मण्डरायल में भी रोड नहीं है। उस टूटी-फूटी सड़क को ठीक कराया जाए और सपोटरा की सड़कों की दुर्दशा की तरफ मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें जिससे कि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

रानीवाड़ा की चार पंचायतों को तहसील वागोड़ा से हटाकर पुनः तहसील भीनमाल में शामिल करना

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा जिला जालौर की चार पंचायत पुनासा, फागुतरा दांतीवास व धोबाऊ को तहसील वागोड़ा से हटाकर तहसील भीनमाल में शामिल करने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि ग्राम पंचायत पुनासा, फागुतरा, दांतीवास तथा धौबाऊ, यह चारों पंचायतें पहले तहसील भीनमाल जिला जालौर में थीं, परन्तु कुछ समय पहले इन चारों पंचायत एवं चारों पंचायतों के गांव तहसील वागोड़ा में शामिल किये गये हैं इससे चार पंचायतों के लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है। राज्य सरकार को इस बाबत पहले लोगों ने मांग (रिपोर्ट) वगैरह भेज दी थी और राज्य सरकार ने परगना अधिकारी व तहसीलदार तथा जिलाधीश, जालौर से राय मांगी थी। जिले के तमाम अधिकारी व जन-प्रतिनिधियों ने यह राय दी है कि ये चारों पंचायतों को पुनः आदेश प्रदान कर तहसील वागोड़ा से हटाकर तहसील भीनमाल में शामिल किया जाए नहीं तो वहां की जनता आन्दोलित हो जाएगी। यह आदेश करना जनहित में है

(श्री रतनाराम चौधरी)

क्योंकि भीनमाल नजदीक है और विद्युत एवं पी. डब्ल्यू. डी. का एवं कृषि मण्डी तथा व्यापारी मण्डी लगती है। वागोड़ा बहुत दूर भी है और बीच में दो नदियां भी आती हैं। अतः कृपया जनहित को मद्देनजर रखते हुए अतिशीघ्र आदेश प्रदान कर उपरोक्त चारों पंचायतों को भीनमाल तहसील में जोड़ने का आदेश प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

मण्डावा की सड़कों की मरम्मत

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295 का प्रस्ताव पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(पढ़ा हुआ माना गया प्रस्ताव)

(महोदय, निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा जिला झुंझुनूं पर्यटन केन्द्र है तथा इस स्थान पर देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस स्थान पर अधिकांश विदेशी पर्यटक ही आते हैं। यहां से ये जिले के विभिन्न स्थानों पर दर्शनीय स्थल देखने जाते हैं जिनमें मुकुन्दगढ़, डूंडलोद, नवलगढ़, फतेहपुर, झुंझुनूं, बिसाउ, महणसर तथा रामगढ़ भी पर्यटक स्थल होने के कारण यहां पर भी विदेशी पर्यटक जाते हैं। इन स्थानों पर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से जाने पर टूटी हुई सड़कों के कारण पर्यटकों को बहुत निराशा एवं दुःख होता है तथा उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। वापस अपने देशों में जाकर पर्यटक यहां की सड़कों का वर्णन करते हैं तो देश-विदेश में हमारी बहुत बदनामी होने से आने वाले पर्यटकों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उनकी संख्या घटती है। विदेशी होने के कारण उनका विनिमय डालर-पौण्ड से रुपयों में होता है। इससे हमारा नुकसान है।

मेरा निवेदन है कि झुंझुनूं-मण्डावा, मुकुन्दगढ़ से मण्डावा, मण्डावा से बिसाऊ, बिसाऊ से रामगढ़ (शेखावाटी) वाया महणसर तथा मण्डावा से फतेहपुर की सड़कों की मरम्मत करवाई जाए। पी.डब्ल्यू.डी. को चाहिए कि पर्यटन विभाग से भी धनराशि लेकर उचित रख-रखाव की व्यवस्था सड़कों की करें।

मैं लोक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने हेतु यह विशेष उल्लेख सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि उनका विभाग ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करे। दुःख की बात है कि पिछले वर्ष में तथा कई वर्षों से इन सड़कों की कोई मरम्मत नहीं की जा रही है जबकि पर्यटन की नजर से इन्हें अब तक प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर को अलवर शहर से सीधा सड़क मार्ग से जोड़ना

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कस्बा मुण्डावर तहसील मुख्यालय है। आजादी के 50 वर्ष के पश्चात् भी तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

वाली सीधी सड़क नहीं है। आज भी जिला मुख्यालय अलवर को जाने वास्ते वाया खैरथल होकर जाना पड़ता है जिसकी लम्बाई 62 किलोमीटर पड़ती है और सीधी सड़क जो वाया रेणागर पेहल होकर जाती है उसकी लम्बाई 42 किलोमीटर पड़ती है। मुण्डावर क्षेत्र की जनता के साथ आजादी के बाद आज भी अन्याय हो रहा है। इस सड़क के अलावा भी सोडावास से अजरका सड़क है जिसकी बनने के बाद आज तक मरम्मत नहीं हुई। उस सड़क की हालात कच्ची सड़क से भी खराब है। कई पंचायत मुख्यालयों को भी सड़क से नहीं जोड़ा गया है। अतः मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि तहसील मुख्यालय मुण्डावर को जिला मुख्यालय अलवर से सीधा सड़क मार्ग से जोड़ा जाए व सोडावास से अजरका की सड़क की शीघ्र मरम्मत कराई जाए और जिन पंचायत मुख्यालयों को सड़क से नहीं जोड़ा है उन्हें भी शीघ्र सड़क से जोड़ा जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

भिनाय विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, भिनाय विधान सभा की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है जिससे सड़कों की मरम्मत अविलम्ब होना आवश्यक है। विभाग लापरवाही बरत रहा है। कृपया सड़कों की मरम्मत की समुचित व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग करें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू जिले के गांवों में पेयजल की समस्या

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे आपको मालूम है कि ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जा रही है, राजस्थान के कई हिस्सों में पेयजल संकट पैदा हो रहा है। विशेष तौर से मंत्री महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में, मैं बड़ी गम्भीरता से गांवों के नाम का उल्लेख कर रहा हूं, पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने पलायन कर लिया है। गांवों में औरतें कहीं-कहीं कुछ बची हैं तो बची हैं बाकी पशुधन और व्यक्ति, मनुष्य जो भी था वह गांव छोड़कर दूसरी तरफ पलायन कर चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हालत वहां ऐसी है कि 700-800 रुपये में टैंकर आता है और अगर एक घड़े पानी की कीमत करें तो पांच रुपये, सात रुपये में पानी का एक घड़ा चूरू जिले में, चूरू विधान सभा क्षेत्र में बिक रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और, मंत्री महोदय, मैंने कई बार पत्र भी लिखे हैं, मैंने सभी स्तर पर प्रयास करने के पश्चात् जो भयावह स्थिति है उसके बारे में वहां के अधिकारियों को भी बताया है परन्तु वहां स्थिति क्या है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वहां न तो एस. ई. रुकते हैं, एक्स. ईएन. रुकते नहीं है और ए. ईएन. के पद रिक्त हैं। इसलिए मैं जिन गांवों का उल्लेख कर रहा हूं, कृपया उन गांवों के अन्दर आप किसी न किसी तरह पेयजल उपलब्ध करायें। आप यह कह देते हैं कि जहां रीजनल स्कीम्स फेल हो गयी हैं या जहां नीचे का पानी अस्वास्थ्यकारक और हानिकारक हो गया है वहां टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं। आप चूरू जिले का मालूम कर लें, आज पूरे चूरू जिले के अन्दर मात्र 9 टैंकर हैं और 9 टैंकरों में से तीन टैंकर खराब पड़े हैं और जिन गांवों को पानी टैंकरों से सप्लाई किया जाना चाहिए उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गम्भीरता को आप देखें। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपका क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है।वह दिन दूर नहीं अगर सरकार की संवेदनशीलता इसी प्रकार की रही तो राजस्थान के गांव, जिस तरह से मैं गम्भीरता से निवेदन कर रहा हूं कि चूरू तहसील के अन्दर गांव खाली होने प्रारम्भ हो गये हैं, पानी की किल्लत की वजह से चूरू तहसील के अन्दर पानी आज 5 रुपये, 7 रुपये में एक मटका बिक रहा है, अगर राजस्थान के अन्दर यही हालत रही तो, उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से हम इस जन-जीवन को बचायेंगे। पशुधन को तो बचा नहीं पायेंगे, किसी हालत में पशुधन तो बचा ही नहीं है। आज पशुधन तो लगभग पलायन कर चुके हैं परन्तु अगर जन-जीवन को बचाना है तो, मंत्री महोदय, आपको संवेदनशीलता का परिचय देना पड़ेगा। मात्र यह कह कर कि हमने इतने करोड़ की योजना बना दी, हम यह करेंगे, वह करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम जो प्राब्लेमेटिक जिले हैं उनमें खुद को जाना चाहिए, वहां के जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकर आपको उन गांवों में से 2-4 गांवों का दौरा भी करना चाहिए ताकि वस्तुस्थिति भी आपके सामने आ जाए। आज गांवों की हालत क्या है? आज गांवों के अन्दर लोग पूरे पूरे दिन कतार बांधकर के जो टैंकर पानी बेचने आता है उस टैंकर का इंतजार करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू तहसील के गांव, आप नाम लिख लें, आप कहो तो मैं लिखा हुआ दे दूंगा, इन सारे गांवों के अन्दर हालत बहुत विकट हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका भाषण किस बात पर हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीरता को सरकार को देखना पड़ेगा। आज अकाल राहत के काम तो आपने खोले नहीं और आप पानी का प्रबंध भी अगर नहीं कर सकते तो किस तरह से संवेदनशील सरकार होने का यह परिचय देते हैं। सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है और धनराशि नहीं भी है तो भी लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। मंत्री महोदय, आप इस दायित्व को पूरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करें। आज चूरू के अन्दर गांवों के लोग पानी के लिए पलायन कर रहे हैं, उनका कम से कम बंदोबस्त करो, वहां पानी पहुंचे इसकी आप व्यवस्था करो और जो अधिकारी वहां रहते नहीं, उनकी व्यवस्था करो कि कोई अधिकारी मिले तो सही। कहें तो किसको कहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कह रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : आठ साल से आप राज कर रहे थे... (व्यवधान) यह हालात तो आप छोड़ गये हैं। आप लोगों के अपराध को माफ नहीं किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे राज में इस तरह के हालात नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : अब आप लोगों को प्यासे मारोगे आपके राज में?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी, आप तो पूरी बहस होगी स्पेशल, पूरा ही जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हालात बहुत विकट है, लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं। मंत्री महोदय, संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। आप कहिये। नहीं, कहो ना आप। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता को देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, यह कहना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भीलवाड़ा में भी यही हालात हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मुझे मालूम है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य के इलाके में पेयजल की गम्भीर स्थिति है और माननीय मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बिराजिये आप, बिराजिये। मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बहुत गम्भीर है। आर्डर आर्डर। आएगा, जवाब आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर हम कहां जाकर कहें अपनी बात। कोई मंच तो बता दो, वह स्थान बता दो जहां जाकर के हम अपनी बात कहें। मंत्री महोदय, कुछ तो बोलो। श्री मुख से कुछ तो बोलो। आप यह कलंक क्यों ढो रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोग मरेंगे पानी के कारण, जवाब देना पड़ेगा कि रामसिंह विश्नोई कोई मंत्री हुआ करते थे उनके कार्यकाल में लोगों ने तड़प-तड़पकर पानी के लिए अपनी जान दे दी। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते। उन्हें सुविधा क्यों नहीं दी जाती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष जी ने मंत्री महोदय का मुख बंद कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धरने पर बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? (व्यवधान) काहे को बैठो? कोई जरूरी नहीं है बोलना उनका। बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आज पानी की समस्या चूरू जिले के अन्दर ही नहीं है, पूरे प्रदेश के अन्दर पानी का संकट है और चूरू के अन्दर कुछ ज्यादा है इसलिए राजस्थान कैनाल से पानी लाने की योजना बनाई हुई है और काफी गांवों में पानी पहुंच रहा है। आप जैसा बता रहे हैं, वहां वाकई में पानी अण्डरग्राउण्ड है, खारा है या है ही नहीं तो यह आपका काम है, कंटीजेंसी प्लान में कलक्टर की अध्यक्षता में हमारे पी.एच.ई.डी. के अधिकारी भी होते हैं, आप ऐसे गांवों की सूची भी दे सकते हैं। कुछ टैंकर चल रहे हैं। मान लो, 5-7 टैंकर आपके वहां काम कर रहे हैं, उसमें से 2-3 खराब हैं तो आप चाहते हैं तो आप कलक्टर से मिल करके, 15-20-50 गांव जो आप समझते हैं कि यहां पानी उपलब्ध नहीं है या खारा है तो वहां टैंकर के द्वारा पानी जहां उपलब्ध है वहां से लाकर के सप्लाई किया जा सकता है। यह एक एम.एल.ए. का काम होता है कि वह अपने इलाके में काम करता है। हम हरेक जगह जाकर के देख नहीं सकते इस काम को। हमें पूरा मालूम है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, मंत्री महोदय, मैंने आपको खुद को पत्र लिख दिये हैं। मैंने कलक्टर से 20 बार बात कर ली। मैंने एस.ई., एक्स.ई.एन. को पत्र लिखे हैं। अब मैं किसको जाकर कहूं कि यह एम.एल.ए. का काम होता है, एम.एल.ए. क्या करे, किसको कहे? हर जिला स्तर की मीटिंग में जाकर यह मैंने बात उठाई है। मैं प्रोसीडिंग्स लाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले आपने हमें 20 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं और वह सिर्फ पानी की व्यवस्था के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हैण्डपम्प खोदने के लिए, ट्यूब वैल खोदने के लिए, पाइप लाइन को बढ़ाने के लिए, लीकेज निकालने के लिए, और व्यवस्था के लिए किए हैं। आप सम्पर्क कीजिये, पाइप भी अब उपलब्ध हो गये हैं, सारी व्यवस्था है और आप जितना,...यहां बोलने के लिए बोलो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामले को, जनता के जीवन से जुड़े सवाल को इस हलकेपन से ले रहे हैं। बोलने के लिए क्या, यह क्या मतलब हुआ कि बोलने के लिए बोलो। बोलने का क्या मतलब है?

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह कहते कि मैं समीक्षा करुंगा, आप यह कहते कि मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा और आपको भी सामने बैठाऊंगा। वहां पर कोई अधिकारी मिलता ही नहीं, हम कहां बात करें। मैंने जितने पत्र लिखे हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप थोड़ा शांति और धैर्य से बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, फिर आप यह कह रहे हो कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप मेरा मतलब ही नहीं समझे। मैं आपको कोई उग्र थोड़े ही कर रहा हूं। मैं आपको ठीक बता रहा हूं कि आप यह काम खुद कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा इसमें सहयोग की जरूरत नहीं है और उसके अलावा भी अगर कोई व्यवस्था में कमी रहती है और आप महसूस करते हैं कि वाकई में मेरे कहने के बावजूद भी हम जो व्यवस्था चाहते हैं, वह हुई नहीं है तो मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आप खव्वाहमख्वाह इस तरह की बात नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको सूची दे देता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं तमाम कार्यवाही मेरे एम.एल.ए. के साथ में, हमेशा एम.एल.ए. के कहने से करता हूं और हमारे दिमाग में यह रत्ती भर भी नहीं है, जो भी काम होता है, आप जहां भी महसूस करेंगे कि हमारी कमी है, हमारी कमी भी हो सकती है, हमारे अधिकारियों की लापरवाही भी हो सकती है, हमारे कहीं पर आदमी है नहीं और चूरू जिले के अन्दर तो कम से कम 40 प्रतिशत ही अधिकारी लगे हुए हैं, वे लोग जाते नहीं हैं, आप उन लोगों का नाम बताइये जो आपके वहां आना चाहते हैं, मैं कल ही उनके आदेश कर सकता हूं। जब आपके जेईएन. नहीं होगा, जब आपके एईएन. नहीं होगा, जब आपके एक्सईएन. नहीं होगा, अधिकारी वहां पर नहीं होंगे तो काम वहां कैसे होगा? लेकिन वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। हम ट्रांसफर करते हैं, आदेश करते हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जिम्मेदारी भी हमारी है क्या?

श्री रामसिंह विश्नोई : उसकी पालना कराने की चेष्टा कराते हैं। आप भी इसमें सहयोग कीजिये, हम भी करेंगे। आपको भी मालूम है कि पानी तो वहां है नहीं, पानी नीचे चला गया, वहां जलाशय में पानी आया नहीं, पानी है तो खारा है। पानी की बहुत किल्लत है और मैं खुद महसूस करता हूं और जब तक पैसा मंजूर नहीं हुआ, मैंने पिछली बार एक-एक गांव का टूर किया लेकिन अब जब पैसा ही नहीं है, पानी नहीं है, पाइप ही नहीं है तो फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैं किस

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मुंह से वहां जाऊं? अब व्यवस्था हुई है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि 4-5 दिन के अन्दर, जब आप वापस जाएंगे छुट्टियों के अन्दर तो आपको महसूस होगा कि कुछ हलचल वहां पर पैदा हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर (व्यवधान) आर्डर आर्डर।

भीनमाल में दीपक होम एप्लायंसेज के मालिक द्वारा ठगी

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल में आधी कीमत पर घरेलू सामान बेचने की एक दुकान खोलकर, रोडवेज बस स्टैण्ड के पास अग्रवाल कालोनी में एक तिब्बती व्यक्ति चार दुकानें किराये पर लेकर श्री राम हाउसहोल्ड आर्टिकल्स के नाम से दुकान खोलकर अपना काम करता है और वह आधी कीमत पर सामान बेचने का नाम लेकर एडवांस लेता है और 15 दिन बाद सामान देता है, यह लगातार एक माह से इस प्रकार का काम करता रहा और वहां जिला प्रशासन के लोगों को यानी वहां के उप जिलाधीश को भी लोगों ने शिकायत की इस बात की कि यह इस प्रकार का कपटपूर्ण काम कर रहा है, कभी भी अधिक लोगों से पैसा आने के बाद यह सारा पैसा लेकर भाग सकता है, गायब हो सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको बुलाया, बात करके और उसको यह कहकर छोड़ दिया कि अब तुम एडवांस पैसा मत लेना, दो दिन पहले जब बहुत सारी राशि इकट्ठी हो गई तो लेकर भाग गया। आज तक उसका पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बारां में भी इस प्रकार की घटना हुई। बारां में जो घटना हुई 1.9.99 को, वहां तेल फैक्ट्री क्षेत्र में एक ऐसा ही व्यक्ति दीपक होम एप्लायंसेज के नाम से अपनी एक कम्पनी खोलकर वहां किराये का मकान लेकर लगातार इस प्रकार का एडवर्टाइज करके अपना काम करता रहा। मेरी जानकारी में आया है कि टैक्स विभाग ने भी उसको परमिशन दी। आर.एस.टी. और सी.एस.टी. नम्बर भी उसके देखे। वह नकली थे या असली थे लेकिन देखकर उसको परमिशन दी गई। जिला कलक्टर ने भी उसको बुलाया और जिला कलक्टर ने भी उसकी बात सुनने के बाद उसको मौखिक रूप से परमिशन दी कि तुम अपना काम करो। लगातार इस प्रकार का काम होता रहा और जब बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो गई तो यह दीपक होम एप्लायंसेज का मालिक लाखों रुपये लेकर वहां से भाग गया। जब बारां जिला कलक्टर आर.एस. गठाला के ध्यान में यह बात आई थी कि आधी कीमत पर सामान बेच रहा है तो उसको रोका क्यों नहीं और उसको वहीं पकड़कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? क्या कोई व्यक्ति एक रुपये में सामान खरीदकर 50 पैसे में बेच सकता है? लेकिन बेचा गया, कुछ दिन दिया गया और जब बहुत बड़ी राशि लोगों ने दी, लोग अट्रेक्टिव हुए कि आधी कीमत पर सामान मिल रहा है तो लाखों रुपये, लगभग 50 लाख रुपये से ज्यादा

(श्री मदन दिलावर)

वह व्यक्ति लेकर भाग गया। जिला प्रशासन, वहां का जिला कलक्टर है, उसके ध्यान में यह आने के बाद भी गुपचुप क्या बात हुई, इस बात की जांच कराना बहुत आवश्यक हो गया है। क्या कहीं जिला कलक्टर श्री आर.एस.गठाला की मिलीभगत तो नहीं है? 50 लाख रुपये से भी ज्यादा रुपये लेकर वह व्यक्ति भाग जाए और जिला कलक्टर की नालेज में इस प्रकार की बात हो और उस पर कार्यवाही नहीं हो, यह बहुत गम्भीर विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आई है, तब से ठगी के मामले बढ़ गये, जैसे कई ठगों को खुला छोड़ दिया। कोई भी आता है, ठगी करके चला जाता है। सरकार के ध्यान में होता है, जिला प्रशासन के ध्यान में होता है लेकिन कोई कार्यवाही

(13.00 बजे)

नहीं की जाती है। क्या कारण है कि इस सरकार के आने के बाद ठगों की संख्या बढ़ गई? क्या ठगों को मौखिक रूप से ठगी करने के लाइसेंस जारी कर दिये हैं? यदि यह लाइसेंस जारी नहीं किये तो अभी तक यह ठग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? इसमें किस-किस की मिलीभगत है? इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

पीपल्दा में विद्युत की अनियमित सप्लाई

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा का कस्बा इटावा और सम्पूर्ण क्षेत्र में 132 के.वी. लाखेरी से विद्युत की सप्लाई होती है, बीच में चम्बल नदी पड़ने के कारण से बार-बार ट्रिप आने से फाल्ट होने के पूरे चांस रहते हैं। 132 के.वी. लाखेरी से 33 के.वी. नैनवां, लाखेरी और इटावा से जो सप्लाई की जाती है, शाम को पावर लोड के समय हमारे क्षेत्र इटावा के 33 के.वी. की सप्लाई बंद कर दी जाती है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं और आने वाले समय में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले पन्द्रह-बीस दिनों से इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि शाम को सात बजे से लाइट जाती है और नौ बजे तक नहीं आती है। शाम को आठ बजे से लाइट जाती है और दस बजे तक लाइट नहीं आती। दो-दो, तीन-तीन घंटे हमको विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती। (व्यवधान) आप + + + आपने अपनी बात कह दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामगोपाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं, छात्रों में रोष है और जनता में भी रोष है। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत की सप्लाई को सही करके शाम के समय सात बजे से ग्यारह बजे तक के लिए लाइट की सही सप्लाई की जावे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली शहर में दो विवाहित युवतियों को ससुराल वालों द्वारा जलाकर मारने की घटना

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं कि पाली शहर की दो युवतियां जिनका विवाह हुए दो-तीन साल हुए थे, दोनों को ही उनके ससुराल वालों ने जला कर मार डाला। एक मामला जयपुर सांगानेर पुलिस थाना में है। पाली की श्रीमती संतोष पत्नी लूम्बाराम, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, का पीहर पाली में है। इसकी दिनांक 3 फरवरी को जयपुर में जलने से मृत्यु हो गई। उसके साथ उसकी चार माह की पुत्री भी जल कर मर गई। इसकी कार्यवाही सांगानेर थाना, जयपुर द्वारा की जा रही है। मान्यवर, संतोष की मृत्यु संदिग्ध है। वह सायं छह बजे जली। पति द्वारा जलने के बाद भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। बाद में पुलिस आई और पुलिस ही उसे अस्पताल ले गई। मान्यवर, इस संतोष का पति जो लूम्बाराम है वह आदतन शराबी था और पैसे को लेकर लगातार उसे परेशान किया करता था। कई बार उसने मारपीट भी की। संतोष ने यह बात कई बार अपने पीहर पक्ष को बताई। पीहर पक्ष वालों ने उनके घरवालों से बात की, समाज के लोगों से बात की और समझाइश के बाद कई बार जब वह आ जाती थी तो लौटाकर वापस भेजा जाता था उसको। मान्यवर, यह मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है। यह आत्म हत्या का मामला भी नहीं है या कोई दुर्घटना भी नहीं है। जैसी आशंका है, इसको जलाकर मार डाला है। संतोष के पिता रेलवे में कुली है, वह बहुत गरीब आदमी है। पिछले छह महीने से पैर की हड्डी में फ्रेक्चर होने की वजह से वह अस्पताल में भर्ती है और कहीं चलने-फिरने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई पैरवी भी उनके द्वारा नहीं की जाती। जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि सबूत लाओ। मान्यवर, वह सबूत नहीं जुटा सकता। सबूत तो पुलिस जुटाये कि यह मृत्यु कैसे हुई है।

दूसरा मामला पाली की ही लड़की है कन्या ऊर्फ कनका। उसकी हत्या उसके पति झुंझारी लाल ने गांव भोरड़ा थाना नौरसा जिला जालौर में कर दी। उसको जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके ससुराल वालों ने पीहर पक्ष को कोई सूचना तक नहीं दी। वहीं के एक ग्रामीण ने वहां जाकर बताया कि तुम्हारी बच्ची जल गई और वह भर्ती है। तब पीहर पक्ष वाले वहां भगे। वहां के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

थानेदार से बात की तो थानेदार ने यह कहा कि यह तो चिमनी से जली है। तो पीहर पक्ष वाले डिप्टी एस. पी. से मिले। डिप्टी एस.पी. साहब खुद अस्पताल आये, लड़की से पूछा तो लड़की ने बताया कि उसके पति झुंझारी लाल ने उसे केरोसीन डाल कर मारा है। मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की के बयान हुए और बयान में लड़की ने बताया कि उसको उसके पति ने मारा है। उसके बाद में पुलिस ने कार्यवाही दर्ज की है। उसके बाद में पुलिस ने 307 और 498 में मुकदमा दर्ज किया। मान्यवर, ऐसे मामलों में भी राजस्थान पुलिस यदि संवेदनशील नहीं है, गम्भीर नहीं है तो वह जिम्मेदारी आपकी है कि आप ऐसे मामलों में गम्भीरता से कार्य करने की चेतावनी उनको दें।

आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि यह दो जवान युवतियों की हत्या का मामला है, इसको आप गम्भीरतापूर्वक लेते हुए दोनों की जांच करवायें। मैं आपसे इस मामले में जवाब भी चाहूंगा कि आप मुझे कुछ आश्वासन दें ताकि मैं उन गरीब लड़कियों के मां-बाप को जाकर कह सकूं कि मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दे दिया है, कुछ कह दिया है, जांच के लिए कुछ कह दिया। सीधा सा मामला है यह, इसमें कोई कुछ करना भी नहीं है, जांच करनी है और कुछ नहीं चाहता मैं, केवल इसमें सही जांच हो। मंत्री महोदय बैठे हैं, यहां, मेरा यह निवेदन रहेगा क्योंकि यह दो लड़कियां मर गई, कोई मामूली बात नहीं है, 22 साल की युवतियां मर गई हैं और दोनों पाली शहर की हैं और दोनों गरीब परिवारों की हैं, अत्यन्त गरीब परिवारों की हैं, जांच हो जाए ढंग से।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : दोनों ही मामलों में निष्पक्ष जांच करवा दी जाएगी।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वाद-विवाद पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची बहुत लम्बी है, समय सीमा में बोलने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही समय समाप्त हो गया है लेकिन उसके बाद भी पांच माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको और सभी माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पिछले बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सदन के सम्मुख यह बात कही थी कि आप जनता की कोरी वाहवाही लूटने के लिए और चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बजट साइज को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहे हैं। पिछला बजट आपने पांच हजार करोड़ का सबमिट किया था। योजना आयोग ने 4750 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी लेकिन उसके बावजूद भी आपने 5022 करोड़ की बजट साइज की घोषणा करके जनता से—

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : बजट नहीं, योजना।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, योजना, आपका प्लान साइज। मतलब प्लान साइज को आपने 4750 करोड़ की बजाय 5022 करोड़ पर करके इसलिए दिखाया था क्योंकि लोक सभा चुनाव सिर पर थे, आपको लोकल बाडीज के चुनाव को फेस करना था, आपको पंचायतों के चुनाव लड़ने थे। मैंने उस समय भी यह बात कही थी कि आप जितना जहां प्लान साइज़ प्रदर्शित कर रहे हैं उतना खर्चा आप करेंगे नहीं। आज मेरी वह बात सही निकली और आपने 5022 करोड़ के प्लान साइज के स्थान पर 3800 करोड़ रुपये पर लाकर इसको खड़ा कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस सदन के सम्मुख रखा है इसमें जो कर्जे की अर्थ व्यवस्था प्रदर्शित की है उसकी एक झलक आपको बताना चाहता हूं। जब 1990 में आपने भारतीय जनता पार्टी को राज सम्भलाया था तब कर्जा 6000 करोड़ का था और जब भारतीय जनता पार्टी से आपने 1998 में वापिस राज सम्भाला तो यह कर्जा 23 हजार करोड़ का था यानी करीब 17 हजार करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी के सात वर्षों के शासन काल में बढ़ा। इसमें से अगर हम 1993 के राष्ट्रपति शासन काल के 1160 करोड़ के कर्जे को भी निकाल दें तो करीब यह 15-16 हजार करोड़ का कर्जा रहता है। लेकिन आपने इस एक साल के अंदर, जैसा आपने कहा था कि हम 7120.70 करोड़ का कर्जा लेंगे उसके बावजूद 12294.76 करोड़ का कर्जा लिया है। आपने अपने बजट एट ए ग्लांस के पेज एक पर कहा है कि हम अगले वर्ष भी 7025.59 करोड़ का कर्जा लेंगे। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात को यों का यों भी मान लिया जाए, जितना इन्होंने कहा, पहले भी इतना ही कहा था और लिया बारह हजार करोड़ और अब भी आप इतना ही कह रहे हैं, मगर इस दूसरे वर्ष में भी इतना ही कर्जा मान लें तो आपके दो साल के शासनकाल में ही कर्जे का भार 24-25 हजार करोड़ पहुंच जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह दावा है कि आप प्रदेश को न सिर्फ कर्ज में डुबो रहे हैं बल्कि इसको गर्त में ले जा रहे हैं और यह कर्ज लेने में आपने बीजेपी. को कोसों दूर छोड़ दिया। आप प्रदेश को डैट ट्रेप की ओर ले जा रहे हैं। आज राजस्थान एक नये तरीके के अर्थशास्त्र में चल रहा है और मैं उस अर्थशास्त्र को एक नाम देता हूं आदर्शोनोमिक्स। इस आदर्शोनोमिक्स से आप आखिर चाहते क्या हैं? मानने को और कहने को तो माननीय अशोक गहलोत जी डी-जूर चीफ मिनिस्टर लेकिन डी-फेक्टो तो पीछे डॉ. आदर्श किशोर जी जैसे लोग हैं। इस प्रदेश को कर्ज में डुबाने के लिए इस आदर्शोनोमिक्स का जो सिलसिला बीजेपी. के राज में शुरू हुआ था आज यह आपने पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया और प्रदेश को आप इस कुचक्र के अन्दर, कर्ज के अन्दर ले जा रहे हैं।

(13.10 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैंने मुख्य मंत्री जी का बॉयोडाटा देखा है, मुख्य मंत्रीजी एम.ए., इकॉनॉमिक्स हैं लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी आपके अर्थशास्त्र की समझ के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने...(व्यवधान) सब जानते हैं इसको कहने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, बजट भाषण का जरा आप अवलोकन करें, बजट भाषण में पेज-13 पर खुद कह रहे हैं, अधिक कर्ज लेने के दुष्परिणामों से माननीय सदस्य परिचित हैं क्योंकि इसका प्रभाव लम्बे समय तक राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है अतः हम फिलहाल योजना का आकार बड़ा रखने के पक्ष में नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि कर्ज लेने के दुष्परिणाम हो सकते हैं और कर्ज आप खुद ले रहे हो और आपने अभी तक राज्य की वार्षिक योजना नहीं बताई कि आपके राज्य की वार्षिक योजना क्या है। आप करेंगे क्या इस कर्ज का? आपने यह भी नहीं कहा कि यह कर्ज आप कहां से लेंगे। यह कर्ज आप इन्टरनेशनल मॉनीटरी फंड से लेंगे कि यह कर्ज आप वर्ल्ड बैंक से लेंगे कि यह कर्ज और कहीं से लेंगे या यह कर्ज परसादी लालजी के अल्पबचत से लेंगे या कर्मचारी की तनख्वाह से लेंगे। कहां से लेंगे आपने कुछ नहीं बताया और न आपने यह बताया कि यह कर्ज किसलिए लेंगे। कहीं आपने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि किसलिए कर्ज लेंगे। आप कह रहे हैं कर्ज लेंगे भी, आपके राज्य की वार्षिक योजना भी नहीं है आप किसलिए लेंगे यह भी पता नहीं है। आपको कुछ पता नहीं है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक चीज हमें पता जरूर है और वह पता इस बात का है कि आप करीब 1500 करोड़ रुपये एशियन बैंक से ले रहे हो और एशियन बैंक से 13% ब्याज दर पर ले रहे हो। इतनी भारी ब्याज दर, 13% ब्याज दर पर ले रहे हो। इतनी भारी ब्याज दर, 13% ब्याज दर पर आप एशियन बैंक से पैसा ले रहे हैं। क्या जयपुर को सुन्दर बनाने के लिए यह पैसा ले रहे हैं? क्या गांवों में लोग नहीं रहते हैं, केवल जयपुर में ही रहते हैं? इतनी भारी ब्याज दर चुका करके, इतनी हाई ब्याज दर देकर इसके बदले में मैं मानता हूं कि ऊँट के मुंह में जीरा जितना थोड़ा बहुत अनुदान जरूर मिलेगा और इस कर्ज के भुगतान की जो अवधि निश्चित हुई है वह 20 वर्ष है। 20 वर्ष में यह कर्ज चुकायेंगे और कर्ज चुकाने का सिलसिला कब शुरु होगा? कर्ज चुकाने का सिलसिला शुरू होगा सन् 2004 में यानी 2004 में जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कर्ज ले आप, मजे करें आप और जब 2004 में बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा तब कर्ज का भार हमको चुकाने को छोड़ दें। इसमें, सभापति महोदय, हंसने की बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के 1984 में दो सदस्य थे, केवल दो सदस्य और आज भारतीय जनता पार्टी देश पर राज कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश में 1990 में तीसरे नम्बर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पर चली गई थी, हमारे जनता दल की सदस्य संख्या 55 थी और कांग्रेस की सदस्य संख्या 49 थी। आप तीसरे नम्बर पर चले गये थे। यह तो जनता महान है कब किसको राज सौंप दे। इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं तो, सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि कर्ज आप ले रहे हो और कर्ज खर्च आप कर रहे हो। कर्ज का मजा आप ले रहे हो और जब 2004 में बहुजन समाज पार्टी का शासन आएगा तब चुकाने का भार हम पर पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह तकलीफ आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है। वह आप चिन्ता मत करिये, इस राजनीति में कुछ भी हो जाता है। 1996 में नरसिम्हारावजी पूरे प्रदेश में टिकट बांट रहे थे और अब स्वयं को भी टिकट नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य : आप दोनों में से कौन मुख्य मंत्री बनेगा?

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए इस अहंकार में मत रहिये। अहंकार रावण का भी नहीं चला। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ये मुंगेरीलाल के सपने या शेखचिल्ली के ख्वाब आप ले रहे हो शायद।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इस संख्या में मत पड़िये। आपको तो मंत्री पद मिलने वाला नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मुझे चाहिए भी नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कितनी ही तारीफ करें, आपको तो यही काम सौंपा है मकान अलॉट करके झगड़े सुलटाते रहें, इसलिए आपको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह क्या कम काम है? सड़क पर रहते आप मकान अलॉट न होता तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : और वैसे भी आप बनिये के घर में जरूर जन्मे हो लेकिन यह बजट के बारे में समझ बड़ी मुश्किल से आती है। आप जरा कृपया सुन लीजिये मुझे।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 2025 तक आप इस कर्ज को चुकाते रहो, यह स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको यह कर्ज लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय सदन के नेता महोदय और माननीय विपक्ष के नेता महोदय और आसन और तमाम माननीय सदस्यों की तवज्जोह चाहता हूं, मैं यह चाहूंगा कि आप एक इस तरीके का बिल इस सदन में लेकर आयें कि कोई भी राज्य सरकार उतना ही कर्ज ले जो अपने कार्यकाल में उसको अदा कर सकें। यह नहीं कि कर्ज आप लो, आज मान लो मैं व्हीकल के लिए लोन ले लेता हूं और कल को नगर विधान सभा क्षेत्र से कोई दूसरा विधायक आएगा तो क्या आप उससे चैक लेंगे?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जो कर्ज ले उसकी चुकाने की जिम्मेदारी होती है इसलिए इतना ही कर्ज आपको लेना चाहिए जो आप सन् 2004 तक अदा कर सकें। हमारे देश की आने वाली नयी जनरेशन की तरफ से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आपको 20 साल तक के लोगों को और कर्जदार पैदा करने और कर्ज में डुबोने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आप अपनी अवधि में जितना चुकायें उतना ही कर्ज आपको लेना चाहिए। कर्ज 12000 करोड़ और योजना 38 सौ करोड़ की, यह प्रदेश की विकास योजनाओं के साथ खिलवाड़ है।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में एक बात कही, पेंज-11 पर माननीय वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं कि नयी योजनाएं शुरू करने की बजाय हम गत वर्षों के अधूरे कार्यों और पूर्व में आंशिक निर्मित परिसम्पत्तियों को ही पूरा करने तथा परिसम्पत्तियों का प्रभावी रखरखाव हमारी प्राथमिकताएं होंगी। माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि हम कोई नया काम हाथ में नहीं लेंगे। आपको याद होगा कि बजट भाषण में कहने के अलावा ओ.टी.एस. में राजस्थान मंत्रिमण्डल की दो दिवसीय तथाकथित बैठक में भी इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि प्लान में और नॉन प्लान में यानी योजना मद और गैर योजना मद, दोनों में हम कोई नया काम हाथ में नहीं लेंगे। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कोई नयी योजनाएं हाथ में नहीं लेंगे, कोई नया काम हाथ में लेंगे नहीं और आपने मंत्रिमण्डल में भी फेसला ले लिया कि आप योजना और गैर योजना मद में कोई नया काम हाथ में नहीं लेंगे तो फिर यह कर्ज किसलिए ले रहे हैं आप, फिर इस कर्ज का क्या करेंगे आप? आपकी क्या योजना है यह आपको सदन को अवगत कराना चाहिए था। केवल दो महीने का लेखानुदान पास करा लिया और बजट पास कर लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सदन को बताना चाहिए कि आखिर आप यह कर्ज किसलिए ले रहे हैं। इसलिए आप प्रदेश की जनता और माननीय सदस्यों को इस कर्ज की आदर्शोनोमिक्स से बेवकूफ बनाना चाहते हैं लेकिन सब आपकी इस चाल को भलिभांति समझ गये हैं और इसके दुष्परिणामों को भी समझ गये हैं। कोई इस चाल में आने वाला नहीं है। माननीय वित्त मंत्रीजी, मुझे मालूम है कि आपने किसी निजी संस्था को जनसंचार माध्यमों से अपनी असत्य वाहवाही कराने का तो जरूर ठेका दिया है लेकिन इस तरह की असत्य वाहवाही से कोई नतीजा नहीं आता। प्रजातंत्र में अन्तिम निर्णय तो जनता करती है और आपके इन कामों का फैसला भी जनता ही करेगी। कांग्रेस के माननीय सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य भी अन्दर ही अन्दर कुंठा और अन्दर ही अन्दर बड़ी उस तरह की भावना महसूस कर रहे हैं और वे आपके इस प्रपंच को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

समझ रहे हैं और हाल ही में सम्पन्न हुए राज्य सभा के चुनाव में अपनी भावनाओं को क्रॉस वोटिंग कर करके आपको एक वार्निंग सिग्नल के रूप में चेतावनी भी दे दी है। अगर अब भी आप नहीं समझे, नहीं समझेंगे तो इस सदन में बहुत लोग आये जो नहीं समझे वक्त पर तो मिट गये, उनका नामोनिशान ही मिट गया, इतिहास में उनको कोई याद करने वाला भी नहीं रहा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको समझना चाहिए, इस चेतावनी को समझना चाहिए और माननीय सदस्यों के अन्दर ही अन्दर जो अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न हो रहा है, जो अन्दर ही अन्दर इनके मन में कुंठा हो रही है उसकी भावनाओं को समझना चाहिए वरना यह कभी विस्फोट का रूप भी ले सकती है। माननीय सभापति महोदय, जरा आप आंकड़े देखें।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य एक बात कह रहे है कि क्रॉस वोटिंग हुई। वोट तो 50 और 51 ही थे, एक वोट केंसिल हो गया। 50 और 52 वोट आये हैं क्रॉस में, 54 कहां थे, 51-51 थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : 54 थे।

श्री श्रवण कुमार : 54 कहां थे?

मोहम्मद माहिर आजाद : 154 थे आपके।

श्री श्रवण कुमार : 153 थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे हैं 153, 155 में से एक केंसिल हो गया। गणित सीखो।

श्री श्रवण कुमार : कितने आये?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं सभापति जी से बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, भाषण जारी रखिए आप।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, वो लोग गलत थे जो दस्तख्त किसी के करते हैं, वोट किसी को देते हैं।हमने तो ऐसा नहीं किया। हमने तो जिसके दस्तख्त किये उसी को वोट दिया। हमने नहीं किया यह, यह निर्दलियों ने किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आत्म चिंतन कीजिए, यह आपका आन्तरिक मामला है। मैंने तो एक इंडिकेशन दिया है, अगर आप सुधर जाओ, संभल जाओ तो ठीक है। नहीं, बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय श्रवण जी, उस लिस्ट में आपका भी नाम है, यह मैं आपको बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय आजाद जी, कृपया अपने भाषण को जारी रखिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी को शायद मेरी बात कुछ नागवार गुजरी इसलिए वो उठकर चले गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं बैठा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा आप नोट कर रहे हैं, धन्यवाद।

मैं निवेदन कर रहा था आर्थिक समीक्षा के बारे में, आप जरा देखें पेज नम्बर 24 पर खुद सरकार यह स्वीकार कर रही है कि इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। हमने 26 आइटम सलेक्ट किये हुए हैं और उनके आधार पर हम यह तय करते हैं कि प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। इन उत्पादनों में आप देखिए कि 11 की स्थिति यह है कि इनमें तो 10 पर्सेंट से लेकर 100 पर्सेंट तक की गिरावट आई है और आपके कई उत्पाद तो ऐसे हैं, जैसे सूती कपड़ा और सूती धागा, कापर के चाक्स, इनमें तो आप जीरो पर पहुंच गये। सभापति महोदय, आर्थिक समीक्षा में एक तरफ आप कह रहे हैं कि इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। तीसरी तरफ आप उठा कर देखिए कि हमारी कृषि में खाद्यान्नों की जो पैदावार है, चाहे वह रबी की पैदावार हो, चाहे खरीफ की पैदावार हो, दोनों में कमी आई है। यानि आपका औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है, आपकी पर केपिटा इनकम कम हो रही है, आपका कृषि में उत्पादन कम हो रहा है और उसके बावजूद यह हो रहा है कि एक तरफ तो प्रकृति अनुकूल नहीं है और दूसरी तरफ सरकार की योजनाएं भी बोगस है और उसका परिणाम यह निकल रहा है कि गत वर्ष की तुलना में आपने जो कुल व्यय किया है उस व्यय में से विकास के व्यय का प्रतिशत 60.37 से घटकर 56.82 रह गया है। आपके विकास का प्रतिशत घट रहा है और आप 2000-2001 के लिए क्या कह रहे हैं कि इसमें हम विकास व्यय को 57.75 प्रतिशत तक रखने की कोशिश करेंगे। मान भी लिया जाए कि आप रख लेंगे तो भी यह 1998-99 की तुलना में बहुत कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विकास में से पैसे कम कर रहे हैं, नई योजनाएं हाथ में नहीं ले रहे हैं, कोई नये काम लेंगे नहीं और उसके बाद भी आप कर्जे का भार बढ़ा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप बजट एट ए ग्लांस का जरा अध्ययन करें। इसके पेज नम्बर 18 पर, माननीय वित्त मंत्रीजी आपने टेक्निकल एजूकेशन में 1998-99 की तुलना में खर्चा कम किया, आप कला एवं संस्कृति में कम कर रहे हैं, आप खेल एवं युवा मामलात में कम कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही है और पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है लेकिन आप भूजल एवं संरक्षण में कम कर रहे हैं, आप विशिष्ट योजनाओं पर कम कर रहे हैं, आप डेयरी पर बिलकुल पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, आप मत्स्य उद्योग पर कम कर रहे हैं। सारी जो आवश्यक चीजें हैं उन पर आप कम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मामलों में आप खर्चे में कटौती कर रहे हैं और एक वर्ष के शासनकाल में कर्जा बढ़ाकर विकास को एकदम ठप्प करने का काम कर रहे हैं। एक वर्ष में रोजगार के साधन आपने कम कर दिये, उत्पादन आपका कम हो रहा है, पैदावार कम हो गई, आम आदमी की आय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कम हो गई, सरकारी नौकरियां पद समाप्ति के कारण कम हो गई। माननीय सभापति महोदय, कुछ चीजें बढ़ी हैं। वह चीजें क्या बढ़ी हैं? महिलाओं पर, विशेष कर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। अल्प संख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सभापति महोदय, अगर फलौदी में एक व्यक्ति जो राज के काम में बाधा डाल रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप एस.पी. को बदल देते हैं क्योंकि वह एस.पी. उस अल्पसंख्यक वर्ग से है जिस अल्पसंख्यक वर्ग के वोट के कारण आप राज में आये हैं, इस अक्सरियत में आये हैं। टोंक में कलन्दरी मस्जिद में एक पेशिमाम हाफिज मोहम्मद लजीर को कुछ बदमाश लोग जाकर मस्जिद में कतल कर देते हैं, उसको ज़ानवाज में लपेट कर जलाने का काम करते हैं और वहां के एस.पी. और कलेक्टर को आप इसलिए नहीं बदलते हो कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म करने वाले हैं। आप जालिम का साथ दे रहे हो, जुल्म का साथ दे रहे हो और आप मजलूम की हिफाजत नहीं कर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की अवाम को यह उम्मीद थी कि आज राज बदल रहा है, अच्छी नीयत के लोग शासन में आयेंगे, हमारे साथ कोई फायदा नहीं भी हो तो मजहबी एतबार से हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। लेकिन मुझे शर्म के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि अल्पसंख्यकों के वोट पर इतनी अक्सरियत में, राज में आने के बावजूद यह अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं कर पाये इसलिए मैं इस सरकार की निंदा करता हूं।

एक चीज और बढ़ रही है, थानों में थानेदारों की हत्या हो रही है। मालखानों को लूटा जा रहा है। इन सारे अपराधों में वृद्धि किसके कार्यकाल में हुई? यह वर्तमान वित्त मंत्री जी जब गृह मंत्री थे, तब हुई। इनके गृह मंत्री के कार्यकलापों को देखकर इनको वित्त मंत्री बनाया गया। इनसे आप क्या अपेक्षा करना चाहतो हो? चम्बल के पूत के पैर तो पालने में ही नजर आ रहे थे, मुख्य मंत्रीजी, कुछ सोच-समझ कर निर्णय लिया होता कि आप क्या करने जा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप खुद बहुत अनुभवी हैं, एक बात आप बताइए कि जो सरकार इतना रद्दी और जन विरोधी आर्थिक प्रबन्धन दे क्या उसे 106 करोड़ के नये कर लगाने की इजाजत दी जा सकती है? सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप काफी वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं, क्या इनको यह अधिकार दिया जाए कि यह 106 करोड़ के और कर लगाये? क्या यह सदन इनको यह अधिकार दे दे, वह भी आपके नेतृत्व में, आपके सभापतित्व काल में? यह प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं है। एक तरफ अकाल की विभीषिका है, सारे प्रदेश का अधिकांश हिस्सा अकाल की चपेट में है, किसान को खाने को अनाज नहीं, पशुओं के लिये चारा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और फिर एक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

किसान का चिकित्सक पुत्र जो सरदार हरलाल सिंह की धरती से आता है, सरदार हरलाल सिंहजी के स्वाभिमान की भी कदर नहीं करी और उन किसानों की कमर तोड़कर किसानों की बिजली के टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं। सभापति महोदय, क्योंकि मेरे भी मित्र हैं, मुझे भी शर्म आती है, उनके स्वाभिमान और उनकी बोल्डनेस से भी कोई शिक्षा नहीं ली। सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं बालूराम की शहादत और बालूराम के मेले में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का दिया गया भाषण। जब तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी ने बिजली पर दो पैसे बढ़ाये थे तब माननीय डाक्टर चन्द्रभानजी ने जो भाषण दिया था, शायद ऊर्जा मंत्रीजी को याद हो, अगर नहीं याद हो तो मेरे पास है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं। आदमी की सीट इधर-उधर हो सकती है। आज भी कांग्रेस में 42 ऐसे लोग बैठे हैं जो कल हमारे साथ थे, चाहे डा. चन्द्रभान हो, चाहे हरजीराम जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे मोहन लाल चौहान हो, चाहे मोहन लाल बारूपाल हो, चाहे मोहनलाल चित्तौड़िया जी हो, चाहे सुचित्रा आर्य जी हो, भगराज जी हो, 42 लोग बैठे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : वह अब सही रास्ते पर आ गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सही रास्ते पर आ गये लेकिन सही काम तो करे। किसान का बेटा अगर किसान की भलाई का काम करता तो समझ में आता है कि सही काम कर रहा है। किसान का चिकित्सक बेटा किसान की कमर में छुरा घोंपने का काम करे, किसान की कमर तोड़ने का काम करे, यह बात हमारी समझ के बाहर है। इसलिए अब भी समय है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है उसको भूला नहीं कहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो आपने मार डाली है, वजन डाला है, कृपया इसको आप वापस लेने का काम कीजिये।

श्री मोहन लाल चौहान : आप कहां चले गये? हम और आप तो साथ में थे, आप कहां चले गये?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यहीं पर खड़ा हूं, आपके आगे ही खड़ा हूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 6 लाख किसानों के पास एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं, वह किसान भी है जिनके पास डीजल पम्प सैट हैं या दूसरे इर्रिगेशन के साधन हैं, उनकी संख्या भी बहुत है, उनकी भी थोड़ी चर्चा कीजीये। 6 लाख है उनमें से तीन लाख के पास फ्लेटेड है, उन पर माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नया पैसे की भी कोई ड्यूटी नहीं लगाई है, नोट कर लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वो तो पहले बढ़ा दिये थे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : सुनिये, आप ऐसा नहीं कहिये। दूसरा, अन्य श्रेणी के लोगों पर जहां पांच पैसा बढ़ाया है, वहां जो मीटर सप्लाई वाले किसान हैं उनकी संख्या पौने तीन लाख के आसपास है उन पर केवल दो पैसा बढ़ाया है। आप जरा उनकी चर्चा करें, डीजल के, खाद के इतने सारे दाम बढ़ाये हैं। आप उनकी भी चर्चा करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उस समय भी दो पैसे बढ़ाया था। डाक्टर साहब, यह बात कहकर आप बचत नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं भी जानते हैं कि जो काश्तकार बिना सिंचाई के खेती करता है उसके खाद्यान्न की पैदावार कम होती है और जो इर्रिगेटेड एरिया है वहां की पैदावार ज्यादा होती है। तो आपका खाद्यान्न तो जो बिजली से सिंचाई कर रहे हैं, जिनके पास बोरिंग हैं, कुएं हैं, हैण्डपम्प हैं वहां से पैदा हो रहा है, आप उन्हीं के ऊपर बिजली की रेट बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात तो आप गांव में जाएंगे तब पता पड़ेगी। (व्यवधान) जब आपके भाई रामचन्द्रजी बिल लेकर आएंगे तब पता पड़ेगा, डाक्टर साहब, अभी पता नहीं पड़ेगा। आप तो शहर में रहते हो...(व्यवधान)

दूसरा, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह काश्तकारों की बात है इसके अलावा प्रदेश की औद्योगिक नीति के कारण या उत्पादन की कमी के कारण छोटे या मझोले उद्योग या तो बंद हो गये या बीमार हो गये, उन रुग्ण इकाइयों के ऊपर भी बिजली की रेट बढ़ाकर माननीय वित्त मंत्रीजी उनसे क्या लेना चाहते हैं? मरते हुए को आप ऑक्सीजन लगा रहे हो या उसके ऊपर और बोझ डाल रहे हो, मेरी तो समझ के बाहर की बात है।

जहां तक फिल्म इण्डस्ट्रीज का सवाल है, इसमें जो लोग परदे पर दिखाई देते हैं वे ही लोग नहीं हैं, परदे के पीछे भी लोग हैं, बहुत सारे हजारों क्लैप ब्वायज हैं, टार्च दिखाने वाले लोग हैं, बुकिंग क्लर्क हैं, पेंटिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिये दूसरे हजारों काम करने वाले लोग हैं, वह भी उसमें है। आज आपके टी.वी. के कारण, केबिल के कारण पिक्चर हाल की स्थिति क्या हो रही है? अकेले जयपुर शहर में आप देखिये, अम्बर पिक्चर हाल का क्या हुआ, उसने पिक्चर हाल को खतम करके कामर्शियल कॉम्पलैक्स बना लिया। शालीमार व मयूर सिनेमा का क्या हुआ? एक तरफ तो पिक्चर हाल बंद होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप 25 प्रतिशत उसके टिकट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो गरीब आदमी, गांव का आदमी आता है, जो दिन भर मजदूरी करता है उसके पास बहुत बड़ा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, शहरों में छविगृह ही हैं और उसके ऊपर भी एकदम 25 प्रतिशत बढ़ाकर, अपने आप ही जो खतरे में चल रहा है, मजबूरी में चल रहा है, इस पिक्चर उद्योग के ऊपर भी आप चोट करने का काम कर रहे हैं।

एक ओर तो आपने आपरेशन पिंक को चलाकर कहा, हम जयपुर शहर को वापस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

व्यवस्थित और पुराना ऐतिहासिक रूप देना चाहते हैं, ताकि यहां यातायात में रुकावट नहीं हो, भीड़-भाड़ नहीं हो। दूसरी तरफ आप यह कह रहे हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी के आने से राजस्थान में टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ आप यह कर रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे? होटलों के विलासिता कर को, जिसकी लिमिट 1250 थी, घटाकर 500 कर रह हो। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के होटल दक्षिण की अपेक्षा वैसे ही महंगे हैं। यहां बहुत पैसे वाले नहीं हैं। इकानामिक क्लास और मध्यम श्रेणी के पर्यटक आते हैं। आज राजस्थान के दूसरे उद्योग बंद होने जा रहे हैं, खतम होने के कगार पर हैं, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा सम्भावना किसी चीज की है, कोई उद्योग बढ़ सकता है तो वह पर्यटन उद्योग बढ़ सकता है। केवल होटल के उसमें बढ़ाकर, वृद्धि करके पैसा ले लें। पर्यटकों के आने से आपके रिक्शा वाले को, आटोरिक्शा वालों को पैसा मिलता है। जो खुदरा छोटे-मोटे दुकानदार हैं उनको पैसा मिलता है। कटपुतली नृत्य और दूसरे तमाशे दिखाने वाले लोगों को पैसा मिलता है। आपके बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप कम से कम मध्यम श्रेणी के टूरिस्ट हैं उनके लिए डिसेंट अकमोडेशन वाजिब दामों पर मुहैया कराकर उनको आकर्षित कीजिये। भले ही पांच तारा होटल्स हैं उन पर आप चाहे जितना पैसा बढ़ा दो हमको कोई एतराज नहीं है। अगर टूरिज्म उद्योग को बढ़ाना चाहते हो तो आपको कम से कम मध्यम श्रेणी के जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने पिछले बजट में भी प्रोफेशनल टैक्स लगाया था और प्रोफेशनल टैक्स को जन-भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वापस लेना पड़ा था। अब आपने नये रूप में फिर से प्रोफेशनल टैक्स लगाया है। आप कह रहे हैं, डेढ़ लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले लोग हैं और जो आयकर देते हैं हम उनसे ही इसके अंदर हिस्सेदारी लेंगे। वह हिस्सेदारी 200 रुपया प्रति महीना रख दी। माननीय वित्त मंत्रीजी, 200 रुपया ज्यादा है। जो लोग पहले से ही आपके पूर्व के करों, ड्यूटी और महंगाई से त्रस्त हैं, अब उस पर टैक्स का और अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिये। इससे जनाक्रोश बढ़ता है, जो अमन-चैन और लोकतंत्र के लिये कतई उचित नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है आपको इसको भी कुछ कम करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि यह युग न तो पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के समाजवाद का युग है, न यह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंहजी और डाक्टर अम्बेडकरजी का युग है। यह युग तो, अध्यक्षजी आपका, बाबूजी नवलजी का और शिवचरणजी का भी नहीं है। यह युग मनमोहन सिंहजी, यशवंत सिन्हा जी, आदर्श किशोरजी, डाक्टर चन्द्रभानजी और प्रद्युम्न

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सिंहजी जैसे लोगों का युग है। अगर इस युग में हम यह सोचे कि इनके इस आदर्शोनामिक्स में, इनकी नीतियों और सिद्धान्तों में गरीब के लिए कोई जगह हो, तो मैं समझता हूं, कतई हम गलत सोचेंगे। इसमें गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। यह सब उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर शहर को बढ़ा चढ़ाकर विकसित करो, क्या जयपुर शहर के लिये 1500 करोड़ रुपया कर्जा लेकर शहर को सुंदर बना रहे हैं? आबादी तो गांवों में हैं, गांव के लोगों के लिये आप क्या कर रहे हैं? गांव के लोगों को तो टैक्स के बोझ से दबाये जाओ, मारे जाओ। अकाल की बात करें, कि अकाल राहत खोलो, पशुओं के चारे के डिपो खोलो, पानी की व्यवस्था करो, तो आप ढिंढ़ोरा पिटते हो कि बजट नहीं है। यह सरकार खाली खजाना छोड़ गई, तो आपको खाली खजाना लेना ही नहीं चाहिये था। जब खजाना भर जाता तब की प्रतीक्षा करते। हम कानून और व्यवस्था की बात करें, विकास की बात करें तो उन सब बातों में यह कह दें कि इनके राज में तो इतनी हुई थी, हमारे राज में इतनी हुई है। यह कोई उदाहरण नहीं है। हमारा न इनसे मतलब है, न आपसे मतलब है। हम प्रदेश की दौलत पिछड़ी गरीब जनता, बेसहारा और अल्पसंख्यक लोगों के लिए आपसे मांग करना चाहते हैं कि इस बजट के अंदर आपने उनके लिये क्या रखा है?

राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलीं। यह शिक्षा, शिक्षक और बच्चों के साथ मखौल है। सभापति महोदय, आप खुद देखिये, क्या कोई अमीर का बच्चा इन राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में पढ़ने जाएगा? इसमें गांव का बच्चा और गरीब का बच्चा ही पढ़ेगा। वैसे ही गांव की शिक्षा लंगड़ी-लूली है, और आप उसको 1200 रुपये मासिक के अशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापक से शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप गांव के लोगों के साथ आखिर यह मजाक क्यों कर रहे हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलीं वह तो खोल दीं, अब आगे और खोलने की बजाय आप इसमें प्रशिक्षित अध्यापक लगाइये। इनमें लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो, इसका अरेंजमेंट कीजिये। इनके अंदर ब्लैक बोर्ड हो, चॉक हो, बच्चों के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो। खेलकूद की प्रतियोगिता हो ताकि गांव की जो बाल प्रतिभाएं हैं उनका भी विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में अल्प संख्यकों को खुश करने के लिए कई घोषणाएं की गई थीं। एक घोषणा की थी कि 50 यूनानी चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाएगी। आज भी सदन में प्रश्नकाल में, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी बैठी हैं उन्होंने 50 यूनानी चिकित्सक लगाने की घोषणा की थी। सभापति महोदय, आप जानते हैं एक भी यूनानी चिकित्सक 50 में से नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लगाया गया। यानि जो बजट पिछली बार दिया था, वही बजट फिर देकर अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाने का काम यह सरकार कर रही है। इन्होंने पिछले बजट के अंदर 200 उर्दू अध्यापकों के नये पद सृजित किये थे कि हम इस चालू वित्तीय वर्ष के अंदर 200 उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति देंगे। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है और यह कांग्रेस के इतने + + + बैठे हैं, हमारे अल्पसंख्यक भी बैठे हैं, जरा एक भी खड़ा होकर मुझे बताए कि एक भी उर्दू अध्यापक को इन्होंने नियुक्ति दी है? केवल बी.जे.पी. के ऊपर आरोप लगाते थे कि इन्होंने 8 साल के अंदर...(व्यवधान) संकीर्ण मानसिकता के अंदर उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी। आप तो कम से कम अपनी मानसिकता का परिचय देते। एक लगाते। प्रशिक्षित अध्यापक मौजूद, पढ़ने वाले छात्र मौजूद, उसके बावजूद, माननीय सभापति महोदय, मुझे उस शायर का शेर याद आ रहा है, एक शायर ने सही कहा था "मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमां की हरारत वालों ने, मन जो पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका"

मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था जरूर बदली है, लेकिन व्यवस्था अभी भी नहीं बदली है। व्यवस्था वही की वही चली आ रही है। आज भी न दलितों के साथ न्याय हो रहा है, न महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है, न अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि जरा भी आप में अगर जमीर है, जरा भी अगर आपके अन्दर खुद्दारी है तो जिन लोगों के वोटों के बल पर आप इतनी बड़ी तादाद के अन्दर यहां अक्सरियत में सत्तारूढ़ हुए हैं कम से कम उनके लिये जो कुछ घोषणाएं की हैं उनको तो अमली जामा पहनाएं। केवल कोरी, कागज पर घोषणाएं करने से कोई खुश होने वाला नहीं है यह चीज राजस्थान के सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, समय रहते पिछले बजट को यथावत रखिये, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और नये बजट में भी, जहां तक उर्दू अध्यापकों का सवाल है, जहां तक यूनानी चिकित्सकों का सवाल है, अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह का सवाल है और अल्पसंख्यक वित्त आयोग बनाने की घोषणा अभी इस साल माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम अल्पसंख्यक वित्त आयोग बनाएंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माइनोरिटी फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? क्या वह माइनोरिटीज के गरीब और जीवन रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लोनिंग का काम करेगा या उनको कुछ कम ब्याज पर लोन देगा, क्या उनको कामकाज के लिए प्रशिक्षण देगा, क्या उनको टेक्निकल एजूकेशन और हायर एजूकेशन के लिये कोचिंग देगा? क्या

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करेगा, कितना बजट होगा, कितनी मेचिंग ग्राण्ट होगी, कितने आप देंगे, कितने दूसरी जगह से आएंगे, उसकी क्या योजना और रूपरेखा होगी? केवल कोरी कागज पर घोषणा करके आप वाह-वाही लूटना चाहते हैं, यह वाह-वाही आपको नहीं लूटने दी जाएगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से एक चीज यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने प्रिंटेड कार्ड के ऊपर तो टैक्स बढ़ाया है, क्या आपने साधारण स्टेशनरी के ऊपर भी जो टैक्स 4 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया है? यह आपकी क्लियर नहीं है, कृपया आप इसको स्पष्ट करें कि क्या उसमें भी टैक्स बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है।

अब मैं इस बजट के सम्बन्ध में मेरे चन्द सुझाव आपके माध्यम से सरकार को पेश करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माहिरजी, क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। यह सरकार+ + + है सुझाव देने से कोई फायदा नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपन अपना फर्ज तो पूरा करो, अपना फर्ज निभा दें, मांही तो सांची कहवे, सोच लो मन के मांही, न मानो तो थारी मर्जी, म्हारो ले लो कांई।

सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मेरी निगाह में आज है वह है, परिवार कल्याण। आप प्रदेश के विकास के लिए कितनी बड़ी-बड़ी योजना बना लें और इन योजनाओं को आप पूरा भी कर लें, एक तो खामी यह है कि फाइनेंशियत सेंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन के बीच में भारी अंतराल होता है। मान लो, एक गांव मेंदसर के लिये पानी की योजना बनी कि कुछ जलाशय फलां सन् में बन जाएंगे, उसके लिए इतना पानी होगा, इतना पैसा आपने कर दिया लेकिन उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन निकलते-निकलते इतना समय निकल जाएगा कि गांव की आबादी बढ़कर सवा गुना, डेढ़ गुना हो जाएगी और फिर वह पानी उस गांव के लिये अपर्याप्त रह जाएगा। इसलिए आप चाहे जितनी योजनाएं बना लें और उन योजनाओं को क्रियान्वित रूप भी दे दें, जब तक आप जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे, आपकी ये सारी योजनाएं बेमानी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे धारीवालजी ने जयपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए आपरेशन पिंक चलाया, इसी तरीके से आपको सीमित परिवार रखने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य : आपके कितने हैं?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे 2 बच्चे हैं और 15 साल पहले आपरेशन करा लिया। (व्यवधान) आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गयी बात। 2 बच्चे हैं, छोटा ही छोटा 16 साल का है। सब जानते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जो चीज पहले मैं कर रहा हूं, वह बात बाद में दूसरों को सलाह दे रहा हूं और यह बात जानते भी हैं और आपको याद भी होगा कि 1990 में एक प्रतिनिधिमण्डल इण्डोनेशिया गया था उसमें मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में गया था। इण्डोनेशिया एक इस्लामी देश है, इण्डोनेशिया ने परिवार नियोजन को सरकारी कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। वहां अगर किसी के 2 बच्चों से ज्यादा हों तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अगर सरकारी नौकरी मिल जाए और उसके बाद अगर तीसरा बच्चा हो जाए तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। कोई प्रमोशन नहीं, उसकी सैलेरी जितनी है उतनी फिक्स रह जाएगी। मैंने पहले भी सुझाव दिये थे कि जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, आप कहें कि जिसके सीमित परिवार होगा उसको हम ओवर-एज में कुछ छूट देंगे। आप हाउसिंग बोर्ड में और दूसरी नौकरियों में जहां एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., विकलांग, विधवा का कोटा रखते हैं, वहां परिवार नियोजन अपनाने वालों को भी कोई न कोई कोटा रखें। आपका परिवार नियोजन का कार्यक्रम इससे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने पंचायतों और लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए तो कानून बना दिया कि किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। आप पहल करो और इस सदन में भी एक प्रस्ताव पास करो कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वह एम.एल.ए. का चुनाव भी नहीं लड़ेगा। प्रस्ताव पास कराओ। आपको कुछ करना चाहिए, आपको सख्त निर्णय लेना चाहिए। कुछ न कुछ आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप : माहिर आजादजी, हमने घोषणा की थी इसी सदन के अन्दर कि हम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आप भी करो ऐसी घोषणा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, करो यह घोषणा। हमने यह घोषणा सदन में, यहां पर की। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। (व्यवधान) हमारे तो हैं ही नहीं। आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। (व्यवधान) आपके तो 5 हैं।

श्री रामस्वरूप : जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, आप करिये सभी घोषणा इसके लिए। माननीय मंत्रीजी से पूछो उनके कितने बच्चे हैं। आपसे पूछो, आपके कितने बच्चे हैं। आप सभी घोषणा करो इस बात की, तभी पता लगेगा। हमारी तरह हिम्मत करो आप। हमने की है इस सदन के अन्दर घोषणा। ऐसी घोषणा आप भी करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, कहिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इतने इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यू के ऊपर अपनी बात कह रहा हूं। इस परिवार नियोजन और खानदानी मंसूबाबंदी का धर्म से या मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक शिक्षा से है। पढ़े-लिखे के तो कम बच्चे क्यों होते हैं और अनपढ़ के ज्यादा क्यों होते हैं। आपको मैंने पहले भी एक सुझाव दिया था कि आपको परिवार नियोजन को एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में भी लागू करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को देखिये, वहां छठी क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपके 2 बच्चे होंगे तो पढ़-लिखकर एक डाक्टर बना और एक इंजीनियर बना। आपके 5 बच्चे हुए तो वह उनको नहीं पढ़ा पाया। कोई बिजली विभाग में हैल्पर बना, करण्ट लगने से मर गया। कोई ड्राइवर बना, कोई कुछ नहीं बना। तो आपको एक अनिवार्य पाठ्यक्रम इस तरह का सिलेबस तैयार करना चाहिए ताकि शुरू में ही बच्चे की मानसिकता यह बने। आपको पहल करनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लालू प्रसादजी के कितने हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : लालू और मायावती की बात कहां आ गयी। यहां बात अशोक गहलोत और प्रद्युम्नसिंहजी की कहिये। दूसरों की बात क्यों कर रहे हो आप। (व्यवधान) आपको मालूम है राजेन्द्रजी हैल्थ मिनिस्टर थे, इनके एक ही बच्चा है लेकिन आज वाले हैल्थ-मिनिस्टर साहब बताएं, उनके कितने हैं। यह घोषणा सब करो ना अपनी अपनी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपस में चर्चा न करें।

श्री रामस्वरूप : इनके तो एक है, राजेन्द्रजी से पूछिये कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। (व्यवधान) आप पूछा ना उनसे, कहलवाओ ना उनसे आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक बच्चा है।

श्री रामस्वरूप : आप कह रहे हो। करो घोषणा, वे कर दें घोषणा। हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछिये आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्रजी के घर में तो एक ही पल रहा है। अगर राजेन्द्रजी के कोई बच्चे इनके घर में पल रहे हों तो.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी के तो एक ही बच्चा है। यह पता नहीं है आपको। पूछिये हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी से। और ये आपके स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं। आपको सबके बेटों का पता है।

श्री सभापति : प्लीज, आप जारी रखें। (व्यवधान) कृपया समाप्त करें। मोहम्मद माहिर आजादजी, समाप्त करें अपने भाषण को।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, अभी तो मैं सुझावों पर आया हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं। इतने इम्पोर्टेंट टापिक पर, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : आपने 40 मिनट ले लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापतिजी, कुछ घड़ी तेज चल रही होगी। मैं सुझाव दे रहा हूं इतने बढ़िया।

श्री रामस्वरूप : आप अपने समाज को दो ये सुझाव।

मोहम्मद माहिर आजाद : समाज नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप मीणाओं के प्रतिनिधि हैं क्या?

श्री रामस्वरूप : वे लोग भी इसको अपनायें, परिवार नियोजन को। आपका जो समाज है...(व्यवधान) हां, सबको दो इस बात की शिक्षा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप केवल मीणाओं के प्रतिनिधि हैं क्या? इस तरह की संकीर्ण भावना के लोग इस राष्ट्रीय पार्टी में भरे होंगे, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी।

श्री सभापति : आप इनसे मत उलझें, कृपया आप अपनी बात कहें।

मोहम्मद माहिर आजाद : डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको आप बैठा दें, मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : आप उधर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी बात कहिये, वे अपने आप बैठ जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता से, बड़े आदर से यह निवेदन आपके जरिये सरकार से करना चाहता हूं कि वाकई में अगर आप प्रदेश का भला करना चाहते हैं और इस प्रदेश को राष्ट्रीय धारा से जोड़ना चाहते हैं, हम शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, हम अण्डर-ग्राउंड वाटर को देखते हुए उसकी पर्याप्तता सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम अपनी विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, उनको जन उपयोगी बनाना चाहते हैं तो जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। यह आज आवश्यकता नहीं, यह राष्ट्रीय अनिवार्यता है इसलिए इसको आपको प्राथमिकता से लेना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो अपने आपको इसके लिए प्रस्तुत करता हूं। नयी जनसंख्या नीति आयी है, एक बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक मीटिंग भी बुलाई थी उसमें सारे दलों के लोगों को बुलाया गया था, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने यह आह्वान भी किया था, यहां तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्रीजी बैठी हैं, ये भी थीं, उसमें यह निर्णय लिया था कि हम अपने क्षेत्र में या कहीं भी जाएं, वहां जिस मकसद से जा रहे हैं उस मीटिंग के साथ हम कम से कम उनको परिवार नियोजन की बात भी समझाएं। मैं समझता हूं कि इसको हम अपना कर्तव्य समझकर अगर इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो हम प्रदेश के साथ न्याय कर पाएंगे। वरना जनसंख्या बढ़ती रहेगी और ये सारी योजनाएं सीमित पड़ती रहेंगी और इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है।

एक, जनसंख्या को नियंत्रित करना और दूसरा प्रदेश के विकास में अहम भूमिका

(मोहम्मद माहिर आजाद)

शिक्षा, और शिक्षा में भी, माननीय सभापति महोदय, हमको नारी शिक्षा पर, महिला शिक्षा पर जोर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खास कर अल्पसंख्यकों के लिए आप अलग से कोई पोलीटेक्निक स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान, कम्पाउण्डर के मेल नर्स खोलें और दूसरी जो चीजें हैं उसमें उनको भी मुख्य धारा से जोड़िये। आज स्थिति यह हो रही है कि एस.टी.सी. के एक-दो स्कूल राजस्थान में हैं वे भी बंद होने की स्थिति में हो रहे हैं। आप मेवात क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोलिए। पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है और अगर कोई नारी पढ़ जाती है तो समझ लीजिए कि एक खानदान पढ़ जाता है और एक परिवार पढ़ जाता है। वह फिर अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देगी। अपने बच्चों को प्रशिक्षित करवाएगी, शिक्षित करवाएगी और राष्ट्र की धारा से जोड़ेगी और आपकी सारी योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभेगी।

श्री सभापति : आपका भाषण बहुत बढ़िया हो गया है, अब तो समाप्त करो, कृपा करके।

मोहम्मद माहिर आजाद : दो-तीन सुझाव देकर बंद कर रहा हूं।

श्री सभापति : जल्दी-जल्दी दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहता हूं जो बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया था और आज प्रश्नकाल में टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया, यह सही है कि प्रदेश की जो राजस्व आय प्राप्त हो रही है उसका बड़ा हिस्सा आपको आबकारी से प्राप्त हो रहा है। यह आपको मोटी तौर से दिखता है। आप अनुमान लगाते हैं कि इससे हमको पैसा मिल रहा है लेकिन इसका दूसरा रुख भी है, माननीय सभापति महोदय, कि शराब के कारण कितने अपराध बढ़ रहे हैं, शराब के कारण कितनी पुलिस फोर्स, एक्साइज फोर्स आपको लगानी पड़ रही है, कितने झगड़े-टंटे बढ़ रहे हैं, कितने और दूसरे कामों में आपको खर्चा करना पड़ रहा है। इसलिए इन सबसे अगर निजात पाना चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश में, आप गांव-गांव में जाकर देखिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आप पता करेंगे, गर्मियों में हैण्डपम्प कहां है, प्याऊ कहां है तो आपको दस-पांच किलोमीटर जाना पड़ेगा लेकिन इन शराब की दुकानों के बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हर जगह मिल जाएंगे, यहां देशी शराब मिल रही है, अंग्रेजी शराब मिल रही है, शराब के दामों में भारी छूट, पीने का पानी नहीं, बच्चों के लिए दूध नहीं क्योंकि पशु अकाल में मर गये और शराब हर जगह मिल रही है, शराब सारी बुराइयों की जड़ है, शराब से ही सारी बुराइयां पैदा होती हैं इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बनिये मास्टर आदित्येन्द्र, बनिये मोरारजी देसाई और आप भी इस प्रदेश में नशाबंदी लागू कीजिए और देखिये आपकी कानून और व्यवस्था में कितना सुधार आता है। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं। उसमें आपके कमी आ जाएगी।

डा. किरोड़ी लाल : हम सारे समर्थक हैं, करिये आप।

श्री श्रवण कुमार : माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बाकी पीने वाले हैं इसलिए दारू बंद करो। महिलाओं को तो समर्थन करना चाहिए। इस शराब के नशे से तो प्रताड़ित आप ही लोग होती हो, एक बार तो मेज जोर से बजाओ, कम से कम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : मैं बोल रही हूं, बहुत बढ़िया सुझाव है।

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं एक सुझाव आपके माध्यम से और देना चाहता हूं। अब सवाल यह उठता है कि आप कहेंगे कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा? माननीय वित्त मंत्रीजी, आप खर्च कर लगाइये। जो एक्सपेंडीचर होता है, शादियों के अन्दर लोग बीस-बीस, तीस-तीस लाख रुपये खर्च करते हैं, आप उस खर्च के ऊपर निगरानी रखिये। जहां खर्च हो रहा है तो आप खर्च कर लगाइये, उससे आप रेवेन्यू लीजिए। जो जितना खर्च कर रहा है, उससे करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : संविधान के तहत नहीं लगा सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढ़िये। माहिर मेरा नाम है लेकिन आप इन सब चीजों में माहिर हैं। कोई न कोई तरीका निकालिये इसका कैसे न कैसे करिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में एक शेर सुनाकर मेरी बात खतम करना चाहता हूं, इन सुझावों के साथ। एक शायर ने सही कहा है, "छुपा लिया भी जो सर फूलों में तो पांव जले,

न जाने कितने जहन्नुम हैं, इस चमन के तले।"

खुदा हाफिज, जयहिन्द।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय माहिर आजादजी। माननीय दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2000-2001 का...(व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : सुचित्राजी नाराज हैं, शराबबंदी के लिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : जिन परिस्थितियों में रखा और जिन परिस्थितियों में गत वर्ष का बजट और उससे पड़ने वाले प्रभाव हैं उस पर हमको जो वित्तीय सहायता या वित्तीय संकट हमारे सामने आ रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कह सकता हूं कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

माननीय वित्त मंत्रीजी ने विकास की गति को नहीं रोका और उसके साथ-साथ एक सबसे बड़ी बात जो कही वह बात उन्होंने यह कही है कि हमको कंसोलिडेशन की ज्यादा आवश्यकता है और बजट को कंसोलिडेट करने के लिए अगर कहीं कोई कठिन कदम भी उठाने पड़े तो वे उठाएंगे। निश्चित रूप से वे यदि इस संकल्प से चलते हैं और इस संकल्प को लेकर आगे दृढ़ इच्छा के साथ चलेंगे तो मेरी यह मान्यता है, माननीय वित्त मंत्रीजी, राजस्थान के इस बजट के अन्दर आपने जो 112 करोड़ रुपये का अनकवर्ड डेफिसिट छोड़ा है वह शायद हम पूरा कर सकें। मेरे को थोड़ा शक इस बात से भी होता है, आप इसको अन्यथा नहीं लें, बजट के ऊपर जब इस प्रकार की बहस हो तो मेरी यह मान्यता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसीजम भी अगर हो तो वह सरकार के लिए लाभदायक होता है, तो आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 112 करोड़ का जो अनकवर्ड डेफिसिट है उसके लिए आपने अपने भाषण में यहां कोई संकेत नहीं दिया है कि इसको किस प्रकार से आप कवर्ड करके चलेंगे या किस प्रकार से इस घाटे को आप कम करेंगे। आपने एकाध जगह जी.डी.पी. की रेट को बताया, 8.7 से कम करके आप चार तक आने की कोशिश करने की कह रहे हैं पर जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं और जो संकेत हमको केन्द्र सरकार से और प्लानिंग कमीशन से मिल रहे हैं और सरकार को जो आर्थिक सहायता वहां से मिलने वाली है, उसको देखते हुए 112 करोड़ का जो घाटा, अनकवर्ड डेफिसिट आप छोड़कर चले हैं वह आप किस प्रकार पूरा करेंगे?

सभापति महोदय, मेरी मान्यता है कि निश्चित रूप से हमें इन कठिन परिस्थितियों में कमर कसनी पड़ेगी और मितव्ययता की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को और इस सदन को इस बात के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा कि आखिर यह परिस्थिति बनी क्यों? हम आज इस घाटे की स्थिति में आये कैसे? गत वर्ष का और उसके पहले का जो हमारा प्लान था, पूर्व सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये का प्लान बनाया था 1998-99 का, जहां तक मेरी जानकारी है और उसमें करीब 250 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने की बात कही थी पर जब प्लानिंग कमीशन के सामने 1999-2000 का बजट हमारी सरकार लेकर गयी तो प्लानिंग कमीशन ने सीधा इस बात के लिए कहा कि आपने जो 250 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने की बात कही थी वह संसाधन आपने नहीं जुटाये और गत वर्ष का जो प्लान था उस प्लान के अन्दर, सभापति महोदय, हमारे 500 करोड़ रुपये काटे गये। 500 करोड़ तो हमारे वे कटे और 250 करोड़ संसाधन नहीं जुटाये इसलिए कट गये तो हजार के करीब-करीब, 950 करोड़ रुपये का हमारे वित्तीय संकट आया। उसके बाद जब यह फिफ्थ पे कमीशन आया, उस फिफ्थ पे कमीशन का भी इम्पेक्ट आया और कुल

(श्री दिग्विजय सिंह)

मिलाकर हमारा घाटा रहा। जब हमने बागडोर सम्भाली तो करीब 23,000 करोड़ रुपये का घाटा था। अब इतने घाटे को पूरा करना इस एक वर्ष की अवधि में, मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार किसी भी दल की आ जाए, वह एकदम से इस घाटे को कोई चमत्कारी रूप देकर साफ कर दें, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि जो यह संकट है, जहां अकाल की, अभाव की बात कही गयी है, यह संकट कोई एक पार्टी का संकट नहीं है। यह पूरे प्रदेश के ऊपर संकट है और हमारे प्रदेश के ऊपर आज अकाल के, अभाव के बादल छाये हुए हैं और पानी की भी समस्या है। मुझे याद है, प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेता माननीय भंवरलालजी शर्मा

(14.00 बजे)

इस बात को जानते हैं। 1993-94 की बात है, उस अकाल की, अभाव की स्थिति थी तब आज के विपक्ष के नेता, माननीय श्री भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे और प्रतिपक्ष के नेता आज हमारे अध्यक्ष जी हैं, परसराम जी मदेरणा थे, हाउस में इस बात का संकल्प लिया था कि हम एक प्रस्ताव लेकर केन्द्र के सामने जाएं और केन्द्र से यह अनुरोध करें कि हमारे जो अभाव की स्थिति है, इसमें हमको कम से कम 1000 या 1100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, वह हमको नहीं मिलेगी तब तक यह हमारा जो संकट है, उससे उबर नहीं सकते। इसमें मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हमको भेदभाव करके नहीं चलना चाहिए, अकाल-अभाव राहत कार्यों के अंदर या अकाल राहत कार्य जो खोले जाते हैं उसमें भी पक्षपात नहीं होना चाहिये। यह सरकार अकाल राहत कार्यों में पक्षपात करने के बिलकुल पक्ष में नहीं है लेकिन मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करूंगा कि इसको मानवीय प्रश्न मानकर हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का संकट है उसके लिए केन्द्र से 1000 करोड़ रुपये की जो सहायता मांगी है उसके लिए हम सब मिलकर एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र को दें। मैं समझता हूं अगर उचित समझें तो हमारे मुख्य मंत्रीजी, प्रतिपक्ष के नेता और दोनों तरफ के माननीय सदस्य जाकर प्रधान मंत्री से मिलें और उनको रिक्वेस्ट करें तो मुझे यह कहने में कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्र सरकार इसको निश्चित रूप से हमको देगी।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक और बात निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो बजट है, अब इस बजट का पैटर्न भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका यह जो बजट है, यह कहा जाए कि बहुत पुराना ढर्रा टाइप बजट चल रहा है। अब आप इसको प्रोडक्टिव-वे के अंदर सोचिए कि किस तरह से कौनसी मदों को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लेकर आएं। यह जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसको हटाकर और

(श्री दिग्विजय सिंह)

आप नई पद्धति को अपनाते हुए इस बजट को दूसरा रूप दें। सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह जो कंवेशनल मैथड चल रहा है इससे आपको थोड़ा दूर होकर चलना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको हमारी रेवेन्यू रिसीट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हम जहां फिजूलखर्ची कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको प्लग किया जा सकता है, किस प्रकार से उनको रोका जा सकता है, इसके ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम हमारे बजट को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो एक्सपेंडीचर्स हैं, उन एक्सपेंडीचर्स को इस प्रकार से आप करें कि जो आपका प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है इससे आपको रिसीट्स मिल सके। इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें। जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप हाथ में ले लेते हैं और हाथ में लेने के बाद पांच-पांच, दस-दस क्या पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक पूरे नहीं होते तो उनकी जो प्रोडक्टिव वैल्यू है, जो प्रोडक्टिव वैल्यू आज हमको मिल सकती थी, वह आज हमको नहीं मिल पायी। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी कैनाल ले लीजिए। आज इसको लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गये और तो और बीसलपुर छोटा-सा प्रोजेक्ट है इसको 12 वर्ष हो गये और उसको आज कम्पलीट हुए लगभग चार वर्ष से ऊपर हो गये लेकिन उसमें आज 31 फीट पानी रोकना चाहिए, वह आज नहीं रोका जा रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, माननीय वित्त मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आप ऐसी योजनाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और उनको पूरा करने के लिए भी आप कुछ पैसा और दें। क्योंकि अगर वह प्रोजेक्ट पूरे होंगे और उनसे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे तो वहां प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टेट की रेवेन्यू भी आएगी। पर अगर यह प्रोजेक्ट्स आपके लिंगर-ऑन होते रहेंगे, तो यह आपके सफेद हाथी के रूप में आज खड़े हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनकी ओर विशेष ध्यान देंगे और प्रोजेक्ट्स के ऊपर अधिक धनराशि आबंटित करके इनको जल्दी से पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था, उनको इस बात की जलन थी कि गत वर्ष हमारी सरकार ने 16 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 16 हजार पाठशालाएं खोल दीं उससे तो आपको जलन नहीं है न? और इस साल 11 हजार प्राथमिक पाठशालाएं खोलने जा रहे हैं, क्या उससे भी जलन है? फिर आपको केवल एक ही जलन है कि राजीव गांधी का नाम क्यों लगा दिया। एक ही जलन है। 16 हजार

(श्री दिग्विजय सिंह)

पाठशालाएं अगर आप रख लेते, हमारे पूर्व मंत्रीजी ने पहले 16 हजार स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं कही थीं, बाद में किसी ने कहा राजीव गांधी जी का नाम भी जोड़ लो, अब वह नाम जुड़ गया इस वजह से शिक्षा जगत में वह जो 16 हजार प्राथमिक पाठशालाएं हैं उनकी आलोचना शुरू हो गयी और इस साल 11 हजार खोल दीं तो आलोचना शुरू हो गयी।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, भंवरलाल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपको आपत्ति तो नहीं है न, अगर शिक्षा जगत में इसको बढ़ावा मिल रहा है और प्राथमिक पाठशालाएं खुल रही हैं? केवल नाम की ही आपको परेशानी है तो मैं समझता हूं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : शिक्षा जगत में पाठशालाएं खुलें, पर जो कूंडा हो रहा है, उससे आपत्ति है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : कूंडा हो रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, कूंड़ा तो आप कर गये, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी हमारे साथ ही थे। आप भी इधर ही थे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप इधर ही तो थे। आपने टैस्ट बदल लिया, टैस्ट।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय किरोड़ी लालजी, आप तो नहीं बोले तो ठीक रहेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : यह पिछले पांच साल की बात है, उससे पहले की नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अब उधर की बात मत करो, उधर से तो आप जानते हो मैं इधर क्यों आया पिण्ड छुड़ाकर और मैं समझता हूं, अच्छा ही किया, जो आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजीव गांधी के नाम से आपको कितना प्रेम था? जरा याद करो वो जमाना, जब राजीव गांधीजी का नाम लेते ही आप चमक के खड़े होते थे। कितने मंचों से आपने स्वर्गीय प्रधान मंत्री की बुराई नहीं की होगी। आज वही स्तुतिगान कर रहे हो। दिग्विजय सिंहजी, अफसोस है, कभी आप हमारे नेता हुआ करते थे, अब पीछे बैठ गये। आगे बैठते सी.पी. जोशीजी के साथ तो आनन्द आता।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें। प्लीज़ जारी रखें।

श्री जगत सिंह दायमा : तीसरा मोर्चा बनते ही...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, राजीव गांधी जी तो भारत के प्रधान मंत्री रहे हुए थे, आप भी नाम लिया करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इतने फाइनेंशल कंस्टेंट्स होने के बाद भी हमारी सरकार ने विकास

(श्री दिग्विजय सिंह)

की गति को कम नहीं होने दिया और यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस गति से विकास की ओर हमें बढ़ना चाहिए था, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशल कंस्ट्रेंट्स हमारे सामने हैं। पर इस स्थिति से जब उबरेंगे और इस प्रकार से सारे वित्तीय संकटों से ऊपर आएंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि विकास की गति को और तेजी मिलेगी।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ हमको हमारा हिस्सा जो केन्द्र से मिलना चाहिए था, जो अभी संशोधन के माध्यम से मिलना चाहिए था, वह भी अभी नहीं मिल पाया। इसलिए जो भेदभाव का प्रश्न है, केन्द्र की सरकार स्वयं भेदभाव कर रही है। अब एक तरफ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, उसको अकाल-अभाव सहायता के अंदर कम देते हैं। उड़ीसा के अंदर तो देते हैं। अब यह भेदभाव कौन कर रहा है? स्थिति आपके सामने हैं कि भेदभाव तो केन्द्र सरकार अपने मन में करके चल रही है। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, अब कोई भेदभाव करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ-साथ एक और निवेदन् करना चाह रहा हूं कि हमारे यहां आज पीने के पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। अभी माननीय जलदाय मंत्रीजी यहां पर विराजमान नहीं हैं और सिंचाई मंत्रीजी भी नहीं हैं, मैं उनका ध्यान दिलाना चाह रहा था कि बीसलपुर परियोजना के बारे में अजमेर से आने माननीय सदस्य ने एक जानकारी दी और उन्होंने कहा कि यह योजना अजमेर, भीलवाड़ा, नसीराबाद और उसके लिए बनायी गयी थी। ऐसा कोई नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले केवल सिंचाई के लिए यह योजना थी उसके बाद में इन शहरों को और जोड़ा गया और यह मल्टीपरपज योजना के नाम से, बहुउद्देशीय योजना के नाम से स्वीकृत हुई है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इनको पीने का पानी मिले, आज पीने के पानी की प्राथमिकता सबसे पहले है पर इसकी वजह से टौंक क्षेत्र को सिंचाई से वंचित रखा जाय, यह उपयुक्त नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय सम्बन्धित मंत्रियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1992 में दोनों विभागों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, मैं उस रिपोर्ट की डिटेल में ज्यादा नहीं पड़ना चाहूंगा, उस रिपोर्ट के अन्दर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने और पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन ने, हाइड्रोलोजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर जयपुर के पीने के पानी का स्थायी हल निकालना है तो ईसरदा बांध, ईसरदा प्रोजेक्ट का निर्माण होना आवश्यक है। 1992 में इसकी कास्ट 192 करोड़ की थी, आज शायद बढ़ सकती है। आज आप बीसलपुर से जयपुर को जो पाइप लाइन से पानी देने जा रहे हैं, उस पाइप लाइन की कास्ट करीब-करीब

(श्री दिग्विजय सिंह)

200 करोड़ आयेगी जबकि वहां से यहां पाइप लाइन लाने में 183 किलोमीटर पड़ता है और यह केवल 92 किलोमीटर ही पड़ता है अगर ईसरदा बांध बन जाय।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के हाइड्रोलोजिकल डिपार्टमेंट के और जो सर्वे और इंवेस्टीगेशन का है उसने और सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन तीनों डिपार्टमेंट ने मिल करके यह बात कही है कि जयपुर को अगर स्थायी रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करनी है तो ईसरदा प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य होगा क्योंकि बीसलपुर की जो योजना है वह केवल जयपुर के लिए 2010 तक ही संभव रह सकेगी। जिस प्रकार से जयपुर की आबादी बढ़ रही है, 2010 के बाद में यहां फिर बीसलपुर प्रोजेक्ट से पीने का पानी पर्याप्त नहीं होगा और अगर यह बांध बन जाता है तो उससे न केवल जयपुर को बल्कि लालसोट और बामनवास दोनों को सिंचाई के पानी की सुविधा मिलेगी। अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो धौलपुर और भरतपुर के 922 ग्रामों के पीने के पानी की समस्या की बात कही है, जो कि पैरीनियल रिवर है राजस्थान की, इससे अगर पानी लिफ्ट करके इस ईसरदा बांध में डालें, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी कहा गया है, तो जयपुर के लिए एक स्थायी हल होगा। आपको अंततोगत्वा इस योजना को बनाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है, जब मैंने बात की, एक डिपार्टमेंट तैयार है, दूसरा डिपार्टमेंट तैयार नहीं हुआ। सिंचाई विभाग और पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दोनों मिल करके इस योजना पर ध्यान दें। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यह प्रोडक्टिव योजनाएं हैं, इन प्रोडक्टिव योजनाओं को आप पूरा कराएं। आपको इसका पैसा आयेगा। पैसा आयेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी तो कुछ हमारे जो लोसेज हैं वह कम होंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान देंगे।

अब के बजट में बीसलपुर प्रोजेक्ट के लिए केवल 10 करोड़ रुपये रखे हैं जबकि वहां के विस्थापितों को आज भी 27 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में देना है। सभापति महोदय, आज वहां यह स्थिति है कि पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, 311 फीट पानी रोकना है, गत वर्ष भी रोक सकते थे मगर विस्थापितों को पूरा मुआवजा नहीं दिये जाने की वजह से पूरा पानी नहीं रोका जा सका और इसकी वजह से आज सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ज्यादा धन दिलायेंगे ताकि यह पूरा हो सके।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का कुछ बजट प्रपोजल जो उन्होंने रखे हैं उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा

(श्री दिग्विजय सिंह)

और कुछ जो उन्होंने कर लगाये हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट प्रस्ताव रखते हुए करों के प्रस्ताव रखे हैं, उन करों के प्रस्ताव में उन्होंने टर्न ओवर टैक्स रखा है और उसमें उन्होंने सीमाएं रखी हैं। यह एक बहुत सराहनीय कदम है। गत वर्ष भी था। मैं इसमें एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि टर्न ओवर टैक्स तो आपने लगाने का कह दिया मगर जब तक इसका बेस ईयर कौनसा होगा, इसको आप स्पैल आउट नहीं करेंगे कि आने वाला वर्ष है, इसमें माना जायेगा या लास्ट ईयर के बेस को टर्न ओवर माना जायेगा, यह व्याख्या करना जरूरी है कि टर्न ओवर जिस व्यापारी का आपने कहा डेढ़ लाख से ऊपर का होगा तो हम लेंगे, मगर वह कौनसे साल से लेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप ही बताओ, सुझाव दो।

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो वित्त मंत्रीजी बतायेंगे, उन्हीं का जिम्मा है। मैं तो उनको सुझाव दे रहा हूं। इसलिए आप इस बात को क्लियर करें कि इसका बेस कौनसा लेकर चलेंगे? अगर इस वर्ष का लेकर चलते हैं तो उसका इफैक्ट अगले वर्ष में आयेगा, गये वर्ष का बेस लेंगे तो आपको इस वर्ष के अन्दर उसका लाभ मिल सकता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी इसको स्पष्ट करें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से आपने जो कम्पोजिशन सिस्टम समाप्त करने की बात कही है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज नगरपालिकाओं की हालत बहुत पस्त-सी हो गयी है और खास तौर से छोटी नगरपालिकाओं की। आक्ट्राय समाप्त कर दी गयी तत्कालीन सरकार द्वारा, उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, मैं यह कह सकता हूं कि आक्ट्राय जो समाप्त की उसके बाद कीमतों में कोई खास फर्क पड़ा हो, मुझे नहीं लगता। व्यापारी अपने हिसाब से काम करता है और एक बहाने के हिसाब से आप पर दबाव डालकर उस आक्ट्राय को समाप्त करा लिया। इसलिए मैं राज्य सरकार से, माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस आक्ट्राय को आप वापस लागू करें। नगर पालिकाओं की दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है। यह स्थिति होती जा रही है कि छोटी नगर पालिका सरकार से, एल.एस.डी. से रुपये मांग-मांग कर अपनी तनख्वाह पूरी करती है। इसलिए इस पर दोबारा विचार करें, इस आक्ट्राय को वापस लगायेंगे, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, आपने कुछ और टैक्स लगाये हैं। आपने मिनरल वाटर पर 10 परसेंट से बढ़ाकर 12.5 परसेंट कर दिया। अब मिनरल वाटर, सभापति महोदय, आज ऐसी बात नहीं है—

श्री सभापति : बड़े लोग ही पीते हैं मिनरल वाटर को।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मिनरल

(श्री दिग्विजय सिंह)

वाटर पर 10 से बड़ा कर 12.5 परसेंट करने से कोई आपको ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा लाभ हो तो निश्चित रूप से आप करें पर आपको लाभ बहुत कम होगा और आपकी आमदनी पर भी खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे आपकी बदनामी ज्यादा होगी, और दूसरे तरीके से होगी इसलिए इसको 10 परसेंट ही रखें तो उपयुक्त रहेगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपनी कुछ छूटों के बारे में एक बात कही है, गमलों के बारे में।

श्री सभापति : माफ किया है। घटाया है।

श्री दिग्विजय सिंह : जबकि यह उल्लेख इन्होंने नहीं किया कि गमले से अभिप्राय क्या है। कौनसे गमले होंगे? गमले मिट्टी के भी हैं। मिट्टी के उसमें नहीं आते हैं। ब्ल्यू पोट्री के भी गमले हैं, मार्बल के भी गमले हैं, पीतल के भी गमले हैं और सिल्वर के भी हैं। इसको डिफाइन करना चाहिए, आप जो छूट दे रहे हैं इसके अन्दर कौनसे गमले हैं जो छूट में आयेंगे और बाकी इसमें नहीं होंगे।

श्री सभापति : इसमें सभी गमले हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, साथ ही निम्न वस्तुओं को भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है, सिलाई मशीन के कवर, क्रोशिया, मुल्तानी मिट्टी, पिचकारी, आयरन की गोली (दवा), फौलिक एसिड, फुटबाल, बॉलीबॉल चैसबोर्ड, कैरमबोर्ड, सुरमा, पपेटस, पूजा का चौपड़ा और गमले। अब गमले क्या हैं? गमले सब प्रकार के हैं? मिट्टी के गमले हैं, ब्ल्यू पोट्री के गमले हैं मार्बल के गमले हैं, पेपर मेशी के हैं...

श्री सी. पी. जोशी : पुराने राजा-महाराजाओं के भी हैं। इनके पास पुराने राजा-महाराजाओं के पड़े हुए हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो आपको ज्यादा जानकारी होगी और आप जैसे कह रहे हैं कि थर्ड क्लास के भी हैं।

श्री सभापति : तो आप कौनसा समझ रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : ये अपने खुद का डिफेण्ड करना चाहते हैं। इनके जो पुराने पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, मैं डिफेण्ड नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि लगाओ आप। मैं तो कहता हूं कि गमलों को डिफाइन करो आप। आपने गमले कह दिया। आपने एंटायरली उस अधिकारी पर छोड़ दिया। वह जिसको चाहेगा उसको रिजेक्ट कर देगा और वह चाहेगा उस पर टैक्स लगा देगा। तो गमले कौनसे हैं, गमलों को आप डिफाइन करें कि कौनसे गमलों के ऊपर आपने टैक्स लगाया है।

सभापति महोदय, मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। आपने विलासिता कर जो लगाया है, आपने यह कहा है कि 1200 रुपये की दर पर

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो कमरा लिया जाता था उसके अब 500 रुपये कर दिया जाए। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो किया है, क्या यह ठीक है? आज आपके पास धौलपुर से कोई मिलने आता है जयपुर और यहां आकर एक छोटे होटल में ठहरता है, आज कोई भी छोटा होटल 500 रुपये से कम का कमरा नहीं लेता, आज आपने यह लगा दिया, 500 रुपये तो कर दिया, अगला जो बिल बनायेगा वह 495 रुपये कर देगा और 100 रुपये सर्विस चार्ज कर देगा, अब आप उनको कैसे रोकेंगे? 495 तो लगा दिया रूम का रेन्ट और 100 रुपया लगा दिया सर्विस चार्ज, उसका तो हिसाब पुरा हो गया। आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपने निवदेन है कि आप ऐसा नहीं करें। इसको आप टू स्टार, थ्री स्टार और फाइव स्टार होटल्स के ऊपर लगायें जिनका कि आलरेडी सारा डिफाइन है और उनके अन्दर वही आकर ठहरता है जिनको जैसे जितना लॉस होगा वह उधर से कवर अप हो जायेगा। इसलिए विलासिता कर आपने 1200 से घटाकर जो 500 किया है वह व्यावहारिक नहीं है। इस पर आप दुबारा से विचार करेंगे, यह मेरा निवेदन है।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर आपने यह बात कही है, कि फार्म 18 ए और फार्म 18 सी के बारे में कई रिप्रजेंटेशंस प्राप्त हुए इसलिए डीलर्स की कठिनाइयों के निराकरण हेतु फार्म 18 ए का सरलीकरण किया जा रहा है और फार्म 18 सी की प्रति कन्साइनी के वापस मंगवाने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि इस फार्म की प्रति के स्थान पर कन्साइनी की पावती रसीद शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी। इसमें कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि 18 ए में आपने बताया है कि उसको उपलब्ध कराने में कंसाइनी को बहुत दिक्कत होती है। आज सिस्टम ई-मेल का है, इंटरनेट का है जिसके माध्यम से उनको तुरन्त माल बुक करना पड़ता है और आपका 18ए फार्म जो है उसमें वह लगा नहीं सकते और न ही वह कर सकते। आपको एक रिप्रजेंटेशन मिला होगा, प्लास्टिक, पी.वी.सी. के जो पाइप्स बनते हैं उसके लिए ग्रेन्यूल्स आते हैं, वे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर नहीं आते और उनको आज ऐसी सूचना भी निकली है कि इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए आप इस पर विचार करेंगे और लिस्ट में से डिलीट करेंगे। आज उनको इस बात की बड़ी कठिनाई हो रही है।

सभापति महोदय, मैं अन्त में आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया और बजट प्रस्तुत करने के साथ-साथ, वित्त मंत्रीजी, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, आप सुन लें थोड़ा सा, आपके लाभ की बात कह रहा हूं—(व्यवधान) वह तो कल बता दिया था। सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत कठोर परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं और

(श्री दिग्विजय सिंह)

निश्चित रूप से हमारे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स जो आज व्हाइट एलीफेंट्स बने बैठे हैं, जो कि घाटे में चल रहे हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है परन्तु हम उनको किसी न किसी कारण से रखना चाहते हैं, आप ऐसे स्थानों की समीक्षा कराकर उनको तुरन्त बन्द करने का फैसला करें। गोल्डन हैण्ड शेक करके आप उन कर्मचारियों को मुक्ति दें। वहां पर जो घाटा है उस घाटे को पूरा करने के लिए आप उनको पैसा देते हैं। जो बात कही है कि पब्लिक बोरोइंग्स में कुछ करेंगे, मैंने अखबारों में पढ़ा और पब्लिक बोरोईंग्स के बारे में बड़ा जोर-शोर से आया कि पब्लिक बोरोइंग्स से हमारी स्थिति और बिगड़ेगी और करदाता पर बोझ बढ़ेगा। सभापति महोदय, मेरी एक मान्यता है कि पब्लिक बोरोइंग हम प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, प्रोडेक्टिव वे में लगाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है पर हम बोरोइंग करते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए हम अगर पब्लिक बोरोइंग्स करके हमारा कर्जा चुकायेंगे तो निश्चित रूप से वह फाइनेंशियल डिसिप्लीन में नहीं आते। आप पब्लिक बोरोइंग्स करें और पब्लिक बोरोइंग्स करके उसको आप प्रोडक्ट में लगायेंगे, प्रोड्क्शन एक्टिविटीज में लगायेंगे और उससे आपको कुछ धन अर्जित हो तो पब्लिक बोरोइंग्स करना कोई गलत नहीं है। सभापति महोदय, अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि इस कठिनाई के वर्ष में जब इन्होंने वित्त मंत्रालय का चार्ज संभाला तो मेरे ख्याल से इनको दो महीने हुए होंगे—

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक महीना।

श्री दिग्विजय सिंह : एक महीने में इन्होंने जो चतुराई दिखा दी, अभी तो बाकी साल पड़े हैं, (व्यवधान) एक महीने की चतुराई है। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि पीने की पानी की समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से निकल रहा है। आप इसको अन्यथा नहीं लें, मैं एक बात कहूंगा, गत वर्ष चूरू में पीने के पानी की समस्या का समाधान निकाल लिया तब वित्त मंत्री चूरू के थे, अब वित्त मंत्रीजी ने धौलपुर और भरतपुर का कर दिया। (व्यवधान) आप तो बैठे रहो कोई बात नहीं। अब मैं यह कहूंगा कि बाड़मेर वालों को बहुत चिन्ता रहती है हमारे यहां पानी नहीं पहुंचता। तो उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर दें आप। पार्ट टाइम आदमी लगाकर, बालमुकुन्दजी को कह दें ताकी उनकी समस्या हल हो जायेगी और आपका काम भी हल्का हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धि चन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के स्थापना दिवस पर हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में मैं यह नहीं कह सकता, यह प्रयास पुरा किया गया परन्तु इसको मैं यह नहीं कह सकता कि यह बजट संतुलित बजट है। मैं पहले

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

एम.एल.ए. भी रहा हूं, एम.पी. भी रहा हूं और मैंने यह भी देखा है कि कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार घाटे के बजट के अलावा दूसरा कभी भी इस प्रकार का बजट पेश नहीं कर सकीं जो घाटे का बजट नहीं हो और अब आप देखिए घाटे का बजट देखें तो राजस्थान प्रदेश का, दूसरे प्रदेशों का और केन्द्र का इस प्रकार का घाटा इतना बढ़ जाता है। केन्द्र सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारी प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए कि यह घाटा जो बढ़ता जा रहा है और बार-बार हम यह बात करते रहते हैं भाषण में और बजट भाषण में आता है कि वित्तीय अनुशासन, यह वित्तीय अनुशासन, वास्तव में इसका रीयल इंम्पलीमेंटेशन सही तौर से नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जब वित्तीय अनुशासन कायम करना चाहते हैं तो आपके क्या इस प्रकार के डायरेक्शन हैं? आप क्या नीति निर्धारण कर रहे हैं जिससे कि आप वित्तीय अनुशासन कायम कर सकेंगे? आप अपना बजट भाषण दें तो पूरी आपकी डायरेक्शन, एक महीने का जो आपने प्रयास किया है वह डायरेक्शन्स प्रस्तुत करें और वह ऐसे डायरेक्शन्स हों जो प्रदेश के लिए भी लाभदायक हों और सारे देश के लिए भी लाभदायक हों। तो इस प्रकार के डायरेक्शन्स दें, अपना पूरा दिमाग लगाएं, अपने विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके भी माइन्ड का आप प्रयोग करें और वह डायरेक्शन जिस प्रकार का करेंगे वह मैं जानना चाहता हूं।

लगातार राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। राजस्व घाटे के बारे में यह कहा गया है कि अभी तीन वर्षों के अन्दर राजस्व घाटा शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। अब आपने कहा है और मैं समझता हूं आप वित्त मंत्रीजी अभी हुए हैं और तीन वर्ष तक रहेंगे क्योंकि जिस प्रकार का आप प्रयास कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि वास्तव में यह राजस्व घाटा तीन वर्ष के अन्दर शून्य रहे क्योंकि पूंजीगत है उसमें तो अपने को घाटा रहता नहीं है और राजस्व घाटा रहता है, राजस्व घाटा रोकने के लिए आप क्या मैथड्स अडाप्ट कर रहे हैं, कौनसे कदम उठा रहे हैं जिससे राजस्व घाटा आप शून्य तीन वर्ष में करने जा रहे हैं इसकी भी पूरी तरह से आप अपना भाषण देते वक्त डिटेल इन्फार्मेशन दें कि तीन वर्षों में हम राजस्व घाटा शून्य करने जा रहे हैं, हमारी इस प्रकार की योजना है और हम इस प्रकार के मैजर्स ले रहे हैं जिससे तीन वर्षों में राजस्व घाटा शून्य कर दिया जाएगा। अब आपने इस बात पर भी जोर दिया है और जोर देना आवश्यक है कि आपकी कर वसूली में गुणात्मक सुधार किया जाएगा। कर वसूली में वास्तव में गुणात्मक सुधार किया जाएगा। कर वसूली में वास्तव में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। कर बंचना हो रही है। यह सभी जानते हैं कि कर बंचना हो रही है और इसके लिए हमें बहुत ही ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। कर बंचना जब तक चालू रहेगी, कितने भी आप टैक्सेज लगा दें परन्तु यह कर बंचना से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सम्बन्धित जो अधिकारी, कर्मचारी हैं इन पर बहुत ही नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आप फ्लाइंग स्क्वैड्स बढ़ा देते हैं और वहीं फ्लाइंग स्क्वैड्स स्थिति ऐसी पैदा करते हैं कि उनको जब लाभ मिल जाता है, अनुचित लाभ मिल जाता है तो फिर बाद में वे कार्यवाही उनके विरुद्ध में भी नहीं करते। तो इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यह फ्लाइंग स्कवैड्स जो आप कायम करें उसमें विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें कि वह बहुत ही ओनेस्ट हों। कम से कम ऐसे स्टैण्डर्ड ओनेस्ट हों जिससे अपने को कर की वसूली में गुणात्मक सुधार हो सके। इस प्रकार का प्रयास करना आवश्यक है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कर बंचना के लिए, अभी जितने भी डीलर्स हैं आज उनका माल आता है, डीलर्स भी अपना अकाउन्ट्स प्रस्तुत करते हैं, मैं यह चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट कम्पनीज जो डीलर्स से डील विद करती हैं ट्रांजिक्शन से डील विद करती हैं उनसे भी फोर्ट नाइटली, 15 दिन के अन्दर ही लेना चाहिए कि वास्तव में ट्रांसपोर्ट के जरिये हमने कितना सामान भेजा है और कितना सामान आया है। यह भी जानकारी हमें प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि इससे हमें पता लग जाएगा कि डीलर जिस प्रकार से अकाउंट प्रस्तुत कर रहे हैं वह वास्तव में सही अकाउंट प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह जानने की बहुत आवश्यकता है।

अभी जो टैक्सेज लगाये गये हैं, व्यवसाय कर के बारे में मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, पढ़ा है। तर्क संगत व्यवसाय कर लगाया गया है। पहले तो लगाया था वह वास्तव में तर्क संगत था ही पर अभी तक जितनी भी कोशिश की गयी है उसमें बिल्कुल तर्क संगत है। वह व्यवसायी भी यह कह नहीं सकते कि टैक्सेशन आफिसर उन पर दबाव डालकर उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो क्लियरली यह कह दिया है कि एफेडेविट, हलफनामे के आधार को ही हम मान्यता दे देंगे। परन्तु मेरा व्यापारियों से भी यह निवेदन है कि हलफनामा वह सही प्रस्तुत करें और हलफनामे की भी जांच हो जानी चाहिए क्योंकि हलफनामा यदि जांच होने पर सही नहीं पाया जाता है और वह हलफनामा

(14.36 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सही नहीं होता है तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा बनता है और फौजदारी मुकदमे की कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि उनको जब पूरी छूट है हलफनामा पेश करके कोई भी उनके अकाउन्ट्स की जांच नहीं की जाएगी अधिकारियों द्वारा, तो उनका भी यह फर्ज है कि वह इमानदारी के साथ एफेडेविट प्रस्तुत करे ताकि एफेडेविट प्रस्तुत करके सही उसके बारे में टैक्सेज बतलाएं।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

इसके साथ-साथ जो टर्न ओवर टैक्स है उसकी सीमा बढ़ा दी पचास लाख ऊपर टर्नओवर टैक्स लगेगा व्यापारियों पर। आज अगर करोड़पति है, दो करोड़, पचास लाख से ऊपर का बिजनस करता है, टर्न ओवर करता है तो उनको टैक्स देना चाहिए। उसके लिए उनको शिकायत रहती है कि आज अगर कोई भी टैक्स वसूल करते हैं तो हम ऐसे लोगों से ही वसूल करते हैं जो कि पैसे वाले हैं। जो वास्तव में अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, बिजनस करते हैं, अच्छा कमाते हैं तो उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। तो यह टर्न ओवर टैक्स का जो निर्णय लिया गया है, यह भी स्वागत योग्य है।

विलासिता कर के बारे में वास्तव में यह 500 रुपये की सीमा ठीक नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि आज दिल्ली में जाएं तो 500 रुपये तो आर्डिनरी कमर के रखे हैं। यहां पर भी आर्डिनरी कमरे के 500 रुपये रखे हैं। तो वह उसका दुरुपयोग करेगा पहले था 1200, अगर करना चाहते हो तो एक हजार रुपया कर दो। ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो तो एक हजार रुपया कर दीजिये अन्यथा यह जो विलासिता का है, नाम तो बहुत अच्छा है, मैं तो खुद विलासी व्यवस्था के खिलाफ हूं और विलासी जीवन के खिलाफ हूं परन्तु 500 रुपये में तो आज मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भी लाभ नहीं उठा सकता। उसके बदले में तो आप यह करिये, आज स्थिति यह है कि होटल्स जो हैं वास्तव में उनकी इनकम बहुत ज्यादा है और इस प्रकार के जो ढाबे हैं उनकी भी इनकम बहुत ज्यादा है, आज सैण्ट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज ढाबों को इनकम ज्यादा है तो वह इनकम टैक्स उनसे क्यों नहीं वसूल करते। सैण्ट्रल गवर्नमेंट उनसे इनकम टैक्स वसूल करें तो अपने को स्टेट्स को भी शेयर मिलेगा। तो यह स्थिति पैदा हो सकती है उनसे इनकम टैक्स ले सकते हैं।

आज स्थिति यह है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं यह बहुत ज्यादा अपने धंधे में इस प्रकार करप्शन करते हैं तो आप इनके करप्शन के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है कि हम उन पर रेड्स करेंगे और रेड्स कर रहे हैं, आप रेड्स करिये, उन पर भी रेड्स करिये, आप राजनीतिज्ञों पर भी रेड्स करिये, आप एम.एल.एज. पर भी रेड्स करिये, जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं और यह भी देखिये कि वास्तव में कौनसे मंत्री हैं जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज सबको पता पड़ता है। हमें मालूम पड़ जाता है कि यह मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि आज उसने सम्पत्ति का ब्यौरा दे दिया है, अगर सम्पत्ति का ब्यौरा दे दिया तो आपको उससे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। आज पारदर्शिता होकर के हमें अगर स्पष्ट नहीं करते हो तो मुख्य मंत्रीजी खुद तो देख लें कि वास्तव में इन्होंने जो विवरण

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पेश किया है, यहां जो सम्पत्ति का ब्यौरा दिया है वह वास्तव में सही है या नहीं है। तो इस प्रकार करके आज इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे तब तो हमारे ऊपर जनता विश्वास करेगी अन्यथा हमारे ऊपर जनता विश्वास करेगी नहीं। मैं यह स्थिति देख रहा हूं, करीब 30 वर्षों से देख रहा हूं, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुलजारी लालजी नन्दा ने कोशिश की थी। बड़े-बड़े मुखियाओं और नेताओं ने कोशिश की और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी कर रहे हैं। यह इनको चुनौती है, आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है और उस कठिन काम को करोगे तो यह हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। भ्रष्टाचार के लिए मैं कहता हूं प्रत्येक पार्टी को एकमत होना चाहिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रहेगा और जारी रख कर ही हम, उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और किसी का हौसला, हिम्मत नहीं होगी कि वह भ्रष्टाचार करे। आज इस भ्रष्टाचार के बारे में, कर वसूली के बारे में, कर वंचना जो करते हैं उसके सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा दिया जाये तो आपका बहुत बजट, जिसे सन्तुलित बजट कहें, वास्तव में सन्तुलित बजट हो सकता है अन्यथा सन्तुलित बजट नहीं हो सकता है।

कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी ही खतम कर दूंगा। आपने अनेकों पाबन्दी लगा दी है नियुक्तियों पर। हम यह समझते हैं कि हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या इसलिए भी है कि हमारे यहां जेन्ट्स की कमी है। इसलिए भी कमी है कि 10 वर्षों के अन्दर आपने हैल्पर्स की एक भी संख्या बढ़ाई नहीं और योजना दुगुनी और तिगुनी हो गई। आज, पम्प ड्राइवर्स की कमी है। तो जो आवश्यक हो उनकी तो आप पूर्ति करें। योजना उसके अनुसार नहीं चलेगी। इसी प्रकार बिजली के बारे में जो योजनाएं हैं, दिनोंदिन बढ़ रही हैं और योजनाओं के अभी हमारे क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में आंधी आती है और पोल गिर जाते हैं और वह ठीक नहीं हो पाते हैं। एक-एक, दो-दो महीने तक ठीक नहीं हो पाते हैं। गर्मियों में पीने के पानी का संकट तो यहां है ही और उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज इसके सम्बन्ध में केन्द्र व्यवस्था करे। मैंने प्रश्न पूछा था उसके सम्बन्ध में कहा कि दूसरी जगह से हम भेजते हैं तो आदमी आते नहीं है। तो यह गवर्नमेंट की कमजोरी है। आज आप प्रमोशन करके भेजते हो और वह नहीं आते हैं तो आप उनका इम्पलीमेंटेशन करिये, उनको बाध्य करिये कि वह आये और योजनाएं सुचारू रूप से चले। विद्युत की योजना सुचारू रूप से चले पीने के पानी की योजना भी सुचारू रूप से चले।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

आज अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। अकाल की स्थिति पैदा होने से हमारे सामने बीमारी मिलेगी। 25 डाक्टर्स की कमी है, 125 ए.एन.एम. की कमी है। आप उनकी पूर्ति करिये। आज फाइनेंसेज के बारे में यह नहीं है कि आप इनकी पूर्ति नहीं करोगे। उसके अन्दर आप समझोगे कि हम किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाये रखेंगे, तो मेडिकल फेसेलिटीज नहीं होने से बहुत सी बीमारियां हो जायेंगी। इसके सम्बन्ध में भी हमको ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वास्तव में नियुक्तियों में जिनकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की अवश्य पूर्ति करनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है नहीं तो आज जो भी विद्युत की सेवाएं हैं, पीने के पानी की सेवाएं हैं सुचारू रूप से चल नहीं सकतीं।

अब मैं शराबबंदी के बारे में आना चाहता हूं। मैं पहले जब एम.एल.ए. था हमने पूरी कोशिश करके (व्यवधान) पहले जब मैं था एम.एल.ए. 1977-80 में हमने प्रयास करके शराबबंदी करवा दी थी और हमारे ही मुख्य मंत्री, शिवचरणजी माथुर आये, वापस शराब चालू कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ है कि गांव-गांव में शराब फैला दी। ऐसा कोई गांव बाकी नहीं रहा है जहां शराब की बिक्री नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोरदार प्रचार और प्रसार करके करोड़ों रुपये की सम्पत्ति इकट्ठी करना चाहते थे, मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी के अपन फालोअर्स हैं और महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब भ्रष्टाचार की जननी है और जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं वह शराब के कारण बढ़ रहे हैं, आप कहते हैं कि इस प्रकार का व्यभिचार चल रहा है, व्यभिचार और बढ़ेगा इस प्रकार शराब चालू होगी तो। इस व्यभिचार को और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। व्यभिचार बढ़ता ही जायेगा। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबंदी आपने करवा दी बहुत अच्छा काम किया। वापस चालू क्यों करवाई ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : यही तो कह रहा हूं कि चालू क्यों करवाई। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तब की। मैं लोक सभा का सदस्य हो गया नहीं तो मैं तो रेजिस्ट करता कि शराब की बंदी होनी चाहिए। अभी भी जोर दे रहा हूं कि आप शराबबंदी जब तक नहीं करोगे, आप कह सकते हैं कि अवैध शराब होगी, उस पर भी नियंत्रण अपन करेंगे परन्तु शराबबंदी होनी बहुत आवश्यक है, जरूरी है। उसके बिना अपराध कम नहीं हो सकते हैं।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने में हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ है और राजस्थान में बाड़मेर जिला सबसे पिछड़ा हुआ है, यह हमारा दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य

श्री वृद्धिचन्द जैन : बस समाप्त कर रहा हूं। जनसंख्या नियंत्रण की बात कह रहा हूं। पहले जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश की, हमारी केन्द्र सरकार में कोशिश चली उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया और उसका लाभ उठाया। लाभ उठा कर 1977 में जो गवर्नमेंट बनी उनकी, वह इस कारण बनी। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे ज्यादा शराब चालू हुई, गांव-गांव में चालू हुई। जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी बेरोजगारी किसी हालत में भी मिट नहीं सकती, कितने भी प्रयास करें। अपनी जनसंख्या हो रही है एक अरब मई महीने के अन्दर। हम चीन से भी काम्पीटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव दे रहा हूं। ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच पर जिस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उसी प्रकार गवर्नमेंट सर्वेंट का जो अपाइंटमेंट होता है उस अपाइंटमेंट के समय ही शर्त लगा देनी चाहिए कि उसका अपाइंटमेंट जब होगा जब वह नियमों का पालन करे, दो से ज्यादा सन्तान करे नहीं, अगर तीन उसकी सन्तान है या दो सन्तान है तो बाद में और सन्तान वह करे नहीं और इस प्रकार से सन्तान होती है तो उसको नौकरी में से निकाल दिया जाना चाहिए। आज एम.एल.ए. का भी टिकट नहीं मिलना चाहिये, लोक सभा के सदस्य को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए जो नियमों का पालन नहीं करे। जो पंचों और सरपंचों पर लागू होता है, सब पर इस प्रकार लागू होने की आवश्यकता है। दूसरा महिला शिक्षा पर जोर देना चाहिए। महिला शिक्षा पर जोर देकर के, इसका प्रचार करके हम व्यवस्था कर सकते हैं और अल्पसंख्यकों को भी कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों, आप भी उसके अन्दर हमारे को मदद दीजिए क्योंकि आज अल्प-संख्यकों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। यहां पर आप सभी जितने भी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उन एम.एल.एज, एम.पीज. को एकमत होकर के पूरे कार्यक्रम करके जनसंख्या नियंत्रण पर काबू करना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है और सुझाव है। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती यासमीन अबरार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप फिर उधर ही चले गये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : टाइम ओवर हो गया तो क्या हो गया। कुछ निर्दलीय सदस्य भी बैठे हैं। टाइम पीरियड का तो नहीं हुआ करता।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है। आपका तो टाइम ही नहीं है, टाइम दे रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : टाइम दीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : दे रहे हैं ना। हाउस एडजोर्न थोड़े ही हो गया।

श्री हीरासिंह चौहान : जो बात होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए जब ही बजट भाषण का आनन्द आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। इतनी देर में तो निपट जाते वह।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने ऐसा बजट पेश किया जिससे गरीबों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, मध्यम वर्गों और समाज के हर तबके को राहत मिली है। साथ ही मैं बधाई देऊंगी कि हमने अपने चुनाव के समय जो हमारा मेनिफेस्टो था, जो हमने जनता के बीच में रखा था, जिसके जरिये हमने जनता से वायदे किये थे वह इस बजट में हम काफी हद तक पूरा करने जा रहे हैं। वह वायदे मुख्य रूप से चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में थे, सब इस बजट से पूरे होंगे और सरकार इसलिए भी बधाई की पात्र है कि सरकार ने अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया, चुनौती भरे चुनाव हमारे मुख्य मंत्रीजी ने करवाये, गांव और ढाणी में बैठे गरीब किसान तक सत्ता को पहुंचाया और उसे सत्ता में भागीदार बनाया।

उपाध्यक्षजी, राजस्थान में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह है पीने का पानी। हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 53 साल बाद भी प्रदेश में बहुत से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1230 करोड़ 89 लाख रुपयों का जो प्रावधान किया वह प्रदेश की पेयजल समस्या को देखते हुए किया है, जो प्रशंसनीय है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि इस राशि का वितरण सही प्रकार से हो जिससे वास्तव में प्यासों को पानी मिल सके तथा इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पेयजल के लिए वितरित की जाने वाली राशि में कोई राजनीतिक भेदभाव न हो। हर पार्टी को उसमें हिस्सा मिले। क्योंकि प्यासा व्यक्ति प्रदेश में किसी क्षेत्र का हो अथवा किसी भी दल से संबंधित हो वह आपकी ओर बड़ी आशा और उम्मीद से देख रहा है। इस राशि के खर्च करते समय बहुत सख्ती के साथ इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश रहे ताकि वह गरीब जनता के पीने के पानी के पैसों को अपनी विलासिता में न बदलें। क्योंकि जब हम गांवों में जाते हैं आये दिन तो यह मालूम पड़ता है कि वहां हैंड पम्प लगा हुआ है लेकिन साथ में यही सूचना मिलती है कि या तो उसमें पानी नहीं आया और अगर आया है तो एक हफ्ते के बाद बंद हो गया। तो मेरा आपसे

(श्रीमती यासमीन अबरार)

निवेदन है कि पुराने हैंड पम्पों को सुधारने के लिए शायद जो आंकड़े कागजों के अन्दर दिये जाते हैं वह न रहें। कुओं को साफ करना तो शायद वहां के कर्मचारी और अधिकारी भूल ही गये। विभाग के अधिकारियों को इसके लिए आप निर्देश दें।

माननीय मंत्रीजी, आपने भरतपुर और धौलपुर के 212 गांवों को पीने के पानी से उपलब्ध कराया है और इसकी घोषणा की है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं परन्तु साथ ही, माननीय मंत्रीजी, आपको मैं यह भी बताना चाहती हूं कि चम्बल नदी सवाईमाधोपुर की सीमा से बनती है, जो सीमा को बनाती है और चम्बल नदी सवाईमाधोपुर के बीच से ही गुजरती है और वर्षों से सवाईमाधोपुर की जनता इस बहते हुए पानी को देख कर इस आशा में बैठी है कि शायद चम्बल का पानी पीने के लिए हम तक भी पहुंचेगा। चम्बल सवाईमाधोपुर मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः मैं मंत्रीजी से, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगी कि भरतपुर और धौलपुर के 212 गांवों को चम्बल से पीने के पानी की जो योजना दी है उसी तरह से सवाईमाधोपुर जिले के चम्बल के समीप पड़ते सभी गांवों तथा सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करें। यह वहां की जनता का दुर्भाग्य ही रहा है कि वहां पीने का पानी होते हुए भी वह प्यासी है। मुझे आशा है, आप इस ओर ध्यान देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। दिलावरजी, महिला बोल रही हैं।

श्रीमती यासमीन अबरार : मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में शहर में एवं खिरनी, मलारनाडूंगर, कुंडेरा, श्यामपुरा, सूरवाल, सेलू, सेसा आदि गांवों में पानी की टंकियों का अतिरिक्त निर्माण हो। पुराने नलों की मोटी पाइप लाइन डाली जाये क्योंकि पानी की खपत ज्यादा होने लगी है। क्षेत्र में नये हैंड पम्प कम से कम प्रत्येक पंचायत में दो से तीन लगाये जाने की मांग रखती हूं। पुराने हैंड पम्प कागजों में नहीं बल्कि वास्तव में सुधारे जायें।

उपाध्यक्षजी, इस बजट में बड़ी सड़कों के लिये 140 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, मरम्मत पर 30 करोड़ एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 58 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। जिससे प्रदेश के 160 गांव सड़कों से जुड़ेंगे। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देती हूं लेकिन साथ ही मैं यह आग्रह करती हूं कि राशि का वितरण सही हो। सड़कों की गुणात्मकता पर ध्यान दिया जाये। सड़क बनाने वाले अधिकारी और ठेकेदारों की अकांउटेबिलिटी निर्धारित होनी चाहिए ताकि उनसे बाद में पूछा जा सके तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। मेरे क्षेत्र में जितनी बुरी हालत सड़कों की है, मुश्किल से ही कहीं और होगी। मेरे क्षेत्र की मुख्य सड़क भाड़ोती से मलारना स्टेशन, शेरपुर,

(श्रीमती यासमीन अबरार)

खिलजीपुर से श्यामपुरा, मलारनाडूंगर से बहतेड़, खोरी तथा सूरवाल की सड़क की स्थिति दयनीय है। साथ ही मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़ने की प्रतीक्षा में है जिनमें मुख्य रूप गोली पंचायत समिति के गांव साखला, खतरोली, माधोपुर, पंचायत समिति के एंडा बालोलास, ओलवाड़ा, खटुपुरा तथा भूखा आदि हैं। अतः प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने की सरकार की नीति में इन पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ने के लिये मैं आग्रह करती हूं। मेरे क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय के अलावा बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका सड़क से जुड़ना नितांत आवश्यक है जिनमें रेइताखुर्द, रइताकलां, लोदीपुरा, रसूलपुरा, भालजा, कांसी, दोबड़ा, नयापुरा, माधोसिंहपुरा आदि गांव शामिल हैं।

उपाध्यक्षजी, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना अलग महत्व है और अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हमारे देश में आये तो उनके देश में बिताये गये समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक सौंदर्य को देखने में गुजरा। माननीय मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में पूंजीगत खर्चे के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपये एवं पर्यटन प्रचार-प्रसार के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, मेरी दृष्टि में यह राशि बहुत कम है। अतः इस राशि को कम से कम दुगुना किया जाये।

माननीय मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को तो याद रखा पर शायद सवाईमाधोपुर को आप भूल गये। मुझे बड़े खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि सवाईमाधोपुर प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक तीनों दृष्टि से पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। वहां का रणथम्भौर प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरता है तो रणथम्भौर दुर्ग वहां के इतिहास की गवाही देता है तो साथ ही रणथम्भौर दुर्ग में स्थित गणेशजी के मंदिर में गणेशजी की प्रतिमा न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है परन्तु आपके सम्पूर्ण भाषण की पुस्तिका में सवाईमाधोपुर का कहीं नाम नहीं है। मंत्रीजी, ऐसा क्यों? आप क्यों सवाईमाधोपुर को भूल गये या आप गणेशजी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहते हैं? इसका मुझे आप जवाब दें।

माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे यह आग्रह है कि सवाईमाधोपुर में टाइगर, प्रोजेक्ट होने के कारण वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं लग सकता है क्योंकि पर्यावरण इसमें बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। सवाईमाधोपुर की वह जनता जिसने अपने हक की सैंकड़ों बीघा जमीन टाइगर प्रोजेक्ट में दी, आज वह लोग रोजगार से वंचित हैं, खेती से वंचित हैं, जंगल की सूखी लकड़ियों से वंचित हैं, घास से वंचित हैं, यहां तक कि नदी और नालों की जो बजरी होती है उस तक से वंचित हैं। ऐसा शायद कहीं नहीं होगा। अतः उनके लिए कोई सहारा बचता है तो वह है पर्यटन और पर्यटक। इसलिए वहां

(श्रीमती यासमीन अबरार)

विशेष ध्यान देकर कम से कम 5 करोड़ का एक विशेष पैकेज, योजना बनायी जाय। वहां के अविकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करें जिसमें विशेष तौर से अम्बेश्वर, सोलेश्वर, चम्बल नदी पर बालाजी, मानसरोवर, जोगेश्वर, कमलधार, बनास नदी है। अगर कोई एक पैकेज, योजना बना दी जायेगी तो इससे एक आकर्षण रहेगा और उस आकर्षण के जरिये इसका विकास हो सकता है। सवाई-माधोपुर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए वहां एक फिल्म सिटी बनायी जाये तो न सिर्फ देश का बल्कि एशिया का फिल्म उद्योग का केन्द्र बन सकता है तथा इससे सवाईमाधोपुर की उपरोक्त सभी समस्याओं का तो समाधान होगा ही, साथ ही राजस्थान प्रदेश की अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगी कि एक विशेष लग्जरी पर्यटन बस चलायी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, वन के महत्व को आम आदमी के जीवन में नकारा नहीं जा सकता। माननीय मंत्रीजी ने 101 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान प्रदेश में वन विकास के लिए किया है, इस सम्बन्ध में मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि इससे आधी राशि भी वास्तव में वन विकास पर लग जाये तो शायद वनों का काफी विकास हो सकता है। परन्तु आज जिन योजनाओं के तहत वन विकास की बात चल रही है वह सिर्फ कागजी खानापूर्ति साबित होती है तथा वन विभाग के कर्मचारियों का और अधिकारियों का व्यवहार जनता के प्रति अशोभनीय होता है। बूढ़ी-बढ़ी महिलाएं सिर पर बोझा ढोकर ले जाती हैं उनसे पैसा लेना और उनको परेशान करना, यह एक आम बात है। अतः मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि इस पैसे का सही सदुपयोग हो तथा गरीब लोगों के प्रति वन विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से संवेदनशील रहें।

(15.00 बजे)

सूखी लकड़ी लाने के लिए सही रूप से उनको परमिट इश्यू किये जायें। यहां तक कि जो परमिट इश्यू होते हैं उनको भी वह काम में तब तक नहीं लेने देते हैं, जब तक कि उनको रिश्वत नहीं देते हैं। उनके परमिटों को उठाकर रख लेते हैं और उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देती हूं कि उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों के इलाज के लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की तथा उसमें 15 करोड़ रुपये दिये जिससे सीधे-सीधे अत्यन्त गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगी कि प्रदेश में गरीबों के लिए निःशुल्क दवाइयां, जांच, एक्सरे आदि की जो सुविधा सरकारी अस्पतालों में है उसके लिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि वह गरीब तक निश्चित रूप से पहुंचे।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से सवाईमाधोपुर के अस्पताल में 150 बैड से 300 बैड करने की मांग करती हूं। नवीन जांच के समस्त उपकरणों की मांग करती हूं। साथ ही एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में सब सेन्टर खोलने की मांग करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा कि दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाकर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं तथा विद्यालयों को क्रमोन्नत किया उसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। इस संबंध में मैं मंत्रीजी को तीन सुझाव देना चाहूंगी। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए? बुनियादी और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाये,, उर्दू शिक्षा के महत्व को नकारा न जाये। जहां स्कूलों में उर्दू है वहा पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं। जहां पढ़ने वाले बच्चे काफी मात्रा में हैं वहां उर्दू नहीं है। अतः मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस संबंध में उचित व्यवस्था करें तथा इसके लिए बजट में वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कुछ जिलों और क्षेत्रों में उद्योगों का केन्द्रीकरण हैं, जिससे प्रदेश में भारी उद्योग असंतुलन है। अतः आज प्रदेश के लिए एक ऐसी उद्योग नीति आवश्यक है जिससे उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना जरूरी है। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जहां-जहां प्रान्त में उद्योगों का केन्द्रीकरण हुआ है वहां कई प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया है तथा वहां के आम आदमी पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पर्यावरण का दूषित होना, तेजाबी वर्षा का होना, कानून व्यवस्था का खराब होना, मजदूर संगठनों का टकराव होना आदि।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमेन्ट फैक्ट्री की तरफ दिलाना चाहूंगी जो करीब 12 साल से अधिक समय से बंद पड़ी है तथा वहां के पांच हजार मजदूर परिवार बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे हैं तथा सवाई-माधोपुर की संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगी कि भूख प्यास से बिलखते परिवारों की तरफ ध्यान दें। एक जमाना था जब यह फैक्ट्री एशिया की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री मानी जाती थी। इसके साथ ही मैं मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगी कि छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार आवश्यक वित्तीय सुविधा दे एवं वहां के कपड़ा बनाने वाले बुनकरों, जुलाहों को सूत उपलब्ध कराये एवं मदद दे क्योंकि यह वहां का वर्षों पुराना लघु उद्योग है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बजट मजदूर के, किसान के, गरीब के आंसू पोंछने कि दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा तथा प्रदेश के विकास में बहुत उपयोगी साबित होगा। परन्तु मंत्रीजी, आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि आपका बजट बहुत अच्छा है, बजटीय

(श्रीमती यासमीन अबरार)

प्रावधान बहुत अच्छे हैं, बजट में दी गयी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और पूर्व के कुछ बजटों में भी यह अच्छाइयां आयी थीं परन्तु उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार रूपी दानव उन सबको निगल गया तथा अपेक्षित परिणाम नहीं आ सके इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि वास्तव में अच्छे बजट का लाभ प्रदेश की गरीब जनता को पहुंचाना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करें, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना होगा अन्यथा सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकेंगे।

मैं आपको पुनः अच्छे बजट के लिए बधाई देती हूं तथा यह कामना करती हूं कि आपको ऐसी शक्ति मिले जिससे आप भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आर्थिक स्थिति जर्जर है, बहुत शोचनीय है। कर्जा बढ़ रहा है, बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं, ब्याज निरंतर बढ़ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, सकल उत्पादन कम हो रहा है, एम्प्लायमेंट अपार्चूनिटीज कम हो रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा है। यह बातें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते लगातार राजस्थान की जनता को कही है और राजस्थान की जनता को इस बात से कन्विन्स कर दिया कि बी.जे.पी. के शासनकाल में यह सब कुछ हुआ और इस कन्विन्स होने की वजह से राजस्थान ने कांग्रेस को सत्तारूढ़ किया। दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि things are going from bad to worse. बद से बदतर स्थिति हो रही है। आपके शासन संभालने के बाद रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ रहा है, बजटीय डेफिसिट बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट और बढ़ रहा है, कर्जा और बढ़ रहा है, ब्याज निरंतर बढ़ रहा है, एम्प्लायमेंट अपार्चूनिटीज कम हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, सकल उत्पादन घट रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कर्ज के बारे में कई इलस्ट्रेशन बताये हैं, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यह अपने आपमें तथ्य है कि 8 वर्ष की अवधि में 23 हजार करोड़ का कर्जा, माननीय चंदन मलजी बैद ने खुद विश्लेषण किया था कि यह बी.जे.पी. सरकार छोड़कर गयी है। 6 हजार का कांग्रेस छोड़कर गयी थी और 1300 का कर्जा राष्ट्रपति शासन में हुआ यानि 16 हजार का कर्जा 8 साल के शासन में हुआ। आपने भिड़ते ही 12 हजार का कर्ज लिया, 7 हजार का कर्ज तो आपने कहा कि हम लेंगे, अनुमानित और रिवाइज एस्टीमेट है 12 हजार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेनीफेस्टो की ग्रेविटी की ओर, गंभीरता की ओर सदन का ध्यान दिलाने के लिए यह बात बता रहा हूं कि चौपट अर्थव्यवस्था क्या है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह मेनीफेस्टो है जिसके लिये बार-बार मुख्य मंत्रीजी बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने यह चीफ सेक्रेटरी को दे दिया, मैंने यह ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि ब्यूरोक्रेसी का मेनीफेस्टो से कोई ताल्लुक नहीं होता है। शासन आपका है, आप निर्णय लीजिये, ब्यूरोक्रेसी बाध्य है आपके निर्णयों की क्रियान्विति के लिए लेकिन ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं मेनीफेस्टो इम्प्लीमेंट करना। यह सदन लगातार सुन रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यधिक विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपने ब्यूरोक्रेसी पर डिपेन्ड किया है तो ब्यूरोक्रेसी ने आपका क्या किया है, "बी.जे.पी. शासन में चौपट अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कांग्रेस शासन में 7 पंचवर्षीय योजनाओं में इतना खर्च हुआ, वर्ष 1989-90 में आंतरिक एवं भारत सरकार के ऋण एवं अन्य उत्तरदायित्व कांग्रेस के सत्ता छोड़ते समय 6026 करोड़ थे जो कि भाजपा शासन के 8 वर्ष में बढ़कर 23361 करोड़ रुपये हो गये। इस राशि पर 2210 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य को ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह राशि राज्य के कुल राजस्व का 50 प्रतिशत है। अब आपका 1999-2000 में फाइनेंस मिनिस्टर, 61 परसेंट हो गया है, 2809 और टैक्स रेवेन्यू क्या है, 4775, आप कहां ले जाना चाहते हैं? आपका भाषण ठीक है, यह आपने मेनीफेस्टो पकड़ा दिया उनको, सुधार वह कुछ नहीं कर सके। मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया या राजस्थान को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के साथ फर्जकारी की गयी है। मैं आपके डाकूमेंट से, जो बजट के पेपर आपने प्रोवाइड किये हैं उनसे यह बात प्रमाणित कर दूंगा। वित्त मंत्रीजी पैरा 16, पेज 10," आगामी वर्ष में हमारा पूरा जोर राजकोषीय समेकन (फिस्कल कंसोलिडेशन) व वित्तीय अनुशासन (फाइनेंसियल डिसिप्लीन) पर रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राजस्व घाटा होना उचित नहीं है। अतः हम एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व घाटे को अगले 3 वर्षों में समाप्त करना चाहते हैं। जहां तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, राज्य के सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में इसका एक सीमा से अधिक होना चिंता का विषय है। इस वर्ष बजट अनुमानों के अनुसार हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.84 प्रतिशत अनुमानित था। संशोधित अनुमानों के आधार पर यह प्रतिशत 8.51 रहना सम्भावित है। आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.46 प्रतिशत रहना सम्भावित है। अतः आगामी कुछ वर्षों में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत तक सीमित हो जाए इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे।"

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अब आप अपने बजट भाषण को देखिए, रेवेन्यू घाटा आप कम कर देंगे क्या इण्डीकेशन है? संशोधित अनुमानों का विवरण देखिए राजस्व खाते में घाटा 3391 अनुमानित और रिवाइज्ड 3860 करोड़ 2 लाख और 2000-2001 के लिए राजस्व खाते में घाटा 3346 करोड़ 70 लाख रुपए, कैसे खतम कर देंगे आप? आपने तीन वर्ष में खतम करने के लिए कहा है। तीन वर्ष में खतम करने के लिए कहा है, ग्रेजुअली नहीं कहा है आपने। फिर आपने कहा कि फिस्कल डेफिसिट हम कम करेंगे। वित्त मंत्रीजी, यह फिस्कल डेफिसिट का मैं जो चार्ज लगा रहा हूं, वह इसलिए लगा रहा हूं कि आपने 8.84 जो सकल घरेलू उत्पाद का बताया यह आपकी फर्जकारी है। आपकी फर्जकारी है, आपके ब्यूरोक्रेसी की फर्जकारी है आप सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। यह एक व्हाइट पेपर है, आपने पब्लिश किया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, मुझे नहीं पता, मैं कोई इकानामिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो साधारण कागज देखकर समझने की चेष्टा करता हूं, मैंने सोचा, यह फिस्कल डेफिसिट है क्या बला, राजकोषीय घाटा क्या चीज होता है, प्रद्युम्न सिंहजी जैसे विद्वान आदमी के बजट भाषण पर बहस में अगर हिस्सा लेना है तो पहले जानकारी तो बढ़ाएं...(व्यवधान) देखो जी, वर्डली वाइज तो हैं, यह गम्भीर विषय है। आप छोड़िए।

उपाध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर, 13 पर, राजस्थान के बजट घाटे, यह कॉलम एक, कॉलम दो, राजस्व घाटा कॉलम 3, बजट घाटा अधिशेष और कॉलम 4, ऋण और अन्य दायित्व 4 है, राजकोषीय घाटा सी प्लस फोर, यानी बजट घाटा और ऋण और अन्य दायित्व, इनको जोड़ दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट आता है। अब आप इसको लीजिए, आपने जो केलकूलेट किया है, उधार एवं अन्य देनदारियां, ऋण और अन्य दायित्व 12294.76, वही चीज है न, और बजट घाटा, यह बजट घाटा है 766.96, यह कितना हुआ? पूरा 13 हजार समथिंग हुआ। आपने क्या किया है, नैट बोरोइंग्स। यह कौनसी इकानामिक्स वित्त मंत्रीजी आपने चलाई है? What for you are playing with the people of the State? रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास आप जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास आप जाएंगे, तो कौन क्या करेगा, जो फैक्ट्स आपके नोटिस में आयेंगे कि आपने जो है पूरा का पूरा बदल दिया। आपके कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके अंदर नेट बोरोइंग्स को आप मिला करके और फिस्कल डेफिसिट निकाल दो और उस फिस्कल डेफिसिट को निकाल करके...(व्यवधान) हां, फार्मूला मैं समझता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वही का वही फार्मूला यहां एडाप्ट किया हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आपको बजट भाषण का उत्तर देते समय मौका मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्यों बोलती हैं कि मौका मिलेगा? मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा कि यही फार्मूला है, सारे देश में लागू है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, सारे देश पर लागू है। वित्त मंत्रीजी, मैं अत्यधिक विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समझ में यह बात नहीं आ रही है, फार्मूले से केलकूलेट नहीं किया गया है। दो फार्मूले हैं, तीसरा कोई फार्मूला नहीं है जो यूनिवर्सली माने जाते हैं। यह कोई फार्मूला नहीं है कि नेट बोरोइंग्स को उसमें मिला दिया जाए। आपने खुद ने व्हाइट पेपर निकाला कि नहीं निकाला? मैंने उसको पढ़कर सुनाया, आपका दूसरा फार्मूला मेरे पास है, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, उससे भी वही रकम आएगी। नेट बोरोइंग्स को नहीं मिलाया जाता, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : फिस्कल डेफिसिट का जो फार्मूला है, वही फार्मूला आपने आगे काम....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने व्हाइट पेपर का जिक्र नहीं किया, जो फिस्कल डेफिसिट मैंने अपने बजट भाषण में दिया है, मैंने उसका जिक्र किया है, मैंने व्हाइट पेपर वाला जिक्र नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्हाइट पेपर तो आपने देखा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने व्हाइट पेपर देखा है। I don't....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखा है तो व्हाइट पेपर में फिस्कल डेफिसिट निकालने का फार्मूला एडॉप्ट किया गया है, वह फार्मूला आपने बजट भाषण में एडॉप्ट किया है या नहीं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : I cann't say right now. कौनसा कियैा है, फार्मूले दो हैं। डिफरेंस कैसे हैं, उसको समझना पड़ेगा। आप जो कंफ्यूज करने की चेष्टा कर रहे हैं कि व्हाइट पेपर का फार्मूला और वह फार्मूला एडाप्ट किया है कि नहीं किया है, Till I don't compare, I cann't make any commitment over here.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमिटमेंट क्या है आपका?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना, ना, मैं कुछ नहीं कहता, जब तक मैं इसका मिलान नहीं कर लूंगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह तो कह सकते हैं न, मिलान मत करो, यह कह दीजिए कि जो व्हाइट पेपर में फिस्कल डेफिसिट का जो फार्मूला है वह सही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि जब तक मैं दोनों की स्टडी नहीं कर लूंगा तब तक आप इस स्टेज पर मुंह में रखवाकर कहलवाना चाहें, मैं कहने के लिए, नेता महोदय, तैयार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि जो व्हाइट पेपर में फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला है वह सही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : You can presume anything, That is for you. That is for you, I will explain it day after tomorrow.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, यह हो गई न बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या सही है, क्या गलत है, यह तो बताओ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : परसों बताऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मुख्य मंत्रीजी ही नहीं—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस पर चर्चा होगी, मंत्रीजी जवाब देंगे, वह व्हाइट पेपर सदन की टेबल पर रखवाइए।

एक माननीय सदस्य : रखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : व्हाइट पेपर तो है यहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है, सदन की टेबल पर रखवा दें तब यह सदन का डाकूमेंट बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां से आया आपके पास?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सबके पास आया है लेकिन सदन की मेज पर रखने के बाद, उस व्हाइट पेपर की सैंक्टिटी अलग होती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस।

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह डिस्ट्रिब्यूट किया हुआ है, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अभी काहे पर कर रहे हो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैंक्टिटी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी काहे पर कर रहे हो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी कर रहे हैं न।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बात तो वही की वही हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अखबारों में छपी हुई बातों पर चर्चा होती है यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों की बातों पर लोग यहां चर्चा करते हैं, अखबारों को कोट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अखबार की बातों पर नहीं जा रहा हूं। आपने व्हाइट पेपर का रेफरेंस दिया है और सुरेन्द्रजी व्यास ने भी व्हाइट पेपर का रेफरेंस दिया है, वह व्हाइट पेपर सदन की मेज पर रखवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रखवा दीजिए, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : जिस पर डिस्कशन हो रहा है, व्हाइट पेपर पर सारा वह डिस्कस कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कई सब्जैक्ट ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं कि हम सब सदस्यों को मिलें।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर परसों व्यवस्था दे देंगे, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसों नहीं आज कीजिए व्यवस्था, तो कल परसों की डिबेट में काम आए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सरकारी डाकूमेंट को रखवाने में क्यों संकोच करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी डाकूमेंट आपके पास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकारी डाकूमेंट सदन की मेज पर रखने में क्या दिक्कत आ रही है?

श्री उपाध्यक्ष : उसको नहीं रखें तो क्या फर्क पड़ रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्क पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या फर्क पड़ता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्क पड़ता है, जो आज बोल रहे हैं, वह नहीं बोल पाते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : टेबल करवा दीजिए आप, क्या दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं न आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल नहीं पाते, अब बदल गए न एक ही मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : कहां बदल गए?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बदल गए, वह कह रहे हैं, मैं दोनों को देखकर बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह रहे हैं कि मैं परसों जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार ने एक डाकूमेंट तैयार किया है, डाकूमेंट तैयार करके प्रेस को दिया; डाकूमेंट का रेफरेंस सदन में आता रहे........

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और डाकूमेंट सदन की मेज पर नहीं रखा जाए, इसके पीछे राज क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : उसका डिफरेंस क्या पड़ता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिफरेंस तो पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई डिफरेंस नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रखवा दीजिए न तो।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी ही नहीं, काहे को रखवा दें? जरूरी क्या है इसमें? आप अपना औचित्य बताइए कि इस पर रखने से यह फर्क पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका आब्जेक्टिव यह है कि उसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं गलत, उसकी फीगर्स....

श्री उपाध्यक्ष : क्या जरूरत है, आपके पास कागज हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए, एक मिनट, तसल्ली रख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली तो खूब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके जो फिगर्स हैं दिए हुए, उन फिगर्स और बजट स्पीच की फिगर्स में बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अगर यह डिफरेंस है तो क्या हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इस सरकार के खिलाफ ला सकते हैं? यह तय कर दीजिए, फिर मत रखवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप लाएंगे तब चर्चा करेंगे। आप लाकर देख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह चर्चा के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाकर देख लीजिए, पहले कमिटमेंट क्यों चाह रहे हैं आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, आपको क्या दिक्कत हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आप लाएं ही नहीं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन और आप यहां पर कमिटमेंट चाह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी यह समझ में नहीं आता आपको सरकारी डाकूमेंट, जिसका रेफरेंस बार-बार आता है, आप रूल्स देख लीजिए, जिस डाकूमेंट का रेफरेंस बार-बार डिबेट में आयेगा That should be the property of the House.

श्री उपाध्यक्ष : It will be the property of the House only.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It is not the property of the House.

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आसन सरकार को कोई भी डाकूमेंट सदन की मेज पर रखने के लिए बाध्य कर सकता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आसन तो कर ही सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : परमिशन तो आप दे सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार रेफरेंस आयेगा उस डाकूमेंट को सदन की मेज पर रखा जाना चाहिए, यह परम्परा रही है। जिस डाकूमेंट के आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की बुनियाद रखी है उस डाकूमेंट को सदन की मेज पर रखा जाना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अनुमति दें तब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नयी परम्परा नहीं डालें। प्रतिपक्ष के नेता ने मांग कर ली, आपको कह देना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्हाइट पेपर मेरे पास है, मैं इसको टेबल कर देता हूं आप इजाजत दो तो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इसको सदन की टेबल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भले ही रख दो। आप रखें उससे क्या फर्क पड़ता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इसको टेबल पर रखता हूं। यह टेबल हो गया। कोई भी मैम्बर रख सकता है। विषयवार कोई भी पेपर होता है, माननीय सदस्य रख सकता है।

(मोहम्मद माहिर आजाद ने सदन की टेबल पर कागजात रखे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री रामनारायण चौधरी : ये अपनी मर्जी से रख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन की प्रापर्टी हो गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : Yes, it will become the property of the House.

श्री उपाध्यक्ष : यह वो भी रख सकते थे, आप भी रख सकते थे। यह तो आप भी रख सकते थे, आपको कौन रोक रहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन तो बाध्य कर सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं। नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो वे भी रख सकते थे, मैंने तो इजाजत दी थी उनको।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन अनुमति दे सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री को यह पता नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट कैसे केलकूलेट किया गया है। यह बात तो प्रमाणित है। By your own admission. तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ही नहीं, राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य मेनीफेस्टो पकड़ाते हैं ब्यूरोक्रेसी को, कि आप करो जो करना है, हमको पता नहीं है। वो बिना पढ़ा-लिखा आदमी है और कहते हैं यह लो, साहब, यह काम करना है आपको।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप आर्थिक समीक्षा पर आइए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद तो गिर गया। मंत्रीजी ने जो अपने भाषण में कहा है इसका इतना पर्सेन्ट हो गया। इतना पर्सेन्ट हो गया। ग्रोथ रेट कम हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, 67,805, यह सकल घरेलू उत्पाद है। इसका आप पर्सेन्टेज लगाएंगे फिस्कल डेफिसिट से तो वो पर्सेन्टेज कैसे आयेगा? यह वही पांच हजार वाला चक्कर है, नेट बोरोइंग्स को जो लगाया है, रिप्लेस किया है वो तमाम् आंकड़ों का जाल है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है, मैं आपसे ईमानदारी से अर्ज करना चाहता हूं, डेफिनेटली, आप यह मत समझिये, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मैं लाऊंगा वित्त मंत्रीजी के खिलाफ। इन्होंने आंकड़ों का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मायाजाल करके फर्जी आंकड़े पेश किये हैं। यह आपका बजट भाषण बजट नहीं है, वित्त मंत्री जी। जो बजट के कागज आपने दिये हैं, डाकूमेंट्स जो सूटकेस भरकर दिये हैं एक-एक एम.एल.ए. को, जो उठाकर ले गये हैं, वो बजट है।

श्री रामनारायण चौधरी : आंकड़ों के फेर से प्रिविलेज मोशन नहीं आता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रामनारायणजी, आप यहां बैठे डिफेंड करते रहो, आप अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में आओगे नहीं, लिखकर रख लो आप। (व्यवधान) सकल घरेलू उत्पाद की पर्सेन्टेज गिरी है, ग्रोथ रेट गिरी है और आपने उसको बढ़ा दिया, वह बढ़ा है, 1993-94 के लिए भी आप कहते हैं, 3.31 पर्सेन्ट बढ़ा है। 1998-99 में 10.98 पर्सेन्ट बढ़ा है, विगत अगर उससे लेते हैं आप। प्रचलित कीमतों पर भी लेंगे आप तो इनके शासनकाल में और बढ़ा है। इसलिए यह कहना अपने आप में सही नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डिक्लायन हुआ है, इस पर मैं सदन का समय नहीं लूंगा, माननीय माहिर आजाद ने डिटेल में तमाम आर्टिकल्स को बताया है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना कम हुआ है। पर केपिटा इनकम कम हुई है और पर केपिटा ऋण बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, व्हाइट पेपर पर कहते हैं, 31 मार्च, 1999 को सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 23,840.11 करोड़ रुपये हो जाना संभावित है। तब तक राज्य की जनसंख्या 5.35 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इसलिए प्रति व्यक्ति औसत ऋण की जो राशि, 1989-90 में 1442 रुपये थी बढ़कर अब 4454 रुपये हो जाएगी और वर्ष 1998-99 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण भार लगभग तीन गुना बढ़ जाएगा।

वित्त मंत्री जी, 31 मार्च, 2000 को प्रति व्यक्ति ऋण पांच हजार क्रोस कर चुका है। अपने जवाब में मेहरबानी करके इसका या तो खण्डन कीजिए या कन्फर्म कीजिए। बताइए सदन को कि प्रति व्यक्ति कितना ऋण भार बढ़ चुका है राजस्थान के ऊपर। It has crossed 5 thousand.

अब, उपाध्यक्ष महोदय, प्लान के विषय में मैं मोटी बात बताना चाहता हूं। प्लान के विषय में आप सब बता चुके हैं, माहिर आजाद जी, उस बात को रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन चंदन मलजी का जो भाषण है...(व्यवधान) हो गया; इससे कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। चंदन मलजी वित्त मंत्री थे। यह दुखद स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का सीनियर मोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, 1952 में डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, आपने किस वजह से, कैसे उनको अपमानित करके निकाल दिया वो अलग बात है लेकिन उनसे ज्यादा काम्पीटेंट आदमी भारतवर्ष में नहीं मिलेगा, आप भी जानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी आज भी इज्जत करता हूं। (व्यवधान) नहीं, मैं वापस लेता हूं।

श्री परसादी लाल : निकाला नहीं, माननीय सदस्य, इस्तीफा दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उस आदमी की व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं। मैं उस सेंसेटिव सब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहता। I have personal regard for him. छोड़िये आप उस बात को। आपने क्या किया, मैं उस पर बाद में आऊंगा।

इस वर्ष में योजना 3514.42 करोड़ की स्वीकृत करायी गयी जो बाद में बढ़कर 4259.39 करोड़ रुपये की कर दी गई लेकिन इसके पेटे 3987.35 करोड़ रुपया खर्च होना बताया है। इस खर्च में भी 747 करोड़ रुपये की राशि का लेखा समायोजन जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए किया गया है, यह 747 करोड़ रुपये की राशि जिसको उन्होंने इक्विटी में चेंज किया है लोन को, उसका चंदन मलजी ने एतराज किया। ऐसा कोई प्लान के अंदर खर्चा नहीं दिखाया जा सकता जिसके अंदर लोन हो। लेकिन उसको आप दिखाएं 1999-2000 के बजट में तो आप उसको इंगित करते हैं कि इन्होंने इस तरह से 747 करोड़ रुपये के खर्च को इक्विटी में बदल दिया और 2000-2001 में आप क्या करते हैं, यह बजट स्टडी में आ जाइए आप, प्लान का ले-आउट पढ़िये आप, कुल यह 414615.08, यह पूरा प्लान था, यह मैं नहीं पढ़ना चाहता, वित्त मंत्रीजी, आप देख लीजिए, लेकिन मैं इसका फुट-नोट पढ़ना चाहता हूं, Includes Rs. 70,100 Lakhs to R.S.E.B. Rs. 55830 lakhs to industrial mines, Rs. 6800 lakhs to R.S.R.T.C., Rs. 7348 lakhs to R.S.B.C.C., Rs. 3425 lakhs to HUDCO, Rs. 11644.06 lakhs to agricultural marketing board and Rs. 6823 lakhs to social and community services received from loans and other sources. वाह, वित्त मंत्रीजी, और दीजिए ब्यूरोक्रेसी को। यह आपने खूब बताया। यानी उन्होंने तो लोन ले लिया किसी सोर्स से और वह प्लान के ले-आउट में बता दिया आपने। यह कभी नहीं हुआ है। इसलिए चंदन मलजी ने लास्ट टाइम में जो किया...(व्यवधान) ब्यूरोक्रेट्स तो वही हैं, जो भैरोंसिंहजी के थे वही तो आपके हैं, ब्यूरोक्रेसी पर इन्होंने भी डिपेण्ड किया, आपने भी डिपेण्ड किया। आपकी समझ में यह बात नहीं आयी तो आपने खुद भी समझने की कोशिश नहीं की कि इसका क्या हश्र होगा। यह नाइंथ प्लान से शुरु हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, जो बढ़कर इस सीमा तक चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं आपसे यह कहता हूं कि इस योजना के ये आंकड़े पूर्णतया फर्जी है। आपने कहा 5 हजार 22 करोड़ का बजट हमने सैंक्शन कराया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बढ़िया बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कितना टाइम है उनके पास।

एक माननीय सदस्य : हमारा एक समूह है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप दे रहे हो तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है। क्या दे रहे हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे समूह का टाइम है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा लोकतांत्रिक जनतांत्रिक मोर्चा अलग से है।

श्री उपाध्यक्ष : समूह का टाइम 35 मिनट है, 30 मिनट तो हो गये। 5 मिनट और दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप बता दें, कितनी देर में खतम करना है।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 10 मिनट दो, साहब। यह जो 38 सौ करोड़ का खर्चा हुआ उसमें यह मिलाया है। 5 हजार 22 करोड़ का तो योजना का आकार रखा है और योजना का आकार वापस लेस किया और फिर 38 सौ करोड़ खर्च किया और अब यह लोन शामिल कर दिये, आप जानते हैं इस बात को। वित्त मंत्री जी, अनेक माननीय सदस्यों ने यह उठाया है, I would like to deal with these issues elaborately and in detail before the House. you must atleast take us in confidence. I am subject to correction. पहले आप अपनी नालेज ब्यूरोक्रेसी से कन्सल्ट करके बढ़ाये क्योंकि आपको खुद को जानकारी तो कुछ है नहीं, It is a fact. इन्होंने खुद एडमिट किया है, हंसने की कोई बात नहीं है। इन्होंने खुद ने कहा है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे ही नहीं पता कौन-सा फार्मूला एप्लाई किया है। मैं गम्भीर बात ही, सही बात ही कह रहा हूं, गम्भीर बात ही करता हूं।

अब चन्दन मलजी ने एक बात और कही है, यह 16 हजार जो राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी डिबेट डाइवर्ट हुई है। यह किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, कम से कम सुरेन्द्र व्यास को तो आपत्ति नहीं हो सकती कि राजीव गांधी के नाम से कोई योजना खोली जाए, स्कूल चलाये जाएं, कोई भी अच्छी योजना चलायी जाए। वह देश की एक महान् विभूति थी, मैं नहीं जानता मेरे मित्रों को क्या एतराज होगा, शिक्षा को भी जाने दो, मैं अपने आपको सिर्फ बजट तक रखूंगा एजुकेशन की डिमाण्ड आयेगी, हो सकता है उस पर भी बोलूं लेकिन आपका बजटरी एलोकेशन क्या है? "प्रथम आकलन के अनुसार लगभग 16 हजार ऐसी बस्तियां है जहां प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने हैं। इन समस्त स्थानों पर सामुदायिक आधार पर जन सहयोग से भवन की व्यवस्था होते ही प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।" इस हाउस ने तो एक पैसा ही पास नहीं किया, कौन से जन सहयोग से बिल्डिंग बनायी है आपने?. Where from did you get the money? How could you spend so much money on these Rajiv Gandhi Schools? कहां से आयेगा? बतायें, आज

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तक नहीं बताया। इस बजट भाषण में आपने यह नहीं बताया कि आपने कौन सा पैसा कहां से कैसे लगा दिया। How come that? आपके थोड़े ही विवेक चलेगा कि मर्जी आयी जहां पैसा लगा दिया। बतायें जहां भी लगा दिया हो, लगाया कहां से आपने? और, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक पूरा आपका क्या प्लान का स्वरूप है, सामने नहीं आया। ठीक है, अभी प्लानिंग कमीशन से आपकी मुलाकात नहीं हुई, प्लान अप्रूव आपका नहीं हुआ, प्लान को कैसे सपोर्ट करेंगे आप, यह भी नहीं बताया आपने, आपने जो टैक्सेज लगाये उनमें कितना कलेक्शन होगा कैसे उसका रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, कितना होगा, यह भी नहीं बताया आपने। दो टैक्सों का जरूर बताया आपने कि इतना इतना पैसा इकट्ठा हुआ। This is no budget. Hon'ble Pradhyuman Singh, this is no budget.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको अपनी अक्ल का हो गया अजीर्ण, आप पढ़िये उसको पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको हो रही है तकलीफ, असलियत आंकड़ों की सामने ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने उनसे पहले कह दिया कि आपको हो गया अपनी अक्ल का अजीर्ण, आप उसका करिये अध्ययन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत डिसेंसी से बात करता हूं। I would like the Hon'ble Minister to learn parliamentary etiquettes.

श्री प्रद्युम्न सिंह : And you should not have said that you have no knowledge. I know what I have said. I will reply to you. I will tell you everything. अंनफोर्चुनेटली आपको यह है कि मैं जो कहता हूं वह दुनिया की सबसे सच्ची बात है। मैं आपको वर्षों से जानता हूं। इसके अन्दर सारे डिटेल्स दिये हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जिद रहे हैं डिटेल से पहले। जवाब दे देना क्या दिक्कत है? Why are you getting provoked? I am in possession of the Floor.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरा नाम लेकर प्रद्युम्न सिंह, प्रद्युम्न सिंह कहेंगे तो मुझे जवाब देने का अधिकार है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आनरेबल प्रद्युम्न सिंह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, माननीय सदस्य को माफी नहीं मांगने देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह इनका आपस का मामला है, आप काहे को बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : डांट मार रहे हैं, साहब। किस भाषा में डांट मार रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस भाषा में यह कहे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : किस भाषा में डांट मार रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य पूरे सदन से कहें कि आंकड़ों में क्या था। (व्यवधान) इनको बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, प्लीज

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब चन्दन मलजी का नाम थोड़े ही लेंगे हम, आप वित्त मंत्री हो, आपका ही नाम लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सुरेन्द्रजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको प्रद्युम्न सिंहजी न कहकर क्या यह चन्दन मलजी कहें? वित्त मंत्री हैं तो इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज बैठिये। माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं समापन करने से पूर्व दो तीन बातें अवश्य कहना चाहूंगा और माननीय प्रद्युम्न सिंहजी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हुए यह निवेदन करूंगा कि आप गुस्सा न दिखायें, धैर्यपूर्वक बात सुनिये, प्रोवोक न होंवे। मैं आपको प्रोवोक करता हूं तो बहुत सभ्यता से करता हूं, आप काहे को प्रोवोक होते हैं? मैं तो शिष्टाचार का पालन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, केबिनेट मीटिंग्स के अन्दर क्या हुआ? सही है, चन्दन मलजी को विवश किया है त्याग पत्र देने के लिए, आज इतने फाइनेंशल विजार्ड केबिनेट मीटिंग के अन्दर, चन्दन मलजी के साथ मिसबिहेव किया गया। चीफ मिनिस्ट्रियल रेस्ट्रेज और चीफ मिनिस्ट्रियल इन्टरवेंशन नहीं हुआ। असली किस्सा क्या है, चीफ मिनिस्ट्रियल इन्टरवेंशन होनी चाहिए। फाइनेंस मंत्री का बड़ा थैंकलेस जाब है। यह, प्रद्युम्न सिंहजी, समझ लीजिये, या तो अपने साथियों को राजी कर लीजिये और स्टेट का बुरा होने दीजिये या अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिये। यह करेंगे ही नहीं इसलिए बनाया है इनको। नहीं करेंगे, इसलिए चन्दन मलजी को हटाया है और यह करेंगे। लेकिन आप करेंगे तो अपने कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, यह भी आप समझ लीजिये। और जो राज्य की हालत आपने पैदा कर दी है, जिला स्तर पर जहां अकाल की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से परिचित हैं, जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए. की मीटिंग होती है तो वह क्या कहते हैं, साहब, पैसा वैसा तो कुछ है नहीं, जितने काम आये थे वह देख लें आप। विधायक कोटे के पैसे आपने रिलीज नहीं किये। आपने आधे पैसे रिलीज किये, 6 महीने के पैसे रिलीज नहीं किये, उसके बाद आधे पैसे रिलीज किये. फिर चुनाव आ गये, यह हो गया, अब जाकर इन्होंने रिलीज किये हैं। रिलीज के मामले में तो अलग से डिबेट है उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पर, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की इतनी वित्तीय स्थिति खराब है और 154 आदमी कांग्रेस के अन्दर हैं, मुख्य मंत्रीजी यह निवेदन कीजियेगा कि उनको अपीज करने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल का आकार यहां से यहां तक क्यों रह सकता है? 10 पर्सेंट के लिए नार्म्स तय किये हुए हैं। This is the only time. 23 आदमी अगर बिहार के अन्दर मंत्री बनाने पड़े कांग्रेस के तो समझ में आती है बात और यहां पर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, पर आप भी जानते हैं कुछ मंत्रियों का रहना कोई न्यायोचित नहीं है। विभागों की तो, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, कुछ योजना ऐसी हैं जिनकी उपादेयता समाप्त हो गयी है उसका हम रिव्यू करेंगे और आप मुख्य मंत्रीजी से कहिये कि मंत्रियों की उपादेयता पर तो आकलन करें जिनकी उपादेयता समाप्त हो गयी है, उनको रवाना करें। जो अण्डर एम्प्लायड हैं, ठीक है, दिखता नहीं है, + + + आपने बना दिये मंत्री तक लोगों को, निरक्षर बना दिये तो निरक्षर और + + + मंत्रियों को काहे को रखते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। This is nothing to do with the budget.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कुछ बातें कही हैं, मेरे सुझाव मानने का सवाल ही नहीं है, यह तो + + + गवर्नमेंट है। मैं सुझाव वहां नहीं देता जहां कोई मानता नहीं है। जब यहां सत्य को सुनने को ही तैयार नहीं है गवर्नमेंट लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मंत्री निश्चित रूप से ऐसे हैं, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो मेरे परिचित हैं, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से माफी चाहूंगा, उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों की यह हालत हो गयी है जो काबिल मंत्री हैं, पहले भी थे कुछ काबिल मंत्री, वह कहते थे ठाकुर साहब देख लेंगे, इतना डरते थे ठाकुर साहब से, वह की वह हालत अभी है कि सी.एम. देख लेंगे। सजेशन देने से डरते हैं मंत्रीजी। जो ठाकुर साहब की हालत हुई वह अशोक गहलोत की भी होगी, यह आप मानकर चलिये। इसलिए मंत्रियों को निर्भीक बनाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हटा देंगे तब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों हटा देंगे? अशोकजी से ऐसी आशा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बैदजी को हटा दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बैदजी तो इंकंविनिएंट थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी पाठशाला के विषय में अन्त में एक बात मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। यह सब बात

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

छोड़िये और चूंकि शिक्षा मंत्री एक बहुत सक्रिय हैं और मैं उनको क्रेडिट देता हूं, यह मैं बी.जे.पी. के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यह जो बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर कांग्रेस के वर्कर्स भर्ती किये हैं, यह गलत है। यह मैं क्रेडिट देना चाहता हूं पंचायत राज मंत्री को, there were certain norms. गवर्नमेंट ने नार्म्स डिसाइड किये और नार्म्स की पालना में जहां पर वायोलेशन हुआ है वहां पर बी.डी.ओ. ने भी इंटरवीन किया है, सी.ई.ओ. ने भी इंटरवीन किया है और गवर्नमेंट के लेवल पर भी इंटरवेंशन हुआ है। जोशीजी मौजूद नहीं है परन्तु उनसे अपेक्षा है कि कभी अपनी आंख से देखिये कि प्राइवेट स्कूल गांवों में चलते हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे पढ़ते हैं। आप कागजों में आंकड़े फैला करके क्या अचीव करना चाहते हैं? आप जब यह कहते हैं कि कंसोलिडेशन, आपने अपने भाषण में कहा है कि कंसोलिडेशन नो एक्सपांशन, वित्त मंत्रीजी, मैं आपकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं। मैंने यह बात सदन के बाहर कही थी कि आपने बहुत अच्छी बातें कहीं हैं और यह भी मैंने कहा था कि उनको ट्रांसलेट करने के लिए कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं कि यह वक्त आ गया है कि कंसोलिडेशन करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है हमको इस पापुलर विल पर चलने की, नये स्कूल खोलने की, नये डिस्पेंसरी खोलने की, नयी सड़कें बनाने की। जो सड़कें बनी हुई हैं, बुरी तरह से टूटी हुई हैं, जो स्कूल खुले हुए हैं वहां पर टीचर नहीं हैं। आपने बजट के अंदर यह पूर्णतः असत्य वाचन किया है कि 130 करोड़ रुपया, कितना भी है, उसको तलाश करके नहीं पढ़ना चाहता, नये शिक्षकों की नियुक्ति करते तो उतना वित्तीय भार पड़ता है। वित्त मंत्रीजी, यह पूर्णतः असत्य है। आपने स्कूलें खोल दीं, बिना टीचर्स के काम चलाया है। आप ईमानदारी से इस सदन में बयान कर दें। 6-6 महीने बाद तो आपने स्कूल दिये और उसके 4-4 महीने बाद तक पोस्टिंग हुआ है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज तक टीचर्स का पोस्टिंग नहीं हुआ है।

वित्त मंत्रीजी, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं और मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की स्थिति सुधारनी है तो वित्त मंत्रीजी के इस कंसोलिडेशन वाले मंत्र को पकड़ा जाए। जो है उस वर्तमान को आप मजबूत करें। यह क्या राजीव गांधी पाठशालाएं आपने खोली हैं? राजीव गांधी महान् विभूति थे, उनका नाम जरूर रखिये, इसमें क्या सारी योजनाओं में रखिये, मैं उसका स्वागत करता हूं पर ये स्कूल इस प्रकार के खोले गये हैं, 1200 रुपये के टीचर के अन्दर, यह निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के अन्दर ही कोई स्तर नहीं हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उस पर विचार करें। यह एक पापुलर नारा है, पापुलरिज्म चलती है पालिटिक्स में, यह पापुलर नारा है कि पंचायती राज को सब अधिकार दे दिये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.एज. भी चाहते हैं कि सब अधिकार एम.एल.एज. को दिये जाएं, कम से कम कांग्रेस पार्टी चाहती ही चाहती है। लेकिन उत्तरदायित्व किसका है? सरकार का है और सरकार से भी ज्यादा उत्तरदायित्व मुख्य मंत्रीजी का है। आप ईमानदारी से इस पर विचार कर लें जो विभाग पंचायती राज को दिये गये हैं, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते कि आज भी पंचायत समिति के स्कूलों में जो अव्यवस्था है वह सरकारी स्कूलों में नहीं है। वहां कभी पढ़ाने के लिए ही नहीं जाते हैं, 2-2, 4-4 महीने तक नहीं जाते हैं। मेरा कोई यह पंचायती राज के खिलाफ आरोप नहीं है पर उस व्यवस्था का समुचित उपचार हमने नहीं किया जिससे कि कोई इफेक्टिव काम हो सकते हों, कंट्रोल कर सकते हों। अगर वाकई में राजस्थान का भला करना है तो मैं तो अपने भाषण को दो बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि एक तो आप ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड मत कीजिये। बिहार के अन्दर कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि टेक्नोक्रेट्स को मिनिस्टर बनाया जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me finish. हरेक के लिए यह जरूरी थोड़े ही है कि आप....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप जब से बोल रहे हैं + + + (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप ऐसे कैसे बोलते हैं जगत सिंहजी? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे बोलने से क्या बात हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। प्रोफेसर सांवर लालजी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, + + + क्या होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों विराज जाओ। आर्डर-आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा निवेदन है कि अभी तो आप यह कह रहे थे कि एक सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि कुछ मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उनकी उपयोगिता नहीं है। इधर तो आप सीनियर अधिकारी को बहुत मान्यता दे रहे हो और इधर कह रहे हो कि आप ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर मत कीजिये। तो यह डबल बात कैसे हो रही है?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके समझ में नहीं आयी। अब आपके समझ में इतनी आयी वह समझ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। बहुत हो गया। आप 45 मिनट बोल चुके। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me finish. Only one sentence.

श्री जगत सिंह दायमा : कोई आप भी अरबी में नहीं बोल रहे हो। मैं समझ रहा हूं। कोई अरबी में थोड़े ही बोल रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am concluding.

श्री उपाध्यक्ष : No, You are not concluding.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me conclude. I am concluding. Only one sentence.

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि बिहार के अन्दर कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि टेक्नोक्रेट्स को मिनिस्टर बनाया जाए। मैं पर्सनली इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि उस गवर्नमेंट में गुणात्मक सुधार अगर कांग्रेस करना चाहती है और लालू यादव पर वो लीवर इस्तेमाल करना चाहती है तो वह वाजिब है। यह केवल परिस्थितिजन्य हुआ। तो वह सुधार तो गया भाड़ में और वह 23 में से 22 तो मिनिस्टर बन गये और एक स्पीकर बन गये। वह एक परिस्थितिजन्य हुआ होगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि यह सौभाग्यपूर्ण स्थिति है, मुख्य मंत्री को जो बहुमत मिला है और जो राजस्थान की जनता और राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों का विश्वास अर्जित किया है उसके अन्दर इन परिस्थितियों में अगर वे काम नहीं कर सकते....

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री बने तब कांग्रेस के मैम्बर्स की संख्या क्या थी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तब जरूरत थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : 113

श्री उपाध्यक्ष : वह इश्यू नहीं है, Why are you unnecessarily wasting the time. आप समय खराब कर रहे हो। It is the discretion of the Government.

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो मैंने कह दिया, संख्या का नहीं कह रहा हूं।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे सदस्यों को बोलने का समय कम दे रहे हैं। 75 प्रतिशत समय हमारा होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इससे बजट का कोई लेना देना नहीं है। आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि बजट स्पीच के ऊपर मैं भी बोला हूं,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कुछ आपके जो इश्यूज हैं, आपने फरमाया है, आपकी बात सही है, शिरोधार्य है, पालिटिकल पार्ट को जाने दीजिये लेकिन एब्सोल्यूटली टेक्निकल बात जो मैंने बजट सम्बन्धी कही है, मैं अपेक्षा करूंगा कि मंत्रीजी अध्ययन करके, अभी तो पता नहीं है, आपको, कल की छुट्टी है, कल होमवर्क कीजिये, बिलकुल पता नहीं है, आपने एडमिट किया है, मंत्रीजी, आप अध्ययन कीजिये और पूरी बात का जवाब दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I will reply you. मैंने पूरी बात सुनी है और जो मेरा इम्तिहान आप लेने की चेष्टा कर रहे हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : परसों बात करेंगे। अगर आपका जवाब संतोषजनक आ गया तो बैठे रहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल। संतोष-जनक तो आपको लगेगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलालजी। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। आपका समय है ही नहीं, आपके 4-5 माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं, मैं अलाऊ कर रहा हूं, मेहरबानी करके, समय का ध्यान रखें।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जो लिस्ट सबमिट की है उसमें से मेरे 2-3 आदमी बोल पाये हैं। 75 प्रतिशत समय हमारा होना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके कौन आदमी हैं? आदमी तो औरतों के होते हैं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप विराजें। मैं आपसे कह ही नहीं रहा। (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप राज्य मंत्री का पद ले रहे हो, थोड़ी भाषा तो समझो। यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आप विराजिये प्लीज।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम हमें बता दिया जाए कि हमारा नम्बर है क्या बोलने का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने देंगे आपको। बिलकुल बोलने देंगे।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि लोक कल्याणकारी सरकारें जो प्रजातंत्र में बनती हैं वे सरकारें जब अपना बजट पेश करती हैं तो लोगों की, जनता की बड़ी निगाहें टिकी हुई होती हैं। हम यह देख रहे हैं कि जब यह 8-10 साल के बाद में कांग्रेस सरकार पहली बार यहां पर बजट पेश कर रही थी तो बड़े अहंकार में थे, इन्होंने यह कहा कि इन 8-10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिया, हम श्वेत पत्र पेश करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, सारी चीजें आ गयीं। टेक्निकल बातें अभी माननीय सदस्य ने बतायीं, फिस्कल डेफिसिट कैसे केलकुलेट किया जाता है वह श्वेत पत्र में अलग फार्मूला है, बजट में अलग फार्मूला है। बजटीय घाटा

(श्री सांवर लाल)

क्या है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, केपिटल डेफिसिट कितना है, इन चीजों से आम अवाम को कोई मतलब नहीं है। आम अवाम यह देखती है कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब है कि वे सब बेकार बोले जो बोले हैं? (व्यवधान) इसका मतलब वे सब बेकार बोले?

श्री सांवर लाल : नहीं, वे बोले सही हैं। मेरा मतलब है कि ये टेक्निकल चीजें हैं। एक डाक्टर आपरेशन करता है तो वह डाक्टर ही जानता है पर जो जनता है, जो पेशेंट जाता है उसको तो यही मतलब है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा इलाज हो जाए। जब 155 का बहुमत जनता ने दिया तो उसको बहुत बड़ी आशाएं थीं। इन्होंने बहुत प्रचार किया कि भैरोंसिंह शेखावत की सरकार वह कर रही है, यह कर रही है। भैरोंसिंह शेखावत जिस दिन से मुख्य मंत्री बने, कई बजट उन्होंने पेश किये हैं पर पहले बजट के बाद में दूसरा बजट दूसरे वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया। यह इस सरकार में सिलसिला शुरू हो गया। पहला बजट चन्दन मलजी ने पेश किया और दूसरे बजट के लिए माननीय प्रद्युम्न सिंह जो....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? आप बजट पर बोलो ना। न तो आप मंत्री बनने वाले हैं। काहे को समय खराब कर रहे हो? इसका कोई सेंस नहीं है। आप, मेहरबानी करके, बजट पर बोलिये। (व्यवधान) आपको क्या लेना देना है इसमें।

श्री सांवर लाल : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ....आपकी मेहरबानी से यहां नहीं आया हूं। आपकी सरकार में नहीं हूं। आप चेयर को एड्रेस कीजिये, मुझे एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या फायदा है इसमें? इसमें कोई सेंस नहीं है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान) Why are you wasting your time ?

श्री सांवर लाल : अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब मैं आपकी कृपा से बोल रहा हूं तो 5-10 मिनट तो शांति से बोलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आसन इस तरह से नाराज हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाऊ कर रहा हूं और आप...(व्यवधान) कोई ऐसी बात करिये जिससे प्रदेश का फायदा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको सहृदय रहना चाहिए। आप महान हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं कोई बात कर रहा हूं तो उसका कोई न कोई मतलब तो निकलेगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब निकलेगा?

श्री सांवर लाल : मतलब यह निकलेगा कि भैरोंसिंहजी के राज में जो बजट पेश हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना, उस जमाने के अन्दर प्रतिपक्ष के नेता, जो आज अध्यक्ष हैं, कहा था कि यह योजना 3000 से 6000 करोड़ हो जानी चाहिए। भैरोंसिंह जी ने उसको 11,500-12,000 करोड़ की की और उसके बाद में यह नई योजना है उसको भी हमने लगभग 25,000 करोड़ की की। मेरा निवेदन यह है कि बजट के अन्दर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कहां से व्यवस्था करें। जिससे मिल सकता है, जिन पर टैक्स लगा सकते हैं, उनसे व्यवस्था करनी चाहिए और जिन लोगों को जरूरत है, उनको पैसा खर्च करना चाहिए।

श्री महेश जोशी : आप यह भी बता दो माननीय सदस्य, जितना बजट का, आपने योजना के आकार का विकास किया, उतने संसाधन जुटाये कि नहीं जुटाये?

श्री सांवर लाल : अब आप यह बता दो कि प्रद्युम्न सिंहजी की जगह आप जवाब देते हो तो फिर मैं आपको बता दूं सारी बातें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार का पहला बजट पेश हुआ, श्वेत पत्र भी आ गया और उस समय ये सारी सीटें भरी हुई थीं, कोई भी हम बोलते तो आप बढ़-चढ़कर खड़े हो जाते थे और आज यह दूसरे बजट की क्या हालत है। आज गांवों में लोग कहते हैं कि क्या किया इस सरकार ने? हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने कर्जा ले लिया, उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री हीरालाल विश्नोई : पंचायती राज में आपने क्या किया?

श्री सांवर लाल : 6000 की जगह हमने 23000 करोड़ का कर्जा छोड़ा और पहले वर्ष में रेवेन्यू कर्जा जो इन्होंने लिया, पूंजीगत कर्जा जो इन्होंने लिया, उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 12,500 करोड़ का कर्जा एक साल की पीरियड में ले लिया और उसके बाद में इन्होंने सारी जो गरीबों की योजनाएं हैं, सोशल सर्विसेज की है, उनके अन्दर पैसा कट कर दिया। आज सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में इनका पैसा कम हो गया। सामाजिक सेवाओं में पैसा कम कर दिया, आर्थिक सेवाओं में पैसा कम कर दिया। गरीबों के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। कर्जा इन्होंने इतना ले लिया, मेरा निवेदन है, यह गोलमाल कहां हो रहा है, इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज इनके पास कोई पैसा नहीं है। यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, यह कहते हैं कि हमको ब्याज चुकाना पड़ रहा है, ब्याज की अदायगी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 16 पैसा है। 16 पैसा 100 पर है। इसके अलावा यह पैसा कहां जा रहा है? राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं चला रहे हैं, हम इतना यह कर रहे हैं। चलाओ, बहुत खुशी की बात है। आप अगर पाठशाला को पाठशाला के हिसाब से चलायें तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपने इसमें बजटरी प्रोविजन एक रुपया नहीं किया, कहां से इसमें पैसा आ जायेगा, कहां से नहीं आएगा। एक पढ़ाने वाले को आप 1200 रुपये दे रहे हैं। मिनिमम वेजेज, अगर एक

(श्री सांवर लाल)

लेबर काम करता है गांव में, उसको भी अगर 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जोड़े तो 1800 रुपये बनते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, यह सरकार जब से बनी है, आज लोग याद करते हैं, उस जमाने में भैरोंसिंहजी ने सड़कें, तालाब, नाड़ियां, एनीकट्स और गांव में जाएं तो सिविल लाइन्स की तरह बिल्डिंग बनी हुई हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जमाने में हम कभी + + + और आपके पास गये, चाहे कहीं गये, चाहे तूफान आया तो भी संभालने के लिए हम गये पर आपको यह नहीं कहा कि पैसा नहीं है हमारे पास। हम दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। उस जमाने में तूफान के अन्दर जितनी सहायता सरकार ने की है, आज यह सरकार जब से बनी है, जो गरीब हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा कोई हो जाए, आग लग रही है, उनको पैसा नहीं दें पा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य, आपके वहां पर हम आये, सहायता तत्काल की, आपको याद होगा, आपकी जनता आपको याद रख रही है। और अब यह तुलना करो, 10 साल बाद में जो इनको मौका मिला तो एकदम टूटकर पड़े, उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस बजट में दिया कि हम इतनी स्कूलें खोलेंगे। पहले भी इन्होंने स्कूलें खोलीं। मैं वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने एक रुपया भी नये शिक्षकों की भर्ती के लिए रखा है? पहले आपने सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी और मिडल स्कूलों को क्रमोन्नत किया, वित्त मंत्रीजी, पहले उप प्राचार्य थे, उनको आपने प्राचार्य लगा दिया, नई भर्ती एक नहीं की। समानीकरण के नाम से आपने गांवों के अन्दर शिक्षक पढ़ाता था, कहीं पर पांच शिक्षक थे, उनको तोड़-तोड़कर दूसरी जगह भेज दिया। हम समानीकरण योजना कर रहे हैं। अगर इस तरह से स्कूल खोलते हैं तो इससे ज्यादा अन्याय हमारे गांव के बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर गांव के लिए या गांव के बच्चों के लिए आज कोई व्यवस्था करो तो निश्चित रूप से जो स्टैण्डर्ड बने हुए हैं, उन स्टैण्डर्ड के हिसाब से करो। एक मंत्री की गाड़ी कम कर दी, आप इसकी तारीफ कर सकते हैं और एक स्कूल में पढ़ाने वाला एक अध्यापक, जो वहां किसी नार्म्स से लगा हुआ है, उसको आप हटाकर दूसरी स्कूल में भेज रहे हैं, वहां पर व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा अन्याय गांव के बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। आपने यह "मुख्य मंत्रीजी का जन कल्याण का एक वर्ष" निकाला, राजस्थान की जनता तो रो रही है और मुख्य मंत्रीजी मुस्कुरा रहे हैं। आज भयंकर अकाल की स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, और सदन को यह जानकारी देना बहुत जरूरी है और माननयी सदस्यों को भी यह जानकारी होना बहुत जरूरी है, बराबर एक ही ढिंढोरा पीट रहे हैं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

कि भारत सरकार को ज्ञापन दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, नाइंथ फाइनेंस कमीशन के पहले अलग व्यवस्था थी। टेंथ फाइनेंस कमीशन के बाद में अलग व्यवस्था हो गई। हर तीन माह में भारत सरकार प्राकृतिक आपदा कोष के लिए पैसा भेजती है। 25 प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार का उसमें जमा कराकर नेशनल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए वह तो हो नहीं रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, पी.डी. खाते में जा रहा है, वेतन चुकाने के लिए काम में आ रहा है और एक ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं कि भारत सरकार हमको सहायता नहीं कर रही है। हमने 1100 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया है। राजस्थान की जनता आज अकाल के कारण मर रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, उनको एक भूल-भूलैया में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से कतई उचित नहीं है। ये जनता को बिलकुल गुमराह कर रहे हैं। इस बारे में भी यह मैसेज जाना चाहिए कि भारत सरकार किसी तरह से कोताही नहीं बरत रही है। भारत सरकार ने 103 करोड़ रुपये दिये हैं। एडीशनल जो हर तीन महीने में देते हैं उसके अलावा, और भी आप को चाहिए तो एडीशनल किश्त मांगो। हमारे जमाने में यही पैसा था और हमने जो अकाल राहत के काम चलाये पक्के काम चलाये, वे याद करते हैं कि कोई जमाना था भैरोंसिंह जी के राज में गांव-गांव में और ढाणी ढाणी के अन्दर भवन बन गये, मकान बन गये, एनीकट बन गये। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय सदस्य, आपने अकाल राहत में भिनाय के अलावा कोई जगह देखी क्या? (व्यवधान) आपने भिनाय के अलावा कहीं जगह देखी है क्या, माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके पीछे बैठे हैं, चौधरी साहब से पूछ लो। उपाध्यक्ष महोदय, जनता काम चाहती है। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं, जो उपलब्धि गिनाई हैं, उन उपलब्धियों में यह है कि हमने प्रशासनिक सुधार आयोग बना दिया, स्वर्ण जयंती के लिए अध्यक्ष बना दिया, वित्त आयोग बना दिया, महिला आयोग बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, मानवाधिकार आयोग बना दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों से आम जनता का पेट नहीं भरता है। आम जनता काम चाहती है। आम जनता विकास चाहती है। 1500 करोड़ रुपये से जयपुर को तो हैरिटेज सिटी बना देंगे और गांव में और ढाणी में सड़कें नहीं बनायेंगे, इससे ज्यादा शर्म की बात, 155 एम.एल.ए. जीते हैं, आपके लिए नहीं हो सकती।

हमारे एनर्जी मिनिस्टर चन्द्रभानजी बिराजमान हैं, पहले हमारे साथ थे फिर महामंत्री बन गये, महामंत्री बनते ही रोज कहते कि यह भाजपा किसानों की विरोधी है, ऐसी नीति बना रखी है कि किसानों को बिजली नहीं मिलती है। आठ घंटे मिलती तो उनको दो घंटे बताते। महामंत्री जब

(श्री सांवर लाल)

मंत्री बन गये अशोकजी के आशीर्वाद से, उसके बाद में उन्होंने क्या किया? एक सवाल मैंने इनके सम्मुख रखा था, मैंने कहा था कि यह जो फ्लेट रेट, मिनिमम चार्ज सिस्टम है, कब से लागू हुआ ? तो

(16.00 बजे)

उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के राज में 1964 में लागू हुआ। आज जिस कुएं में पानी नहीं है वह किसान फ्लेट रेट से पैसा देने की स्थिति में नहीं है और जिसके कुएं में पानी है उसको बिजली नहीं दे रहे। मैंने कहा, इसको बंद कब किया तो उन्होंने लिखा है, यह जनवरी, 90 में जब भैरोंसिंह शेखावतजी सरकार में आये, तत्काल प्रभाव से यह फ्लेट रेट, जो किसानों के विरोध में थी, खतम कर दी गई। फिर मैंने कहा, वापस लागू कब कर दी? अभी नवम्बर, 1999 में। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा ज्यादती किसानों के साथ में हो नहीं सकती।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, जनवरी, 90 में बंद किया है इसको।

श्री सांवर लाल : हमारे जमाने में दो सौ रुपये में कनेक्शन होता था घर का और आज घर के कनेक्शन के लिए बारह सौ रुपये मिनिमम इन्होंने रख रखे हैं। कहीं बिजली नहीं आ रही है। इस फसल के टाइम तो माननीय एनर्जी मिनिस्टर गुलाबी नगर सेक्रेटेरिएट में ही बिराजते थे क्योंकि बाहर जाओ तो हर जगह जनता तैयार थी, आ जाओ मंत्रीजी। महामंत्री में और अब बहुत फर्क है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो यह कहकर सत्ता में आये जिस प्रचण्ड बहुमत से, वह चीजें चल नहीं रही हैं। आज जनता बहुत दुखी है, आपके विधायक बहुत दुखी हैं। आज ऐसे हैं, कम नजर आते हैं इसीलिए।

श्री महेश जोशी : वह तो पंचायतों के चुनाव परिणाम ने बता दिया।

श्री सांवर लाल : पंचायतों के चुनाव के लिए भी आपकी सरकार कह रही है कि हम बहुत अधिकार देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अभी तो हुआ क्या है, आगे-आगे देखिए होता है क्या।

श्री महेश जोशी : खूब देखेंगे।

श्री सांवर लाल : और आपने क्या अधिकार दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सदस्य, यह जनतंत्र है, प्रजातंत्र है और एक समय के बाद कोई भी राज में नहीं रहता, जनता के बीच में जाना पड़ता है इसलिए अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला।

आप इतने अंहकारी मत बनो। दस माथे ही उड़ गये, अपने तो एक-एक है, अपनी क्या बिसात है। उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब पूछना चाह रहा हूं। पंचायती राज मंत्रीजी और हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम पंचायत राज को बहुत मजबूत करेंगे, अधिकार सम्पन्न बनायेंगे। मैंने एक सवाल किया था, मैंने कहा, क्या प्रधान और विकास अधिकारी

(श्री सांवर लाल)

उक्त पालना कराने को कानूनन बाध्य है? जी हां, तो मैंने कहा, इस भिनाय के विकास अधिकारी ने कितने ट्रांसफर किये। तो कहा, 60 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये। फिर मैंने पूछा, क्या उक्त स्थानान्तरण नियम व कानूनसंगत हैं? जी, नहीं। यह उत्तर है। इस पर मैंने कहा, क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है सरकार? विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार मान रही है कि नियम और कानूनसंगत नहीं है तो कौन सा स्पष्टीकरण, यह कौनसा पंचायत राज अधिकार सम्पन्न बना रहे हैं? जो पंचायत राज कानून, जो 200 विधायक यहां पर बैठकर बनाते हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चीजें चल रही हैं, इसमें व्यक्ति बड़ा नहीं, कानून बड़ा है। आज संविधान का मखौल यह अधिकारी जिस तरीके से राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये कानून का कर रहे हैं, अगर करने लग जाएं तो इस देश के क्या हालात होंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। पर आज तक उसकी पालना नहीं हुई। एक अधिकारियों की मीटिंग थी पंचायत समिति की, हमने कहा कि यह तो अन्याय हो रहा है! सरकार ने मान लिया कि यह अवैध आदेश है और अवैध तो नल एण्ड वाइड होता है, आप कानून मंत्री से भी पूछ सकते हैं, किसी से पूछ लें पर जब वह उस अधिकारी ने कैंसिल कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आये वहां से भगे-भगे लोग, यह तो हमारी मूंछ कट जायेगी, यह हो जायेगा। फिर यह पंचायत राज मंत्रीजी के हस्तक्षेप से निरस्त तबादला आदेश वापस मंगाये गये। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप ही हमको बता दें कि किस तरह से यह पंचायत राज को मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं। यह लोक कल्याणकारी सरकार है और लोक कल्याणकारी सरकार में सरकार की जिम्मेदारी है पर शिक्षा, चिकित्सा, पीने के पानी की सारी व्यवस्था यह नहीं कर रही है। आजकल सारा कामर्शियलाइज करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के बजट में एक रुपया नहीं किसी डिस्पेंसरी के खोलने के लिए, कालेज खोलने के लिए और सारे अस्पताल यह दे रहे हैं निजी संस्थानों को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं, खेती-बाड़ी जिनकी अकाल से, बाढ़ से, नील गाय से, और किसी से नष्ट हो जाती है, वह आदमी क्या इन बड़े-बड़े निजी चिकित्सालयों में जाकर इलाज करा सकता है? इस सरकार को एक प्रतिशत भी इस बात की चिंता नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर यह जो बजट है, इस बजट से राजस्थान की जनता को किसी प्रकार की तसल्ली नहीं मिल रही है, इसमें कुछ भी नहीं दिया।

आज इनकम जुटाने के लिए प्रोफेशनल टैक्स डेढ़ लाख की आमदनी वालों पर लगेगा। अब इस प्रोफेशन टैक्स की क्या जरूरत है? इनकम टैक्स देने वालों पर आप डबल टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए

(श्री सांवर लाल)

यह जो बजट आया है इस बजट में राजस्थान की जनता के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं दिया, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। उस जमाने में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 60 वर्ष उम्र करके युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवानों को नौकरी के अवसर बंद कर रही है। इन्होंने लिखा है, पंजीकृत आवेदकों की संख्या नौ लाख से अधिक है। वैसे वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारों की वास्तविक संख्या तो इससे भी बहुत अधिक है। सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्तिकाल में बढ़ोतरी होने से नौजवानों को तत्काल मिलने वाले रोजगार से महरूम कर दिया गया है। उपाध्यक्ष-महोदय, 60 से 58 तो कर दिया, 58 के बाद क्या व्यवस्थाएं आपने नौकरी की कर दीं। आज यह पटवारी जो राजस्थान सरकार की सिफारिश के आधार पर रेवेन्यू बोर्ड ने चयनित किए हैं वह एक टांग से चल रहे हैं, कहीं लेट कर चल रहे हैं, कहीं यह बेचारे आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे सकते हैं। राजस्थान में यह सरकार बनने के बाद में किसी भी बेरोजगार को अगर नौकरी दी है तो आप बता दीजिए। बड़ा लिखा है इन्होंने, किसान विरोधी सरकार है। प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान से फसलें बरबाद हो गई। कातरा से, रोगों से भारी नुकसान हुआ है। मुआवजा देना तो दूर रहा, गलत नीतियों के कारण खाद-बीज, पानी-बिजली नहीं मिलने से उनकी बची-खुची फसल बरबाद हो गई। कीटनाशक के लिए सरकार तरसती रही। फंव्वारे का जो अनुदान केन्द्र सरकार से मिला वह भी किसानों को नहीं दिया गया। मुआवजा मांगने वालों को लाठी-गोलियां सहन करनी पड़ीं। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो यह महकमा होम और रिलीफ एक ही जगह हो गया, अब हम अकाल राहत की मांग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, क्या रोजगार दे रही है सरकार। रोज एक स्टेटमेंट मुख्य मंत्रीजी की तरफ से, कांग्रेसाध्यक्ष की तरफ से और यह माननीय विधायक भी एक ही गीत, एक ही राग अलाप रहे हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। अगर आपने भी यही करना शुरू कर दिया न, अगली बार जाओगे तब मालूम पड़ेगा। दिल्ली तो अपना पूरा पैसा दे रही है, आपके यहां पर खजाने पर बैठे हैं न, उनको कहो कि कुछ पैसा गांवों के लिए शुरू करें, लोगों के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करें ताकि हालात सुधरें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री सांवर लाल : समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप के चार और सदस्य बोलने बाकी हैं, आप बुलाना चाहें तो समाप्त कर दें, नहीं बुलाना चाहते हैं तो चालू रखें।

श्री सांवर लाल : आपकी कृपा से बोल रहा हूं मैं तो। आपके संरक्षण से, आपकी कृपा से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मेरी कृपा हो गई, बहुत हो गया।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिखा है, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा के जिम्मेदार दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी। अल्पसंख्यक, वित्त आयोग का गठन नहीं करना, वक्फ बोर्ड की सम्मपत्तियों के मामले मूकदर्शक बनकर रहने से भारी आक्रोश है। उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी की सरकार में चाहे अजमेर की ख्वाजा की दरगाह हो, चाहे सरवाड़ की दरगाह शरीफ हो, चाहे कोई भी स्थान हो, जितना पैसा भैरोंसिंहजी की सरकार ने दिया है, अगर इस पचास साल में कांग्रेस की सरकार ने दिया हो तो आप कहें जो कर दूं।

श्री महेश जोशी : वह गया कहां पैसा ?

श्री सांवर लाल : वह जनता की सरकार थी और जनता की सरकार के अंदर जनता के हिसाब से फैसले होते थे। कर्जा माफ करना होता तो कर्जा माफ करते थे। हासल माफ करते थे। चुंगी हटा दी और बच्चे-बच्ची जो गरीब के पढ़ने जाते थे, उनके लिए किताबों की व्यवस्था की, चाहे पैसा कहीं से लाना पड़ा हो। उपाध्यक्ष महोदय, हमको शर्म आती है यह कहते हुए, आज भयंकर अकाल की स्थिति है, 250 करोड़ रुपये आबकारी के ठेकेदार खा रहे हैं, उनसे वसूल नहीं कर पा रहे हैं और पांच-दस करोड़ इन किसानों से पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष की सिंचाई की वसूली की जा रही है, इनको पता नहीं कि उनके खेत में पानी भी गया कि नहीं गया, उन गांवों के अंदर अकाल पड़ता है, लगातार एक साल छोड़कर दूसरे साल, दस-पन्द्रह करोड़ के लिए उन गांवों के अंदर जाकर किसानों की इज्जत बिगाड़ी जा रही है। वह घर पर नहीं हों तो उनकी औरतों से, बच्चों से बदतमीज़ी की जा रही है और यह 250 करोड़ लेकर बैठे हैं, इनकी बात करते ही कहते हैं, 97 में यह हो गया, 98 में यह हो गया। उन गरीबों के साथ तो कभी हमने वसूल नहीं किये। सारी आप ही की हालत खराब हो गई जो किसानों की वसूली कर रहे हैं। मुर्गा बनाकर वसूल कर रहे हैं। हमने कर्जा माफ किया। आपकी उम्र में, जब से कांग्रेस हुकूमत में आई है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह साबित कर दें, एक रुपया किसी गरीब का चाहे इनकी वजह से अकाल पड़ा हो क्योंकि गांवों में लोग कहते हैं कि कांग्रेस और अकाल की तो राशि एक है, यह तो मिले हुए हैं, कांग्रेस राज आया नहीं और अकाल होगा......

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री सांवर लाल : अगर इन्होंने पचास वर्षों में एक रुपया माफ किया हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं, लोक कल्याणकारी सरकार से यह अपेक्षा करते हैं जो भी सरकार बनाई है वह सरकार हमारी भावनाओं के हिसाब से बजट बनाये......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये प्लीज। हो गया, आप विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

बहुत बोलेंगे अभी तो, थोड़ा बहुत इनके लिये भी रहने दो। श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री सांवर लाल : हमारा विकास करे पर यह सरकार बिलकुल...(व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार बजट राजस्थान के स्थापना दिवस के गौरवशाली दिन 30 मार्च को रखा गया। यह बजट का शुभ दिन था और बजट इस बार अच्छा है। इस बजट में अनेक नये काम किये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसानों पर भार बढ़ाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो राजस्थान के किसान की पुत्रवधु हैं, उसके परिवार से ताल्लुक है आपका...(व्यवधान) किसान की बेटी हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नोहर से आने वाली माननीय सदस्या, आपका कैबिनेट में नम्बर नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, अभी इतनी देर वे बोले तो ये बोलीं नहीं इसलिए अब इनको बोलने दें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं वित्त मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि पंचायतों को जो अधिकार दिये हैं वे इस तरह के अधिकार दिये हैं कि अब गांव में जिला स्तर पर वहीं के लोग अपने विकास की आवश्यकता पहचान कर अपना काम कर सकेंगे। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? दूसरा, यह वर्ष कठिनाइयों भरा जरूर है फिर भी इसमें लोक कल्याण कार्य हुए हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग। ये सब बातें स्वागत लायक हैं या नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, को-आपरेट कीजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, एक ही चीज का कितनी बार स्वागत होगा। अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड ये कितनी ही बार बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कितनी दफा बोल दिया। आप लोग कितनी दफा बोल दिये, अब ये कौन सी अलग बात कह रही हैं। को-आपरेट कीजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) एक ही चीज का बार-बार स्वागत नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक घंटे बोले तब तो सबने सुना है। आर्डर-आर्डर, प्लीज। आप धैर्य रखिये। आप बोलें जो सब ठीक है, दूसरा बोले जो सब खराब है, यह कोई बात हुई क्या? आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में जनसंख्या के बारे में वित्त मंत्रीजी को अपना सुझाव देना चाहूंगी। वित्त मंत्रीजी, यह इतना भयंकर संकट है कि इसके ऊपर टाइम रहते अगर आप लोगों ने अंकुश नहीं लगाया तो इस देश की आबादी एक अरब तक तो पहुंच गई, मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों, एम. एल.

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

एज., एप. पीज. को अपनी पार्टी के स्तर पर इस तरह के कोई कठोर आदेश दीजिये जिससे दो बच्चों से ज्यादा वालों को टिकट नहीं मिले और वे चुनाव नहीं लड़ सकें। जनप्रतिनिधियों ने आगे होकर यह काम हाथ में नहीं लिया तो रोटी, कपड़ा और मकान से यह धरती पट जाएगी और हम लोग अपनी आर्थिक हालत सुधार नहीं पाएंगें। इसलिए, वित्त मंत्रीजी, इस बजट में विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए और ज्यादा पैसा इसमें खर्च करना चाहिए जिससे हम इस पर अंकुश लगा सकें।

नगर पालिकाओं के बारे में सुझाव देना चाहती हूं। वित्त मंत्रीजी, पिछली सरकार ने चुंगी बिलकुल समाप्त कर दी। चुंगी समाप्त करने से नगर पालिकाओं की हालत बहुत खराब हो गई है इसलिए बार-बार इनको कर्ज लेना पड़ता है और नगर पालिकाओं के विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। नगर पालिकाओं की यह हालत हो गई है कि वे अपने कर्मचारियों को टाइम पर पैसा भी नहीं दे पातीं। विकास के काम कराना तो दूर है, जो ये फोर्थक्लास, झाडू वाले हैं जिनको जमादार कहते हैं उनको तनख्वाह चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वापस चुंगी लागू की जाए।

मैं अकाल के बारे में, वित्त मंत्रीजी, आपको निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे नोहर क्षेत्र में भयंकर अकाल है और हनुमानगढ़ जिले में जो पैसा अकाल के लिए दिया है वह बहुत कम है। 30 लाख हैं। तीस लाख रुपये में इतने बड़े जिले में कुछ नहीं होता क्योंकि मेरी खुद की तहसील नोहर में ही अकेले 147 गांव हैं जो अकाल की चपेट में हैं। वहां के लोग पलायन करने लग गये। पीने का पानी नहीं है, चारे के डिपो खुले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, खासतौर से, हनुमानगढ़ जिले में नोहर, भादरा; गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दो तहसीलें ऐसी हैं; कहने को तो यह कहते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या कमी है लेकिन नोहर और भादरा को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी उन गांवों की ऐसी हालत है कि उन गांवों में अभी भी लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवनयापन करते हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए अकाल के लिए और अधिक पैसा आप नोहर और भादरा में इन गांवों के लिए दें और नोहर तहसील में एक्स्ट्रा दो डिपो चारे के खोले जाएं जो कि पल्लू और धानकिया के अन्दर हों, जो अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि हमारा जो गौधन है, पशु हैं वे मरें नहीं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ये चारे के डिपो खोले जाएं।

नोहर में पानी की गम्भीर समस्या है। हमारे मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, मैं, मंत्रीजी, आपको भी पेयजल के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी नोहर तहसील में 30 गांव ऐसे हैं, मैं बार-बार यह कहती रहती हूं कि 10-10, 12-12 किलोमीटर की दूरी पर हैं आज देश की आजादी को कम

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

से कम 52 साल हो गये लेकिन उसके बावजूद भी वहां पानी नहीं पहुंचा और आज हम 21वीं सदी में हैं। विज्ञान इतना आगे पहुंच गया कि लोग चन्द्रमा पर जाकर बैठ गये और नोहर तहसील के लोग आज भी पानी के लिए एक-एक बूंद के लिए प्यासे हैं। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कम से कम नोहर के 22 गांवों को आप ध्यान में रख कर अतिरिक्त पैसा दीजिये। हनुमानगढ़ जिले में आप लोगों ने पाइप खरीदने का कोई प्रावधान नहीं रखा हुआ, आप लोग यह समझते हैं कि राजस्थान कैनाल बीच से निकलती है इसलिए वहां पानी की क्या कमी है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जिन गांवों की बात बता रही हूं उन गांवों में लोग नजदीक से उस नहर को देखते ही देखते रहते हैं और देख कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि नयी स्कीमें बनाई जाएं और हनुमानगढ़ जिले को आप पाइप उपलब्ध करायें। जब भी हम कर्मचारियों से बात करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि हनुमानगढ़ जिले के लिए पाइप खरीदने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आप पाइपों को जरूर खरीदवाइये जिससे कि वहां पाइपों के लिए तो कम से कम हम लोगों को कर्मचारियों के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़े। पाइप जाएगा तो वहां पानी भी चला जाएगा और मेरे 133 गांव जो आपकी आपणी योजना से जुड़े हुए हैं, आपणी योजना जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसमें भी अतिरिक्त पैसा लगायेंगे तभी यह जल्दी जाकर पूरी होगी और वहां के लोगों की प्यास बुझ सकेगी अन्यथा नहीं। क्योंकि वहां जो दूसरे भाखड़ा के गांव हैं वहां तो भाखड़ा कैनाल का नाम लेकर पाइपों के अभाव में इन गांवों और ढाणियों को जोड़ा हुआ नहीं है इसलिए वे भी प्यासे हैं। इसलिए आप यह पाइपों की व्यवस्था करें और 133 गांवों में इस आपणी योजना के जरिये जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध करायें।

मैं सड़कों के बारे में आपको बताना चाहती हूं। हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है लेकिन आज भी, वित्त मंत्री महोदय यहां नहीं हैं मैं उनको निवेदन करना चाहती हूं कि सड़कें हमारे हनुमानगढ़ और जो गंगानगर तक जाती हैं सरदारशहर होकर वहां तीन फीट गहरे गड्ढे आज भी पड़े हैं। इस बार के बजट में जो बड़ी सड़कें हैं उनके लिए पैसा दिया है, अबके उसको जरूर ठीक करवायेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। नोहर और पल्लू सड़क के बारे में कहना चाहती हूं कि 13 किलोमीटर लंबी यह सड़क है, अगर यह सड़क बन जाये तो 50 गांवों को इससे फायदा मिलेगा क्योंकि रावतसर होकर हिसार जो सड़क जाती है, रावतसर के बीच में सेम आ गया, वह सड़क कभी भी टूट सकती है, वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, अगर यह

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

सड़क बन जाती है तो लोग नोहर पल्लू होकर जयपुर भी आराम से आ सकते हैं और दिल्ली भी आराम से जा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सड़क पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे कि वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके।

मैं बिजली के बारे में बताना चाहती हूं। मेरा नोहर क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है। इसमें केवल 5 मेगावाट बिजली मिलती है। 5 मेगावाट बिजली कुछ भी नहीं होती है। बहुत बड़ी तहसील है, उसमें 82 पंचायत समितियां हैं और उन 82 पंचायत समितियों में 5 मेगावाट बिजली से क्या होता है? बिजली मंत्रीजी ने हमारे यहां 132 के.वी. का सब स्टेशन तो मंजूर कर दिया लेकिन पैसो के अभाव में उसका कार्य धीमी गति से चल रहा है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वह थोड़ा पैसा दें तो वह जल्दी हो जाये जिससे कि वहां 132 के.वी. का सब स्टेशन पूरा हो जाये और नोहर व रावतसर के गांवों को फायदा हो और लोगों की पानी की किल्लत भी खतम हो।

शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं कि अबके वित्त मंत्रीजी ने स्कूल बहुत दिये हैं इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी लेकिन इसके बावजूद मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि नोहर में एक कालेज है, रावतसर के बच्चे और भादरा के बच्चे भी उसमें पढ़ने आते हैं, दूरी बहुत ज्यादा है। किसान वर्ग वैसे ही गरीब होता है, मैंने बार-बार शिक्षा मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी है और उनसे भी निवेदन किया है कि इस कालेज को पी.जी. बना दिया जाये जिससे कि नोहर, भादरा और रावतसर के बच्चों को फायदा मिल सके, यह मेरा निवेदन है।

वित्त मंत्रीजी ने अबके बजट तो बहुत अच्छा दिया है लेकिन बजट में पशु चिकित्सालय एक भी नहीं होने के कारण गरीब किसान को बहुत परेशानी होगी इसलिए इस बजट में पशु चिकित्सालयों के बारे में भी कोई प्रावधान आप लोगों को रखना चाहिये।

इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में सरकार ने जो हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर पन्द्रह सौ रुपये प्रति माह किये हैं उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भूमिका निभाई और देश को आजाद करवाया उनके सम्मान में जो यह काम किया उसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं।

गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो इस वर्ष 15 करोड़ रुपये की मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की है उसके लिए वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं।

यह बजट काफी अच्छा है। मैं इसके पक्ष में बोलते हुए वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, यह आशावादी है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से अपना आर्थिक दर्शन स्पष्ट किया है। विषम परिस्थितियों में प्रस्तुत यह बजट आर्थिक कसावट, कुशल वित्तीय अनुशासन का प्रतीक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के माननीय सदस्य टीम लेकर कुशल आर्थिक प्रबन्धन का दावा कर रहे थे। यह दर्शनहीन, दिशाहीन आर्थिक प्रबन्धन था जिसने राजस्थान में कुशासन को जन्म दिया। उस भूल को दूर करने के लिए वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। पिछली सरकार ने हमें साढ़े 23 हजार करोड़ रुपये ऋण के रूप में विरासत में दिये हैं जिस पर दो सौ करोड़ रुपये प्रतिमाह ब्याज चुकाया जा रहा है। ब्याज का भुगतान करने के लिए भी हमें ऋण लेने को मजबूर होना पड़ता है। करोड़ों रुपये का प्रतिवर्ष कर्ज़ा लेकर विकास करने का अभियान तो आपने चलाया परन्तु उस कर्ज के दम से जो परिसम्पत्तियां आपने सृजित कीं वह बहुत ही घटिया किस्म की हैं। पिछली सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी कहते थे कि सड़कों पर, जो गड्ढे हैं वह मेरे दिल के छाले हैं। लेकिन इन छालों में कभी भी इन्होंने मरहम नहीं लगाया और आज वह छाले केंसर का रूप धारण कर चुके हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आगामी वर्ष में सड़कों के रख-रखाव और इस केंसर पर मरहम लगाने के लिए 30 करोड़ रुपये दिये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दिलावर जी, थोड़ा बहुत तो ख्याल रखो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : लेकिन मैं साथ ही यह कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र खानपुर में आज सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। इन छोटी-छोटी सड़कों के लिये, मैं एक दिन का वाकया आपको सुनाती हूं, एक दिन मैं चुपचाप बस के पीछे जा कर बैठ गई, जब भी गड्ढा आता था हमारी सरकार को, हमारे एम.एल.ए. को गाली दी जाती थी। आज इस सड़क के सुधार के लिए यदि खानपुर को बजट मिलता है तो मैं उनको धन्यवाद देती हूं। जो इन्होंने ऋण लिये थे, उससे जो भवन बनवाये, स्कूलों की इमारतें बनवाई वह इतनी जर्जर हैं कि उन मासूम बच्चों, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी सूरत भी अभी अच्छी तरह से नहीं देखी, मौत की गोद में बैठा दिया जाता है। जहां पर मौत कभी भी अपना आंचल समेट सकती है।

हमारी सरकार जनकल्याण और जनोपयोगी कार्य करना चाहती है जिसे हमारे विपक्ष में बैठे साथी नहीं करने देना चाहते तथा उन कामों में रुकावट डालते हैं। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि

"सफर में मुश्किल आये तो जुर्रत और बढ़ती है,

कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है।"

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

पूज्य महात्मा गांधीजी के स्वप्न ग्राम स्वराज्य के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नेकनीयती हमारी सरकार ने इसी वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान करके प्रकट की है तथा ग्राम सभा में जिला परिषद तक को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन का दायित्व सौंपने जैसे सुधारों का प्रावधान किया है।

(16.30 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

इस ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने तथा गांवों में बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत आगामी वर्ष में 227 करोड़ 82 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया है जिससे कमजोर वर्गों को समुचित आरक्षण, संरक्षण और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जन संस्थाओं में प्रवेश पर रोक हो सकेगी, इस सम्बन्ध में मैं आदरणीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। हमारी लोकप्रिय सरकार ने यह तथ्य समझा है कि

"पत्थर से तो हो जाएगा निर्माण भवन का,

इंसान मगर शिक्षा के सांचे में ही ढलेगा,

देकर ही जन्म दूध पिलाना नहीं काफी,

बच्चा तो संस्कार के अमृत से ही पलेगा।"

इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित ग्रामीण अंचलों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलकर एक सारसत्व पुण्य का कार्य किया है जिससे शिक्षा से वंचित साढ़े पांच लाख से अधिक बच्चों के अतिरिक्त नामांकन हुए हैं। इसी को गति प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 11 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कुल 2978 करोड़ 47 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस बढ़ी हुई संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। उच्च शिक्षा पर आदरणीय वित्त मंत्रीजी ने 232 करोड़ 53 लाख रुपये का व्यय करने का प्रस्ताव किया है। मैं साथ ही यह कहना चाहती हूं कि आज उच्च शिक्षा के लिए इतने करोड़ रुपये दिये उनके रख-रखाव के लिये दिये जा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की समस्या बताती हूं कि झालावाड़ जिले में केवल एक पी.जी. कालेज है, वही ला कालेज है, जब नदियां आ जाती हैं तो चारों तरफ से झालावाड़ घिर जाता है, दूर दराज से खानपुर से, अकलेरा से जो छात्र परीक्षा देने आते हैं उनकी परीक्षाएं रुक जाती हैं या नदी में बैठकर आते हैं जहां हर समय

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

लपलपाती हुई लपटें, लपलपाती नहरें उनका रास्ता रोकने के लिए बेताब नजर आती है। वह भविष्य के लिए वर्तमान को अंधकार में डालकर पेपर देने आते हैं। मैंने पिछले वाले वित्त मंत्रीजी को और वर्तमान वित्त मंत्रीजी को भी कहा था और अभी कहा है कि कम से कम एक कालेज अकलेरा में खोल देना चाहिये, जिससे उनकी जान जोखिम में नहीं डल सके। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक आपका और एक मेरा, दोनों के कालेज खुलने चाहिये। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : तकनीकी शिक्षा पर आगामी वर्ष में 53 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। (व्यवधान) सभापति महोदय, कार्ल मार्क्स ने सच ही कहा था कि यदि किसी देश की सामाजिक प्रगति का मूल्यांकन करना हो तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर एक नजर डालिये। हमारी लोकप्रिय और क्रियाशील सरकार ने इसी 8 मार्च को महिला नीति जारी करके महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिये राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया है। महिलाओं के लिए राज्य सेवा में आरक्षण 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है। राज्य में चल रहे विभिन्न महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों पर आगामी वर्ष 142 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय प्रस्तावित है। यह प्रयास और निर्णय निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि जबानी दावे तो बहुत लोग करते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। इस देश को अपने प्राणों की आहूति देकर, इसकी मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर अपनी मां की गोद, बहन की राखी, पत्नी का सिंदूर तथा अपने मासूम बच्चों की छोटी-छोटी बांहों को छोड़कर इस देश की रक्षा के लिए दुश्मनों की गोली को अपने सीने से लगाकर सोने वाले उन शहीदों की विधवाओं को सहायता राशि आगामी वर्ष में 300 से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह का निर्णय लिया गया। यह उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जैसा कि सभी जानते हैं, केवल वायदों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिये रोटी चाहिये और रोटी खेत से आती है। खेत से अनाज मिलता है, अनाज पानी से होता है और पानी बिजली से आता है। यदि उस क्षेत्र की बिजली ही काट ली जाए तो उन किसानों की क्या दशा होगी, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं।

आगामी वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल हेतु योजनान्तर्गत 925 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रबन्ध प्रस्तावित है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं और साथ ही कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र खानपुर में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत के बिना गरीबों को, किसानों को इतनी मार झेलनी पड़ती है कि उनकी वह मार पेट की आग तक पहुंच जाती है। खानपुर में यह बिजली कोटा के क्षेत्र सांगोद से होकर आती है। सांगोद में विद्युत की आपूर्ति इतनी कम कर दी जाती

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

है कि खानपुर को बिजली ही नहीं मिलती। आज कई महीनों से जो सुमेर का जी.एस.एस. है उसको पूरा नहीं किया गया। मेरा माननीय ऊर्जा मंत्रीजी व वित्त मंत्रीजी को यह सुझाव है कि खानपुर को सांगोद से जोड़ने की अपेक्षा झालावाड़ से सीधा जोड़ा जाए ताकि हमें और किसानों को बिजली की मार न झेलनी पड़े।

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति के लिए आगामी वर्ष में 1230 करोड़ 9 लाख रुपये का प्रबंधन प्रस्तावित किया गया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आज से सात दिन पूर्व जब मैं अपने क्षेत्र खानपुर में गई थी तब वहां 750 हैण्ड पम्प थे, जिनमें से 365 हैण्ड पम्प खराब पड़े थे, जिनमें से 40-50 हैण्डपम्प तो बिलकुल खराब हो चुके हैं, और 40-50 ऐसे हैं जिनमें बोरिंग तो हो गया है लेकिन लोडिंग नहीं हुआ है। आज इन हैण्ड पम्पों को सुधारने के लिए कम से कम 500-600 पाइपों की जरूरत है जबकि विभाग द्वारा हमें केवल 90 पाइप उपलब्ध करवाए गये हैं। मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री से कहना चाहती हूं कि यह पाइप अतिशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि हम पेयजल की समस्या से निपट सके।

पिछले वर्ष जब विधान सभा सत्र चल रहा था तो खानपुर में पीलिया ने अपना ताण्डव नृत्य दिखाया था। उस ताण्डव नृत्य में न जाने कितने ही काल के ग्रास बन गये थे। यहां से तीन-तीन माननीय मंत्रीजी गये थे, उनके जाने के बाद खानपुर वासियों को एक फायदा तो यह हुआ कि वहां 11 हैण्ड पम्प लगा दिये और मुख्य मंत्रीजी ने 62 लाख 55 हजार रुपये खानपुर को पीलिया से ग्रस्त होने पर दिये। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं 62 लाख रुपये का अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। खानपुर वापस पीलिया की चपेट में आने वाला है उसके लिए यह सब जिम्मेदार होंगे। (व्यवधान)

पिछली बार जो हमारा विधायक कोष था 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया था इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं और गरीब जनता की तरफ से भी धन्यवाद देती हूं, बधाई देती हूं। इसका परिणाम जनता ने सरकार को पंचायती चुनावों में ब्याज सहित लौटा दिया था। एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, वह गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाता है, वह जनता की समस्याओं को न केवल सुनता है बल्कि उसमें से होकर गुजरता है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर यह 25 लाख से 50 लाख हो जाना चाहिये ताकि हम अपना काम और अच्छी तरह से कर सकें।

मैं यह अनुभव करती हूं कि राज्य की वर्तमान जटिल व आर्थिक गम्भीर वित्तीय स्थिति में वित्त मंत्री जी के पास अत्यधिक सीमित विकल्प थे, जो विकल्प उन्होंने चुना है उससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता था। यही कारण है कि 1999-2000 के बजट में 767 करोड़ रुपये के बजट

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

घाटे को वर्ष 2000-2001 में केवल 112 करोड़ रुपये के स्तर तक सीमित रख पाना सरकार के कुशल राजकोषीय प्रबन्धन तथा कठोर वित्तीय अनुशासन के कारण संभव हो पाया है।

अंत में, मैं यही कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अपनी कथनी और करनी का भेद मिटाया है और वर्तमान में जो बजट प्रस्तुत किया उसमें सरकार ने अपनी नीति और नीयत दोनों को ही ईमानदारीपूर्वक दर्शाया है। इसके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं,

कुछ लोग दिखाकर हमें सपने चले गये, इस बार हम संकल्पों को साकार करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री मोहन लाल राठौड़। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : एक मिनट, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है।

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इस सदन के अंदर जो भी माननीय सदस्य आते हैं, बड़ी गम्भीरता से तथ्यों की सत्यता को परख कर अपनी बात कहते हैं। सभापति महोदय, अभी एक बड़े गम्भीर विषय पर बहस चल रही थी। नगर से आने वाले माननीय सदस्य परिवार नियोजन की बात कर रहे थे, उस समय टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से इस बात को कह रहे थे कि वो परिवार नियोजन के हामी भी हैं और उनके मात्र दो संताने हैं। यह उनका जीवन परिचय है जिसे राजस्थान की विधान सभा में उन्होंने खुद ने हस्ताक्षर करके दिया है। इसमें रामस्वरूप मीणा सन आफ गोपी सहाय मीणा और संतान इनके, दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। खोज का विषय यह है, सभापति महोदय, कि यह तीन संतानें किसकी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह विधान सभा का पवित्र प्रागंण है इसमें जो कोई भी बात कहे, जो मर्जी हो वह कहे दे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन संतानें इनकी हैं या नहीं, नहीं हैं, तो किसकी हैं? बताइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया था सदन के सामने कि मेरे दो बच्चे हैं, मैं अब भी सदन के सामने कह रहा हूं कि मेरे दो बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बात हो रही थी, मैंने कहा था, मेरे दो बच्चे हैं। (व्यवधान) आप देख लो, मेरे दो बच्चे हैं कि नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, सदन में कोई सदस्य असत्य बातें करे, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे भाषण के दौरान यह बात कही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं। (व्यवधान) इनके 5 बच्चे हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। (व्यवधान) सभापति महोदय, टोडाभीम से आने वाले सदस्य से माफी मंगवाएं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैंने असत्य नहीं कहा। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, कृपया विराजिए। राठौड़ साहब, कृपया विराजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये 3 बच्चे किसके हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने गुमराह किया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका जवाब दिलवाएं, सभापति महोदय, इसका जवाब कहां है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिए, आसन ग्रहण कीजिये। व्यवस्था बनाए रखिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, व्यवस्था बनाये रखिये। (व्यवधान) व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिये, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, रामस्वरूपजी मीणा साहब कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन आप सुनिये, व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। (व्यवधान) माननीय श्री मोहन लालजी राठौर।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : वे बोल रहे हैं। मैंने उनका नाम बोल दिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा आपसे निवेदन है कि सदन में कोई तथ्य छिपाये या हाउस को गुमराह करे और अपनी औलाद के लिये यह कहे कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या 3 नाजायज औलाद हैं इनके..... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : परिवार नियोजन पर मैंने इस सदन में घोषणा की थी कि मैंने परिवार नियोजन....(व्यवधान) और मैं आज भी घोषणा कर रहा हूं कि मैंने और मेरी पत्नी ने, दोनों ने परिवार नियोजन को अपना लिया है। (व्यवधान) आज भी मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में इस बात की घोषणा की है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको सदन पटल पर रखें। या तो टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य सदन में माफी मांगें ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले ही मैंने सदन में घोषणा की है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने जो गलत जानकारी सदन को दी है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी प्रकार गुमराह करते हुए आए हैं, ऐसे ही असत्य बोलते आये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्रीमान् आजाद साहब, बिराजिए। आप बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक निवेदन तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मेरी बात सुनिये आप, बिराजिए।

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई माननीय सदस्य सदन को गुमराह करे...(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजिए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री सभापति : आप एक बार विराज जाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी, आप बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × ×

श्री सभापति : फरमाओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है....

श्री सभापति : एक पाइंट आफ आर्डर पर दूसरा पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। माननीय राठौड़ साहब, पाइंट ऑफ आर्डर पर बोले थे। इसलिए कृपया आप बिराजिये। कोई इंफार्मेशन ठीक है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। कोई पाइंट आफ इंफार्मेशन नहीं है, आप बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री सभापति : आप बिराज जाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई पाइंट आप आर्डर रेज नहीं किया था। केवल इंफार्मेशन दी थी हाउस को और मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : फरमा दो, आप तो फरमा दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आप आर्डर यह है कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर गलतबयानी भी करे, निर्लज्जता भी बरते और फिर हठधर्मी भी करे, क्या यह आसन इस चीज को उचित समझता है, इन सब बातों को ?

श्री सभापति : आसन तो उचित को ही उचित समझता है। आसन तो हमेशा उचित को ही उचित समझता है। (व्यंवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन फिर वे गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री सभापति : अब नहीं करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर निर्लज्जता भी कर रहे हैं।

श्री सभापति : अब नहीं करेंगे, आप बिराज जाएं। श्री मोहन लालजी राठौर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, आप सहयोग कीजिए। माहिर साहब, बिराजिए आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए। मेरा निवेदन मानिये। श्री मोहन लालजी राठौड़। (व्यवधान) आप बिराजिए, बहुत हो चुका है, बहुत बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री सभापति : मेरा निवेदन मानकर बैठ जाइये आप।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावरजी, आप बिराजिए, इनको भी बैठाइये। मोहन लालजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री सभापति : यह घर का मामला है, वहीं सलटिए आप। यह घर का मामला है; वहीं आप सलटिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : बोलने दीजिए उनको। अजी, आप तो बिराजिए ना।

श्री छोगाराम बाकोलिया : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप बिराजिए। मैंने उनका काम बोल रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री सभापति : आपको इजाजत नहीं है, आप बिराज जाओ। माननीय रामस्वरूपजी, आप बिराज जाओ। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सभापति : माहिर साहब, मुझे कितनी बार निवेदन करना पड़ेगा आपसे? मुझे कितनी बार निवेदन करना पड़ेगा आपसे बैठने के लिए? आप बिराजिए।

श्री मोहन लाल राठौड़ (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय ने 30 मार्च को जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों और वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, वह बजट निश्चित रूप से प्रगतिशील है और सारे राजस्थान प्रदेश की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए और राजस्थान के विकास के लिए बजट पेश किया है। सभापति महोदय, इस सदन के हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य हर बार इस बजट का विरोध करते हैं। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बजट पेश किया है, वह बड़ी विषम और विकट परिस्थिति में इस प्रकार से सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से जो बजट बनना चाहिये था उसी ढंग से बना है। यह विकट समस्या जो भारतीय जनता पार्टी का राज आया उसकी देन रही है और उसी देन की वजह से हमने इस प्रकार का राज सम्भाला, कांग्रेस सरकार ने, भारी घाटे और अव्यवस्था का कुशासन हमें मिला। सभापति महोदय, इस विकट समस्या और विकट परिस्थिति में भी राजस्थान में आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में जो मंत्रिमण्डल बना और सरकार ने साल भर तक जो कार्य किया वह एक सराहनीय कार्य है। इस विकट परिस्थिति में भी जो अभी बजट बना है वह भी सराहनीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस 15 माह में सरकार ने जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, 60 वर्ष की उम्र को 58 वर्ष करके, शिक्षित बेरोजगारों का मार्ग प्रदर्शित किया है। राजीव गांधी पाठशालाओं का जो विरोध किया जाता है, उसकी देन है कि आज गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहन लाल राठौड़)

12 हजार जो पाठशालाएं खोली गयी हैं, उसी गांव के नौजवान को रोजगार मिला है। क्या यह रोजगार मिला हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है? रोजागर जो मिला वह कैसे नौजवान को रोजगार मिला है? उसको कहीं इण्टरव्यू देने जाना नहीं पड़ा है। कहीं भी उसको दरख्वास्त देने नहीं जाना पड़ा है। उसी ग्राम सभा में वहां स्कूल में चयन हुआ और वहां का ही नौजवान जो बेरोजगार था, उसको रोजगार मिला और उसको वहां का शिक्षक नियुक्त किया। फिर भी हमारे भाई जो इस प्रकार से इसका विरोध करते हैं, उनको यह सोचना चाहिये कि हमको खाली विरोध के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिये, कम से कम सच्चाई तो स्वीकार करनी चाहिए कि राजीव गांधी पाठशाला से कितने नौजवानों को रोजगार मिला और गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार हुआ है। जिस गांव में स्कूल नहीं खुल सकता था, जिस गांव में वर्षों से स्कूल नहीं खुला, वहां पर स्कूल खुला और वहां के ही नौजवानों को रोजगार मिला।

इसी सन्दर्भ में मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गये बजट में जो विधायक कोटा था उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भेदभाव जो हमारे ... (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोलने तो दो मेरे को। विपक्ष के हमारे जो माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे भेदभाव का और पक्षपात का जो हमारी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं, क्या यह 25 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार उनको नहीं मिला? यह समानता का अधिकार है या नहीं है? यह बराबरी का अधिकार दिया या नहीं दिया हमारी सरकार ने? तो इस प्रकार की जो अच्छाई है, कम से कम हमको हिम्मत करके जो अच्छाई की बात है उसके लिए तो सरकार को दाद देनी चाहिये। हमारे माननीय सदस्य ने जो बात कही और मेरे से पूर्व खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। एक विधायक जो उसके अपने क्षेत्र में जाता है, उसकी हर समस्याओं को उसको फेस करना पड़ता है और इस विधायक फण्ड से उसको सम्बल मिला है और वह कहीं भी जाकर छोटी-मोटी समस्याओं का हाथों-हाथ निराकरण कर सकता है। इसलिए मेरा इस सदन से और वित्त मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि सबकी जन-भावनाओं को देखते हुए इस 25 लाख के कोटे को 50 लाख कर दिया जाए तो मैं यह समझता हूं कि इसमें राजस्थान प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र को विकास करने का और वहां के विधायक को उसके क्षेत्र में कम से कम विकास कार्य कराने का और जो आवश्यक कार्य हैं, जो प्रशासनिक लेवल पर या यहां के लेवल पर नहीं हो सकते हैं, वह स्वयं वहां पर उस समस्या का हल कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस 25 लाख के कोटे को 50 लाख कर दिया जाए अगर सबकी सहमति है तो मुझे इस बात पर

(श्री मोहन लाल राठौड़)

यहां दाद मिलनी चाहिये। इसमें सब सहमत हैं या नहीं है? और अगर सब सहमत हैं तो मेरा यह मानना है और मेरी यह प्रार्थना है वित्त मंत्री महोदय को कि 50 लाख की घोषणा इसके लिए करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप या बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं और वाहवाही लूटने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं तथ्यात्मक बात निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारें पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोथी वाहवाही लूटने के लिए जो नगरपालिकाओं की आय थी, जो उनके आय का स्रोत था, जो उनकी खुद की कमाई थी और हम जिसको चुंगी का नाम देते थे, उस चुंगी की आय से उस गांव का, उस नगर का विकास होता था, वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह वे खुद बांट देते थे, अपनी थोथी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने उस चुंगी को समाप्त किया और उसको समाप्त करने का नतीजा यह निकला कि आज नगरपालिकाओं की हालत हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से भी और हमारे से भी छिपी हुई नहीं है। आज वे सारे खर्चे के लिए राजस्थान की सरकार और जयपुर की तरफ देखते हैं और यहां से बजट जाने के बाद ही उनके नौकरों को तनख्वाह मिलती है। वह सारी नौकरों की फौज, मैं दो बार नगरपालिका, झालरापाटन में रह चुका हूं, मेरे को अच्छी तरह से याद है, फालतू बैठी रहती है और उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। गांव और नगर का विकास पहले जितना होता था और जितना होना चाहिए वह ठप्प हो गया है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है और मेरा सुझाव है कि नगरपालिकाओं को वापस चुंगी लगाने का अधिकार दिया जाए, नगरपालिकाओं में वापस चुंगी लगायी जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो और राजस्थान सरकार पर भी उसका लोड कम पड़े। यहां से भी पैसा कम जाएगा और यह पैसा दूसरे काम आ जाएगा। अतः मेरा सुझाव है कि नगरपालिकाओं को चुंगी वापस लगाने का अधिकार दिया जाए और लगायी जाए (व्यवधान) ठेके से नहीं, नगरपालिका को। वहां के जनप्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं, उनको खुद को अधिकार दिये जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो जल्दी बैठ जाऊंगा। आपको घंटी बजानी ही नहीं है।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आप अपनी बात कहो। आप कहिये।

श्री मोहन लाल राठौड़ : जिस प्रकार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में, हर कार्य में अपनी कुशलता, अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति दिखाई है और मितव्ययता दिखाई है। इसी का नमूना है कि हमारी सरकार ने मंत्रियों की दो कारों की बजाए एक कार कर दी है। हवाई जहाज की यात्राओं पर रोक लगाई है। (व्यवधान) इस प्रकार के खर्चों पर बहुत सारी कटौतियां की हैं। (व्यवधान) हां, तो की है न। यह किया है, क्या यह

(श्री मोहन लाल राठौड़)

प्रशंसा का काम नहीं है? हम इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? मैं हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो अच्छाइयां होती हैं, उसकी प्रशंसा हम क्यों नहीं करते हैं और बेकार दूध में, वह कहते हैं न कि बीन-बीन कर हम उसको (व्यवधान) यह अच्छा नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कुछ काम आपके जिम्मे भी दे रखे हैं।

श्री मोहन लाल राठौड़ : हां, यह बात सही है, इसको मैं मानता हूं कि आपका काम वही है और हमारा काम यही है। पर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे यहां पर बहुत सी बातें आयी हैं, आज आप और हम राजस्थान के बराबर के जिम्मेदार हैं, आप भी इसी प्रदेश के माननीय सदस्य हो और हम भी इसी प्रदेश से चुनकर आये हैं, यह बात सही है कि जब आपकी सरकार थी और हमारी सरकार केन्द्र में थी, हमारे कांग्रेस के सांसद आपको वहां से सहायता दिलाने में बराबर की मदद करते थे, हमारे मुख्य मंत्रीजी, जो यहां आज हमारे सदन के नेता हैं, प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने यहां पर आपके सामने एक सवाल डाला है कि आप इस काम में राजस्थान को मदद दिलायें सैण्ट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से पैसा दिलाने में। क्या आपने रुचि दिखायी? आपको यह चाहिए था, प्रगति आपके राजस्थान की ही होगी। हमें तो आखिर अन्त-पंत राजस्थान में ही रहना है। मेरा विनम्र निवेदन है विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की अपील पर आपको ध्यान देना चाहिए और आपको पहल करनी चाहिए कि हम भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसे लायें। हमारे राजस्थान में जो अकाल पड़ रहा है, वह आपका भी भाई है और मेरा भी भाई है, कोई प्यास से रो रहा है, गाय के लिए घास की जरूरत है, पानी की जरूरत है तो हमें बराबर की मदद दिलानी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और इसके बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी आपसे अनुरोध भी कर चुके हैं, आपके सामने सवाल रख चुके हैं। अब आपके ऊपर यह बात है कि आप इसमें कितनी मदद दिला सकते हैं राजस्थान सरकार को भारत सरकार से।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं। सड़कों के बारे में जो हमारी सरकार ने नीति बनायी, वह चाहे बी.ओ.टी. की है, बी. ओ. ओ. टी. की है, जो भी है, वह अच्छी है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए बी. ओ. टी. के माध्यम से सरकार सड़कों का निर्माण करना चाहती है पर मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए पचास साल हो गये और हम जिस जगह से आते हैं, मेरा एरिया काफी देहात से जुड़ा हुआ है, देहातों में आज सड़कों की यह हालत है कि सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं देहात में पचास साल के बाद भी। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि बी.ओ.टी. और यह जो जितनी प्रथा है यह

(श्री मोहन लाल राठौड़)

तो नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे पर होगी, उन गरीबों के लिए गरीब काश्तकारों के लिए, गरीब गांव वालों के लिए हमारे पास क्या उपाय है या उनके लिए हम क्या योजना बना रहे हैं जो पचास साल के बाद भी आज सड़कों से नहीं जुड़ सके हैं? माननीय सभापति महोदय, मैंने स्वयं आंखों से देखा है, आपने भी सुना होगा, यह सारे सदस्य यहां पर विराजमान हैं, बरसात के टाइम पर जब नदी-नाले, खाले उनका रास्ता रोक लेते हैं और रास्ता नहीं रुकता है तब भी वहां कीचड़ एक-एक फुट, डेढ़-डेढ़ फुट रास्तों में हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में जब कोई बीमार होता है या कोई प्रसूति का, मां-बहन के डिलेवरी का काम पड़ता है तो खाट पर डालकर वहां से ढोकर लाना पड़ता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए। कृषि विपणन बोर्ड से, पंचायत के हैडक्वार्टर तो जरूर जुड़ रहे हैं पर पंचायत के हैडक्वार्टर जुड़ना ही काफी नहीं होंगे, इन छोटे-छोटे गांवों को भी जोड़ा जाए और उसके लिए हमें स्पेशल योजना, स्पेशल खर्च का या स्पेशल बजट कहीं से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(17.00 बजे)

भी हो वह करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही विषम परिस्थिति है।

गांव अगर सड़क से नहीं जुड़ेंगे, हम यह मानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, लेकिन हम पचास सालों में भी इनको सड़क से नहीं जोड़ सके, उनको पानी नहीं पिला सके, उनको दवाइयां उपलब्ध नहीं करा सके तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारी आजादी अधूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में एक-दो बात और निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, बातें तो बहुत थीं। यहां पर्यटन का मामला आया। आपने उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जिलों को तो जोड़ा पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे जिलों में भी पर्यटन का काफी स्कोप है। मैं मेरे झालावाड़ जिले की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में नौलखा किला, चन्द्रबागा नदी के पर्यटन स्थल, सूर्य मंदिर, गागरोन का किला, कोलवी की गुफा, जानखेड़ी का मंदिर और सीताबाड़ी इस प्रकार के कई स्थान हैं, जहां पर पर्यटन का काफी स्कोप है। अगर वहां ध्यान दिया गया तो मैं यह कहता हूं कि इन छोटे जिलों का भी विकास होगा, राजस्थान के साथ उनका नाम होगा। इसमें जो पुरात्व...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मोहन लाल राठौड़ : मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से विनम्रता के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं। ये बात करते हैं कि इस राज में क्या हुआ? बी.पी.एल. का कार्ड, है गरीबी की रेखा के

(श्री मोहन लाल राठौड़)

नीचे रहने वाले लोगों के लिए। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं आती कि जिनके कैंसर हो जाता है, जिनके टीबी हो जाती है, जिनके हार्ट की बीमारी हो जाती है वह इलाज कराने के लिए नहीं आ सकता। लेकिन आज उसको ढांढस हो गया, उसकी हिम्मत हो गयी है और बी.पी.एल. के कार्ड के जरिये वह अपना जीवन सुरक्षित समझता है। इसलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं।

अन्त में, दो मिनट के लिए एक निवेदन करके मेरी बात समाप्त करता हूं। शिक्षा में राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से काफी प्रगति हुई है। अभी इस बजट में जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल के साथ-साथ 200 सैकण्डरी स्कूल की जो घोषणा की गयी है, मेरा विनम्र निवेदन है कि 200 की जगह 400 स्कूल होने चाहिए क्योंकि बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र में दो स्कूल भी नहीं खोलेंगे तो एक विधायक को वहां जवाब देना और उसकी लड़ाई का बड़ा भारी संकट हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से सबकी सहमति है कि 200 की जगह 400 स्कूल होने चाहिए। इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ब्रजेन्द्र सिंहजी सूपा।

श्री ब्रजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट 30 मार्च को पेश किया है, आपको विदित है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह बजट पेश किया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि पिछली सरकार ने जो राज्य की वित्तीय स्थिति बिगाड़ी है उससे आप भी भली-भांति परिचित हैं। 23,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में कितना पैसा सरकार का जाता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी इन परिस्थितियों में सरकार के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं आम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। यह जनोपयोगी और विकासशील बजट है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, राज्य की तीन चौथाई आबादी कृषि से जीवन-यापन करती है। आज भूमिगत जल की निरन्तर कमी आ रही है। इसके लिए पानी का संचयन करना अति आवश्यक है। इसके लिए विस्तार से योजनाएं बनानी चाहिए। जलग्रहण की योजना बहुत ही अत्यावश्यक है। राज्य की चम्बल नदी का पानी राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में चला जाता है। साथ में जो छोटी नदियां हैं उनका पानी भी दूसरे प्रान्तों में बहकर जाता है। उसे रोकने के लिए एक बड़ी योजना बनानी चाहिए। इस योजना के माध्यम से जलग्रहण किया जा सकता है, किसानों के

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

हितों की रक्षा की जा सकती है। आज पूरे राज्य में पानी की जो स्थिति है, पानी का स्तर जो नीचे चला जा रहा है उससे पूरे राज्य में बहुत ही दयनीय स्थिति बनती जा रही है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटी-छोटी नदियों का पानी रोका जाए, चम्बल का पानी रोका जाए, ऐसी योजना बनानी चाहिए।

भरतपुर जिले में जहां बांध टूटे हुए पड़े हैं, उन बांधों की पुनः मरम्मत करायी जाए। 1995-96 की बाढ़ के समय में जो बांध टूटे हैं उन बांधों का पानी भरतपुर जिले से निकल कर यू.पी. में चला जाता है। कभी भरतपुर जिले का इर्रिगेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि आज उस इर्रिगेशन सिस्टम की किताबें चीन में और अन्य देशों में पढ़ायी जाती हैं। उसी इर्रिगेशन की स्थिति को ध्यान में रखें तो आज भरतपुर जिले की बहुत ही बदतर स्थिति हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, कई छोटे-छोटे बांध टूटे हुए पड़े हैं जिनसे राजस्थान का सारा का सारा पानी यू.पी. और अन्य प्रान्तों में चला जाता है। इसका मुख्य कारण इर्रिगेशन का टूटा हुआ सिस्टम है। भरतपुर, धौलपुर के बांध 1995 में जो टूटे हुए पड़े हैं, उनके लिए कोई विशेष बजट का प्रावधान होना चाहिए जिससे उनकी मरम्मत की जा सके।

भरतपुर जिले का एक मात्र बांध बंध बरेठा है जो कि स्टेट के समय का बना हुआ है। उस समय से आज तक उसकी नहरें कच्ची बनी हुई हैं, उन नहरों के पानी के सीपेज होने से वहां के किसानों की फसल बरबाद हो जाती है। इसके लिए वहां की नहरों को पक्का कराना अत्यन्त आवश्यक है। अगर वे पक्की नहीं हुई तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, किसानों की अधिक फसल हो सके, ऐसा करना अति-आवश्यक है। उसी बांध के वेस्ट वीयर से जो पानी निकलता है, उस वेस्ट वीयर को ककुन्द नदी के नाम से जाना जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय इर्रिगेशन मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं, माननीय इर्रिगेशन मंत्री श्रीमती कमला जी वहां गयी हैं, उन्होंने देखा है कि एक-एक महीने पानी लगातार उन गांवों में खड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में उन गांवों में प्रोटेक्शन बांध बनाना अत्यन्त आवश्यक है। आपने वायदा भी किया है कि वहां के प्रोटेक्शन बांध को शीघ्र मंजूरी दे दी जाएगी, परन्तु इस बजट में न कोई प्रावधान है प्रोटेक्शन बांधों का और न आगे मुझे दिखाई देता तो फिर इन गांवों की कैसे रक्षा हो पाएगी? मैं यहां नाम बताना उचित समझूंगा कि कोटी खेड़ा, पीरीकरार पुराबाई खेड़ा, सातपुरा आदि जो गांव हैं, उनमें लगातार एक-एक महीने पानी भरा रहता है पानी भरने के कारण वहां के आम नागरिक बहुत ही दुःखी हैं। इन हालात को ध्यान में रखते हुए, निवेदन करना चाहता हूं इर्रिगेशन मंत्रीजी को कि वे कुछ बजट देने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करें। वित्त मंत्री महोदय तो यहां हैं नहीं, पर मैं समझता हूं...(व्यवधान) मंत्री

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

महोदया बैठी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे भरतपुर के हितों को ध्यान में रखेंगी भरतपुर की बेटी हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि आप भरतपुर के इर्रिगेशन सिस्टम के लिए विशेष रूप से कोई न कोई बजट का प्रावधान रखेंगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य की तीन चौथाई आबादी कृषि पर आधारित है। हम सभी किसानों के वोटों से चुन कर इस पवित्र सदन में आते हैं लेकिन कभी कोई किसान की बात नहीं करता।

श्री परसादी लाल : करते हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप और हम तो करते हैं पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एम.पी. बन कर गये हैं वे वहां नहीं करते। आज उन्होंने केरोसीन का भाव बढ़ाया है, आज उन्होंने खाद का भाव बढ़ाया है, आज उन्होंने गैस सिलेंडर का भाव बढ़ाया है, डीजल का भाव बढ़ाया है जिसका आम नागरिकों पर असर पड़ा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत को आजाद हुए 50 साल हो गये, हम सभी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं फिर भी किसान के उत्पादन का मूल्य व्यापारी लगा रहा है। व्यापारी उसकी फसल का मूल्य लगाता है तो उसको पूरी फसल का पैसा नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। उद्योगपति जब कोई उत्पादन करता है तो उस उत्पादन का मूल्य स्वयं तय करता है, अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तो मैं मानता हूं कि किसानों के हित की बात होगी। सभापति महोदय, अगर किसान ने एक बार भी अपना उत्पादन नहीं किया तो पूरे देश की हालत क्या होगी, हम लोगों की हालत क्या होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। किसान की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है क्योंकि किसान को सही मूल्य अब तक मिल नहीं पा रहा है। सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी किसान के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग से हैं वे किसान के हितों की रक्षा करेंगे किसान की बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा विश्वास है कि वे कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने में किसानों की मदद करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : अभी तो ये दलित वर्ग पर बोलेंगे, सभापति महोदय। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोलेंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : दलित वर्ग में तो हूं ही। मैं अन्य पिछड़ी जाति का तो कर ही रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की सड़कों की हालत कैसी है, वह आपसे या माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : जैसा राज है वैसी ही है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप जो कह रहे हैं यह बिलकुल सही बात कह रहे हैं कि राज अच्छा है। सड़कों की मरम्मत

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

कराने का विशेष रूप से प्रावधान कर रखा है परन्तु दुःख इस बात का है, मैं कहना नहीं चाहता था कि पिछली सरकार में श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने इसी पवित्र सदन में कहा था कि जब मैं सड़कों पर जाता हूं, जब किसी खड्डे में मेरी गाड़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो दिल पर छाले पड़ गये हों। वे तो आये नहीं पर कुछ लोग आये हैं। उनको तो नतीजा दिखा दिया परन्तु जो कुछ लोग आये हैं उनको सुनना पड़ रहा है और उनको भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को।

श्री अमराराम (धोद) : सूपाजी, खड्डे अगर नहीं भरे गये तो यही हालत आपकी होने वाली है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यह आप सही फरमा रहे हैं, अगर खड्डे नहीं भरे गये तो यह हालत हमारी तीन-चार साल बाद ही होगी। घाव बहुत गहरे हैं। आम लोगों को यह विदित है कि जो पिछली सरकार ने किया है उसमें कर्जा चुकाने के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए कुछ पैसा रखा है। इस साल मुझे जहां तक विदित है, वह कम रखा है। हम चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, इसको दोगुना किया जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : 25 से 50।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : 25 से 50 तो विधायक कोटा वाली बात है, उसे तो कहेंगे ही।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सड़कें नयी बनानी चाहिए। सभापति महोदय, बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको सड़क से जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। बड़े गांव हैं, कम लागत में वे गांव अधिक जुड़ सकते हैं। ऐसी सड़कों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से बयाना, भरतपुर और धौलपुर की सड़कों के बारे में जो कि खास तौर से खराब है। कोई भी माननीय सदस्य बयाना या धौलपुर गया हो तो छोकरवाड़ा से धौलपुर तक जो सड़क जाती है उसकी हालत बहुत ही खराब है। वह सड़क हमारे भरतपुर और धौलपुर की पहली सड़क है जिसको हम राज्य स्तर की सड़क घोषित कर सकते हैं। ऐसी सड़कों को राज्य स्तर का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जो सड़क हैं, सभापति महोदय, जो छोकरवाड़ा से जाती है धौलपुर केलिए उसमें यू.पी. बिलकुल नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन अगर बयाना होते हुए जाता है और धौलपुर पहुंचता है तो उसको दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता। आज स्थिति यह है कि हाई-वे की रोड की वजह से यू.पी. में होकर राजस्थान क्रॉस करना पड़ता है और वह धौलपुर से ग्वालियर के लिए जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी सड़कों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सड़क पर डिमांड नहीं है। मैं कभी बोलता नहीं और अगर मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहूं तो ऐसा कौनसा समय आएगा?

श्री सभापति : कहिये, कहिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ सड़कें सिर्फ नाम मात्र की सड़कें रह गयी हैं। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बसेड़ी से मासलपुर, धोबी की बितरिया से बढरिया, बसेड़ी से बागसर, भरतपुर से बयाना, बयाना से बसेड़ी, बयाना से रूपवास, बयाना से हिण्डौन, बयाना से तालचिड़ी, बसेड़ी से ममोदर, सलेमपुर आदि सड़कें आज सिर्फ नाम मात्र की सड़कें रह गयी हैं, इन पर तमाम खड्डे पड़े हुए हैं। इन सड़कों की मरम्मत कराना अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं पिछले वर्ष 16 हजार खोली गयीं और इस वर्ष 11 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने का प्रावधान रखा है, स्वागत योग्य है। गांव में जो ढाणियां है, जिनके बच्चे दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, उन परिस्थितियों में वहां के बच्चों के लिए यह योजना बनायी गयी है। वहां का बच्चा वहां के बच्चों को शिक्षा दे, इस लिहाज से यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है।

सभापति महोदय, भरतपुर, धौलपुर जिले के 212 गांवों के लिए चम्बल नदी से पेयजल की जो योजना स्वीकृत की है उसमें 166 करोड़ 53 लाख रुपये रखे हैं, इस योजना के लिए हमारे यहां के तमाम नागरिकों की तरफ से हम सरकार का धन्यवाद देते हैं।

श्री सभापति : कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : थोड़ा-सा और है।

श्री सभापति : नहीं, बहुत हो गया।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर्यटक आते हैं वे सीमित हो गये हैं जयपुर तक। इसका विस्तार करना चाहिए नये स्थानों तक। जयपुर तक, उदयपुर तक तो हैं ही पर इसका विस्तार करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐतिहासिक स्थानों में बयाना का विजयपाल किला, उषा मन्दिर, मुगलों के समय के तालाब, मस्जिद, अकबर की आरामगाह के लिए बनायी गयी। झपरी आदि जो वहां पर विख्यात हैं उनका प्रचार-प्रसार होना चाहिए जिससे कि पर्यटक यहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखें।

सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने यह प्रावधान रखा है कि कोटपूतली और महुवा में रक्त बैंक बनाये जाएंगे। दुर्घटनाएं आये दिन होती हैं, इन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों का प्रावधान रखा है, प्रस्ताव किया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। जहां दिल्ली और जयपुर के बीच फोर-वे सड़क बनायी गयी है। ऐसा ही मेरा निवेदन है, माननीय वित्त मंत्रीजी, कि जयपुर और आगरा के बीच में फोर वे ट्रेफिक होना चाहिए क्योंकि आये दिन घटनाएं घटती रहती है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशुधन को बचाने के लिए डिआयल, और आयल केक जो कर मुक्त किया है उससे किसानों को राहत मिली है।

श्री सभापति : अब कृपा कर समाप्त कीजिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : थोड़ा-सा और है।

श्री सभापति : अब नहीं, बहुत हो गया। माननीय डा. रामप्रतापजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, हमने इस बजट में जो प्रावधान नहीं रखे हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : वह कट मोशन से दिला दीजिए आप। वह डिमाण्ड्स पर दिला दीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय वित्त मंत्रीजी, इस बात को विशेष ध्यान में रखेंगे कि पशु चिकित्सालय एक भी नहीं खोल रहे हैं। पशु चिकित्सालय खोलना अत्यन्त आवश्यक है जबकि किसान के हित में पशु चिकित्सालय और पशु सब सेन्टर नहीं खोले हैं। इसकी बहुत ही आवश्यकता है।

श्री सभापति : और मौका मिलेगा, डिमाण्ड पर मिलेगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, गांव के लोगों की सुचारू चिकित्सा के लिए एड-पोस्ट भी अत्यन्त आवश्यक है, सब सेन्टर भी अत्यन्त आवश्यक है।

श्री सभापति : अब कृपा कीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए।

श्री सभापति : होना चाहिए, ठीक है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : जो सैकण्डरी स्कूल्स हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं उनको क्रमोन्नत कम कर रहे हैं, इनकी भी संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

श्री जगत सिंह दायमा : बयाना में और भी कई चीजें खुलनी बाकी हैं।

श्री सभापति : प्लीज प्लीज। डा. रामप्रताप।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बोलने तो दें। आप बता दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा है, बयाना से जयपुर और आगरा काफी दूर पड़ता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं + + + सदन से वाक आउट करता हूं।

श्री सभापति : अभी वाकआउट मत कीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)
पर आसन ने मेरा समय निश्चित किया, मेरे को एक मिनट नहीं बोलने दिया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि वाक आउट मत कीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर मेरा समय क्यों अलाटमैंट किया आपने? इसलिए + + + मैं वाकआउट करता हूं।

(श्री जगमाल सिंह यादव, माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अब आपका समय हो चुका मेरे खयाल से घर जाने का।

श्री सभापति : माननीय जगमालजी, आप वाकआउट मत कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जब टाइम तय है, इनका समय समाप्त हो गया, उनको समय आसन की ओर से मिलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : टाइम तय है। नहीं, दे रहे हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : जगमालजी, आप बैठिये।

श्री सभापति : आपको पूरा समय मिलेगा। आप चिन्ता मत कीजिए। माननीय जगमाल सिंहजी, आप पधारिये। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बैठिये आप। हमारे सम्माननीय सदस्य हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, ये छोटी पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री प्रद्युम्न सिंहजी, वित्त मंत्रीजी ने यह जो बजट पेश किया है वह बहुत प्रभावशाली है। मैं इसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं मेरे साथी के साथ वाकआउट करता हूं।

डा. रामप्रताप : आपकी पार्टी ने तो एक घंटा टाइम लिया है। गाड़ी जा रही है, रहने दो न आप। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : टाइम नहीं बढ़ाया है। इनका टाइम हो गया है इसलिए जाना चाहते हैं।

श्री सभापति : कृपया शांति और व्यवस्था बनाइये। माननीय डा. रामप्रताप।

श्री जगत सिंह दायमा : ये पार्टी के तो अध्यक्ष हैं। जगमाल सिंहजी सीनियर मैम्बर हैं।

(श्री जगत सिंह दायमा, माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, समय नहीं दिये जाने के कारण मैं भी वाकआउट करता हूं।

(श्री अमराराम (धोद), माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : डा. रामप्रतापजी, आप बोलना शुरू कीजिये। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : अब आप बैठ जाओ।

श्री रामस्वरूप : टाइम दे रहे हैं फिर आप क्यों जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप बोलना नहीं चाहते क्या?

श्री रामस्वरूप : ये जबरदस्ती भाग रहे हैं, साहब, ये बोलना नहीं चाहते हैं। ये तैयारी तो करके आये नहीं है और अब लांछन लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, बैठिये। डा. रामप्रतापजी, आप फरमायें।

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश का गठन अनेकों छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ। इन रियासतों में लोगों के आर्थिक और सामाजिक जो हालात थे वे भिन्न-भिन्न थे। ऐसी हालत में प्रदेश का विकास करने के लिए तत्कालीन सरकार भाखड़ा कैनाल और राजस्थान कैनाल जैसे मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स लेकर आयी। लेकिन फिर भी माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में सतही जल सिर्फ 1.16 प्रतिशत होने की वजह से हम इतने बड़े रेगिस्तान को सिंचित नहीं कर सकते थे। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारे अनाज की प्रति वर्ष वृद्धि तो निश्चित हुई और उस क्षेत्र विशेष के लोगों में आर्थिक सम्पन्नता आयी लेकिन पंजाब और हरियाणा के तरीके से हम पूरे प्रदेश में हरित क्रांति नहीं ला सके। इसी तरीके से पूरे प्रदेश का औद्योगिकीकरण करने का प्रयास किया गया लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज की तारीख में इण्डस्ट्रीज सिक पड़ी हैं और औद्योगिक उत्पादन घटा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो इस किस्म के हालात हमें विरासत में मिले। अकेले इर्रिगेशन प्रोजेक्ट से या औद्योगिकीकरण से हम हमारे प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, तो किस तरीके से इस प्रदेश का विकास हो? सभापति महोदय, मैं यहां जापान का उदाहरण देना चाहता हूं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बिलकुल तहस-नहस हो चुका था। फर्टाइल लैण्ड उसके पास थी नहीं, लगातार भूकम्प आते थे, ऐसी परिस्थिति में भी उस देश के शासकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि हमारे पास और कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। उसका नतीजा हुआ कि जगह हमारे पास नहीं जगह हिन्दुस्तान ने दी, लेबर हमारे पास नहीं है, लेबर हिन्दुस्तान ने दी, लोहा हमारे पास नहीं, इण्डोनेशिया ने लोहा दिया। लेकिन टेक्नोलोजी उनके पास थी और उस वजह से मारुति जैसा उद्योग उन्होंने खड़ा किया सारे संसार में इस किस्म की टेक्नोलोजी की वजह से आज वह आर्थिक दृष्टि से सबसे सफल देश बना है। इसी सोच के साथ माननीय भैरोंसिंहजी आगे बढ़े। उन्होंने शुरूआत में ही प्रदेश को एक दिशा-निर्देश दिये और बजट को एक दिशा दी। उन्होंने सोशल सर्विसेज के सैक्टर को

(डा. रामप्रताप)

चुना जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डवलप कर सकें। इस बात के उदाहरण के रूप में, इसके समर्थन में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1990-91 से लेकर आप बजट प्रपोजल्स को देखें उसका सोशल सर्विसेज के सैक्टर में माननीय भैरोंसिंह जी के राज में जो कुल रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है, मैं आपको वर्षवार निवेदन करना चाहता हूं। 1990-91 में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 42.27 प्रतिशत दर्ज किया, 1991-92 में 39.35, 1992-93 में 37.68, 1993-94 में 37.15, 1994-95 में 37.44, 1995-96 में 36.30, 1996-97 में 41.15, 1997-98 में 41.33 और 1998-99 के बजट एस्टीमेट्स में 41.03.

श्री सभापति : समय सीमा का ध्यान रखें।

डा. रामप्रताप : मैं समय सीमा का ध्यान रखूंगा और मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सीमित बोल रहा हूं मैं।

ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप करने के लिए सोशल सर्विसेज के ऊपर जो स्ट्रेस दिया गया जो बजट का थ्रस्ट दिया गया उसका नतीजा यह हुआ कि सन् 1991 में जो हमारा बर्थ रेट 32 था वह 1998 में आकर 17 हो गया।

इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में। जब माननीय भैरोंसिंहजी ने राज संभाला उस वक्त शिक्षा का प्रतिशत था 38 और 1997 में हुआ 55, और निश्चित तौर पर आज अगर आप सर्वे कराएं तो साठ के करीब होगा। सभापति महोदय, कहावत है कि घाव तो बैरी के भी सराये जाते हैं सदाशयता दिखाते हुए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रदेश हो उसका विकास जब ही संभव होगा, और बार-बार सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को मान रहे हैं, अपनी डिबेट में इस बात को कह रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा एक अनिवार्य चीज है विकास के लिए। ये दो पैरामीटर्स रहे हैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के मुख्य मंत्रित्वकाल में। सभापति महोदय, आप अन्दाजा लगाइये कि 1991 में 38 प्रतिशत और आज की तारीख में साठ प्रतिशत। चालीस साल में 38 प्रतिशत तक हम पहुंचे और दस साल में हम साठ पर आ गये शिक्षा पर। मैं शिक्षा पर ही बोल रहा हूं। दो ही मैंने पैरामीटर्स लिये हैं, ज्यादा लम्बा-चौड़ा मामला नहीं है।

इसी तरीके से बर्थ रेट के अन्दर। दस साल के अन्दर जितना अचीव किया है इन दो जगहों पर, सभापति महोदय, आने वाली जनरेशन निश्चित तौर पर इसको हमेशा-हमेशा के लिए याद रखेगी। यह कोई छोटा अचीवमैंट नहीं है। सभापति महोदय, जब भी विकास की बात आएगी तो ये दो चीजें हमेशा याद रखी जाएंगी।

बजट के अन्दर दो तरीके की बातें आती हैं। सत्ता पक्ष जब भी कहेगा, चाहे हम सत्ता में थे, या आज आप बैठे हो तो

(डा. रामप्रताप)

बजट के लिए यही कहा जाता है कि विकासोन्मुखी है, किसानों के लिए अच्छा है, मजदूरों के लिए अच्छा है। इत्यादि-इत्यादि चलता है। इसी तरह से प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग दिशाहीन कहेंगे, मजदूर विरोधी कहेंगे, किसान विरोधी कहेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, बजट की हमेशा एक सैंक्टिटी होती है, यह प्रदेश के विकास को दिशा देता है। सभापति महोदय, इस बजट को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि बजट नहीं होकर, it is a document of accounts, क्योंकि इसके अंन्दर कोई दिशा निर्धारित नहीं हुई। अभी पिछले दिनों क्लिंटन आये थे अमरीका के राष्ट्रपति। खूब उनका स्वागत हुआ। होना भी चाहिए। उन्होंने हिन्दुस्तान की तारीफ की कि सोफ्टवेयर टैक्नालोजी में हिन्दुस्तान इतना आगे बढ़ रहा है कि एक महाशक्ति बनेगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के बजट के अन्दर इस इंफार्मेशन टैक्नोलोजी के लिए सिर्फ ढाई करोड़ रुपये रखे गये हैं और एक लाइन लिखी गयी है। आपने शायद देखा होगा इस चीज को। दो करोड़ पंचास लाख रुपये रखे गये हैं, इस किस्म का बजट है। यह डाइरेक्शन क्या देता है यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही।

जहां तक कर्जे की बात है सत्ता पक्ष के लोगों ने राज संभाला था तो बार-बार एक चीज कही जा रही थी कि कर्जे में डुबो दिया। सभापति महोदय, आपके बजट एट ए ग्लांस में लिखा हुआ है, आप पिछले साल और इस साल में मिलाकर 19,320.35 करोड़ रुपये का कर्जा लेने जा रहे हो विकास के नाम पर। आज पूरे प्रदेश को इस बात का पता है। मैं बीच में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपने रीपेमेण्ट्स भी किये हैं लेकिन कर्जा आपने लिया तो है 19 हजार 320.35 करोड़ रुपये का लेकिन प्रदेश के विकास की जहां तक बात है, कहीं भी जाओ, आज विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी है। सभापति महोदय, इतना भारी कर्जा, पुराने वक्त में जब कर्जा लेते थे तो लोग इसको बहुत बुरा मानते थे, लेकिन आजकल इसका नाम रख दिया गया है कि फाइनेंस कर रहे हैं। यह इस किस्म का कर्जा और विकास आपका हो नहीं रहा, असैट्स आपकी क्रिएट नहीं हो रही तो हम आने वाली जनरेशन किस तरह से विकास करेंगे? वह क्या कहेगी इस बात के लिए—

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

डा. रामप्रताप : सभापति महोदय, बजट के अन्दर कोई दिशा नहीं होने की वजह से, कोई विजन नहीं होने की वजह से मैं इसको कहूंगा document of accounts and erosion of governance and incompetent government. इससे ज्यादा मेरे पास में कहने को कोई शब्द नहीं है क्योंकि ज्यादा कहने से शायद माननीय वित्त मंत्रीजी इसका बुरा मानेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हनुमान प्रसाद।

श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। खास तौर से करों का अधिक भार डाले बिना विकास की गति को संतुलित करने का जो प्रयास किया गया है, वह सराहनीय है। आर्थिक अनुशासन की दिशा में जो प्रयास किये गये हैं वे अपने आप में अनूठे हैं और उस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति के परिचायक हैं। मैं वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से कुछ उपाय सुझाये गयें हैं। खास तौर से ऐसी योजनाएं जिनकी उपयोगिता, उपादेयता नहीं रही है, उन्हें आगे चलाने से प्रदेश में वित्तीय असन्तुलन की अवस्था बनती है तो उन्हें बंद किया जाना उपयुक्त रहेगा। कर्मचारी हड़ताल पर होते हुए भी सरकार ने पंचायती राज चुनावों का सफलतापूर्वक संपादन करवाया। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ-साथ हड़ताल को जिस ढंग से संभाला गया उससे कर्मचारियों में भी अनुशासन की भावना बढ़ी है।

इसमें दो-तीन सुझाव मैं देना चाहता हूं। हड़ताल का असर कुछ बड़े शहरों तक अधिक सीमित था, ग्रामीण क्षेत्र में और कुछ जिलों में बहुत कम था। इससे ऐसा आभास होता है कि जो कर्मचारी बड़े शहरों में तैनात हैं उनके तबादले नहीं हो सकते। खास तौर से जो सचिवालय में या प्रदेश की राजधानी में विभागों में हैं उनके। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर और दूसरे स्थानों पर भी उन विभागों में जा सकें ताकि एक अनुशासन की भावना बढ़े और बिना काम किये बहुत-सा कर्मचारी वर्ग यहां पर राजधानी में बैठा है, उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। इसमें थोड़ा बहुत मेरा पिछला अनुभव मुझे बताता है कि अधिकारीगण ज्यादातर काम करते हैं, कर्मचारी वर्ग का सहयोग इतना नहीं रहता।

अतिक्रमण विरोधी जो अभियान चल रहा है इसके सम्बन्ध में मुझे विशेष तौर से कहना है। राजकीय भूमि पर जो जन सुविधाएं साधारण नागरिक के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है उस पर हुए अतिक्रमण को दृढ़ता से हटाने का जो प्रयास किया गया है वह स्वागत योग्य है। पूरे प्रदेश में जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, सड़कों पर है, पार्क या जो जन सुविधाएं दूसरी हैं उन पर है, उसे अवश्य हटाया जाना चाहिये।

कच्ची बस्तियों का नियमन किया जा रहा है। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि उनके नियमन के साथ-साथ उन कच्ची बस्तियों में रहने वालों को सुनियोजित ढंग से बसाया भी जाए। उसी क्षेत्र में दुमंजिली या बहुमंजिली इमारतें बनाकर उनको आवंटन किया जा सके तो उसी क्षेत्र में बसाया जाए और जो उनको दूसरी सुविधाओं की आवश्यकता है खुले क्षेत्र की, सड़कों की, नालियों की, पेयजल की, उसकी आप व्यवस्था करें। उनके लिए वहां

(श्री हनुमान प्रसाद)

छोटे-मोटे बाजार की व्यवस्था हो तो वह उसी भूमि में से निकल सकता है और वह पूरी पापुलेशन उसी क्षेत्र में रह सकती है। इसके सम्बन्ध में हुडको की ओर से कुछ योजनाएं भी हैं और वित्तीय सहयोग भी मिलता है, नगर पालिकाएं और जयपुर विकास प्राधिकरण उस सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं।

पिछड़े वर्ग के लिए सरकार ने सवा साल के अल्पकाल में जो कार्य किये हैं उनके लिए मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग में मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा में आरक्षण का जो प्रावधान बढ़ाया गया है या नये सिरे से किया गया है वह स्वागतयोग्य है। पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति हुई।

(17.45 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके सम्बन्ध में विशेष तौर से जब मुख्य मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने जो आदेश दिये उसके लिए मैं सम्पूर्ण समाज की ओर से, इन वर्गों की ओर से उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने हाल ही में बैकलाग के सम्बन्ध में संविधान संशोधन के प्रस्ताव केबिनेट में लिये हैं। उसके अनुरूप संविधान संशोधन होते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार भी उसी तरह की व्यवस्था करे आरक्षण का जो प्रतिशत है पदोन्नतियों में, वह उस प्रतिशत से ऊपर नहीं जाए लेकिन जो 50 प्रतिशत की पाबन्दी प्रति वर्ष पदोन्नति और रिक्रूटमैंट में लगी हुई है, बैकलाग उससे प्रभावित नहीं हो और उसका लाभ इन वर्गों को मिल सके। इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।

संवेदनशील सरकार का जो रवैया रहा है इन पिछड़े वर्गों की ओर, विशेष तौर से महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया है उसके लिए और साथ ही अभी राज्य सभा के जो चुनाव हुए उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में जो सराहनीय बात हुई है उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो टी.एडी. या अनुसूचित क्षेत्र है उसमें पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत तक की व्यवस्था की गई है। साथ ही वित्तीय संसाधनों में अनुसूचित जनजाति के लिए वित्त का जो भाग होता है, 8 प्रतिशत मान लिया जाता है उस क्षेत्र में लगना, लेकिन अब जो बात की गई है कि उसे अलग से जनजाति विकास विभाग को दे दिया गया है, इससे खास तौर से टी.एडी. क्षेत्र के विकास में अधिक प्रगति होगी और यह स्वागतयोग्य कदम है। जो गरीब तबके से लोग आते हैं चाहे वे जनजाति के हों, अनुसूचित जाति के या दूसरे हों, उनके साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी अवश्य आई है, तत्परता भी आई है फिर भी पीड़ा का

(श्री हनुमान प्रसाद)

विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में सख्त से सख्त कार्यवाही करने की व्यवस्था रखी जाए ताकि एक संदेश जाएं कि यह सरकार जो इन वर्गों के प्रति संवेदनशील है वह ऐसे जहां अमानवीय व्यवहार की बात आती है उसमें कोताही नहीं बरतेगी और पूर्ण दृढ़ता से काम करेगी।

मैं कुछ बातों की ओर विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस समय पूरे प्रदेश में और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें अकाल की स्थिति है और अकाल के साथ-साथ पेयजल की विकट समस्या है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं उस क्षेत्र में हर वर्ष 10 से 15 फीट जल स्तर नीचे जा रहा है और हर गांव में हर वर्ष पेयजल की समस्या बनी रहती है। इसके साथ-साथ इस समय पशु धन के रख-रखाव की भी समस्या आई है। इनमें जो प्रावधान किये गये हैं वे स्वागतयोग्य हैं, फिर भी पेयजल की व्यवस्था के लिए विशेष तौर से मैं चाहूंगा कि सतर्कता बरती जाए। इसमें कहीं हादसा होने की भी सम्भावना हो सकती है।

सड़कों के रख-रखाव पर जो नाममात्र का प्रावधान रखा गया है वह बहुत कम है। खास तौर से पिछले वर्ष.....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दें क्या विधान सभा की बैठक?

श्री रामस्वरूप : जो चले गये उससे तो अच्छा है, बैठे तो हैं। खास भाई बैठ कर बात कर रहे हैं मिल कर।

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्थान पर आ जाओ।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, साहब।

श्री हनुमान प्रसाद : पिछले वर्ष सड़कों के रख-रखाव पर जो प्रावधान रखा था उसमें कई व्यवधान पड़े। वास्तव में पहले तो टेंडर ही नहीं हुए। उसके बाद दिसम्बर से सभी क्षेत्रों में काम रोक दिया गया, जबकि कुछ सड़कों के मरम्मत के प्रस्ताव मंजूर हुए थे। हम लोगों ने जाकर बताया कि ये-ये सड़कें मरम्मत के लिये रखी गयी हैं लेकिन उन पर कार्य शुरु नहीं हो सका। अब 30 करोड़ का जो सड़कों के रख-रखाव पर अतिरिक्त बजट दिया है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी है, यह समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत कम है। पिछले वर्ष जो सड़कें मंजूर हुई उन्हें ही रिपीट कर दिया जाए तो भी इस बात का बहुत बड़ा स्वागत होगा। कुछ लोगों तक यह बात तो पहुंचे कि यह नयी सरकार बनने के बाद जिले की सम्पर्क सड़कें, कम से कम बड़ी सड़कें जिन पर बहुत दबाव है ट्रैफिक का, उनका कार्य तो शुरु हुआ।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाकर बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं और सवा साल के अल्प काल में जो सरकार ने एक दिशा-निर्देश, संदेश दिये हैं और जो कार्य किये हैं उनके लिए बधाई देता हूं और

(श्री हनुमान प्रसाद)

इसके लिए वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्द लालजी।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान का बजट पेश नहीं किया गया था उससे पहले लोगों की यह सोच थी कि यह पुलिस महकमे का मंत्री रहा हुआ है, पता नहीं सख्त होगा तो कितना सख्त बजट पेश करेगा। लेकिन जब राजस्थान का बजट 30 तारीख को पेश हुआ, लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली, लोगों ने इस बजट की बड़ी प्रशंसा की। आम आदमी को, काश्तकार को, गरीब को राहत देने वाला बजट है, मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिन पर इस बजट में कोई विचार नहीं किया गया है।

मेरे क्षेत्र में सिद्धमुख नहर परियोजना सिंचाई की एक बड़ी योजना काफी समय से चल रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस योजना का उद्घाटन भी किया था लेकिन बजट में उस योजना के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। बजट में एक भी पैसा उस पर नहीं रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धमुख नहर परियोजना को बजट अलाट करके, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उस योजना को पूरा करवाया जाए जिससे कि हमारे क्षेत्र का पिछड़ापन, गरीबी दूर हो सके।

दूसरा आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, 75 परसेंट आबादी काश्त पर निर्भर है। इसमें बीज पर लोग-बाग कोई ध्यान नहीं देते। जब बीज की सप्लाई सरकारी विभागों के माध्यम से होती है तो जब काश्तकार बुवाई कर लेता है उसके बाद वह दुकानों पर आता है। उसके पहले काश्तकार गैर सरकारी दुकानों से अप्रमाणिक महंगा बीज खरीदकर लुट चुका होता है। मेरा वित्त मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह आने वाले समय में जब भी बुवाई का समय आए प्रमाणिक बीजों की नियमित सप्लाई सरकारी दुकानों पर करें।

आज अकाल की भयंकर स्थिति है। सरकार चारे की व्यवस्था कर सकती है, रोजगार की व्यवस्था कर सकती है लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान शायद ही कोई सरकार अकाल के समय में कर सके। आज जितनी भी योजनाएं हैं रीजनल स्कीम हो चाहे लोकल सोर्स हो, सारी बंद पड़ी हैं। 209 गांवों में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे गांवों में भी पानी नहीं जा रहा है। लोकल सोर्स की जो कुएं की मोटरें हैं 6-6 महीने से बंद पड़ी है, उनका कोई नामोनिशान नहीं है।

आज सड़क की स्थिति देख लीजिये। मेरे साथ में हरियाणा लगता है, हरियाणा में दुनिया भर की अच्छी सड़कें हैं, पीने के पानी के साधन हैं। और जब हमारी तरफ

(श्री नन्दलाल पूनिया)

आगे देखते हैं तो ढूंढ़ते हैं तो भी सड़क नहीं मिलती, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी तहसील की यह स्थिति हो गयी है कि हरियाणा के लोग हमारी तहसील में, क्योंकि हमारी 90 परसेंट रिश्तेदारी वहां हरियाणा से चिपकी होती है, आज हमारे क्षेत्र में कोई लड़की देना पसंद नहीं करता। वे कहते हैं कि पिछड़ापन जिस तहसील में है हम हमारी लड़की को वहां भेजकर और दुःख में क्यों डालें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह स्थिति है। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो उसको सुधारा जाए। राजगढ़ से झुंझुनूं तक 60 किलोमीटर की सड़क है, आज उस रोड पर हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी बस चलती है, जयपुर से कटरा। उसकी दूरी दिल्ली से लाहौर से भी ज्यादा है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दस मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर (व्यवधान) इसके बाद और बोलेंगे आप तसल्ली रखो। इनके बाद अभी एक और बोलेंगे, आप जल्दी क्यों कर रहे हो?

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री नन्दलाल पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजगढ़ से झुंझुनूं की दूरी 60 किलोमीटर है। एक्सप्रेस बस, डीलक्स बस वह 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। आप देख लीजिये, उस सड़क की कैसी दुर्दशा हो गयी है। हमारे यहां तो कहावत है कि राजगढ़ की जितनी सड़कें निकलती हैं, चाहे वह राजगढ़ से जूपा हो, चाहे राजगढ़ से तारानगर हो, चाहे राजगढ़ से चूरू हो, चाहे राजगढ़ से झुंझुनूं हो, पिलानी हो, बहरोड और हिसार हो, यह कहते हैं किसी औरत के डिलीवरी न हो तो उसको जीप में बैठाकर उस सड़क पर ले जाओ, हास्पिटल ले जाने से पहले डिलीवरी हो जाएगी। यह स्थिति है हमारी सड़कों की। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़कों की व्यवस्था नहीं सुधरी। चूंकि हमारे साथ हरियाणा लगता है, वहां अच्छी सड़कें है, सारी सुविधाएं हैं, हमें दुःख होता है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा सरकार अपने क्षेत्र में दे रही है हमें भी मिले वह सुविधा। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक आदमी भूखा है और दूसरा जलेबी-लड्डू खा रहा है तो उसकी भी यह इच्छा होगी, वह भी खाना चाहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री नन्दलाल पूनिया)

आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सड़कों की दुर्दशा सुधारे।

आज राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई हैं, यह बहुत अच्छी योजना है। जितने रेवेन्यू विलेज थे वहां प्राइमरी स्कूल खुले हैं। ढाणी, मजरे और जो दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूरी के गांव बसे हुए थे उनके छोटे पांच साल, सात साल के बच्चे तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर नहीं जा सकते थे, आज वे बच्चे अपने गांव में शिक्षा ले रहे हैं, अपनी ढाणी, मजरे में शिक्षा ले रहे हैं। इससे ज्यादा सरकार उनको और क्या फायदा दे सकती है? बहुत अच्छी योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं और राज्य सरकार, वित्त मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।

शिक्षा के मामले में कुछ कमियां भी है। प्राइमरी, मिडल स्कूल से सैकण्डरी और सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी का 200-200 का प्रोविजन रखा गया है। 200 में क्या होता है? हर क्षेत्र में एक पाती आती है। लड़ाई झगड़ा हमारा करवाओगे कांग्रेस वालों का। आज कम से कम हर एक एम.एल.ए. को दो-दो स्कूल तो मिलनी चाहिये तो 400-400 का प्रोविजन तो जरूर कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में सात तहसीलें हैं, हर तहसील में एक कालेज है। लेकिन राजगढ़ तहसील ही ऐसी है जहां राज्य सरकार का कोई कालेज नहीं है। आज मोहता परिवार की तरफ से एक कालेज चलाया जा रहा है, उस मोहता कालेज को 60 परसेन्ट अनुदान दिया जाता है। 60 परसेन्ट से कुछ नहीं होता है। यदि राज्य सरकार का कालेज होता तो सेन्ट-परसेन्ट खर्चा लगता। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कालेज का अनुदान बढ़ाया जाए, कम से कम 90 जरूर करें, अन्यथा 80 से नीचे मत करें।

दूसरा, मेरा अनुरोध है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि एम.एल.ए. कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने 50 लाख का कहा है, 50 लाख बहुत कम है। हर एम.एल.ए. के क्षेत्र में 100-100 गांव होते हैं, अगर एक कमरा भी किसी स्कूल में देते हैं तो डेढ़ लाख रुपये लगता है। कितने बने 50 लाख में? 30 बने। सौ-सवा सौ से कम गांव नहीं हैं, आज एक-एक कमरा भी नहीं दे सकते हैं गांव में। तो हमें क्या दे रहे हो? या तो जो दिये हैं वे वापस ले लो, नहीं तो कम से कम एक करोड़ रुपये एक एम.एल.ए. का होना चाहिये। एक करोड़ से कम क्या देंगे? एक करोड़ का मतलब 60 स्कूलों में हम कमरे दे सकते हैं, 60 धर्मशाला दे सकते हैं। 60 से कम तो क्या देंगे आप? 60 के कम से कम एक करोड़ रुपये बनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह कोटा बढ़ाया जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि

(श्री नन्दलाल पूनिया)

मेरे क्षेत्र में हिन्दुस्तान का ही नहीं संसार का बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, गोगाजी का मेला। यह ददरियावा में भरता है। ददरियावा गोगाजी का जन्म स्थान है। यू.पी. से लाखों यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। हिन्दुस्तान के मानचित्र पर यदि उसे राज्य सरकार लाना चाहे तो वह ददरियावा जो गोगाजी का जन्म स्थान है, आ सकता है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करे। आज वह सबसे बड़ा पर्यटन स्थान बन सकता है यदि वहां सुविधाएं दी जाएं। मैं कई साल से देख रहा हूं कि यू.पी. से लाखों यात्री वहां आते हैं, वहां रहने के लिए जगह नहीं है। वहां हजारों बसें आती हैं, बसें खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। यात्रियों के पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, यात्रियों को पीने के लिए पानी नहीं है, वे पानी साथ लाते हैं, वे यह कहते हैं कि हमारे गोगाजी पीर ने किस जगह पर जन्म लिया जहां हमें पानी अवेलेबल नहीं है। कला और पर्यटन की दृष्टि से यदि ददरियावा को विकसित किया जाए तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात होगी। यह राज्य सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी।

मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेकर यही बात कहना चाहता हूं कि जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है वह आम लोगों को राहत पहुंचाने वाला है, लेकिन मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। कृषि के मामले में जो बिजली की रेट बढ़ायी गयी है यह रेट या तो वापस ली जाए नहीं तो सरकार यह गारंटी दे कि कम से कम 8 घंटे काश्तकारों को बिजली दी जाएगी कि वह उसकी भरपाई कर सके। आज आठ घंटे से कम बिजली काश्तकारों को मिलती है तो फिर बिजली की रेट बढ़ाने का औचित्य क्या है? मैं मेरे क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि आज 2-2, 3-3 घंटे बिजली मिलती है। बिजली मांगने के लिये जाते हैं तो उन पर मुकदमे किये जाते हैं। बिल तो आता है लेकिन शाम को बच्चों को पढ़ाई के लिए 6 से 10 बजे तक बिजली का कोई प्रोविजन नहीं है। यदि बच्चों को 6 से 10 तक बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे पढ़ाई होगी? उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बिजली मंत्रीजी से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शाम को 6 से 10 बजे तक लोगों को बिजली मुहैय्या कराई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट रखा है उसका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद हुए 40 वर्ष हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : 50 हो गये।

श्री केसाराम चौधरी : कांग्रेस को राज करते हुए 40 वर्ष हो गये। इन 40 वर्षों में कांग्रेस ने इस राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में 18वें स्थान पर लाकर खड़ा कर

(श्री केसाराम चौधरी)

दिया। माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत के नौ वर्ष के राज में...(व्यवधान) यही तो बता रहा हूं, आप सुन लीजिये।

भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में इस राज्य को छठे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया गया जिसकी गणना आज आप करा रहे हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी ने 30 तारीख को बजट भाषण इस सदन में पढ़ा, अन्य राज्यों की तुलना में 18 वें स्थान पर पहुंचाने की शुरूआत 30 मार्च को वित्त मंत्रीजी ने की है। 2 वर्षों से अकाल की भयंकर मार से राज्य गुजर रहा है किन्तु राज्य की कांग्रेस सरकार इन वर्षों को राजस्थान की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाकर तालरिया और मगरिया गवा रही है और इसमें दो करोड़ का बजट खर्चा करेगी। यह राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। दो करोड़ रुपये इस अकाल की महामारी को देखते हुए! एक वर्ष स्वर्ण जयन्ती मना ली तो दूसरे वर्ष स्वर्ण जयन्ती नहीं मनाएं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह दो करोड़ का बजट अकाल राहत में दिया जाए तो राज्य के हित में रहेगा।

सरकार राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद पंचायती राज के चुनाव का ढिंढोरा पीट रही है। बार-बार कांग्रेस कह रही है कि हमने पंचायत चुनाव कराये। मगर पंचायत चुनावों में जो कर्मचारी लगे थे उनको किस तरह की तनख्वाह दी गयी, वेतन और भत्ते दिये गये? उनमें कितना भेदभाव किया गया? अगर आप जांच करवा लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ही वेतनमान वाले कर्मचारी को, एक ही पद पर होते हुए एक को 45 रुपये का भत्ता देते हैं और दूसरे को 30 रुपये का भत्ता दिया है। यह राजस्थान की सरकार ने किया। अगर आप कहते हैं कि यह सच्चाई नहीं है तो जांच करवा लीजिये, मैं बता दूंगा आपको।

पैरा नम्बर-9 में, गत वर्ष को भीषण अकाल वर्ष माना और 500 करोड़ रुपये का व्यय करना बताया गया है। किन्तु इस वर्ष 100 वर्ष के बाद में छप्पनवां अकाल वापस पड़ा है। उस छप्पनवें काल में बजट का प्रावधान? गत वर्ष के अकाल से भी भयंकर अकाल है, इस अकाल के अंदर बजट को दुगुना और तिगुना करें तो भी कम पड़ेगा। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और जिलों में चारा डिपो खोलना केवल कागजों में बताया गया है। कागजों में चारा डिपो खोल दिया गया। मगर उनको पूछें कि आपने खाकला या चारा कितना बेचा है तो पाली जिले में केवल 100 ट्रक पूरे सीजन में बिक गये होंगे। इससे ज्यादा बेच नहीं सकते। बेचने वाली संस्थाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करती है और उन्हें भी प्राब्लम यह है कि घाटा पड़ गया तो हम कहां से इसकी भरपाई करेंगे। इसलिए वे पूर्ण रूप से पशुओं के लिये चारा भी मुहैया नहीं करा रहे हैं। दिल्ली की सरकार से आप मांग रहे हैं। सुबह भी अखबार में था, माननीय

(श्री केसाराम चौधरी)

गुमानमलजी लोढ़ा ने यह कहा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान के लिए फ्री कर सकते हैं, मगर आपकी सरकार उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।(व्यवधान) उनको पावर है तभी तो कह रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी : पैरा नम्बर-26 में कहा गया है, तीन चौथाई लोग कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों में जीवन यापन करते हैं, अतः कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देने की बात है विशेष रूप से। मैं तो कहता हूं कि इस बार अगर सरकार की गाज गिरी है तो विशेष रूप से राजस्थान के किसानों पर गिरी है। उससे तो राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया, यह बात इस वर्ष आपकी सरकार ने साबित कर दी है। किसानों को 4 लाख 40 हजार क्विंटल प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, किन्तु बीज निगम द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुणवत्ता के बारे में कौन विचार करेगा? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गत वर्ष बिलाड़ा में आर.एस.सी. और एन.एस.सी. द्वारा 81 काश्तकारों को अनुदान बीज बांटना बताया, बिलकुल बोगस है। झूठे कागजों में बताया है। 2500 क्विंटल कपास खरीदना बताया था। मगर 81 सदस्यों की किसी सूरत में 2500 कपास पैदा हो ही नहीं सकती। उस 2500 क्विंटल कपास के जो बीज निकले वे बाजार में से घटिया किस्म की कपास खरीद कर उनमें से बीज निकाल कर थैलियों में पैक करके और टैग लगाने से केवल प्रमाणित बीज नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जो बीज पैक करते हैं उन बीज निगमों पर निगरानी के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। किसान बरबाद हो गए, जिसकी जांच करा सकते हैं। इस वर्ष मण्डी में कपास की आवक से जो गवार का बीज दिया गया, उसकी भी गुणवत्ता के बारे में हो-हल्ला हुआ मगर सरकार का इस पर ध्यान अभी तक नहीं गया। बीज निगम किस तरह से घोटाले करते हैं, सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना तो लगाते ही हैं मगर नकली बीज देकर किसानों की अरबों रुपयों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि बीज निगम जहां भी बीज पैदा करे उसकी जानकारी लिखित में दें कि

(श्री केसाराम चौधरी)

किस क्षेत्र में किन-किन किसानों के खेतों में आदान बीज देते हैं। इसकी समस्त जानकारी सदन के सभी माननीय सदस्यों को बीज तैयार करने के पूर्व देनी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य इस बात का ध्यान रख सके कि किसानों के लिए जो बीज पैदा किया जा रहा है वह गुणवत्ता के अनुरूप हो रहा है या नहीं। (व्यवधान) मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सर, कुछ पाइंट देख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसानों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है तो इस वर्ष बिजली की पड़ रही है। विद्युत पर 925 करोड़ 60 लाख का बजट प्रावधान तो स्वागत योग्य है। मारवाड़ जंक्शन सब स्टेशन ट्रांसफार्मर और ओ.सी.बी. छोटे हैं, उसके स्थान पर बड़ा ट्रांसफार्मर व ओ.सी.बी. लगाने की अति आवश्यकता है, यह छोटा होने से लोड नहीं ले पाता है। जोजावर 132 के.वी.ए. का अति शीघ्र पूरा करवाना चाहिए तथा गुढ़ा केसर सिंह में 33 के.वी. का सब स्टेशन नया बनाया जाना चाहिए। घेरनी व कोलर में 33 के.वी.ए. सब स्टेशन अति शीघ्र नये चालू करने चाहिए। बजट में अगर सबसे ज्यादा भार बढ़ा है तो वह किसानों की बिजली की रेट पर बढ़ा है और वह भी ऐसे अकाल के समय जबकि उनसे राम तो रूठा हुआ ही है, राज भी रूठ गया है। बिजली की मोटर पर 1.11.99 से न्यूनतम चार्ज लगा दिया। बिजली आए या नहीं आए, किसान को तो न्यूनतम चार्ज देना ही पड़ेगा। फ्लैट रेट को आवश्यक नहीं किया जाए। घरेलू मीटर पर 50 यूनिट मिनिमम चार्ज है लेकिन जिसकी मोटर बंद होती है उससे 150 यूनिट का बिल लिया जाता है, जो गलत है। कनेक्शन शिफ्टिंग में हजार रुपये प्रति हॉर्स पावर चार्ज किया जाता है जो बिलकुल ही गलत है। इसमें सुधार किया जाए। फाइल जमा कराने के बाद एक वर्ष तक लोड बढ़ाते ही नहीं, कनेक्शन शिफ्ट करते ही नहीं। मजबूरी में किसान उसी मीटर से अपनी मोटर को केबल से चलाता है फिर भी किसान को विजिलेंस वाले चोर मानते हैं जबकि बिजली मीटर से चलती है। ऐसे मेरे क्षेत्र में करोड़ों रुपये किसानों से विजिलेंस के नाम से लूट चुके हैं। किसानों के लिए एक्स.ईएन. के रूप में साइट टेस्टिंग ए.ईएन. लगाकर उनकी विजिलेंस करायी जाती है। उसको पावर दिये जाते हैं, वह मीटर की सील तोड़ सकता है, मीटर की सुई तोड़कर फास्ट या स्लो कर सकता है और जब चाहे तब मीटर की सील खोल कर उद्योग वालों को लाभ या हानि दे सकता है। इसमें भ्रष्टाचार होने की पूर्ण गुंजाइश रहती है, अतः उद्योगों की चैकिंग के लिए भी सुचारू व्यवस्था की जाए।

अंत में मैं यही कहता हूं कि यह दिशाहीन बजट भाषण जो इस सत्र में पढ़ा गया है, वह राजस्थान को विनाश की ओर ले जाएगा, न कि विकास की तरफ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान को विकास की ओर ले जाने की दृष्टि से सात पंचवर्षीय योजनाएं पहले बनाई। इन सातों पंचवर्षीय योजनाओं में 7168 करोड़ रुपये कुल व्यय किए उसके कारण से हम विकास में कहां तक पहुंचे, अगर आप इसका आर्थिक विश्लेषण देखें तो आपको लगेगा कि राजस्थान कहीं सोलहवें स्थान पर, पन्द्रहवें स्थान पर, चौदहवें स्थान पर, अठारहवें स्थान पर, जितने भी विकास के आयाम हो सकते हैं, उसकी दृष्टि से था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो वे माननीय सदस्य छठे स्थान पर बता रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अलग-अलग है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि कौनसे स्थान पर राजस्थान था। लेकिन बहुत प्रयास करके इस योजना को जम्प देकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये करने के पीछे मानस यही था कि राजस्थान को पिछड़ेपन से निकाला जाए, बीमार राज्यों से किसी तरह से निकाला जाए। लोग इसको बीमारू राज्य नहीं कहें इसलिए प्लान साइज को बढ़ाया। और बढ़ाया ही नहीं, 11500 करोड़ की जो प्लान साइज थी, जब उसका इंवेस्टमेंट हुआ पांच साल के बाद तो वह 12 हजार करोड़ रुपये हुई, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई। उसके कारण से अगर आप फिगर्स में तुलना करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि हमने कर्जा लेकर भी काम किया तो राजस्थान की बहबूदी के लिए, राजस्थान के विकास के लिए किया। कर्जे के नाम से अपने प्रदेश की उन्नति को रोकना कोई समझदारी की बात मैं नहीं समझता हूं। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो आज हमसे अधिक कर्जदार नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर सारे राज्यों की सुची उठाई जाए तो हम नवें और दसवें नम्बर पर हैं कर्ज की दृष्टि से। हमसे ऊपर तो कई राज्य हैं जो हमसे बहुत ज्यादा कर्जे में हैं, किसी का 40 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है तो किसी का 45 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। ये मारे के सारे फिगर्स इस बात को दिखाते हैं कि कर्जे से डरकर विकास की गति को रोकना समझदारी की बात नहीं है।

पिछली आठवीं पंचवर्षीय योजना को पूरा किया उसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना 27 हजार 650 करोड़ रुपए की बनाई गयी। उसके दो-तीन वर्षों में हमने जो कुछ भी किया और उसके आधार पर राजस्थान में जो स्थिति बनी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके पीछे मेरी भावना है कि हम कर्ज लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, यह बात बिलकुल गलत है। यह आपने अपने सारे डाक्यूमेंट से भी प्रूव कर दिया कि हमने जो कुछ भी कर्जा लिया वह विकास के लिए लिया था। उससे ज्यादा कर्जा तो केवल दो वर्ष में है। यह जो अभी आपके सामने निकला है न, इस अभी वाले समय में आपके कर्जों को मैं आपको बताता हूं। 23800 करोड़ रुपए जब समाप्त किया तब तक कर्जा था और आपने 10843 करोड़ तो पिछली बार कर्जा लिया और अबकी बार आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुमानित है 5537 करोड़ रुपए, यह सब मिलाकर, आपका आंकड़ा पहुंचता है अगले साल के अंत तक 39 हजार करोड़ रुपये। तो क्या यह कर्जा नहीं? मैं समझता हूं कि कर्जा लेना इतना ज्यादा खराब नहीं। कर्ज के आधार पर हम राजस्थान को कितनी तरक्की देकर उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी आमदनी बढ़े, लेकिन हमने तो केवल एक श्वेत पत्र जारी करके सम्पूर्ण राजस्थान को इस एक अलग हालत में डाल दिया, जैसा कि कोई बहुत बड़ा पास हो गया। उसके कारण से अब सारे का सारा जितना भी हमारा बाहर से जो कुछ भी इंवेस्टमेंट होना था, वह लगभग बंद हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। खाद के उपयोग की दृष्टि से राजस्थान 1990-91 में सोलहवें स्थान पर था, अब तेरहवें स्थान पर है। उद्योगों में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से तेरहवें स्थान पर था, अब दसवें स्थान पर है। विद्युतीकृत गांव की दृष्टि से 1990-91 में नवें स्थान पर था, अब पांचवें स्थान पर। योजना का आकार जो तीन हजार करोड़ रुपए था, उसमें पांचवें स्थान पर था। आठवीं योजना के बाद आया है। प्रति व्यक्ति राजस्व में 594 रुपये से पन्द्रहवें स्थान पर थे, अब हम 1990 रुपए के हिसाब से दसवें स्थान पर हैं। प्रति व्यक्ति कर राजस्व की दृष्टि से हम तेरहवें स्थान पर थे, अब हम दसवें स्थान पर हैं। केन्द्रीय कर का प्रति व्यक्ति जो अंश है उसमें हम नवें स्थान पर थे। राज्यों की सूची में नौवें स्थान पर आते थे, अब पांचवें स्थान पर हैं। प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय की दृष्टि से हम 15वें स्थान पर थे, अब हम दसवें स्थान पर हैं। प्रति व्यक्ति विकास व्यय में हम पन्द्रहवें स्थान पर थे 1990-91 में, जो अभी 1998-99 में आकर हम नौवें स्थान पर आए हैं। ये आंकड़े मेरे बनाये हुए नहीं है। हमने उधार लेकर भी राजस्थान को विकास के मार्ग पर बढ़ाया और आपने इस बात का हौवा खड़ा करके राजस्थान के विकास को रोकने का काम किया है। आपको स्वयं को भी महसूस होगा, आने वाला समय आपको स्वयं को महसूस करा देगा। आपने प्रचार तो डर का किया, लेकिन कर्जा उससे ज्यादा ले लिया और उसके बाद भी उस दृष्टि से विचार नहीं किया। जो 27,650 करोड़ रुपये की नौवीं पंचवर्षीय योजना बनी थी उसके चार वर्ष पूरे कर रहे हैं और इन चार वर्षों में सभी मिला लें तो भी 16 हजार करोड़ रुपये खर्च होता है। अंतिम वर्ष बच जाएगा, हिसाब से अगर हम चार करोड़ आपकी इसी गति से मानें तो लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की हमारी पंचवर्षीय योजना का जो पैसा है, जो हमें मिला है या जिस योजना को हमने स्वीकृत कराया है उसका हम व्यय नहीं कर पाएंगे। व्यय नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम राजस्थान के विकास को ठीक प्रकार से गति नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस बारे में बिलकुल ठीक प्रकार से विचार होना चाहिए कि वास्तव में हम राजस्थान को तरक्की दे रहे हैं या हम राजस्थान को अवनति की ओर ले जा रहे हैं।

मैं आपके बजट का विश्लेषण करना चाहता हूं, थोड़ा आप शांति से विश्लेषण करें। आपने राजस्थान को विकास की जगह अवनति के रास्ते पर डाला है और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह मैं अपनी बात से नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़ों से ही कह रहा हूं। आपने राजस्थान के विकास की जो गति बनी थी उस विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया है। 1997-98 व 1998-99 दो वर्षों में जो कृषि पर व्यय किया गया था वह 558 करोड़ था और आपका दोनों सालों का बजट, 1999-2000 व 2000-2001 में आप कुल खर्चा कर रहे हैं 487 करोड़। दो साल में जो कुछ भी हमने किया उससे भी आपने कम किया। उसके बाद प्राइस बढ़ती है और बाकी कई चीजें बढ़ती हैं उसके आधार पर हम विकास की दृष्टि से उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं? इसी तरह से ग्रामीण विकास पर हमारा जो पांच साल का था वह 500 करोड़ का था, आपका दोनों सालों का मिलाकर 580 करोड़ रुपये है जो लगभग उसके करीब है, कोई बहुत ज्यादा इस दृष्टि से छलांग मारी हो, ऐसा भी नहीं है।

इसी तरह से सिंचाई में आपने राजस्थान की बिलकुल दुर्गति कर दी है। हमारा पिछले दो सालों में 1138 करोड़ रुपये सिंचाई पर व्यय हुआ था और आपके इन दोनों बजटों के बाद 792 करोड़ रुपये कुल खर्चा हुआ। आप वास्तव में राजस्थान को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं? बजट का जो कुछ अपम समझते हैं, बजट विकास का एक आधार बनता है और उसके आधार पर राज्यों की प्रगति होती है, लेकिन उस दृष्टि से भी नहीं।

अब ऊर्जा की दृष्टि से आप देखिए। आप बातें बहुत कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये आंकड़े मेरे बनाये हुए नहीं हैं, ये आंकड़े स्वयं आपकी बजट की इन किताबों के माध्यम से हैं। पिछले दो वर्षों में बजट में ऊर्जा पर खर्च हुआ था 2367 करोड़ रुपये और आपके इन दोनों बजटों में ऊर्जा पर 1879 करोड़ रुपया रखा हुआ है। तो आप तरक्की कर रहे हैं या वास्तव में अवनति की ओर जा रहे हैं? राजस्थान को आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? अभी भले से आप अपनी बातों पर कितना ही खुश हो जाओ, लेकिन जो गति बनी थी उस गति को हम रोककर अवनति की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं यह सारे आपके आंकड़े दिखा रहे हैं।

उद्योगों की तो हालत यह बनायी है कि उद्योगों की दृष्टि से पिछले दो सालों में 400 करोड़ रुपये का प्रोविजन था, आपने अपने इन दोनों बजटों में मिलाकर 222 करोड़ रुपया, केवल 50 परसेंट रखा। इससे हमारे नौजवानों को राजकीय नौकरी मिल सकती है न कोई प्राइवेट उद्योगों के माध्यम से उनको कहीं रोजगार मिलेगा। इस दृष्टि से भी आपने इस बारे में कोई विचार नहीं किया। जितनी भी वैज्ञानिक सेवाएं हैं उनमें दो वर्षों का हमारा बजट था 7.60 करोड़ और आपने कुल ही 2.75 करोड़ रुपया रखा है जिसमें सारे टैक्निकल मामले भी आ गये। यही नहीं, सामान्य सेवाओं में भी आपने बहुत अधिक गिरावट की है। सामान्य सेवाओं में दो सालों में 213 करोड़ रुपये हमने खर्च किया था, आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दोनों सालों में मिलाकर मात्र 74 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। यह किस बात को दिखाता है? क्या इससे आपको लगता है कि वास्तव में हम कोई तरक्की कर पाएंगे? या हम राजस्थान को विकास की ओर ले जा रहे हैं? ये सारे आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं, जो मैंने दिये हैं। विभिन्न विकास के कार्यों पर जो खर्चा किया, हमने दो साल में 8313 करोड़ रुपये खर्च किया और आपके इस साल के बजट का भी प्रोविजन अगर मिला दें तो 7201 करोड़ रुपये मात्र खर्च होगा। तो आपने विकास की गति को कायम रखा या राजस्थान को अवनति की ओर ले जाने का काम किया? मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप थोड़ा-सा इसको ठीक प्रकार से देखने की कोशिश करिये कि क्या हम वास्तव में राजस्थान की तरक्की चाह रहे हैं। विकास व्यय में हमारा जो अब तक का खर्चा था, आपका विकास व्यय घट रहा है और गैर विकास व्यय बढ़ रहा है। लगातार आप बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाते जा रहे हैं। गैर विकास पर खर्चा अधिक हो रहा है, विकास व्यय पर आपका खर्चा कम हो रहा है। आप देखिए, 1996-97 में अगर परसेंटेज के हिसाब से लगाओ तो विकास व्यय हुआ था 70 प्रतिशत और गैर विकास पर हुआ था 30 प्रतिशत, उसके बाद 1997-98 में 69 परसेंट और 31 परसेंट। 1998-99 में 66 परसेंट और 34 परसेंट। उसके बाद पिछले साल आपने किया 60 परसेंट और 40 परसेंट मतलब विकास व्यय पर 60 परसेंट रह गया और गैर विकास व्यय पर 40 परसेंट आ गया। इस बार भी गैर विकास पर 40 प्रतिशत है। यह इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान के इस बजट के माध्यम से आप तरक्की नहीं दे पा रहे हैं, राजस्थान को अवनति के रास्ते पर बढ़ाने के लिए आपने अपने सारे प्रावधान रखे हैं।

आपने देखा होगा, राजस्व प्राप्तियों का घाटा हो रहा है। मैं सोचता हूं कि शायद कोई सामान्य बुद्धि का आदमी भी समझता होगा कि जब राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से यह लगता है कि स्टेट की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। यह खराब का इंडिकेशन दे रहे हैं उसके बाद भी हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप राजस्व प्राप्तियों और उसके व्यय को परसेंटेज के हिसाब से लें तो 1996-97 में 865 करोड़ रुपये का घाटा था। 865 करोड़ अर्थात् लगभग 11 प्रतिशत का घाटा था। 1997-98 में मात्र 581 करोड़ का घाटा था जो 6.9 प्रतिशत था। उसके बाद 1998-99 में यह घाटा बढ़कर राजस्व में 34 प्रतिशत हुआ और 1990-91 में 38.6 प्रतिशत हुआ। इस बार भी आपका राजस्व घाटा जो 3346 करोड़ है यह टोटल के हिसाब से लगभग 29 प्रतिशत बढ़ता है। तो इतना बड़ा राजस्व का घाटा आप दिखा रहे हैं। फिर आप कैपिटल रिसीट्स में पैसे को दिखाकर उसके आधार पर यह कह रहे हैं हमारा बजटीय घाटा केवल मात्र 112

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ का है, लेकिन आपने इसके पीछे की बात छिपा ली। पिछली बार 1983 करोड़ रुपये का घाटा था वो घाटा कहां गया? वो दिखाया तो है, लेकिन उसके उपाय क्या हैं? कहां से वो पैसा आएगा, इसमें कहीं हिसाब-किताब नहीं है। दिखाया है, लेकिन आपने छोड़ दिया कि हमको केन्द्र सरकार से जो कुछ भी सहायता मिलेगी उसके आधार पर हम इसको ठीक करेंगे। घाटे के लिए पिछली बार भी ऐसे ही कहा था। पिछली बार 3860 करोड़ रुपये का यह घाटा था और 766 करोड़ रुपये का टोटल घाटा था उसकी पूर्ति के लिए भी ऐसी ही शर्त रखी थी लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हुई। 766 करोड़ का घाटा छोड़ा था जो साल के अंत में आते-आते 1983 करोड़ का घाटा हो गया। यह सब इस बात के आंकड़े दिखाते हैं। आपको ध्यान में होगा, जितना टैक्स कम किया जाता है उतनी रेवेन्यू बढ़ती है, हमारा पैसा ठीक प्रकार से आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट और हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जितना आप टैक्स अधिक लगाएंगे उतनी ही चोरी होगी। आपको मैं इस कारण से कह रहा हूं कि ये सारे प्रयास करने के बाद भी, इतना टैक्स लगाने के बाद भी टैक्स रेवेन्यू की आमदनी में कोई कमी नहीं पड़ी थी। 1996-97 की तुलना में 1997-98 में हमने कोई टैक्स नहीं लगाया उसके बाद भी टोटल रिसीट हुई वो 10.8 प्रतिशत ज्यादा हुई। उसके बाद 1997-98 में 8.9 प्रतिशत हुई। 1998-99 में आपने जब पिछली बार 760 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया उसके बाद 17.9 हुई और इस बार वापस घटकर 10.8 पर आ गई। यही नहीं, आपको आश्चर्य इस बात का होगा, आप हमें चाहे जितना भला-बुरा कहें कि हमने कर्जा लेकर राजस्थान को डुबो दिया, यह कर दिया, हमने यही नहीं किया। मैं आपके सामने रख रहा हूं, हमने 7766 करोड़ रुपये की छूट दी थी इन वर्षों में। 1990-91 से लेकर 1998-99 के बीच में जो विभिन्न छूटें दी थीं उसमें कृषि ग्रामीण ऋण माफी योजना में 326 करोड़ रुपये का किसानों का दस हजार तक का कर्जा माफ किया। उस हैड में गया। तकावी ऋण की माफी में 1.88 करोड़ गया। खुशहाली कर की माफी में 9 करोड़ बारानी कृषि भूमि को छोड़ने से हमको 9 करोड़ रुपये का घाटा उसमें हुआ। 36 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसी प्रकार से किसानों को जितना भी भूमि विकास बैंक के लिए था, 539 करोड़ रुपये उसमें छूटे दी और अनुदान का गया है 859 करोड़ रुपये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.31 बजे शुक्रवार, 7 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-94 का विवरण)

परिशिष्ट–"क"

आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित व स्वीकृत आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों की जिलेवार एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रवार संख्या का विवरण

(दिनांक 15.3.2000 की स्थिति)

क्र.सं.	नाम जिला	आयुर्वेद		यूनानी	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	117	16	1	7
2	अलवर	173	5	3	—
3	बांसवाड़ा	117	2	1	—
4	बारां	52	3	1	1
5	बाड़मेर	89	2	5	—
6	भरतपुर	119	8	4	—
7	भीलवाड़ा	176	9	1	1
8	बीकानेर	75	12	—	4
9	बून्दी	55	5	1	—
10	चित्तौड़गढ़	125	8	—	2
11	चूरू	124	7	1	1
12	दौसा	97	2	2	—
13	धौलपुर	48	3	1	1

1	2	3	4	5	6
14	डूंगरपुर	114	4	3	1
15	श्रीगंगानगर	78	4	—	—
16	हनुमानगढ़	88	5	1	—
17	जयपुर	265	31	2	10
18	जैसलमेर	29	2	3	1
19	जालोर	66	3	—	—
20	झालावाड़	73	4	—	1
21	झुंझुनूं	151	6	3	—
22	जोधपुर	112	11	4	5
23	कोटा	48	9	—	2
24	करौली	75	2	2	3
25	नागौर	149	8	2	3
26	पाली	127	10	1	1
27	राजसमंद	88	5	—	—
28	सीकर	151	6	—	1
29	सवाईमाधोपुर	83	3	5	—
30	सिरोही	57	4	—	1
31	टौंक	96	4	1	2
32	उदयपुर	175	10	1	2
	योग	**3392**	**213**	**49**	**50**

परिशिष्ट—"ख"

ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों/चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सक व आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों की जिलेवार संख्या

(दिनांक 15.3.2000 की स्थिति)

क्र.सं.	नाम जिला	ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पदों की संख्या	
		आयुर्वेद चिकित्सक	यूनानी चिकित्सक
1	2	3	4
1	अजमेर	6	1
2	अलवर	5	1
3	बांसवाड़ा	21	—
4	बारां	4	—
5	बाड़मेर	19	2
6	भरतपुर	3	—
7	भीलवाड़ा	19	1
8	बीकानेर	17	—
9	बून्दी	1	—
10	चित्तौड़गढ़	17	—
11	चूरू	8	1
12	दौसा	5	2
13	धौलपुर	—	—
14	डूंगरपुर	20	1

1	2	3	4
15	श्रीगंगानगर	4	—
16	हनुमानगढ़	6	—
17	जयपुर	7	1
18	जैसलमेर	8	2
19	जालोर	9	—
20	झालावाड़	13	—
21	झुंझुनूं	10	1
22	जोधपुर	23	1
23	कोटा	3	—
24	करौली	2	—
25	नागौर	16	1
26	पाली	22	—
27	राजसमंद	15	—
28	सीकर	5	—
29	सवाईमाधोपुर	3	1
30	सिरोही	15	—
31	टौंक	1	1
32	उदयपुर	29	—
	योग	336	17

परिशिष्ठ–"क"

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-96 का विवरण)

आगुमेंटेशन जल योजना बिरांटिया खुर्द—बिरांटिया कलां पर किये गये व्यय का वर्षवार कार्यवार विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत योजना में प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वर्षवार व्यय (लाखों में) 91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	योग
1	ग्राम बर में 4.00 मी. व्यास एवं 25 मी. गहरे खुले कुएं का निर्माण मय होरिजोण्टल गेलेरीज	1.50	—	1.28	0.98	—	—	—	—	—	—	2.26
2	पाईप लाइन बिरांटिया खुर्द एवं बिरांटिया कलां हेतु	7.60	—	4.02	—	4.33	3.69	—	—	—	(-)2.96	9.08
3	पम्प मशीनरी	0.82	—	0.11	0.30	—	—	—	—	—	—	0.41
4	50,000 लीटर जी.एल.आर. बिरांटिया कला	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	बर कुएं पर विद्युत कनेक्शन	0.60	—	0.55	—	—	—	0.04	—	—	—	0.59
6	जनता टाइप क्वार्टर एवं स्वीच रूम	0.98	0.22	—	0.38	—	—	—	—	—	—	0.60
7	कंटिंजेंसी	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(सिंचाई मंत्री)

के स्थगन आदेश अथवा ठेकेदारों द्वारा अव्यवहारिक दरें देना।

(2) बंध बारेठा रियासतकाल का निर्मित बांध है और नहरों के सुधार कार्य हेतु राजस्थान जल संसाधन संघनन परियोजना के अन्तर्गत इसे प्रस्तावित किया जा रहा है। विश्व बैंक के समक्ष दिसम्बर, 1999 से संबोध पत्र (कनसेप्ट पत्र) विचाराधीन है और नीतिगत सहमति के उपरान्त इस परियोजना को स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा।

(3) वर्ष 1995-96 मे अभूतपूर्व बाढ़ में भरतपुर जिले के अधिकतर प्रोटेक्शन बंध क्षतिग्रस्त हो गये थे। बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनः निर्माण हेतु आपदा राहत कोष से वित्तीय साधन उपलब्ध होते ही कार्य करवा दिये जावेंगे।

(4) यह समस्या बाढ़ से सम्बन्धित है जिसका समाधान आपदा राहत कोष से वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही किया जाना सम्भव है इसके प्रस्ताव सहायता विभाग को दिनांक 5.7.97, 1.12.98 तथा 5.4.99 को भेजे गये हैं जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(5) जी, नहीं। बाढ़ राहत कार्यों के पुनः निर्माण हेतु यह खण्ड अस्थाई तौर पर वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। वे अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्यों हेतु वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर भरतपुर खण्ड से कराये जा सकेंगे। अतः बयाना में खण्ड रखने का औचित्य नहीं बनता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पावटा (जयपुर) में उप तहसील की स्थापना

102. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार पावटा, जयपुर में सब तहसील घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

क्षेत्रवासियों के आवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। फिलहाल कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

राज्य कर्मचारियों को देय सुविधाओं में कमी

103. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य कर्मचारियों की हाल में हुई 64 दिन की हड़ताल के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं पूर्व से दी जा रही विभिन्न वित्तीय एवं अवित्तीय सुविधाओं में क्या सरकार परिवर्तन करना चाहती है।

(श्री जगत सिंह दायमा)

यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस लाभ एवं अवकाश के बदले नकद भुगतान संबंधी व्यवस्था को स्थाई रूप से समाप्त करने का निर्णय किया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभी तक ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) अभी तक ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में प्रस्तावित मीठे पानी का प्लांट

104. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के खारे पानी वाले गांवों में मीठा पानी बनाने का कोई प्लांट लगाने की विभाग के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(2) उक्त योजना कब से विचाराधीन है और इसे अब कब तक मूर्त रूप दे दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। चूंकि खारे पानी से मीठे पानी बनाने के संयत्र का प्रारम्भिक लागत व रख-रखाव का खर्चा अधिक होने से ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा नदबई के सभी 161 गांव किसी न किसी प्रकार की पेयजल योजना से लाभान्वित है। केवल 16 गांव ऐसे हैं, जहां पानी की गुणवत्ता वर्तमान में प्रचलित मापदण्डों से अधिक है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जिसमें मीठा जल उपलब्ध कराने हेतु भू-जल वैज्ञानिक से जल स्त्रोत के चयन की राय मांगी जा रही है, उसके अनुसार ही योजना बनाया जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र—नदबई कुल गांव 161
(तहसील नदबई-114, बयाना-47 गांव)

क्र.सं.	जल योजना का नाम	लाभान्वित गांवों की संख्या
1.	क्षेत्रीय जल योजना	17
2.	पनघट योजना	21
3.	पाइप्ड योजना	2
4.	हैण्ड पम्प योजना	121

गांवों की सूची जिनका पानी प्रचलित मापदण्डों से अधिक है: —

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड न.	जन संख्या 1991	तहसील	स्कीम का प्रकार	रासायनिक जांच विश्लेषण (पी.पी.एम.) परिणाम			
						डी डी एस	क्लो.	फ्लो.	नाई.
1.	महरमपुर	16	375	नदबई	हैं.पं.यो.	7488	2770	2.2	4
2.	बुढ़वारी कलां	65	747	नदबई	हैं.पं.यो.	10810	8000	2.8	8
3.	रैना	62	499	नदबई	हैं.पं.यो.	3910	1200	1.8	10
4.	चीता हेडी काशी	28	213	नदबई	हैं.पं.यो.	3286	1130	0.8	10
5.	उसेर	5	861	नदबई	हैं.पं.यो.	3619	1240	1.0	10
6.	बसईया जाट	12	102	नदबई	हैं.पं.यो.	6240	3040	2.2	20
7.	जहांगीरपुर	114	1912	नदबई	हैं.पं.यो.	3286	1160	1.4	48
8.	गई	113	2488	नदबई	हैं.पं.यो.	5824	2830	2.8	10
9.	केलूरी	2	1323	नदबई	हैं.पं.यो.	4160	1410	0.8	250
10.	कोठन खुर्द	97	737	नदबई	हैं.पं.यो.	3411	990	2.0	35
11.	नगला नावरिया	10	161	बयाना	हैं.पं.यो.	6656	2680	2.5	60
12.	पिदावली	21	12[illegible]	[illegible]याना	हैं.पं.यो.	3910	1670	1.2	50
13.	पीपली	40	487	बयाना	हैं.पं.यो.	9152	5900	2.0	120
14.	चक नावली	49	537	बयाना	हैं.पं.यो.	3328	1050	2.0	20
15.	ठिकरिया	67	618	बयाना	हैं.पं.यो.	3412	690	1.6	20
16.	बढोदा	68	1225	बयाना	हैं.पं.यो.	4992	1500	1.8	40

ग्राम हरचन्दपुर (अलवर) में शहीद सैनिक की पत्नी को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा

105. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गत दो वर्षों में ग्राम हरचन्दपुर, चौपानकी, चेलाकी, पंचायत समिति-तिजारा (अलवर) में कितनी भूमि का आवासीय/औद्योगिक/व्यावसायिक भू-रूपान्तरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम हरचन्दपुर में शहीद सैनिक की पत्नी को जीवनयापन के लिए पांच बीघा भूमि आवंटित की थी? क्या यह भी सही है कि उक्त सैनिक की विधवा को आवंटन से पूर्व ही भू-माफियाओं द्वारा उससे जरिये इकरारनामा भूमि हड़प ली है?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(3) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या जांच पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में ग्राम चौपानकी के 6 प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दिनांक 30.11.98 को कुल 5.97 हैक्टर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। प्रति सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13-क के अन्तर्गत 25 बीघा भूमि का आवंटन श्रीमती सोमलता बेवा शहीद महावीर सिंह को दि. 17-3-98 को किया गया था। उपरोक्त ख. नं. 160/291 रकबा 25 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि का मुख्त्यारनामा आम श्रीमती सोमलता ने श्री रूप कुमार बंसल पुत्र लालचंद बंसल के नाम दि. 2.7.98 को सब रजिस्ट्रार, दिल्ली के यहां निष्पादन करवाया था, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त भूमि का बेचान श्री रूप कुमार बंसल पुत्र श्री लालचंद बंसल जाति महाजन निवासी तावडू, हरियाणा एवं श्री बसन्त कुमार बंसल पुत्र श्री लालचंद जाति महाजन निवासी तावडू हरियाणा के नाम उप पंजीयक, टपूकडा के द्वारा 1/2, 1/2 हिस्से का दि. 23.12.98 को निष्पादन स्वयं श्रीमती सोमलता ने करवाया है।

(3) जी, हां। जिला स्तर पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत भू-आवंटन को निरस्त करने हेतु अपर कलक्टर न्यायालय में अपील दायर की हुई है, जिसमें अपील विचाराधीन है। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में खातेदारी भी नियम विरुद्ध दी गई थी, जिसे तहसील स्तर से पुनरावलोकन करने के उपरान्त पुनः 25.8.99 को भूमि श्रीमति सोमलता की गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण

106. श्री रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में कौन-कौनसी वित्तीय संस्थाओं से कितना-कितना ऋण किस-किस कार्यों के लिए किन-किन शर्तों पर प्राप्त किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से फरवरी, 2000 तक लिए गये ऋणों का विवरण शर्तों सहित परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

वित्तीय संस्थाओं से वर्ष 1999-2000 में फरवरी, 2000 तक प्राप्त ऋण

क्र.सं.	वित्तीय संस्था का नाम	प्रयोजन	प्राप्त ऋण राशि (करोड रुपयों में)	ब्याज दर	ऋण की शर्तें
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय साधारण बीमा निगम	ग्रामीण आवास निर्माण हेतु	14.69	13 प्रतिशत वार्षिक	(i) 25 वार्षिक किश्तों में भुगतान (ii) ब्याज का भुगतान प्रति छमाही
2.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	तिलम संघ के लिए मार्जिन मनी सहायता	10.00	14.25 प्रतिशत वार्षिक	1 वर्ष पश्चात एक मुश्त भुगतान
		सहकारिता विकास परियोजना हेतु	0.06	14.25 प्रतिशत वार्षिक	10 वार्षिक किश्तों में भुगतान
3.	हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन (HDFC)	कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए ऋण देने हेतु	30.00	13.00 प्रतिशत वार्षिक	15 वर्ष की समान मासिक किश्तों में भुगतान
4.	आवास एवं नगर विकास निगम (HUDCO)	कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए ऋण देने हेतु	100.00	13.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 15 वर्षों में भुगतान (ii) प्रथम दो वर्ष में केवल ब्याज का भुगतान (iii) ऋण व ब्याज का समान मासिक किश्तों में भुगतान
5.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत ऋण	चरण प्रथम — सिंचाई परियोजनाओं हेतु।	5.56	13.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) समान वार्षिक किश्तों में भुगतान (ii) ब्याज का भुगतान तिमाही
		चरण द्वितीय — सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कें व पुल तथा सिंचित क्षेत्र विकास परियोजनाओं हेतु।	14.09	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) समान वार्षिक किश्तों में भुगतान (ii) ब्याज का भुगतान तिमाही

1	2	3	4	5	6
		चरण तृतीय - सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कें व पुल तथा सिंचित क्षेत्र विकास परियोजनाओं हेतु ।	34.71	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) समान वार्षिक किश्तों में भुगतान (ii) ब्याज का भुगतान तिमाही
		चतुर्थ चरण-सिंचाई, ग्रामीण सड़कें व पुल तथा सिंचित क्षेत्र विकास परियोजनाओं हेतु ।	6.15	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) समान वार्षिक किश्तों में भुगतान (ii) ब्याज का भुगतान तिमाही
		पंचम चरण - सिंचाई व ग्रामीण सड़क परियोजनाओं हेतु ।	15.18	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 7 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) समान वार्षिक किश्तों में भुगतान (ii) ब्याज का भुगतान तिमाही
6.	बाजार ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से)				
	(i) 12.25 प्रतिशत राजस्थान राज्य सार्वजनिक विकास ऋण, 2009	राज्य के विकास के लिए	700.00	12.15 प्रतिशत वार्षिक	(i) 10 वर्ष बाद एक मुश्त देय (ii) ब्याज राशि का भुगतान अर्द्धवार्षिक
	(ii) 11.85 प्रतिशत राजस्थान राज्य सार्वजनिक विकास ऋण, 2009	राज्य के विकास के लिए	243.32	11.85 प्रतिशत वार्षिक	(i) 10 वर्ष बाद एक मुश्त देय (ii) ब्याज राशि का भुगतान अर्द्धवार्षिक
	लिये गये ऋण का योग		**1173.76**		

प्रश्न संख्या-107

(स्थगित)

हिम्मतगढ़ सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य

108. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई परियोजना हिम्मतगढ़ का निर्माण कार्य गत वर्ष शुरू किया गया था? यदि हां, तो उक्त परियोजना के कार्य को बंद क्यों किया गया है? विवरण सदन की मेज पेर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना की निविदा गत वर्ष आमंत्रित की जाकर ठेकेदार ने थोड़े समय बाद ही कार्य बन्द कर दिया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ठेकेदार के पेनेल्टी लगा कर नये सिरे से निविदा आमंत्रित कर कार्य आरम्भ कराना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त परियोजना का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार की शिथिलता एवं सुचारू रूप से कार्य सम्पादित नहीं करने के कारण गतिरोध आ गया है।

(2) जी, हां। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने के कारण उसके विरुद्ध नियमित कार्यवाही कर दी गई है जिसके फलस्वरूप, कार्य बन्द करना पड़ा।

(3) जी, हां। अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

(4) जी, हां। निकट भविष्य में नई निविदाएं आमंत्रित कर, शेष कार्य को पूर्ण करना प्रस्तावित है।

प्रश्न संख्या-109

(स्थगित)

उड़ीसा बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में प्राप्त राशि का उपयोग

110. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि उड़ीसा सुपर साइक्लोन से पीड़ित लोगों के सहायतार्थ मुख्य मंत्री सहायता कोष में जन सहयोग से राशि एकत्रित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष में उड़ीसा के तूफान प्रभावित लोगों को सहायतार्थ अलग से हिसाब रखना आवश्यक था? क्या इस प्रकार अलग से हिसाब रखा गया है? यदि हां, तो उड़ीसा के तूफान प्रभावित लोगों को सहायतार्थ कुल कितनी राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष में प्राप्त हुई? उक्त राशि का किस-किस प्रकार वितरण/व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) मुख्य मंत्री सहायता कोष में उड़ीसा तूफान प्रभावित लोगों की सहायता हेतु जो राशि प्राप्त हुई, उसका अलग से हिसाब रखा गया है। उड़ीसा के तूफान प्रभावित लोगों की सहायतार्थ अब तक कुल 2,29,56,541/- रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस राशि में से 1 करोड़ रुपये की नकद राशि सहायता कार्य हेतु मुख्य मंत्री उड़ीसा को प्रेषित की गई है तथा 70,85,853/- रुपये की राहत सामग्री प्रेषित की जा चुकी है। शेष बची 58,70,688/- रुपये की राशि उडीसा के तूफान प्रभावित लोगों की सहायता हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। भेजी गई राहत सामग्री का विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है। जन सहयोग से सीधे ही भेजी गई राहत सामग्री उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त है।

उड़ीसा तूफान पीड़ितों हेतु भेजी गई सहायता सामग्री का विवरण

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	संस्था का नाम (जिससे सामग्री क्रय की गई)	बिल नं. व दिनांक	सामग्री का विवरण	संख्या/ मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	राज. रा. सह. उपभोक्ता संघ लि.	1271/ 6.11.99	ब्लेक पालीस्टर शर्ट	1940	4,03,223.40
			कोटन शर्ट	4080	3,26,400.00
			केण्डल बाक्स	7123 किग्रा.	3,63,273.00
			गुड	18,000 किग्रा.	1,83,600.00
			सरस मिल्क पाउडर	6,000 किग्रा.	4,20,000. 00
			खेश	4,000	3,28,000.00
			ट्रक किराया	7	1,05,000.00
		1272/ 19.11.99	काटन शर्ट	2041	1,63,280.00
			कम्बल	2000	1,86,000.00
			काले पालिस्टर शर्ट	11,646	6,28,905.00
			ट्रक किराया	2	30,000.00
		1273/ 19.11.99	माचिस बाक्स	2000 कार्टून	4,00,000.00
			मुरमुरे	60 क्वि.	1,22,400.00
			चिवडा	60 क्वि.	94,860.00
			स्टिकर प्रिन्टेड	1200	3,400.00
		1276/ 22.11.99	ट्रक किराया	1	15,000.00
		2411/ 22.11.99	विभिन्न खर्चे		22,000.00

1	2	3	4	5	6
		1278/ 6.12.99	मुरमुरे चिवडा डिलेवरी चार्ज रेलवे चार्जेज विभिन्न खर्चे	266 किग्रा. 15 किग्रा.	5,426.00 284.58 6,000.00 15,590.00 5,000.00
		1282/ 7.2.2000	खादी के केस खादी के केस चैक काले कम्बल कम्बल अच्छी क्वालिटी के	1846 6442 7000 10000	1,42,142.00 5,15,360.00 6,65,000.00 10,50,000.00
2.	राज. स्टेट हैण्ड. डवलपमेंट का. लि., जयपुर	17/ 14.12.99	कम्बल	3500	3,85,000.00
3.	शुक्ला बोस को भेजी गई राशि मंजप्रभा सुपर बाजार, कटक	762/ 16.11.99	गांधी कम्बल		15,820.00
		765/ 20.11.99	हैण्डलूम कम्बल		1,26,378.00
		775/ 30.11.99	हैण्डलूम कम्बल		57,120.00
		801/ 14.12.99	हैण्डलूम कम्बल		78,000.00
	नेशनल को. कन्जू. फै. आफ इण्डिया लि., कलकत्ता	4540/ 10.12.99	ब्लैक पालिथीन	1000 रोल	2,19,040.00
	मुकुल एडवरटाइज, भद्रक	बैनर			1,200.00
	स्कूल आफ फाइन आर्ट, भद्रक	बैनर			1,400.00
	अमित टैक्सटाइल, भद्रक	काटन क्लाथ बैनर			400.00
		काटन क्लाथ बैनर			476.00
	विविध खर्चे				874.00
				योगः —	70,85,853.00

हनुमानगढ़ और गंगानगर के नहरी पानी की जांच

111. **डा. रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर में गंग कैनाल, भाखड़ा, साउथ घग्घर एवं इंदिरा गांधी नहर से विभाग द्वारा पानी के नमूने गत वर्ष में लिये गये थे? क्या उक्त नमूनों को प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच प्रतिवेदन से विभाग संतुष्ट है? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कदम उठाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गत वर्ष अप्रेल, 99 से फरवरी, 2000 तक घग्घर कैनाल, गंग कैनाल, भाखड़ा एवं आई.जी.एन.पी. नहरों के रा-वाटर के नमूने बैक्टीरीयोलोजिकल जांच हेतु लिये गये थे तथा जांच हेतु विभागीय प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच परिणाम परिशिष्ट—ख पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। जांच रिपोर्ट में कोलीफोर्म की मात्रा अधिक पाई गई। विभाग द्वारा जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से जल को शुद्ध करके व क्लोरीनेशन द्वारा कीटाणुरहित करने के पश्चात् ही पीने का पानी वितरित किया जाता है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विभिन्न जिलों में गायों/भैंसों में "थनैला रोग" की रोकथाम हेतु प्रयास

112. **श्री प्रभुलाल करसौल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, टौंक, सवाईमाधोपुर व अजमेर में गायों/भैंसों में "थनैला रोग" फैल गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस रोग से निपटने के क्या उपाय किये?

(2) क्या यह भी सही है कि "थनैला रोग" में माइक्रो प्लाज्मा के साथ स्टेपाइलोकोकस व स्टेप्टोकोकस उत्पन्न हो जाने से दूध संक्रमित हो जाता है? यदि हां, तो इस रोग से निपटने के लिए कौन-कौनसी दवाएं उक्त जिलों में भेजी? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में उक्त रोग की जांच करने की व्यवस्था कहां-कहां हैं? क्या पशु चिकित्सालयों में इस रोग से निपटने की दवाइयां है? यदि हां, तो जिला सवाई माधोपुर में अगस्त व सितम्बर, 1999 में कितनी दवाई भेजी/स्टाक है?

(श्री प्रभुलाल करसौल्या)

(4) क्या जांच में विश्वविद्यालय के दुर्गापुरा स्थित रोग अनुसंधान केन्द्र "एपेक्स सेन्टर" के प्रभारी डा. पी. के. मेहरोत्रों ने भी इस रोग की पुष्टि की है?

(5) क्या एपेक्स सेन्टर में मानसरोवर, सांगानेर, गांधीनगर, चौमूं, रींगस, डिग्गी, मालपुरा, दूदू, दौसा एवं बस्सी स्थित सरकारी चिकित्सालयों में उपचार हेतु आये रोगी पशुओं की जांच की गई? यदि हां, तो कितने पशुओं की जांच की गई और उक्त रोग से कितने पशु रोगग्रस्त पाये?

(6) इतनी अधिक संख्या में पशु रोगी पाये जाने पर क्या सरकार ने इसे गंभीरता से लेकर उपचार हेतु अभियान चलाया? यदि हां, तो कब से कब तक तथा अभियान में कौन-कौन शामिल थे?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। थनैला रोग बीमार पशु के थनों में जीवाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। अतः भेजी गई दवाइयों की सूची (क) संलग्न है।

(3) राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला रोग निदान प्रयोगशालाएं कार्यशील हैं जो रोगी पशुओं की जांच करने में सक्षम है, इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों में भी पशु चिकित्सकों द्वारा रोग के लक्षणों के आधार पर रोग निदान कार्य किया जाता है। जिला सवाईमाधोपुर में माह अगस्त, सितम्बर, 1999 में दवाईयां नहीं भेजी गई है। पूर्व में उपलब्ध स्टाक के आधार पर समस्त पशु चिकित्सालयों द्वारा इलाज किया जाता है।

(4) अपेक्स सेन्टर, दुर्गापुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा जांच किये गये सेम्पल में उक्त रोग के जीवाणु पाये गये हैं।

(5) अपेक्स सेन्टर, दुर्गापुरा से प्राप्त सूचना के आधार पर 220 बीमार पशुओं के दूध की जांच की गई जिसमें उक्त रोग के जीवाणु पाये गये।

(6) थनैला रोग से पशुओं को बचाने के लिए अभियान चलाया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह छूतदार बीमारी नहीं है एवं इस रोग से बचाव का कोई विशेष टीका भी नहीं है। प्रबन्धन में कमी के कारणों से जब भी इस रोग का संक्रमण होता है तो संक्रमित पशु के उपचार की उचित व्यवस्था की जाती है।

LIST OF MEDICINES SUPPLIES DURING THE YEAR 1999-2000

सूची "क"

S. NO.	NAME OF MEDICINES	PACKING/ UNIT	QUANTITY							
			JAIPUR	DAUSA	ALWAR	TONK	S.MADHOPUR	AJMER	SIKAR	TOTAL
1.	INJ. OXYTETRACYCLINE - 50 MG	100 ML	710	240	425	50	–	945	–	2370
2.	INJ. OXYTETRACYCLINE - 50 MG	30 ML	1254	655	780	1970	–	480	–	5139
3.	BOLUS OXYTETRACYCLINE - 500 MG	25 BOL.	150	145	25	–	–	180	–	500
4.	INJ. BENZATHINE PENICILLIN	6 LAC	740	175	245	500	–	1200	–	2860
5.	INJ. BENZATHINE PENICILLIN	12 LAC	765	175	170	–	–	–	–	1110
6.	INJ. BENZATHINE PENICILLIN	24 LAC	765	205	245	–	–	1200	–	2415
7.	INJ. BENZATHINE PENICILLIN	48 LAC	1010	455	300	500	225	900	–	3390
8.	INJ. PROCAINE BENZYL PENICILLIN	20 LAC	750	40	50	80	–	–	–	920
9.	INJ. PROCAINE BENZYL PENICILLIN	40 LAC	1140	360	200	–	–	–	–	1700
10.	INJ. CHLORAMPHENICOL SODIUM	1 Gm	2650	675	820	–	–	5	–	4150

सिंचाई वृत्त भरतपुर में मरंम्मत योग्य मशीनें

113. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भरतपुर के सिंचाई वृत्त में कितनी मशीनें हैं? उक्त में से कितनी मशीनें खराब हैं और कितनी कार्य करने योग्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्कशाप के अधीन कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रतिवर्ष उनके वेतन भत्तों पर कितनी राशि व्यय की जाती है? उक्त कर्मियों से क्या कार्य संपादित कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में, सिंचाई वृत्त में 25 मशीनें हैं। जिनमें से 18 मशीनें खराब हैं तथा 7 मशीनें कार्य करने योग्य है। मशीनों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त मशीनों की मरम्मत हेतु सिंचाई वृत्त भरतपुर में दो मैकेनिक कार्यरत हैं। इनके वेतन-भत्तों पर प्रतिवर्ष लागत रुपये 1.18 लाख व्यय किये जाते हैं। मैकेनिकों के द्वारा मशीनों के अतिरिक्त भरतपुर जिले के बांधों के गेटों आदि के रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

भरतपुर जिले में सिंचाई वृत्त में उपलब्ध मशीनों की सूची

क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	चालू हालत	अनुपयोगी	कुल संख्या
1.	ट्रक / डम्पर	03	05	08
2.	बुलडोजर चैन टाइप	02	03	05
3.	बर्टले स्क्रेपर केटरपिल्लर	—	04	04
4.	एस्कोर्ट हाइड्रोलिक स्क्रेपर एस	—	02	02
5.	ट्रेक्टर एच-50	02	04	06
	कुल योग—	07	18	25

पटवार परीक्षा के चयन में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी

114. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में पटवार परीक्षा कब आयोजित हुई थी और परीक्षा परिणाम कब घोषित किया गया?

(2) उक्त सफल आशार्थियों में अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं? क्या उन्हें आरक्षण अनुसार लिया गया है?

उत्तर

(1) राज्य में गत पटवार परीक्षा दिनांक 26 व 27 मई, 99 को आयोजित की गई व इसका परिणाम दिनांक 9.8.99 व रोका गया परीक्षा परिणाम दिनांक 9.9.99 को घोषित किया गया।

(2) सफल आशार्थियों में अनुसूचित जनजाति के 99 व्यक्ति है, जिनको आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है।

कारगिल सहायता हेतु प्राप्त राशि का उपयोग

115. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) कारगिल सहायता हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में कुल कितनी रकम राज्य में प्राप्त हुई? उक्त रकम किस व्यक्ति/संस्था ने जमा कराई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से राज्य के शहीद हुए जवानों के आश्रितों को कितनी-कितनी राशि दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि में से शेष राशि कितनी रही तथा उसका उपयोग किस मद में किया जायेगा।

उत्तर

(1) कारगिल युद्ध के समय से अब तक सैनिकों/शहीदों की सहायता हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में कुल 21,54,87,011/- की राशि प्राप्त हुई है। उक्त राशि राज्य, बोर्ड/निगमों के कर्मचारियों द्वारा दिये गये अंशदान तथा जन सहयोग से प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से 11,89,40,000/- रुपये की राशि राज्य कर्मचारियों के वेतन से काटी जाकर सीधे ही कोषागरों में जमा हुई थी तथा शेष राशि डी.डी., चैक या नकद के रूप में प्राप्त हुई।

(2) अब तक राज्य सरकार द्वारा घोषित शहीद सम्मान पैकेज के अन्तर्गत दिनांक 1.4.99 या उसके बाद शहीद हुए सैनिकों के परिवारों, विकलांग/घायल हुये सैनिकों एवं अन्य सैनिक कल्याण के कार्यों पर कुल 2,91,25,218/- रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। शहीद हुये जवानों के परिवारों को दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।

(3) उक्त व्यय पश्चात् 18,63,61,793/- रुपये की राशि सैनिकों के कल्याण हेतु उपलब्ध है। राज्य सरकार का

(मुख्य मंत्री)

प्रस्ताव है कि पैकेज के अनुसार भुगतान के बाद शेष राशि के ब्याज से दिनांक 1.4.99 से पूर्व शहीद हुये सैनिकों के परिवारों, वीरता पदकों से सम्मानित सैनिकों को सहायता दी जावे एवं सैनिक कल्याण के अन्त कार्य कराये जावें।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्वीकृत हैण्ड पम्प

116. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने हैण्ड पम्प वर्ष 1998 एवं 1999 में स्वीकृत किये गये थे? उक्त में से कितने लगे व कितने शेष है? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार नये हैण्ड पम्प व खराब पड़े हैण्ड पम्पों को चालू कराने का अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न प्रपत्र "क" और "ख" में है।

(2) जी हां। शेष स्वीकृत हैण्ड पम्पों को बजट उपलब्धतानुसार लगाया जायेगा।

(3) जी हां। वर्ष 99 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से 70 हैण्ड पम्प खोदे गये जिनमें से 51 चालू कर दिये गये एवं 19 पर हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य प्रगति पर है। विभाग द्वारा विशेष हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान वर्तमान में चल रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना (नागौर) में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव

117. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में कुल कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोले गये? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में जिला नागौर में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में 5 पशु चिकित्सालय एवं 14 उपकेन्द्र खोले गये हैं। सूची "क" संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में उक्त वित्तीय वर्ष में पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है। एक उपकेन्द्र ग्राम भादवासी पंचायत समिति, डेगाना में खोला गया है।

(3) विचाराधीन नहीं है।

सूची "क"

वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में खोले गये पशु चिकित्सा संस्थाएं

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय	क्र.सं.	उपकेन्द्र
1.	ग्राम मण्डूकरा (डीडवाना)	1.	इन्द्रपुरा (लाडनूं)
2.	ग्राम जिलिया (मकराना	2.	बांठडी (डीडवाना)
3.	ग्राम पादकलां (रियांबड़ी)	3.	शिव (नावां)
4.	ग्राम काठौती (जायल)	4.	श्यामगढ़ (नावां)
5.	ग्राम भरनावा (लाडनूं)	5.	बाजवास (परबतसर)
		6.	राबडियास (परबतसर)
		7.	उचाईडा (जायल)
		8.	ठाठोता (परबतसर)
		9.	भादवासी (डेगाना)
		10.	बासनिसेजा (मेड़ता सिटी)
		11.	चन्दावता (मेड़ता सिटी)
		12.	बैराथकलां (खींवसर)
		13.	मेठ (खींवसर)
		14.	सीणोद (नागौर)

शराब बिक्री से प्राप्त आय में कमी की रोकथाम

118. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1999-2000 की अवधि में शराब बिक्री से कितनी राशि का अनुमान बजट प्रावधानों के अनुसार लगाया गया था तथा फरवरी, 2000 के अन्त तक कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) क्या इस कम राशि प्राप्त को देखते हुए सरकार आबकारी नीति में परिवर्तन करना चाहती है?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा पूल करने तथा अनेक स्थानों के ठेके नहीं लेकर खाली रखने तथा ठेकेवाले स्थानों से अनधिकृत रूप से बिना ठेकेवाले स्थानों में शराब बेचने के षड्यन्त्र के कारण कम धन राशि ठेकों से प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें परिवर्तन करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 की अवधि में बजट प्रावधानों के अनुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर से राशि रु. 1107.16 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। इस संबंध में माह अप्रेल 1999 से फरवरी, 2000 तक राशि रु. 778.49 करोड़ (प्रोविजनल) प्राप्त हुई है।

(2) वर्तमान आबकारी नीति दो वर्ष (1999-2001) के लिए निर्धारित है तथा इसके अन्तर्गत सभी मदिरा समूहों का बंदोबस्त पूर्ण हो चुका है। अनुबन्ध के अन्तर्गत वर्तमान में किसी प्रकार का नीतिगत परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(3) ठेकेदारों के द्वारा पूल बना लिए जाने से ठेके देर से उठने के कारण अपेक्षा से कम धनराशि प्राप्त हुई। नीतिगत परिवर्तनों के बारे में आगामी बंदोबस्त से पूर्व विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

गणेशगंज लिफ्ट स्कीम (कोटा) के अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से खराबा

119. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राइट मेन केनाल से निकाली गई गणेशगंज लिफ्ट स्कीम के अंतिम छोर पर पानी नहीं पंहुचने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पानी नहीं पहुंचने के लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है?

(2) क्या सरकार जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई है उन किसानों की सिंचाई राशि माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) यह सही है कि दायीं मुख्य नहर से निकलने वाली गणेशगंज लिफ्ट की नहरों के अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने में कठिनाई का मुख्य कारण चम्बल दायीं मुख्य नहर क्षतिग्रस्त होने से दिनांक 5.11.99 से 18.12.99 तक बन्द रही। इस स्थिति के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई है।

(2) सिंचित क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में रकबा दर्ज नहीं किया जाता है, इसलिए सिंचाई वसूली नहीं की जाती है।

(3) जी हां। नहरों के अन्तिम छोर तक सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूर्णतया सतर्क है।

हैलिंक बैंग्लों व फ़ूड क्राफ्ट बिल्डिंग की राशि का भुगतान

120. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सामान्य प्रशासन विभाग की हैलिंक बैंग्लों व फूड क्राफ्ट बिल्डिंग के संबंध में हुई अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों से कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त प्रकरण में अभी तक कोई जांच प्रारम्भ नहीं हुई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त प्रकरण को सी.बी.आई. को कब तक भेज दिया जावेगा?

(3) उक्त विलम्ब के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या सरकार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों?

(4) क्या उक्त सम्पत्तियों के संबंध में मा. उच्च न्यायालय, वित्त सचिव, मुख्य सचिव आदि ने जमा राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश प्रदान किये थे? यदि हां, तो राज्य सरकार ने राशि भुगतान के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

(5) उक्त सम्पत्ति के बारे में मा. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य पर ब्याज का प्रति माह कितना भार चढ़ रहा है? क्या सरकार खराब वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वित्तीय देनदारी के समाधान हेतु पक्षकारों से कोई समझौता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराने की घोषणा की गई थी। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) इस प्रकरण में नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग द्वारा जांच की जाकर कार्यवाही की जावेगी।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां, मा. राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने क्रेता के पक्ष में निर्णय दिया है। जिसके विरुद्ध राज्य

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ (डी.बी.) में अपील कर रखी है, जो विचाराधीन है।

(5) चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच में विचाराधीन है। अतः कितना प्रतिमाह ब्याज का कितना भार पड़ रहा है इसका आंकलन नहीं किया गया है। देनदारी के संबंध में न्यायालय के अंतिम आदेश होने पर ही सरकार कार्यवाही करेगी। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

ब्यावर शहर की पेयजल व्यवस्था में सुधार

121. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) ब्यावर शहर को बीसलपुर योजना से प्रतिदिन कितना पेयजल कब से उपलब्ध कराया जा रहा है?

(2) क्या उक्त योजनानुसार सम्पूर्ण ब्यावर नगर को विभिन्न वार्डों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों।

(3) क्या उक्त योजना का पेयजल प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध हो इस हेतु डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) लाइनों का करीब आधे नगर में अभाव है? यदि हां, तो कब तक वितरण लाइनों से शहर के प्रत्येक इलाके को जोड़ दिया जावेगा।

उत्तर

(1) शहरी जल प्रदाय योजना ब्यावर को बीसलपुर योजना से माह मार्च-97 में लाभान्वित किया गया। वर्तमान में ब्यावर को लगभग 10,000 के.एल. पेयजल प्रतिदिन दिया जा रहा है।

(2) जी हां, उक्त योजनानुसार ब्यावर शहर के सभी वार्डों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

(3) योजना का पेयजल सभी वार्डों में उपलब्ध है। वार्डों में 32 नई विकसित बस्तियों में वितरण लाइनों का अभाव है। जिन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा कालोनी विशेष की विकास समिति की है।

राज्य सरकार/कर्मचारी के संगठनों के मध्य समझौता

122. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राज्य सरकार व कर्मचारी संगठनों के बीच महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी को लेकर यह समझौता हुआ था कि जब-जब केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेगी, राज्य सरकार भी उसी के अनुरूप बढ़ोतरी करेगी? यदि हां, तो समझौता की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समझौते का पालन कर रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार आगे भी इसका पालन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड़ गुट) के साथ दिनांक 23.12.97 को हुए समझौते की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों के हितार्थ शासन की घोषणाएं

समझौता-पत्र

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड़) ने 11 सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राज्य सरकार और महासंघ (राठौड़) के प्रतिनिधियों के मध्य अनेक दौर की वार्ताओं के पश्चात् आज दिनांक 23.12.1997 को निम्नानुसार मांगों पर समझौता हुआ:—

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान वर्ष 1988-89 से दिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उनके कर्मचारियों को नये वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु श्री एन. एस. सिसोदिया, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से किये गये विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये हैं:—

1. राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप नये वेतनमान स्वीकृत किये जायेंगे।

2. संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिये गये लाभ के अनुसार 40 प्रतिशत फिटमेंट बेनिफिट (Fitment Benefit) दिया जाएगा व इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 1996 को प्रभावी दरों के अनुसार महंगाई व अंतरिम राहत की प्रथम दो किश्तों को जोड़ कर नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण किया जायेगा। वेतन श्रृंखलाओं में एफिसिएंसी बार (E.B.) नहीं होगी।

3. नये वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण दिनांक 1.9.1996 को किया जाएगा। 1.9.1996 से 31.12.1996 की अवधि के दौरान केवल काल्पनिक वेतन निर्धारण (notional pay fixation) किया जायेगा। दिनांक 1.1.1997 से दिनांक 31.12.1997 की अवधि के लिए

संशोधित वेतनमानों के फलस्वरूप मिलने वाली बढ़ी हुई राशि के एरियर राज्य कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधी खातों में शासन द्वारा निश्चित की जाने वाली अवधि के लिए जमा करके (इम्पाउन्डेड) रखे जायेंगे।

4. राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के अनुसार बढ़े हुए वेतन का नकद भुगतान 1 जनवरी, 1998 से देय होगा।

5. राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों व तिथियों के अनुसार देय होगा।

6. मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वर्तमान में मिल रहे हैं राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की दरों के अनुरूप दिनांक 1.1.1998 से देय होंगे।

7. 1.9.1988 से राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने के परिणाम स्वरूप जो कथित विसंगतियां चल रही है उन पर प्राप्त हुए ज्ञापनों पर सिसोदिया समिति आगामी तीन माह में सुनवाई परीक्षण व विचार कर सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी तथा उसके पश्चात् राज्य सरकार उन्हें लागू करेगी।

8. राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में जारी आदेशों को लागू करने व राज्य सरकार के पेंशनर्स की पेंशन दरों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 1997 से देय होगी।

9. बढ़ी हुई पेंशन के 1 जनवरी, 1997 से 31 दिसम्बर, 1997 तक की अवधि के एरियर की राशि के सम्बन्ध में पेंशनरों को यह विकल्प दिया जायेगा कि या तो वे अपने सामान्य प्रावधायी निधि के खाते पुनः खुलवा कर एरियर की सरकार द्वारा संधारित एक मुश्त राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए जमा करवा दें अथवा एरियर की राशि 60 बराबर की मासिक किस्तों में नयी संशोधित पेंशन के साथ प्रत्येक माह प्राप्त कर लें।

10. परिहार्य व अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से एवं उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति में महासंघ (राठौड़) तथा उस विभाग के कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा, जिससे कि विभिन्न निर्णयों में कर्मचारियों की भी भागीदारी हो सके व व्यावहारिक निर्णय लिये जा सकें।

11. वर्क-चार्जड कर्मचारियों के नियमितीकरण से सम्बन्धित प्रश्नों जिसमें चयनित वेतनमान देने का प्रश्न सम्मिलित है तथा कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्रीय मांग-पत्र को परीक्षणार्थ सिसोदिया कमेटी को संदर्भित किया जायेगा जिस पर समुचित सुनवाई कर सिफारिशें की जायेंगी जो प्राप्त होने पर शासन समुचित निर्णय लेकर लागू करेगा।

12. उक्त निर्णय वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों, अर्द्ध शासकीय, निगमों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरण तथा पंचायतीराज संस्थाओं पर भी उन संस्थाओं विशेष के निर्णयों के अनुसार लागू होंगे।

महासंघ यह आश्वस्त करता है कि राज्य के समस्त कर्मचारीगण सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी उत्पादकता व कर्मठता में और बढ़ोतरी करके जन सेवा व राज्य के विकास हेतु समर्पित रहेंगे।

हस्ताक्षर

राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि	कर्मचारी महासंघ (राठौड़ गुट)
प्रमुख शासन सचिव	(उदय सिंह राठौड़)
वित्त विभाग	प्रान्तीय अध्यक्ष
	(गिरीन्द्र मिश्र)
	महामंत्री

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-150 की सूची)

पेयजल से सिंचित चयनित ढाणियों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कोड नं.	अलाभान्वित ढाणी का नाम
1	2	3	4	5
1.	छीछड़ा	भीलवाड़ा	18	गूजर खेड़ा
2.	छीछड़ा	भीलवाड़ा	18	कान्या खेड़ा
3.	महुंवा कला	भीलवाड़ा	29	गूजर खेड़ा
4.	बेंरा	बनेड़ा	38	दीनदयाल नगर
5.	रायला	बनेड़ा	16	बापूनगर नीचला
6.	दुण्डिया कला	बनेड़ा	13	चमारों का खेड़ा
7.	डोडवानियों का खेड़ा	बनेड़ा	37	रेगर खेड़ा
8.	बिछुन्दड़ा	आसीन्द	11	जलरी का बाडिया
9.	दोला जी का खेड़ा	माण्डलगढ़	126	खटीकों का खेड़ा
10.	कल्याणपुरा	माण्डलगढ़	109	कालबेलियों का झोपड़ा
11.	जसुजी का खेड़ा	माण्डलगढ़	138	नया झोपड़ा
12.	बोलपुरा	माण्डलगढ़	226	जोधपुरिया की ढाणी

1	2	3	4	5
13.	छोटी बिजोंलिया	माण्डलगढ़	170	देवपुरिया की ढाणी
14.	लाडपुरा	माण्डलगढ़	187	देव नारायण का झोपड़ा
15.	सुलिया	माण्डल	30	नया खेड़ा
16.	बांकरा	जहाजपुर	184	कास्यां का झोपड़ा
17.	दानपुरा	जहाजपुर	121	उगमा बलाई का झोपड़ा
18.	धाधोला	जहाजपुर	42	नला की झोपड़ी
19.	आमलदा	जहाजपुर	85	माधोपुरा
20.	लाम्बा	हुरड़ा	14	सुपर सिन्कोटेक्स
23.	बरोदा	जहाजपुर	135	बाड़ा का झोपड़ा
24.	जोरा जी खेड़ा	जहाजपुर	140	माता जी झोपड़ा
25.	भीगपुरा	शाहपुरा	86	भगवानपुरा
26.	डोलूरिया	शाहपुरा	64	शिव कालोनी
27.	समेलिया	शाहपुरा	75	मंसूरी वाली गली
28.	लाम्बा	शाहपुरा	14	विजय गोशाला
29.	ईटावा	कोटड़ी	59	बलाईयों का झोपड़ा
30.	लाम्बा	हुरड़ा	14	रेबारियों की ढाणी
31.	छापरेला	कोटड़ी	45	मालियों का झोपड़ा
32.	बीरछोल	कोटड़ी	10	बंजारों का झोपड़ा
33.	कोटाज	कोटड़ी	43	मजरा मुदलिया

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-153 का विवरण)

क्रम सं.	योजना का नाम	जनवरी, 97 से फरवरी, 2000 तक जली हुई मोटरों की संख्या जिन्हें बंधाया/रिपेयर करवाया गया।	उक्त मोटरों से निकाले गये जले हुए ताम्बे के तार की मात्रा	रिपेयर में किया गया व्यय
1.	उदयपुरवाटी	82	375 कि. ग्रा.	388765.00
2.	छापोली	24	113 कि. ग्रा.	117975.00
3.	मण्डावरा	18	78 कि. ग्रा.	100912.00
4.	पचलंगी	13	52 कि. ग्रा.	80030.00
5.	नांगल	12	50 कि. ग्रा.	67868.00
6.	इन्द्रपुरा	13	60 कि. ग्रा.	65717.00
7.	रघुनाथपुरा	12	57 कि. ग्रा.	60018.00
8.	घमोरा	10	43 कि. ग्रा.	56769.00
	योग	184	828 कि. ग्रा.	938054.00

प्रत्येक मोटर को बंधवाने में किया गया व्यय परिशिष्ट-"ख"

क्र.सं.	योजना का नाम	पम्प सैटों की संख्या	व्यय अलग-अलग (रुपयों में)	कुल व्यय
1.	उदयपुरवाटी	82	5902, 2984, 3029, 2895, 3497, 2674, 2916, 6033, 6033, 6154, 6274, 6240, 5909, 3268, 3295, 6212, 6530, 6057, 5936, 6317, 3220, 3261, 3132, 3180, 5946, 5973, 5968, 3753, 3379, 3569, 3504, 3517, 6337, 5892, 6190, 5995, 6991, 5757, 6117, 5173, 4219, 3595, 3740, 3620, 3475, 6409, 3671, 6726, 6750, 6777, 6597, 6729, 6805, 6729, 6660, 6130, 3319, 3507, 3698, 3935, 6287, 3912, 6851, 6663, 6248, 6531, 6577, 5796, 5857, 5097, 6487, 6067, 6183, 6366, 5835, 6571, 5973, 6611, 3177, 2931, 3162, 6697	388765.00
2.	छापोली	24	6355, 6404, 5931, 6214, 3237, 3093, 5921, 5983, 5983, 3383, 3404, 3112, 6719, 6747, 3880, 3565, 6463, 6547, 6620, 3918, 5753, 2855, 2965, 3022	117975.00
3.	मण्डावरा	18	5915, 6537, 6481, 6217, 5974, 3243, 3058, 5995, 5988, 3524, 6539, 3592, 6491, 6650, 6452, 6458, 5883, 5915	100912.00
4.	पचलंगी	13	6691, 6382, 6147, 5983, 5995, 5988, 6111, 5877, 6769, 6399, 6063, 5797, 5828	80030.00
5.	नांगल	12	6155, 6413, 5859, 5079, 5986, 5945, 4084, 2985, 6155, 6473, 6471, 6263	67868.00
6.	इन्द्रपुरा	13	5907, 5949, 6367, 3431, 6889, 6442, 6326, 6130, 3433, 6171, 2969, 3011, 2692	65717.00
7.	रघुनाथपुरा	12	6799, 3226, 5951, 3473, 3956, 6797, 7106, 3203, 6475, 5953, 3515, 3564	60018.00
8.	धमोरा	10	6119, 6329, 5909, 5973, 6257, 6582, 3646, 3434, 6409, 6111	56769.00
				938054.00

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-168 का विवरण) सूची-"क"

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सा संस्थाएं

क्र.सं.	जिला	बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	कुल पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	1	0	47	48	16	64
2.	अलवर	1	0	56	57	15	72
3.	अनूपगढ़ (गंगानगर)	0	0	26	26	0	26
4.	बांसवाड़ा	1	0	36	37	25	62
5.	बांरा	0	1	26	27	3	30
6.	बाड़मेर	0	1	53	54	3	57
7.	भरतपुर	1	0	45	46	8	54
8.	भीलवाड़ा	0	1	61	62	21	83
9.	बीकानेर	1	0	45	46	0	46
10.	बूंदी	0	1	25	26	1	27
11.	चित्तौड़गढ़	0	2	53	55	7	62
12.	चूरू	0	1	51	52	8	60
13.	दौसा	0	1	28	29	7	36
14.	धौलपुर	0	1	18	19	5	24
15.	डूंगरपुर	0	1	34	35	13	48
16.	जयपुर	1	0	84	85	20	105
17.	जैसलमेर	0	1	33	34	0	34
18.	जालोर	0	1	43	44	1	45
19.	झालावाड़	0	1	28	29	2	31

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	झुंझुनूं	0	1	54	55	14	69
21.	जोधपुर	1	0	76	77	16	93
22.	कोटा	1	0	27	28	0	28
23.	कुचामन सिटी (नागौर)	0	0	32	32	4	36
24.	नागौर	0	1	37	38	8	46
25.	पाली	1	0	58	59	13	72
26.	राजसमन्द	0	1	33	34	11	45
27.	सवाईमाधोपुर	0	1	19	20	5	25
28.	सीकर	1	0	54	55	17	72
29.	सिरोही	0	1	27	28	6	34
30.	गंगानगर	1	0	27	28	5	33
31.	टौंक	0	1	34	35	6	41
32.	उदयपुर	1	0	60	61	17	78
33.	करौली	0	1	26	27	5	32
34.	हनुमानगढ़	0	1	30	31	3	34
	योग	12	21	1386	1419	285	1704

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पदों का विवरण

सूची–"ख"

क्रम संख्या	जिला	रिक्त पद
1.	अजमेर	5
2.	अलवर	4
3.	अनूपगढ़ (गंगानगर)	—
4.	बांसवाड़ा	17
5.	बारां	5
6.	बाड़मेर	24
7.	भरतपुर	9
8.	भीलवाड़ा	16
9.	बीकानेर	3
10.	बूंदी	4
11.	चित्तौड़गढ़	10
12.	चूरू	7
13.	दौसा	6
14.	धौलपुर	6
15.	डूंगरपुर	10
16.	जयपुर	9
17.	जैसलमेर	13
18.	जालोर	13
19.	झालावाड़	6
20.	झुंझुनूं	5
21.	जोधपुर	18
22.	कोटा	3
23.	कुचामन सिटी (नागौर)	8
24.	नागौर	6
25.	पाली	14
26.	राजसमन्द	8
27.	सवाईमाधोपुर	6
28.	सीकर	7
29.	सिरोही	5
30.	गंगानगर	1
31.	टौंक	8
32.	उदयपुर	12
33.	करौली	10
34.	हनुमानगढ़	1
	योग	279